

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

# जापान का संविधान

तथा

## अपराध-दण्ड कानून

(THE CONSTITUTION OF JAPAN AND CRIMINAL LAWS)

अनुनादक

डॉ० रामाधर पाठक, एम० ए० पी एच० ड०



सत्यमेव जयते

पंजानिह तथा तकनीकी शिद्दायली आयोग, शिक्षा मन्त्रालय,

भारत सरकार के तत्त्वानधान में

हिन्दी प्रकाशन समिति

वाशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वागणसी—७

द्वारा प्रकाशित

जापान का संविधान  
तथा  
अपराध-दण्ड कानून

(THE CONSTITUTION OF JAPAN AND CRIMINAL LAWS)

अनुवादक

डॉ० रामाधर पाठक, एम्० ए०, पी एच्० डी०



सत्यमेव जयते

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मन्त्रालय,  
भारत सरकार के तत्वावधान में हिन्दी प्रकाशन समिति,  
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-६  
द्वारा प्रकाशित

1965

प्रथम संस्करण—1965

© वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,  
भारत सरकार

प्रकाशन सहायक—भगवतीप्रसाद राय

ज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सत्त्वावधान में  
प्रकाशित 'जापान का संविधान तथा अपराध-दण्ड कानून'  
अंग्रेजी पुस्तक 'The Constitution of  
Japan and Criminal  
Laws' का हिन्दी  
रूपान्तर है।

प्रकाशक  
हिन्दी प्रकाशन समिति,  
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

मुद्रक  
लक्ष्मीदास  
धनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रेस, वाराणसी-5

## प्रकाशकीय

8 अगस्त सन् 1963 ई० को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रकाशन समिति की स्थापना हुई। समिति के तत्वावधान में मानक ग्रन्थों का अनुवाद और कुछ विषया पर मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन निश्चित किया गया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से अन्य मानक ग्रन्थों सहित घाना जापान स्विटजरलैण्ड, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एंड सयुक्त राज्य अमेरिका रूस आदि के सविधान अनुवाद के लिए सोचे गए। समिति ने इनका अनुवाद विश्वविद्यालय के अनुभवी अध्यापकों से कराया है। जापान का सविधान इस योजना की दूसरी पुस्तक है। अनुवाद करते समय भारत सरकार की ओर से प्रकाशित पारिभाषिक शब्दावली का पूरा उपयोग किया गया है। भाषा सरल तथा औपचारिक रखी गई है। सविधान की अधिकांश शब्दावली पारिभाषिक होती है, उसके प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, इसलिए विषय सुस्पष्ट बनाने के लिए भाषा में यथासंभव पर्यायों के प्रयोग से बचने का प्रयास किया गया है। यथा-अवसर सविधान के मिथ या सयुक्त वाक्य हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुकूल छोटे वाक्यों में रखे गए हैं।

अन्य भाषा में बने सविधान का हिन्दी भाषा में अनुवाद करते समय यह ध्यान रखा गया है कि उस देश के लिप्याचार तथा सभ्यता मूलक प्रयोग विशेष परिवर्तित न हो। सम्भव है हमसे कहीं-नहीं भाषा अनमेल प्रतीत हो, जैसे Koso Appeal (कोसो अपील), Kokoku Appeal (कोकोकु अपील), Jokoku Appeal (जोकोकु अपील) आदि।

इस कार्य के लिए पूरी आर्थिक सहायता भारत सरकार से मिली है। इस अनुदान तथा प्रोत्साहन के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की हिन्दी प्रकाशन समिति भारत सरकार के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ है। अनुवादक ने बड़े परिश्रम से इसका अनुवाद किया है। उनका कार्य प्रशंसनीय है और वे समिति

की ओर से बघाई के पात्र है। प्रकाशन-कार्य में मैनेजर, बी० एच्० य० प्रेस, का सहयोग पूर्णरूप से प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें अपनी ओर से तथा समिति की ओर से धन्यवाद देता हूँ।

वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय

वाराणसी 5

नन्दलाल सिंह

निदेशक, हिन्दी प्रकाशन समिति

## विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
जापान का संविधान	1
1 सम्राट	4
2 युद्ध का परित्याग	5
3 नागरिका के अधिकार एवं कर्तव्य	5
4 राज्यसभा	10
5 मन्त्रि-परिषद्	14
6 न्यायपालिका	16
7 वित्त	18
8 स्थानात्मक स्वायत्त शासन	19
9 सहायन	20
10 सर्वोच्च विधि	20
11 अनुपूर्व उपबन्ध	21
दण्ड संहिता	22
पहला खण्ड सामान्य उपबन्ध	22
1 विधियाँ के विनियोग	22
2 दण्ड	24
3 अवधि का परिवर्तन	27
4 दण्ड के निष्पादन का निलम्बन	28
5 कारागार से सामयिक निमुक्ति (वाग्विश्वास) करिगुल्मुगाकु	29
6 दण्ड का भोगाधिकार एवं उसकी समाप्ति जिका	30
7 अपराधा का वियोजन एवं दण्डा का घटाव एवं क्षमा प्रदान	31
हन्जाइ ना फुसइरिसु ओयाबि वेइ नो गेमेन	
8 अपराधिक प्रयत्न	33
मिसुइजाई	

अध्याय		पृष्ठ
9. अनेकापराध	.. ...	33
	“हेरगौजाइ”	
10. पुनरावृत्त अपराध	... ..	35
	“ररहन”	
11. सहापराधिना	.	36
	“वयोहन्”	
12. दण्ड घटाव वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड का घटाव...		37
	“शकुयो गेट्वेइ”	
13. दण्ड के बढ़ाव या घटाव के सामान्य नियम		37
	“वगैन् रेइ”	
दूसरा दण्ड अपराध	... ..	39
1. निकाल दिया गया	.	39
2. गृह-मुद्द से संबद्ध अपराध	..	39
	‘नइगन नि वन्-मुह ल्मुमि’	
3. (बाह्य) मुद्द संबन्धी अपराध	....	40
4. अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धी अपराध	..	40
	“वाक्का नि वन्-मुह ल्मुमि”	
5. कार्यालयीय कार्यों में दाया डालने के अपराध	... ..	41
	“वामु नो भिक्को वो वोगैमुह ल्मुमि”	
6. निकल भागने (पलायन) के अपराध	... ..	42
	“तोमा नो ल्मुमि”	
7. अपराधियों को मन्त्र देने एवं माध्य के अधिग्रहण के अपराध	... ..	43
	“हृत्तिन जोतोहु जायोवि शोको इन्नेत्तु नो ल्मुमि”	
8. बल्ले के अपराध	.. ..	43
	“मोजा नो ल्मुमि”	
9. जाग लगाने एवं संश्लेषण जलाने के अपराध	... ..	44
	‘हाक्का जोयोवि रिक्का नो ल्मुमि’	
10. वाष्पावन एवं जल के उपयोग से संबद्ध अपराध	.. ..	46
	“इम्मूइ जोयोवि मुदरो नि वन्-मुह ल्मुमि”	



अध्याय	पृष्ठ
11 यातायात में अवरोध पहुँचाने से सबद्ध अपराध 'आराइ वो बागाइ-मुह त्मुमि	48
12 अतिचार के अपराध जुक्या वा आरमु त्मुमि	49
13 गाननीयता उल्लंघन के अपराध हिमिमु वा आरमु त्मुमि	49
14 अफीम-सम्प्राप्त से सबद्ध अपराध अहन-सवना नि वन्-गुरु त्मुमि	50
15 पय जग् म सबद्ध अपराध इनेरियामुद नि वन् गुरु त्मुमि	51
16 जागी सिक्क बनान के अपराध त्सुर गिजा ना त्मुमि	52
17 रथ्या की जागसाजी के अपराध वुगा गिजा नो त्मुमि	53
18 मूल्यवान वणपत्रा (जमानता) की जागसाजी के अपराध मुक्कावन गिजा ना त्मुमि	55
19 मुद्राभा (मुहरा) की जागसाजी के अपराध 'इन्गा गिजा ना त्मुमि	56
20 मिथ्या गपय का अपराध गिगा ना मुमि	57
21 मिथ्या अभियोग का अपराध पुरोतु ना त्मुमि	58
22 अज्ञोन्ता बलाचार तथा द्विपन्नीत्व के अपराध वैसागु वनिन ओयोवि जुवान नो त्मुमि	58
23 जुआ गग्न तथा लाटरो से सबद्ध अपराध तोत्रु ओयोवि तामिबुजि नि वन्-गुरु त्मुमि	59
24 पूजास्थानों एवं ममाधिया से सबद्ध अपराध रइहैगा ओयोवि पुन्वा नि वन-मुह त्मुमि	60
25 वायाग्यीय भ्रष्टाचार के अपराध ताहु गोतु नो त्मुमि'	61

अध्याय	पृष्ठ
26 मानववध व अपराध समृजिन ना मुमि	63
27 धायर वरन व अपराध नागा ना मुमि	64
28 अनवधानता स घायर वरन व अपराध रांगमु नागाद ना मुमि	65
29 गभपात ना अपराध दताद ना मुमि	65
30 अभिशाग व अपराध रुमि ना मुमि	66
31 (अवध) बदाररण एव परिराध व अपराध तह्ही जायावि वन रित ना मुमि	67
32 अभिशास व अपराध वयाहट ना मुमि	67
33 हरण एव अपहरण व अपराध रिमिदुगु आयावि युवाइ ना मुमि	68
34 रयाति व विरद्ध अपराध मर्या नि तदमुगु मुमि	69
35 साय एव व्यवसाय व प्रति अपराध शिया जायावि ग्यानु नि तदमुगु लुमि	71
36 चारा जोर गूट व अपराध सता आयावि गाता ना लुमि	71
37 धायरवाजा जार नयादाहन व अपराध गगि जायावि वयावगु ना लुमि	73
38 छापूण विनिषाजन व अपराध जायो ना मुमि	74
39 चारा व नागा व मचद अपराध जावुगु नि तदमुगु लुमि	74
40 विनाग एव छिपान व अपराध विमि आयावि कताड ना मुमि	75

अध्याय	पृष्ठ
दृष्ट प्रक्रिया संहिता	77
पहला खण्ड—सामान्य उपपद्य	77
1 आयाज्य का अधिकार-क्षेत्र	77
2 आयाज्य के बन्धन-विधायक के अपवजन एवं आपत्ति	81
3 वात्वरण सामर्थ्य	84
4 परामर्शात्ता द्वारा प्रतिवात् तथा सर्वाधिक्य द्वारा सहायता	85
5 नियम	88
6 प्रत्यय तथा विवरण	89
7 अवधिर्वा	91
8 अभियुक्त के आह्वान प्रस्तुति और निराध	91
9 अभिग्रहण और तर्का	103
10 निरीक्षण द्वारा साध्य	110
11 साक्षात् की परीक्षा	112
12 विगणन साध्य	118
13 अथर्ववेद के अनुवात्	120
14 साध्य का परिष्करण	1 0
15 विचारण के परिष्करण	121
दूसरा खण्ड—प्राथमिक व्यवहार	123
1 परिष्करण एवं अनुसंधान	123
2 आशुवायवाही	139
3 लावविचारण	145
अनुभाग 1 आशुवायवाही की तैयारी तथा उसकी प्रक्रिया	145
अनुभाग 2 साध्य	155
अनुभाग 3 आशुवायवाही का विनिष्चय	160
तीसरा खण्ड—अपील	166
1 सामान्य उपपद्य	166
2 वात्ता अपील	169
3 वात्ता अपील	176
4 वात्ता अपील	179

अध्याय		पृष्ठ
चौथा खण्ड कार्यवाही का पुनर्विचार	...	184
पांचवां खण्ड — असाधारण अपील	..	191
छठा खण्ड—सिद्ध प्रक्रिया	...	193
सातवां खण्ड—विनिश्चय का निष्पादन	..	195
अनुपूरक उपबन्ध	...	204
पारिभाषिक शब्दावली	.	205

— — —

## जापान का संविधान

मुझे हर्ष है कि जापान की जनता की उच्छा के अनुसार नव जापान के निर्माण के लिए निरग्न्याम किया गया है और मैं प्रिन्सी कौमिट के परामर्श एवं उच्च मन्त्रिमण्डल के अनुच्छेद 73 के अनुसार मंगठित राज्य सभा के निर्णय के अनुसार जापान के राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल के गुणवत्ता का अधिनियमितकर अनुमानित एवं प्रस्तुत कर रहा हूँ।

इम्पाक्षर हिरोहितो मंग्रट की मुद्रा

दिनांक ३१वें नवम्बर १९४६ के अनुसार  
(3 नवम्बर 1946)

प्रति इम्पाक्षर

प्रधान मन्त्री एवं पर्यटन मन्त्री

योशिदा शिगेरू

राज्य मन्त्री

केन शिवेहरा किजुरा

व्याप मन्त्री

किमुरा ताजुमारा

गृह-मन्त्री

ओमुरा मन्नादनी

शिक्षा मन्त्री

ततसा वातारा

कृषि एवं वन मन्त्री

वादा हिराभा

राज्य मन्त्री

साइतो कराओ

संवाद-मन्त्री

हितोत्सुमत्सु गदयोशि

वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री

होशिजिमा जिरो

संन्याण मन्त्री	कमाई याशिनरी
राज्य मन्त्री	उएहरा एत्मुजिरा
पन्निवहन मन्त्री	हिरत्सुकु त्मुनेजिरा
प्रिन मन्त्रा	इशीवशी तजान
राज्य-मन्त्री	कानामोरी तातुजिरा
राज्य मन्त्री	खेन काइनामुने

# अध्याय 1

## सम्राट्

अनुच्छेद 1 जनता की इच्छा से ही जिसमें सर्वोच्च प्रभुत्व निहित है, अपनी प्रतिष्ठा पाता हुआ सम्राट् राज्य एवं जनता की एकता का प्रतीक होगा।

अनु० 2—राज्य गिहामन राजवर्गीय हागा और राज्य सभा (Duc) द्वारा पारित राज्य-मदन-विधि (Imperial House Law) के अनुसार ही इसका उपभाग हागा।

अनु० 3—सम्राट् के राज्य-मदन्धी सभी कार्यों में मन्त्रि-परिषद् का परामर्श एवं अनुमोदन आवश्यक हागा और इसके लिए मन्त्रि-परिषद् उत्तरदायी हागी।

अनु० 4—सम्राट् राज्य के केवल उन्हीं विषयों में अपना कार्य कर सकगा जो इस मविधान में विहित हैं और उसमें संसद या शासन-विषयक शक्ति नहीं रहेगी।

सम्राट् राज्य के विषयों में अपने कार्य-संपादन का प्रतिनिधान, विधान के निर्देशों के अनुसार, कर सकता है।

अनु० 5 जब राज्य-मदन-विधि के अनुसार, कोई राज-प्रतिनिधिमंडल (Regency) नियुक्त हागा, तो वह राज-प्रतिनिधि (Regent) राज्य के विषय में सम्राट् के नाम पर कार्य करेगा। ऐसी दशा में, पिछड़े अनुच्छेद का पढ़ा परिच्छेद ही लागू हागा।

अनु० 6—सम्राट्, प्रधान मन्त्री को, जैसा कि राज्यसभा (Duc) ने यह नाम दिया है, नियुक्त करेगा।

सम्राट्, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की, जैसा कि मन्त्रिपरिषद् ने यह नाम दिया है, नियुक्ति करेगा।

अनु० 7—सम्राट् मन्त्रि-परिषद् के परामर्श एवं अनुमोदन के अनुसार, जनता की ओर से राज्य-विषयक निम्नांकित कार्य करेगा

मविधान, विधियों, मन्त्रिपरिषद् के आदेशों एवं मन्त्रियों के मसौदों का प्रवर्तन करना,

राज्य-सभा का समारोह,

प्रतिनिधि-मदन भंग करना,

अनु० 11—मानव के कृषि मौर्य अधिकार के उपभाग से नागरिक वंचित नहीं रखा जायेगा। यह संविधान द्वारा संप्रदत्त (प्रयाभूत) मौर्य अधिकार से अधिक वृत्तमान एवं जागामा पाटी के नागरिकों का मानव एवं मौर्य अधिकारों के रूप में स्थापित जायेगा।

अनु० 12 संविधान द्वारा जनता का दावा सर्व स्वतंत्रता तथा अधिकारों की सुरक्षा जनता के सतत प्रयागों द्वारा की जायेगी; जो उक्त स्वतंत्रता एवं अधिकारों का दृश्ययोग न करेगा तथा सर्व उनका उपयोग जनवल्याण के हाथ में बर्न का उत्तरदायी होगा।

अनु० 13 समस्त जनता का व्यक्तिगत रूप में वरता जायेगा। उनका जीवन स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के प्रदान के लिए अंग तक विधान तथा अन्य संस्कारों के माध्यम से सर्वप्रधान समस्त जायेगा जब तक कि वे जनहित के विरोध में नहीं जायेगा।

अनु० 14 विधान के सुरक्षा समस्त जनता समान है। जाति धर्म या सामाजिक स्तर के कारण (1) (11) (12) के कारण - पत्र पत्र के राजनतिक अधिक अथवा सामाजिक संबंधों के कारण नहीं रखा।

सर्वान्त जबकि सुशान्ता मान्य नहीं होगा।

कृषि सम्मान अन्वेषण या कृषि वैशिष्ट्य प्रदान के साथ बाद कृषि अधिकार नहीं होगा और न ही इस प्रकार के बाद प्रदान उस व्यक्ति का जायु के पत्रान्त विहित समस्त जायेगा जो उस अव पाया है या भविष्य में पान पाया है।

अनु० 15—जनता का अपने सरकारी वमचारियों का चुनाव एवं पदच्युत बर्न का अहाय अधिकार है।

सभा एवं वमचारा समस्त जनता के सर्व के कृषि वग विधि के नहीं।

यह वमचारियों के चुनाव के संबंध में शासनिक दृश्य मताधिकार के कारणों का जाता है।

सभा चुनावों में मतदान गुण रखा जायेगा। कृषि भा मतदान के द्वारा विधि के चुनाव के संबंध में व्यक्तिगत या शासनिक रूप में बाद स्त नहीं रखा जायेगा।



## नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य

अनु० 16—प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान के निरक्षण, उच्च समवायिता के ज्ञान, विविधा, अध्यादेना एवं अधिनियमों के अधिनियमन निरक्षण एवं समानता, एवं अन्य विषयों के लिए शान्तिपूर्ण वाचिता का अधिकार होगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति का उक्त प्रकार की वाचिता का प्रयोग करने पर किसी प्रकार का अयत्न नहीं समझा जायगा।

अनु० 17—उम्र दशा में जन्म हुआ व्यक्ति का जन्म लास-व्यवहारों द्वारा अपने साथ में ज्ञान पहुँचाई गई है वह राज्य या जनता की किसी नगरपालिका द्वारा न जन्मा कि विधि द्वारा विहित है क्षति-पूर्ति के लिए बाध प्रस्तुत कर सकता है।

अनु० 18—किसी भी व्यक्ति का जन्मा प्रकार के अयत्न में नहीं रखा जायगा। केवल किन्हीं मामलों के अयत्न के रूप में अधिनियमों के अधिनियमन अन्य अधिनियमों अधिनियमों विहित है।

अनु० 19—विचार एवं अन्तर्विचार का स्वतन्त्रता का प्रतिबन्धन नहीं किया जायगा।

अनु० 20—धर्म के संबंध में सभी का स्वतन्त्रता दी जाती है। किसी भी धार्मिक गणतन्त्र का राज्य का आरंभ में कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जायगा, न ही उस जन्मा प्रकार का राजनीतिक प्रभुत्व जमान का ही अधिकार होगा।

कोई भी व्यक्ति जन्मा धार्मिक उद्योग समाराह, कम या प्रिया में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जायगा।

राज्य एवं इसके उम्र उम्र-व्यवहारों शिक्षा अथवा अन्य किसी धार्मिक उद्योग से दूर रहेंगे।

अनु० 21—गमिनि एवं मद्य तथा मापण प्रेस (यंत्राण्य) एवं अन्य प्रकारान्तरे के प्रसारण की स्वतन्त्रता दी जाती है।

किसी तरह की मन्त्र अधिनियमों विहित न होगी और न ही मन्त्र के किसी प्रकार के गम्य का ही उद्घाटित किया जायगा।

अनु० 22—हर व्यक्ति का अपना निवास चुनने एवं बदलने तथा अपने व्ययमाय चुनने की उम्र उम्र नर स्वतन्त्रता होगी जिस अंग तक वह जन हित से विगत में नहीं जाती।

हर व्यक्ति को विदेश जाने एवं अपनी राष्ट्रियता बदलने की स्वतन्त्रता होगी ।

अनु० 23—मनो का शैक्षिक स्वतन्त्रता की गारण्टी दी जाती है ।

अनु० 24—विवाह दाना शो लियों के पारम्परिक अभिमत पर आयुत हागा श्रीर इमना निर्वाह पारम्परिक महयाग एवं पति-पत्नी के समान अविचार का आधार मानने हुए किया जायगा ।

अपने जाड़े चुनने मपति के अविचार उत्तराधिकार, जावाम चुनने, विवाह-विच्छेद तथा विवाह एवं परिवार के अन्य विषया के मवन्त में, विधियों का अविनियमन, व्यक्तिगत ममान एवं लिङ्ग के अनिवायं मुणों की दृष्टि से किया जायगा ।

अनु० 25—जनता का जतुल्ल मुगी एवं मन्प-मम्हन जीवन स्तर पर जीवत प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

जीवन र हरर क्षेत्र में राज्य के प्रयास मबंधा मामाजिक हित, सुरक्षा एवं जनस्वाम्थय की वडि एवं प्रसार के लिए होगे ।

अनु० 26—जनता का अपनी योग्यता के अनुसार, जैसा कि विधान द्वारा विहित हागा, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

जनता को, जैसा कि विहित हां, अपने लडके-लडकियों का मरक्षण में रखने हुए मापारण शिक्षा दिलाना अनिवायं होगा । ऐसी अनिवायं शिक्षा निशुल्ल हागी ।

अनु० 27—जनता को काम करने का अधिकार एवं दायित्व होगा ।

बेदन, (काम करने के) घटों, एवं विधाम तथा अन्य काम करने की शर्तों के मानदण्ड विधान द्वारा निश्चिन किये जायेंगे ।

बच्चों का शोषण नहीं किया जायगा ।

अनु० 28—काम करने वालों को मण्डित हांने, मीदानारी एवं सामूहिक रूप से काम करने के अधिकार की गारण्टी दी जाती है ।

अनु० 29 मपति रखने या उसके म्नामिन्व का अटल अधिकार होगा ।

मपति के अविचारों का निर्माण, विधान द्वारा, जन-हित के अनुसार किया जायगा ।

व्यक्तिगत मरति वा, जनता के उपयोग के लिए न्यायाचिन प्रतिकर देकर, लिया जा सकता है ।

अनु० 30—जनता का जैसा कि विधि द्वारा विहित होगा, कर देना पड़ेगा ।

अनु० 31—किसी भी व्यक्ति वा जीवन अथवा स्वतन्त्रता वा बचिब नही किया जायगा और न ता विधान द्वारा निर्णित प्रक्रिया के दण्ड के अतिरिक्त अन्य काड दण्ड ही किया जायगा ।

अनु० 32—किसी भी व्यक्ति वा न्यायाभ्या से न्याय पाने के अधिकार न बचिब नही किया जायगा ।

अनु० 33—किसी भी व्यक्ति पर राई मदद तत्र तक नही किया जायगा जब तक कि किसी समस्त न्यायाधिकारी द्वारा जा कि आरापित अपराध वा गतिरोप निर्दिष्ट करगा राई क्रिय पत्र (वाण्ट) न जारी किया गया हा और जखतर कि वह गतिरूप न गिद्ध हा और अपराध किया न गया हा ।

अनु० 34—किसी भी व्यक्ति वा उसके विरुद्ध लगाए गए आराप वा तत्राड सूचिब किए गिना अथवा पणमर्ग-दाना के तत्राली विरोधाधिकार के गिना न ता बन्दो किया जा सकता है और न ता निरुद्ध किया जा सकता है, और न ता उसे गमुचिब कारण के गिना ही निरुद्ध किया जा सकता है, और किसी व्यक्ति के मांग करने पर उक्त कारण गुडे न्यायालय में तत्राल उमरी एवं उसके पणमर्गदाना की उास्थिति में, अवश्य प्रकट किया जायगा ।

अनु० 35—सभी व्यक्तिया वा अपने निवास, गोपनीय कागजात एवं संपत्ति के पडताल, तलासी एवं अभिग्रहण के विरुद्ध कार्य वा अधिनार तत्र तक रूद्द नही गमशा जायगा जब तक गमुचिब कारण पर काई अधिनार न जारी हा और जिनमें विरोध रूप से उन रवान का निर्देश न हो जिनकी तलासी लेनी हो तथा उन वस्तुआ वा भी जिनकी बरामद करना हो, अथवा अनु० 33 में विहित दशाओं के अतिरिक्त हा ।

प्रत्येक तलासी या अभिग्रहण किसी समस्त न्यायाधिकारी द्वारा जारी किए गए जलग-अलग अधिनारों पर ही की जायेगी ।

अनु० 36—किसी भी लास-अधिकारी द्वारा किसी तरह की पीडा या खीरे दूर दण्ड त्रिगुल निषिद्ध है ।

अनु० 37—सभी आपराधिक अभियोगों में अभियुक्त का किसी निष्पक्ष न्यायालय में अविचलित न्याय पाने का अधिकार होगा।

अभियुक्त का मनी साक्षिभा में निष्पक्ष (जिम्ह) करने का अवसर दिया जायगा और उस अपन लिए राजकीय मन्त्र पर साक्षिभा के पाने के लिए अनिच्छा कायवाहिया का अधिकार होगा।

इस समय अभियुक्त का समय परामशदाता की सहायता मिलेगी जा कि, यदि अभियुक्त अपने प्रयासा से न कर सकेगा तो उसके उपयोग के लिए राज्य न द्वारा दी जायगी।

अनु० 38 किसी भी व्यक्ति का अपने विरुद्ध प्रमाण देने का बाध्य नहीं किया जायगा।

किसी भी प्रकार का बाध्यता यन्त्रणा या घमकी या लम्बे बन्दीकरण या निष्पक्ष न परम्बरूप की गयी मस्वीकृति प्रमाण रूप में नहीं मानी जायगी।

किसी भा व्यक्ति का बंदन उसकी मस्वीकृति के ही प्रमाण पर न ता अपराधा समझा जायगा और न कोई दण्ड ही दिया जायगा।

अनु० 39—किसी भी व्यक्ति का उस कार्य के लिए अपराधी नहीं ठहराया जा सकेगा जा किए जाने के समय बंध रहा है या जिसके लिए उसे दूट रही है और न ता उस दाहर मन्त्र अवका मदह (jeopardy) में ही रमा जायगा।

अनु० 40—प्रत्येक व्यक्ति, उस दशा में जहाँ वह बन्दीकरण या निराव में मुक्त कर दिया गया है, विधान के अनुसार, निवारण के लिये मुसदमा कर सकता है।

## अध्याय 4

### राज्य सभा (Diet)

अनु० 41—राज्य-सभा राज्य शक्ति का सर्वोच्च भाग होगी और राज्य का एकरूप विधायक भाग भी।

अनु० 42—राज्य-सभा में दो मदन भागों जिनके नाम प्रतिनिधि-मदन एवं सभागद-मदन भागों।

अनु० 43 दाना सदना में समस्त जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य एक प्रतिनिधि रहने।

प्रत्येक सदस्य के सदस्या की संख्या का निर्वाण विधान द्वारा किया जायगा।

अनु० 44 दाना सदना के सदस्या एवं उनका निर्वाचन की अहताजा का निर्वाण विधान द्वारा किया जायगा। दस राज्य में जति सम्प्रदाय सिंग, सामाजिक स्थिति कौटुम्बिक मूल शिक्षा सम्पत्ति जयसा आय व आचार पर कोई भेद नहीं किया जायगा।

अनु० 45 प्रतिनिधि-सदस्य के सदस्या का कार्यकाल चार वर्ष होगा पर यदि प्रतिनिधि-सदस्य भंग कर दिया जायगा तो यह कार्यकाल पूरा अवधि व पूरा भी रद्द समझा जायगा।

अनु० 46—समान-सदस्य व सदस्या का कार्यकाल छ वर्ष रहगा और दस अध सदस्या का चुनाव हर तीस वर्ष होगा।

अनु० 47 निरासहाय क्षत्र जनशान पद्धति एवं दाना सदना व चुनाव का पद्धति व मसुदा अन्य विषया का निश्चय विधान द्वारा किया जायगा।

अनु० 48—जिसे भी व्यक्ति का एक साथ दाना सदना का सदस्य हान की अनुमति नहीं दी जायगी।

अनु० 49 दाना सदना व सदस्या का विधानानुसार राष्ट्रीय बाण से सम्बन्धित वापिस निधि दी जायगी।

अनु० 50 विधान द्वारा चिह्न दाना व अतिरिक्त दाना सदना व सदस्य राज्य-सभा व अधिवेशन की अवधि में गिरफ्तारी से मुक्त हाने और किसी भी सदस्य पर अधिवेशन के कारण से की गई गिरफ्तारी से वह अधिवेशन की अवधि तक के लिए सदस्य का कार्य पर मुक्त किया जायगा।

अनु० 51 दाना सदना के सदस्य सदस्य व भीतर दिए गए मता वस्तु ताजा का वरगा के मध्य में सदस्य व बाहर उत्तरदायी नहीं ठहराए जायेंगे।

अनु० 52—राज्य-सभा का सामान्य अधिवेशन प्रतिवर्ष एक बार होगा।

अनु० 53—राज्य-सभा के जसाधारण अधिवेशना का निर्धारण मंत्र परिषद् करगी। दाना सदस्यों के सदस्या की संख्या के एक चौथाई या अधिक सदस्या की मांग पर मंत्रिपरिषद् ऐसा अधिवेशन बुलाएगी।

अनु० 54—प्रतिनिधि-सदन के भंग हो जाने पर भंग होने का तिथि से चाणाम (40) दिन के अन्दर प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का एक सामान्य निर्वाचन होगा और निर्वाचन के तीस (30) दिन के अन्दर राज्य-सभा का अधिवेशन अवश्य बुलाया जायगा।

प्रतिनिधि-सदन के भंग होने पर उसका भाग सभागद-सदन भी बन्द कर दिया जायगा। तथापि मंत्रिपरिषद् राष्ट्रीय मण्डल के समय सभागद सदन का सक्त्वांगीन अधिवेशन बुला सकते हैं।

विद्युत् परिच्छेद के उल्लंघन में उल्लिखित अविवशत में प्रयुक्त उपाय अस्थायी होंगे और राज्य-सभा के दूसरे अधिवेशन के दस (10) दिन के अन्दर प्रतिनिधि-सदन द्वारा अनुमादित न होने पर व्यर्थ हो जायगा।

अनु० 55—प्रत्येक सदन अपने सदस्यों का अहता से सबद्ध विवादा का निणय करेगा। तथापि किसी सदस्य का उसका स्थान से बहिष्कृत करने के लिए उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई या उससे अधिक मत द्वारा पारित प्रस्ताव आवश्यक होगा।

अनु० 56—दाना सदन में वायवाची तब तक नहीं प्रारम्भ का जायगा जब तक कि कुछ सदस्यों के एक तिहाई अथवा उससे अधिक सदस्य उपस्थित न हों।

प्रत्येक सदन में विषयों का निणय संविधान में अन्यत्र विहित दशाओं का छाड़ कर उपस्थित सदस्यों के बहुमत में होगा, एक किमी बन्ध (111) का छाड़कर जिनका निणय अधिष्ठाता करेगा।

अनु० 57—प्रत्येक सदन में विचार विमर्श सावजनिक रूप में होगा। तथापि गुप्त बैठक भी का जा सकेगा यदि उसका लिए उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई या उससे अधिक सदस्य प्रस्ताव पारित करे।

प्रत्येक सदन अपना वायवाहिया का रण्य करेगा। इन रण्यश्रा का, कबल गुप्त बैठक का वायवाहिया के उन अंग का छाड़कर जिनका शापनाय रखना आवश्यक समझा जायगा प्रकाशित एवं जन सामान्य तक प्रसारित किया जायगा।

उपस्थित सदस्यों के <sup>3</sup> अथवा उससे अधिक सदस्यों का मांग पर किमी भी विषय पर सदस्यों के मतों का वायवाहिया के रण्य में जक्ति किया जायगा।

अनु० 68—राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति प्रदान मंत्री करेगा तथापि उसकी कुछ मन्त्रों का अधिकांश राज्य-सभा के सदस्यों में से चुना जाएगा ।

प्रदान मंत्री राज्य के मन्त्रियों का रैंग चुन सकता है रैंग ही उन्हें निवारण भी करता है ।

अनु० 69—यदि प्रतिनिधि-सदन राष्ट्र अविश्वास का प्रस्ताव पारित करता है अथवा किसी विश्वास क प्रस्ताव का रद्द करता है या मन्त्रि-परिषद् सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी यदि इस (10) दिन के अन्दर प्रतिनिधि-सदन विफल न हो जाय ।

अनु० 70—प्रदान मंत्री का पद रिक्त होने पर अथवा प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के बाद राज्य सभा क प्रथम सत्रागण पर मन्त्रि-परिषद् सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी ।

अनु० 71 रिक्त या अनुच्छेदा में उल्लिखित दशांशों में मन्त्रि-परिषद् उस समय तक अपना कार्य करता रहती जबतक कि नया प्रदान मंत्री नियुक्त नहीं हो जाता ।

अनु० 72 मन्त्रि-परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में प्रदान मंत्री विदेश प्रस्थान करेगा, सामान्य राष्ट्रीय विराम के राज्य सभा क बाह्य सत्रों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा अनेक प्रशासनिक विभागों का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण करेगा ।

अनु० 73 अन्य सामान्य प्रशासनिक कार्यों के साथ ही मन्त्रि-परिषद् का निम्नलिखित कार्य करने होगा

धड़ापूर्वक विधान का निष्पादन करना राज्य के कार्यों का संचालन करना ।

विदेशी विषयों का प्रबन्ध करना ।

मंत्रियों का निदोष करना, विन्दु इन विषयों में राज्य-सभा (Diet) का पक्ष ही, अथवा परिस्थितियों क अनुसार चाहे में अनुमति प्राप्त करेगा ।

विधि द्वारा निर्धारित मानदण्डों क अनुसार नगर (Civil) सत्रों का निष्पादन करना ।

राज्य-परिषद् के साथ करना एवं उन राज्य-सभा क सभ्य प्रस्तुत करना ।

अनु० 62—प्रत्येक सदन सरकार के सबंध में जाच-भडताल कर सकता है और साक्षिणा की उपस्थिति एवं प्रमाण की मांग कर सकता है तथा लिखित प्रमाणा का प्रस्तुत करने की भी मांग कर सकता है ।

अनु० 63—प्रधान मंत्री एवं राज्य के अन्य मंत्री, चाहे वे सदन के सदस्य हो या न हो किसी भी समय किसी भी सदन में विधेयका पर बालने के लिए जा सकते हैं । उत्तर अथवा स्पष्टीकरण देने के लिए जब उनकी उपस्थिति अपक्षित हो तो उन्हें अवश्य उपस्थित होना पड़ेगा ।

अनु० 64—राज्य-सभा उन न्यायाधीशा के अभियोगों के निर्णय के लिए जिनके विरुद्ध पदच्युत करने की कार्यवाही की जा चुकी हो दाना सदन के सदस्या में से एक महाभिभाग-न्यायालय का मसुदा करेगी ।

इस प्रकार के महाभियोगों से सबद्ध विषया की व्यवस्था विधि द्वारा की जायगी ।

## अध्याय 5

### मन्त्रि-परिषद्

अनु० 65—कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद् में निहित होगी ।

अनु० 66 मन्त्रिपरिषद् में राज्य के अन्य मंत्री एवं उनके अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री होगा जैसा कि विधि द्वारा विहित होगा ।

प्रधान मंत्री एवं राज्य के अन्य मंत्री सिविलियन (फौजी में भिन्न) होंगे ।

कार्यकारी शक्ति के मंचालन (प्रयोग) में मन्त्रिपरिषद् राज्य सभा के प्रति मामूहिकरूप में उत्तरदायी होगी ।

अनु० 67 राज्य-सभा के एक प्रस्ताव द्वारा राज्य-सभा के सदस्या में से प्रधानमंत्री का पदनामित किया जायगा । यह पदनाम अन्य सभी कार्यों में पद रहेंगा ।

यदि प्रतिनिधि-एवं सभामुद्-सदन एकमत नहीं हात और यहाँ तक कि दाना सदन की समिति बैठक में भी कोई निर्णय नहीं हो पाता, जैसा कि विहित है, अथवा सभामुद्-सदन, प्रतिनिधि-सदन के पदनाम देने के दस (10) दिन के अन्दर अवकाशा का छाटकर, यदि पदनाम देने में असमर्थ रहे तो प्रतिनिधि-सदन का निर्णय राज्य-सभा का निर्णय माना जायगा ।



अनु० 68—राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा तथापि उनकी कुछ मर्यादा का अधिपक्ष राज्य-सभा के सदस्यों में से चुना जायगा ।

प्रधान मंत्री राज्य के मंत्रियों का जैसे चुन सकता है वैसे ही उन्हें तिराक भी भरता है ।

अनु० 69 यदि प्रतिनिधि-मदन पार्टी अविश्वास का प्रस्ताव पारित करता है अथवा किसी विभाग के प्रस्ताव का खूद खराब है तो मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी यदि दस (10) दिन के अन्दर प्रतिनिधि-मदन रिपब्लिक न हो जाय ।

अनु० 70 प्रधान मंत्री का पद खाली होने पर अथवा प्रतिनिधि-मदन के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के बाद राज्य-सभा के प्रथम समारोह पर मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी ।

अनु० 71 पिछले दो अर्द्धशताब्दी में उल्लिखित दशाभा में मन्त्रिपरिषद् उस समय तक अपना काम करती रहेगी जहाँ तक कि नया प्रधान मंत्री नियुक्त नहीं हो जाता ।

अनु० 72 मन्त्रिपरिषद् के प्रतिनिधि के रूप में प्रधान मंत्री विशेषतः प्रस्तुत करेगा, सामान्य राष्ट्रीय विषयों एवं राज्य-सभा के बाह्य-सम्बन्धों का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करेगा तथा अनेक प्रशासनिक विभागों का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण करेगा ।

अनु० 73 अन्य सामान्य प्रशासनिक कार्यों के साथ ही मन्त्रिपरिषद् का निम्नलिखित कार्य करने होगा

श्रद्धापूर्वक विधायक का नियोजन करना राज्य के कार्यों का सहाय्य करना ।

विदेशी विषयों का प्रवृत्त करना ।

मधियाँ तथा विश्वयोजना दिवसों का नियोजन में राज्य-सभा (Diet) का सहयोग हो, अथवा परिस्थितियों के अनुसार बाद में अनुमति आवश्यक है ।

किसी द्वारा निर्धारित श्रावणों के अनुसार लाल (Lal) सभा का नियोजन करना ।

आय-व्यय तैयार करना एवं उस राज्य-सभा के समक्ष प्रस्तुत करना ।

प्रस्तुत संविधान एक विधि की व्यवस्थाओं का निष्पादन के लिए मंत्रिमण्डल के आदेशों का अधिनियम बनना। तथापि मंत्रिमण्डल के ऐसे आदेशों में विधि दायित्व व्यवस्थाओं का तब तक समावेश नहीं होगा जब तक कि वे उक्त प्रकार का विधि द्वारा प्राविष्ट न हों।

सामान्य राज्य-क्षमा दण्ड का उद्धारण अधिकारों का प्रतिस्वन एक प्रयावतन आदि का निषेध करना।

अनु० 74—सभी विधियाँ एवं मंत्रिमण्डल के आदेशों पर राज्य के समस्त मंत्रियों के हस्ताक्षरों का एवं प्रधान मंत्री का प्रतिहस्ताक्षर होगा।

अनु० 75—राज्य के मंत्रियों पर अपने वायव्य में कोई भी वैधानिक वायव्यों से प्रथम प्रधान मंत्री का समर्थन के बिना नहीं किया जा सकता। तथापि इनके द्वारा उक्त वायव्यों के अस्वीकार का आदेश नहीं होगा।

## अध्याय 6

### न्यायपालिका

अनु० 76—यदि विषयक सम्बन्धित सर्वोच्च न्यायालय में तथा उन अन्तर्गत न्यायालयों में निहित है जो विधि द्वारा सम्पादित हों।

विशेष प्रकार का असाधारण न्यायिक उद्धारण (Extraordinary tribunal) स्थापित नहीं किया जायेगा और न ही न्यायपालिका के विषयों अथवा अधिकारों का ही सर्वोच्च अधिकार नहीं दी जायेगा।

सभी न्यायालयों को अन्तर्निहित से कार्य करने में स्वतंत्र रूप में और उन पर अन्य संविधान एवं विधियों का ध्यान होगा।

अनु० 77—विधायिका के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है जिसमें वह प्रक्रिया एवं व्यवहार के तथा न्यायपालिका से सम्बद्ध मामलों, न्यायालयों के आन्तर्गत अनुभागों एवं न्यायिक विषयों के सम्बन्ध में सम्बद्ध नियमों का निर्धारण करेगा।

राज-समाप्ता सर्वोच्च न्यायालय की विधायिका के अधीन होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयों का अन्तर्गत न्यायालयों के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त करना है।

अनु० 78 जनता द्वारा लगाए हुए महाभियोग की स्थिति का छाडकर, न्यायाधीश तब तक नहीं हटाए जा सकते जब तक कि वे न्यायालय द्वारा मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम नहीं घोषित किए जाते। न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही किमी भी कार्यपालिका के जग अथवा अभिकरण द्वारा नहीं की जा सकती।

अनु० 79 सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश एक उपाधीश और न्यायाधीश ग्रेड जितने विधान द्वारा नियमित किए जाएंगे। प्रधान न्यायाधीश के अनिश्चित अन्य सभी न्यायाधीशों का मन्त्रिपरिषद नियुक्त करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रतिनिधि-मदन के सदस्या के पक्ष सामान्य निर्वाचन के अवसर पर उत्तरा नियुक्ति के बाद, जनता द्वारा पुनर्निर्वाचन किया जायगा और प्रतिनिधि-मदन के सदस्या के प्रथम सामान्य निर्वाचन के अवसर पर दस (10) वर्ष बाद पुन पुनर्निर्वाचन किया जायगा तथा दस वर्ष बाद से भा किया जायगा।

विच्छेद परिच्छेद में उल्लिखित दशा में यदि भवदाताओं का बहुमत किमी न्यायाधीशों की पदच्युति के पक्ष में है तो वह पदच्युत कर दिया जायगा।

पुनर्निर्वाचन से मसुद्ध विषय विधान द्वारा विहित होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विधान द्वारा निर्दिष्ट आयु तक पहुँच जाने पर निवृत्त कर दिए जाएंगे।

एक सभी न्यायाधीशों का निर्दिष्ट अन्तर पर समुचित प्रतिफल मिलेगा जो कि उनके कार्यकाल से कम नहीं किया जायगा।

अनु० 80—अब न्यायाधीशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति मन्त्रिपरिषद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित व्यक्तियों की नियमावली से किया जायगा। वे सभी न्यायाधीशों दस (10) वर्ष की अवधि तक कार्यभार वहन करेंगे, वे दस वर्ष भी नियुक्त हो सकते हैं किन्तु यदि वे विधान द्वारा नियत आयु पर निवृत्त कर दिये जायें।

अब न्यायाधीशों के न्यायाधीशों नियमित अन्तर पर समुचित प्रतिफल पार्लेमेंट और वह उनके कार्यकाल के अन्दर घटाया नहीं जायगा।

अनु० 81—किमी विधि आदेश नियम या आधिकारिक कार्य की सावधानिकता के निर्वारण में सर्वोच्च न्यायालय ही अन्तिम आशय का समर्थ न्यायालय है।

अनु० 82—विचारणों (trials) का संचालन एवं निर्णय की घोषणा मार्जनिन स्वरूप में की जायगी। जब कोई न्यायालय इनके प्रचार की एकमत से मार्जनिन व्यवस्था अथवा नैतिक आचारों के लिए घातक घोषित करे, उस दशा में कोर्ट भी न्यायिक विचारण गुप्त रीति में किया जा सकता है, किन्तु राजनीतिक अपराधों अथवा पन्नालय में भवद्व अपराधों के विचारण में अथवा उन अभियोगों में जिनमें कि इम संविधान के अध्याय 3 में न प्रदत्त जनता के अधिकारों का प्रश्न है विचारण मार्जनिन स्वरूप में किया जायगा।

## अध्याय 7

### वित्त

अनु० 83—राष्ट्रीय वित्त का प्रशासन करने की शक्ति का प्रयोग राज्य-सभा के निष्पादक अनुसार होगा।

अनु० 84—विना विधान के न तो नए कर लगाए जा सकते हैं और न पुराने कर में परिवर्तन किया जा सकता है, अथवा ऐसी दशाओं में, जैसा विधान द्वारा विहित है, किया जायगा।

अनु० 85—राज्य-सभा द्वारा प्राधिकृत हुए विना राज्य द्वारा न तो कोई धन गति व्यय की जा सकती है और न तो राज्य अनिवार्य रूप से उसका उपयोग ही कर सकता है।

अनु० 86—मन्त्रिपरिषद् प्रत्येक राजवित्तीय वर्ष के लिए आयव्यय तैयार करेगी तथा उन पर विचार एवं निर्णय के लिए राज्य-सभा का प्रस्तुत करेगी।

अनु० 87—आयव्यय में अदृष्ट कमियाँ को पूरा करने के लिए राज्य-सभा द्वारा एक आरक्षित निधि की व्यवस्था की जायगी या मन्त्रिपरिषद् के दायित्व पर गारंटी की जायगी।

आरक्षित निधि में न किये जाने वाले सभी भुगतानों के लिए मन्त्रिपरिषद् का आदेश राज्य-सभा से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

अनु० 88—राज-परिवार की समस्त संपत्ति राज्य की संपत्ति होगी।

राज-परिवार के सभी व्ययों का नियोजन राज्य सभा द्वारा आयव्यय में किया जायगा।

अनु० 89—किसी भी गावर्जनिक द्रव्य या अन्य संपत्ति का विनियोजन या अन्य किसी धार्मिक संस्था या मठ के उपयोग लाभ या सधारण के लिए अथवा किसी धार्मिक गिर्ना-सदधी अथवा परापकार विषयक उद्योग के लिए जा लाने प्राधिकरण के नियंत्रण में न होना नहीं किया जा सकता ।

अनु० 90 राज्य के व्यय एवं आय (राजस्व) के अंतिम लेखाका का कवा रगो रग प्रतिवर्ष एक लेखा परीक्षक मण्डल द्वारा किया जायगा और मन्त्र परिषद द्वारा राज्य विनाय वष के अन्त में परीक्षण के विवरण के साथ उस समय के राजस्व जव तब का बह लेखा में राज्य सभा को प्रस्तुत किया जायगा

राज परीक्षण-मण्डल के सलठन एवं सामयिक का निर्धारण विधान द्वारा किया जायगा ।

अनु० 91 कुछ नियम अन्तर्ग पर और कम-स-सम प्रतिवर्ष मन्त्र परिषद द्वारा राज्य सभा को मिति के विषय में राज्य-सभा एवं जनता को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेगा ।

## अध्याय 8

### स्थानीय स्वायत्त शासन

अनु० 92—स्थानीय शासनका के सलठन एवं कार्य करने के नियमों का निश्चय विधान द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन सिद्धांतों के अनुसार किया जायगा ।

अनु० 93—स्थानीय शासनका विधानानुसार सभाका को स्थापना अपने विचार विमल रग्न वाडे अग के रूप में करेगा ।

सभा स्थानीय शासनका के मुख्य कार्यकारी अधिकारिया उनही सभाका के मन्त्रिया तथा उन स्थानीय कमचारिया के जो विधान द्वारा नियोजित किए जाय निवाचन उनके विभिन्न समुदायों में प्रथम मतदान द्वारा होगा ।

अनु० 94—स्थानीय लोक सभाका का अपनी संपत्ति अपने विविध विषया एवं प्रशासन के प्रय र करने तथा विधान के अंतर्गत अपने निजी नियमों का अतिनियमित करने का अधिकार होगा ।

अनु० 95—एक स्थानीय लोक-सभा में लागू होने वाले किसी भी विशेष विधान को जो विधि-मगन पाया गया है। उस स्थानीय लोक-सभा के मत-दाताओं के बहुमत द्वारा प्राप्त अनुमोदन के बिना राज्य-सभा द्वारा अधि-नियमित नहीं किया जा सकता।

## अध्याय 9

### संशोधन

अनु० 96—इस संविधान में संशोधन का सूत्रपान राज्य-सभा द्वारा दोनों सदन के कुल सदस्यों के दा-तिहाइ या इसमें अधिक सदस्यों के सम्मिलित मतदान से किया जायगा और तब वह मर्यादित के लिए जनता का प्रस्तुत किया जायगा। इस मर्यादित के लिए एक विशेष जनमत-संग्रह का, अथवा निर्वाचन के अवसर पर जैसा कि राज्य-सभा निश्चय करे, कुल मत के बहुमत का सकारात्मक मत अपेक्षित है।

उक्त प्रकार से मर्यादित या अनुसमर्थित संशोधन तत्काल मन्नाट द्वारा जनता के नाम से संविधान का अभिन अंग घोषित कर दिया जायगा।

## अध्याय 10

### सर्वोच्च विधि

अनु० 97—जापान की जनता के लिए प्रत्याभूत (guaranteed) मानव के मूल अधिकार उनके उम्र स्वतंत्रता-संघर्ष के प्रतिपत्त हैं जिसे वह युगान्तरों में करना चाहता आ रहा था। ये अधिकार अनेक चिरम्यायिता की यथार्थ कमोठिया पर खरे उतरे हैं। अत इन्हें वर्तमान एक भविष्य में होने वाली पीढ़ियों का इस विश्वास के साथ प्रदान किया जाता है कि जापान का मानव इन्हें सर्वदा अक्षुण्ण बनाए रखेगा।

अनु० 98—प्रस्तुत संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च विधान होगा जिसमें ममथ किसी भी विधि, अध्यादेश, मन्नाट की घोषणा या अन्य सरकारी अधिनियम या उक्त अंग का, जो इनकी व्यवस्थाओं के विरुद्ध होगा, विधि-बल या मान्यता नहीं प्राप्त होगी।

जापान द्वारा की गई सधिया एक राष्ट्र के प्रतिष्ठापित विधानों का श्रद्धा-पूर्वक अनुशासन किया जायगा।

अनु० 99—मन्नाट अथवा राजप तथा राज्य क सभा मंत्रिया राज्य सभा क सदस्या याथावीणा तथा अय सभा लाक-कर्मचारिया का इस सविधान क प्रति समदर ग्यन एव इमका मयादा बनाए रखन का वाध्यता हाणी ।

## अध्याय 11

### अनुसूचक उपसन्ध

अनु० 100—प्रस्थापित करन का निधि स छ (6) मास का अवधि क बाद यह सविधान प्रवर्तित हागा ।

प्रस्तुत सविधान क प्रवर्तन क गिा आवश्यक विधिया क अधिनियमन सभामद मदन क सदस्या क निर्वाचन राज्य-सभा क समाराह का प्रथिया तथा इम सविधान क प्रवर्तन क लिए अय प्रारम्भिक प्रथियाआ का पिछ्ठ परिच्छेद में रिक्ति निधि क पूव निष्पन्न किया जायगा ।

अनु० 101—यदि इम सविधान क अनुसार समारम्भ निधि क पूव सभामद मदन का सगठन नही टा जाता ता प्रतिनिधि-मदन राज्य-सभा के रूप में तत्रतक काय बना रहेगा जब तक कि सभामद मदन का सगठन नही हा जाता ।

अनु० 102—इस सविधान क अन्तगत पहला अवधि में काय करत हुए सभामद मदन क जाध सदस्या का कायकाल तान बप हागा । इम कालि क अन्तगत शान का सदस्या का निरागण विधि द्वारा किया जायगा ।

अनु० 103—इम सविधान का समारम्भ निधि पर अपना काय करत हुए राज्य क मंत्री-गण प्रतिनिधि-मदन क मन्स्य एव याथावीण तथा अय सभा लाक-कर्मचारी जा एम पदा के गबद्ध पदा पर हा जा सविधान द्वारा मायना शाप्त हा स्वन इस सविधान क प्रवर्तित हान पर अपन पद से च्युत नहा हागे जब तक कि विधान द्वारा उनका अथवा उल्लख न किया जाय किन्तु पर उनक उत्तराधिकारी इम सविधान की व्यवस्थाआ के अनुसार निर्वाचित या नियुक्त हा जायगे तब वस्तुन उहें अपना पद त्यागना पन्गे ।

# दण्ड संहिता

(1921 के विधि क्र० 77 1941 के विधि क्र० 61 एव 1947 के विधि क्र० 124 द्वारा संशोधित 1907 का विधि क्र० 45)

## पहला खण्ड—सामान्य उपबन्ध

### अध्याय 1

#### विधियों के विनियोग (प्रयुक्ति)

अनु० 1—यह विधि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी जिम्मे जापान राज्य की सीमा के अन्तर्गत कोई अपराध किया हो।

यह उन सभी व्यक्तियों पर भी लागू होगी जिन्होंने जापान राज्य के बाहर भी किसी जापानी जहाज पर चढ़े हुए अपराध किया हो।

अनु० 2—यह विधि उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जिन्होंने जापान की सीमा के बाहर निम्नांकित अपराधों में किसी का किया हो

- (1) विरहित ,
- (2) 77 से 79 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित अपराध ,
- (3) अनु० 81, 82, 87 और 88 में उल्लिखित अपराध ,
- (4) अनु० 148 में उल्लिखित अपराध एव उगका प्रयत्न ,
- (5) अनु० 154, 155, 157 और 158 में उल्लिखित अपराध ,
- (6) अनु० 162 एव 163 में उल्लिखित अपराध ,
- (7) अनु० 164 से 166 में उल्लिखित अपराध एव अनु० 164 के परिच्छेद 2, 165 के परि० 2 तथा 166 के परि० 2 में उल्लिखित अपराधों के प्रयत्न।

अनु० 3— यह विधान उन सभी जापान राष्ट्र के निवासियों पर लागू होगा जिन्होंने जापान की सीमा के बाहर निम्नांकित में से कोई अपराध किया हो

- (1) अनु० 108 एव अनु० 109 के परि० 1 में उल्लिखित अपराध, अनुच्छेद 108 एव अनु० 109 परि० 1 के अनुसार व्यवहृत किए जाने वाले अपराध एव उनके प्रयत्न,



- (2) अनु० 119 में उल्लिखित अपराध
- (3) अनु० 159 से 161 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित अपराध
- (4) अनु० 167 में उल्लिखित अपराध एवं उक्त अनुच्छेद व परि० 2 में उल्लिखित अपराध प्रयत्न
- (5) अनु० 176 से 179 181 और 184 में उल्लिखित अपराध
- (6) अनु० 199 एवं 203 में उल्लिखित अपराध एवं उनका प्रयत्न,
- (7) अनु० 204 एवं 205 में उल्लिखित अपराध
- (8) अनु० 214 से 216 में उल्लिखित अपराध
- (9) अनु० 218 में उल्लिखित अपराध तथा उक्त अपराध के करने में किसी व्यक्ति का मार डालने या घायल कर देने का अपराध
- (10) अनु० 220 एवं 221 में उल्लिखित अपराध
- (11) अनु० 224 से 228 में उल्लिखित अपराध
- (12) अनु० 230 में उल्लिखित अपराध
- (13) अनु० 235 236 238 से 241 और 243 में उल्लिखित अपराध,
- (14) अनु० 246 से 250 में उल्लिखित अपराध
- (15) अनु० 2-3 में उल्लिखित अपराध
- (16) अनु० 256 परि० 2 में उल्लिखित अपराध ।

अनु० 4 यह विधान उन सभी जापानी लाक-रमचारियों पर लागू होगा जिन्होंने निम्नलिखित में से किसी अपराध का जापान की सीमा के बाहर किया है।

- (1) अनु० 101 में उल्लिखित अपराध एवं उसका प्रयत्न
- (2) अनु० 156 में उल्लिखित अपराध
- (3) अनु० 193 अनु० 195 परि० 2 और अनु० 179 से 197—(3) में उल्लिखित अपराध एवं अनु० 195 परि० 2 में उल्लिखित अपराध के द्वारा किसी व्यक्ति का मार डालने अथवा घायल करने का अपराध ।

अनु० 5—चाह किसी भी देश में कोई अटल नियम भले ही दिया गया हो। उमम जापान में उसके लिए कोई दण्ड बाधित नहीं होगा। तथापि यदि अपराधी विदेश में घायल दण्ड का अभाव अथवा पूर्णतः निष्पादित कर चुका हो तो

जापान में उम अफगन का एक क़रीब कर दिया जायगा या कम छान दिया जायगा ।

अनु० 6—यदि सिमा अफगन क़ करन क़ वाद कमरा दण्ड विधान द्वारा बदल सिमा गया ना ना जा क़ घु दण्ड हागा क़ा गग हागा ।

अनु० 7—उन विधान में गार कमचारा पद स मरकारा कमचारिया गार-कमचारिया मभाजा एव समितिया क़ मदकिया तथा अय गारा का ना जा जन गाधारण क़ कार्या में विधिया एव अच्चादगा क़ अनुमार लग हुए हा बाय गारा ।

गार कार्यालय पद में उन स्थाना का समझा जायगा वही गार-कमचारा अपना शाय करेग ।

अनु० 8—कम विधान क़ सामाय उपरय उन अभियागा (अपराधा) क़ मयत्र में ना गग गग जिनक़ सिम दण्ड अय विधिया या आदगा द्वारा सिमित ना करत कम गारा का आदगर जय सि कम विधिया या आदगा द्वारा क़ अ यथा सिमित ना ।

## अध्याय 2

### दण्ड

अनु० 9—प्रधान दण्ड है—प्राण-दण्ड क़ठोरमसारागाम कारावास अयदण्ड शक्ति निगार तथा क़ घु अ दण्ड राज्यमानरण एव अतिशक्ति दण्ड है ।

अनु० 10—प्रधान दण्ड का गारा गम्ता पिठर अनुच्छेद में निर्दिष्ट कम गारा क़ वर आजावन कारावास सामित क़ठोरमसारागाम म तथा सामित कारावास ना सामित करार कमसारागाम म गुन्तर गारा यदि क़ का करम अथयि दूगर ना करम अथयि म दगुना अथयि ना ।

समान प्रकार क़ दण्डा में ना जिकरा अथयि करम अथयि या अथयि करम गारा गारा क़ गुन्तर गारा । यदि करम अथयि एव करम गारा करार ना ना जिकरा यनतम अथयि या यनतम गारा अथयि गारा क़ गुन्तर माना जायगा ।

ऐसे व्यक्ति जो पूरे लघु अर्धदण्ड का देने में असमर्थ होंगे उन्हें किसी कमन्साला में कम से कम एक दिन और अधिक में अधिक तीस दिन तक रखा जायगा।

उम दशा में जबकि दो या उमसे अधिक अर्धदण्ड सामूहिक रूप में लगाए गए हैं या बड़े अर्धदण्ड या छोटे अर्धदण्ड साथ लगाए गए हैं ता उक्त निरोध की अवधि तीन वर्ष में अधिक नहीं की जा सकती। उम दशा में जबकि दो या अधिक छोटे अर्धदण्ड साथ लगाए गए हों, निराध की अवधि साठ दिन से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

जब कोई बड़ा या छोटा अर्धदण्ड लगाया गया है ता एक बड़े या छोटे अर्धदण्ड का पूणत देने में असमर्थ होने की दशा में निराध की अवधि भी साथ ही निश्चित तब घोषित कर दी जायगी।

समस्त पक्ष की रय के बिना बड़े अर्धदण्ड के लिए निराध निर्णय के अटल है जाने के ताम दिन के अन्दर तथा छोटे अर्धदण्ड के लिए दस दिन के अन्दर प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।

जब कोई व्यक्ति जिस पर बड़ा या छोटा अर्धदण्ड लगाया गया है तथा उमने उमका कुछ भाग चुका दिया हो तो वह पूरी अवधि के उम शेष अथ तब निरोध में रखा जायगा जितना कि पूरी निराध-अवधि में उमके दिए गए धन के अनुपात में दिना की सम्प्रा घटाने में शेष बनेगा।

निरोध-अवधि के अन्तर्गत की गई भुगतान में चारों दिनों में दो दिनों की सम्प्रा उमी अनुपात में घटाई जायगी जैसा कि पिछड़े परिच्छेद में उल्लिखित है।

ऐसी राशि जमा नहीं है मनेगी जो एक भी दिन के निरोध के अनुपात में न हो (अर्थात् निराध की पूरी अवधि के दिना में से एक दिन पर जो अर्धदण्ड आता है उममें भी कम अर्धदान स्वीकार नहीं किया जायगा)।

अनु० 19—निम्नांकित बन्तुआ का सम्प्राकारण किया जा सकता है :

- (1) वे बन्तुएँ जो आपराधिक धर्म की घटक रही हैं,
- (2) वे बन्तुएँ जिनका किसी आपराधिक धर्म में प्रयाग या प्रयाग करने का प्रयत्न रहा है,

## जापान का संविधान

अनु० 24—दण्ड भोगने या पहला दिन चाहे किसी घण्टे में भोगना शुरू किया जाय पूरे एक दिन के रूप में परिष्कृत किया जायगा। यही नियम भोगाधिकार की अवधि के पहले दिन के सवन्ध में भी लागू होगा।

दण्ड की अवधि के पूरे होने बाद दिन के बाद वाले दिन निर्मुक्ति का निष्पादन किया जायगा।

### अध्याय 1

#### दण्ड के निष्पादन का निलम्बन

अनु० 25—यदि निम्नलिखित व्यक्तिता में में किसी को कठोरश्रम-कारावास या कारावास का दण्ड मिल चुका है जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न है या अपेक्षित जा 5,000 येन से अधिक न हो ता ऐसे दण्ड का निष्पादन, निर्णय के दिन से परिस्थितियों के अनुकूल, कम-से-कम एक वर्ष तथा अधिक-से-अधिक पांच वर्ष तक की अवधि के लिए निलम्बित किया जा सकता है।

- (1) ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहले कारावास या कोई बटिन दण्ड न मिला है,
- (2) ऐसे व्यक्ति जिन्हें यद्यपि पहले कारावास या कोई बटिन दण्ड मिल चुका है किन्तु उस पूर्व दण्ड के निष्पादन के पूर्ण होने या क्षमा किये जाने की तिथि से मान वर्ष के अन्दर कोई कारावास या बटिन दण्ड फिर न मिला हो।

अनु० 26—अधोलिखित दशाओं में दण्ड के निष्पादन का निलम्बन प्रतिमहृत किया जा सकता है।

- (1) जबकि निलम्बन की अवधि के अन्तर्गत कोई अन्य अपराध किया गया हो और उसके लिए कारावास या कोई और बटिन दण्ड दिया गया है,
- (2) जबकि दण्ड-निष्पादन के निलम्बन की घोषणा के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास या कोई और बटिन दण्ड दिया जा चुका है,

- (3) पिछले अनुच्छेद के प्रभाग (2) में उल्लिखित व्यक्ति का के अनिश्चित, जब यह पता चल जाय कि उस व्यक्ति का, दण्ड-निष्पादन के निरन्धन की घोषणा के पहले किसी अन्य अपराध के लिए वागवाम या कोई कठिन दण्ड मिला था ।

जब निलम्बन की अवधि के अन्दर कार्ड और अपराध किया गया है और उसके लिए कार्ड अयंदण्ड दिया गया है तो दण्ड निष्पादन के निरन्धन की घोषणा प्रतिमहून की जा सकती है ।

अनु० 27 -जब दण्ड निष्पादन के निरन्धन की अवधि निरन्धन की घोषणा के प्रतिमहून के बिना ही खोल जाय तो दण्ड की घोषणा प्रभावशून्य हो जायगी ।

## अध्याय 5

### कारागार से सामयिक निर्मुक्ति (वाग्विश्वास)

#### “करिद्युत्सुगोकु”

अनु० 28— यदि कार्ड कठोरभ्रम-कारागार या वागवाम में दण्डित व्यक्ति सुधार के सर्वे प्रकट करे तो प्रशासनिक अधिकारियों की कारवाह द्वारा, दण्ड की अवधि मीमित होने पर उसका एक निहाट एव आजीवन रहने पर दस वर्ष भोग लेने पर, कारागार से सामयिक (कुछ गनों पर) निर्मुक्ति दी जा सकती है ।

अनु० 29—कारागार से सामयिक निर्मुक्ति की कारंवाई अधारितित दगाओं में प्रतिमहून कर दी जायगी

- (1) जबकि सामयिक निर्मुक्ति की दशा में कार्ड और अपराध किया गया है और कार्ड अयंदण्ड या कठिन दण्ड दिया गया है,
- (2) जबकि सामयिक निर्मुक्ति के पहले किए गए अन्य किसी अपराध के लिए कार्ड अयंदण्ड या और कठिन दण्ड दिया गया है,
- (3) जबकि व्यक्ति का कार्ड अयदण्ड या कठिन दण्ड भुगवना है जो कि उसे सामयिक निर्मुक्ति के पूर्व किसी अन्य अपराध के लिए दिया गया था,
- (4) जबकि सामयिक निर्मुक्ति के नियन्त्रण विषयक विनियम अनिलिखित हो गए हो ।

सामयिक निर्मुक्ति की कार्रवाई के प्रतिसहृत किये जाने की दशा में कारागार क बाहर बिताए गए दिना का दण्ड की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायगा ।

अनु० 30—दाण्डिक निराय स दण्डित व्यक्तिया का परिस्थितिया के अनुसार किसी भी समय प्रशासनिक अधिकारिया की कार्रवाई द्वारा सामयिक रूप में निमुक्त किया जा सकता है ।

यही नियम उन व्यक्तिया के विषय में भी लागू होगा जा किसी बड़े या छोटे जखदण्ड का पूर्णतः देने में अममर्थ होने क फलस्वरूप निराय स रखे गए हा ।

## अध्याय 6

### दण्ड का भोगाधिकार एवं उमकी समाप्ति

#### “जिको”

अनु० 31—किसी दण्ड स दण्डित व्यक्तिया का उस दण्ड के निष्पादन स भागाधिकार द्वारा जवमुक्त किया जायगा ।

अनु० 32—यह भागाधिकार उम समय पूरा होगा जबकि दण्ड की अन्तिम निषय का निधि स निम्नांकित अवधि के जन्तर्गत दण्ड का निष्पादन न किया गया है।

- (1) मृत्युदण्ड के लिए, तीन वर्ष,
- (2) आजीवन कटाश्रम-कारावास या आजीवन कारावास क लिए, दाम वर्ष,
- (3) मौमित कटाश्रम-कारावास या मौमित कारावास क लिए, पन्द्रह वर्ष यदि अवधि दस वर्ष या उमम अधिक है, दस वर्ष, यदि अवधि तीन वर्ष या उमम अधिक है, पाँच वर्ष, यदि अवधि तीन वर्ष से कम है,
- (4) बड़े जखदण्ड क लिए, तीन वर्ष,
- (5) दाण्डिक निराय, छोटे जखदण्ड एवं राज्यमातरण के लिए, एक वर्ष ।

अनु० 37—जीवन, शरीर, स्वतंत्रता या अपनी अथवा दूसरों की सर्वात के प्रति उपस्थित खतरा का हटाने के लिए किए गए अनिवार्य कार्य दण्डनीय नहीं होंगे यदि उक्त कार्यों द्वारा पहुँचाई गई क्षति, होने वाली क्षति से अधिक न हो। तथापि, परिस्थितियों के अनुसार, ऐसे कार्यों के दण्डों को, जिनमें होने वाली क्षति से उक्त कार्यों द्वारा की गई क्षति अधिक हो, हल्का अथवा क्षमा किया जा सकता है।

विछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (उपबन्ध) उन व्यक्तियों के मवध में लागू नहीं होगी जा अपनी जीविका या व्यवसाय के कारण किसी विशेष बन्धन के अन्तर्गत हों।

अनु० 38—बिना आशय के किए गए अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जायगा परन्तु यह उस दशा में लागू नहीं होगा जहाँ कि किसी विधि में कोई विशेष व्यवस्था उसके विरुद्ध हों।

उस दशा में जब कि किसी व्यक्ति का, जिसने अपराध किया हो, अपराध करते समय यह ज्ञात न रहा हो कि जा अपराध वह कर रहा है वह उमने मोचे गए अपराध से गुन्तर है ता उसे उमने गुन्तर अपराध के लिए दण्डित नहीं किया जायगा।

विधि की व्यवस्था की अनभिज्ञता के बल पर किसी व्यक्ति को अपराध करने के आशय से शून्य नहीं माना जायगा। तथापि, इस दशा में परिस्थिति के अनुसार, दण्ड कम किया जा सकता है।

अनु० 39—अविवेकी व्यक्तियों के कार्य दण्डनीय नहीं होंगे। निर्बल मन वाले व्यक्तियों द्वारा किये गए अपराध-कृत्यों के दण्डों का हल्का कर दिया जायगा।

अनु० 40—मूक बधिरा के कार्य दण्डनीय नहीं होंगे अथवा दण्डित होने पर उनका दण्ड हल्का कर दिया जायगा।

अनु० 41—चौदह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों के अपराध दण्डनीय नहीं होंगे।

अनु० 42—उन व्यक्तियों का दण्ड हल्का किया जा सकता है जिन्होंने अपराध करने के बाद समय अधिकांशियों के समक्ष जाच होने पर अपना प्रत्याख्यान कर दिया हो।

अथदण्ड छोटे अथदण्ड एवं राज्यसात्करण व अतिरिक्त और कोई दूसरा दण्ड नहीं दिया जायगा ।

अनु० 47—यदि हद्दगाजाइ में स दा या उससे अधिक अपराध सीमित वठारथमकारावास जबदा कारावास व दण्ड व याग्य हा ता दण्ड वा चरम अवधि गुन्तम अपराध वा चरम अवधि तथा इसकी आधी और (अथात् डेढ़ गुना) हागी किन्तु यह जबधि दूसरे अथव किए गए अपराधा व लिए उल्लिखित चरम जबधिया म अधिक नहीं हागा ।

अनु० 48—कबए अनु० 46 व परि० 1 की दगा व अतिरिक्त कोई अन्य दण्ड भा याग्य-याव दिया जायगा ।

दा या अधिक अथदण्ड उतनी मात्रा तक दिए जायेंगे जहाँ तक कि उनकी राशि अनेक अपराधा पर लगाए गए अथदण्डा व याग से अधिक न हा ।

अनु० 49 यद्यपि हद्दगाजाइ व अन्तगत गुन्तम अपराध व लिये राज्य सात्करण वा उत्पन्न नहीं किया गया है तथापि यह अतिरिक्त रूप में लगाया जा सकता है यदि अया में स निम्नी अपराध पर राज्यसात्करण विहित हा ।

राज्यसात्करण व दा या अधिक दण्ड एक साथ लगाए जा सकते हैं ।

अनु० 50—यद्यपि हद्दगाजाइ व अन्तगत एक या अधिक अपराध (अपराधा) पर न्याय निणय दिया गया हा और अन्य (अन्या) पर नहीं ता अनिर्णीत अपराध (अपराधा) पर न्याय निणय दिया जायगा ।

अनु० 51—यदि हद्दगाजाइ पर दा या अधिक निणय दिए जा चुके हा, तो दण्ड मयुक्त रूप निष्पादित किए जायेंगे, किन्तु यदि प्राण-दण्ड निष्पादित करना हा ता राज्यसात्करण के अतिरिक्त अथ कोई भी दण्ड वायान्वित नहीं किया जायगा । यदि आजीवन वठारथमकारावास वा आजीवन कारावास वा दण्ड निष्पादित करना हा ता अथ-दण्ड एक राज्य-सात्करण व अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड वायान्वित नहीं किया जायगा । सीमित वठारथमकारावास वा सीमित कारावास के निष्पादन की अवधि, अनेक अपराधा में म गुन्तम व लिए उल्लिखित दण्ड की चरम जबधि एवं उगरी आधी (अथात् डेढ़ गुनी) से अधिक नहीं हागी ।

अनु० 52—यदि हद्दगाजाइ" व लिए दण्डित निम्नी व्यक्ति वा एक (या अधिक) अपराध (या अपराधा) व मन्थ में सामान्य राज-शमा की दृगा प्रदान की गई हा ता ऐम क्षमा प्रदान म भिन्न अपराध (अपराधा) के लिए दण्ड वा निणय विशेष रूप म किया जायगा ।



अनु० 57—किसी पुनरावृत्त अपराध के दण्ड की अवधि, उस अपराध के लिए उल्लिखित बंदोखमकारावास की चरम अवधि के तुल्य से अधिक नहीं होगी।

अनु० 58—निबाल दिया गया।

अनु० 59—पुनरावृत्त अपराधों से सबद्ध व्यवस्थाएँ उसी तरह उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगी जिन्होंने कोई अपराध तीन या अधिक बार किया हो।

## अध्याय 11

### सहापराधिता

#### “क्योहन्”

अनु० 60—किसी अपराध-कार्य में सहायता देने वाले दो या अधिक व्यक्तियों को मुख्य अपराधी के रूप में व्यवहृत किया जायगा।

अनु० 61—वह व्यक्ति, जिसने दूसरे का अपराध करने के लिए उकसाया हो या उससे अपराध करवाया हो, मुख्य अपराधी समझा जायगा।

यही नियम उस व्यक्ति के संबंध में भी लागू होगा जिसने किसी उकसाने वाले को उकसाया हो।

अनु० 62—मुख्य अपराधी को सहायता देने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका उपसहायक है।

उपसहायक का उकसाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपसहायक ही समझा जायगा।

अनु० 63—उपसहायक का दण्ड, मुख्य अपराधी के दण्ड का हल्का किया गया दण्ड होगा।

अनु० 64—अन्यथा विशेष प्रकार से विहित दशा को छोड़कर, उकसाने वाले एवं उपसहायकों का दण्ड निरोध अथवा छोटे अर्थ दण्ड द्वारा दण्डनीय अपराधों के लिए दण्डित नहीं किया जायगा।

अनु० 65—यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में फँस गया हो जो अपराध करने वाले की स्थिति के कारण अपराध हो तो उसे सहापराधी के रूप में व्यवहृत किया जायगा मले ही उमकी वंसी स्थिति न हो।

यदि दण्ड की गुणता अपराधी की स्थिति पर निर्भर करती हो तो वंसी स्थिति न रखने वाले व्यक्तियों को मामान्य दण्ड दिया जायगा।

## अध्याय 12

### (दण्ड) घटाने वाली परिस्थितियों के कारण

#### दण्ड का घटाव

#### “शकुर्वो गेडकेड”

अनु० 66—(दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियाँ क रूल पर क्रिया लागू करने का दण्ड हल्का किया जा सकता है।

अनु० 67—विधि द्वारा नष्ट हो दण्ड बढ़ाया या घटाया जान वाला है। फिर भी (दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियाँ क कारण (दण्ड) हल्का किया जा सकता है।

## अध्याय 13

### दण्ड के बढ़ाव या घटाव के सामान्य नियम

#### “करोन रेड”

अनु० 68—यदि विधि द्वारा दण्ड हल्का करने के एक (या अधिक) कारण हैं (हो) तो वह अपराधिक नियमों क अनुसार हल्का किया जाएगा

- (1) यदि प्राथमिक दण्ड का हल्का करना हो तो इस कठोरतमकारागार या कारागार के रूप में किया जाएगा जिसका अवधि आजीवन अथवा दस वर्ष से कम नहीं होगा
- (2) यदि आजीवन कठोरतमकारागार या आजीवन कारागार दण्ड हल्का करना हो तो इस मामिल कठोरतमकारागार या मौमित कारागार के रूप में किया जाएगा जिसका अवधि मान वर्ष से कम नहीं होगा,
- (3) यदि मौमित कठोरतमकारागार या मौमित कारागार हल्का करना हो तो इस मौमित दण्ड की अवधि का आधा कर दिया जाएगा,
- (4) यदि कोई बड़ा अपराध हल्का करना हो तो इस उमकी कुछ राशि का आधा कर दिया जाएगा,
- (5) यदि दण्डिक निराप हल्का करना हो तो उमकी चरम अवधि का आधा कर दिया जाएगा,

(6) यदि कोई छोटा अर्धदण्ड हल्का करना हो तो उस उसकी कुछ राशि का आधा कर दिया जायगा।

अनु० 69—जब विधि द्वारा कोई दण्ड हल्का करना हो किन्तु उससे सबद अनुच्छेद का या अधिक दण्ड का विधान करता हो, तो सबसे पहले समाप्त होने वाले दण्ड का निषेध एवं तत्पश्चात् दण्ड का हल्काव किया जायगा।

अनु० 70—यदि बन्धनमन्त्रालय के कारावासी या दाण्डिक निराश या हल्का करने में पूरे एक दिन से कुछ घंटे कम पड़ें तो उनकी गणना नहीं की जायगी।

यही नियम उस दशा में लागू होगा जबकि किसी (बड़े) अर्धदण्ड या छोटे अर्धदण्ड का हल्का करने में एक सप्ताह का कोई भाग (मिन्न) बच रहे।

अनु० 71—(दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड का हल्काव करने में अनुच्छेद 68 एवं पिछले अनुच्छेद के नियमों का भी अनुसरण किया जायगा।

अनु० 72—यदि दण्ड का उसी समय बढ़ाना और हल्का करना हो तो उसका अर्धालिखित प्रथम भाग

- (1) पुनरावृत्त अपराध के लिए दण्ड में बढ़ाव,
- (2) विधि द्वारा दण्ड में घटाव,
- (3) अनेक अपराध (हड़गाजाइ) के लिए दण्ड में बढ़ाव,
- (4) (दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड में घटाव।

## दूसरा खण्ड—अपराध

### अध्याय 1

अनु० 73 म 76 तक निराल दिया गया ।

### अध्याय 2

### गृहयुद्ध से संबद्ध अपराध

“नश्रान नि कन्सुरु त्सुमि”

अनु० 77—प्रत्येक व्यक्ति जिसने सरकार (राज्यमता) का उन्नाह फेंकने, राज्य के उपनिवेश के बलान् अभिग्रहण करने अथवा अन्य प्रकार से राष्ट्रीय मविधान के विध्वस्त करने की धारणा से कोई विद्रोह मबन्धी या राजद्रोही कृत्य किया है। गृहयुद्ध करने का अपराधी होगा और अधालिखित विशेषताओं के अनुसार दण्डित किया जायगा

(1) प्रधान राजद्रोहिया का प्राण दण्ड अथवा आजीवन कारावास

(2) जिन्होंने पद्यत्रा में भाग लिया है। अथवा किसी भीद में अपना आदम बलाया है। उन्हें आजीवन अथवा कम से कम तीन वर्ष का कारावास, वे जा ऐसे अनेक अन्य कृत्या में लगे हैं, उन्हें एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कारावास,

(3) विप्लव-मबधों या राजद्रोही कृत्य में अनुयायिया अथवा केवल समिलित होने वाला का अधिक से अधिक तीन वर्ष का कारावास ।

पिछले परिच्छेद के धमा० 3 में उल्लिखित व्यक्तियों को छोडकर पिछले परिच्छेद के अपराध का प्रयत्न भी दण्डनीय होगा ।

अनु० 78—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने गृहयुद्ध के लिए तैयारी की हो, या पद्यत्र किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 79—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने अस्त्र-दस्त्र, धन, साध-सामाग्री या ऐसे अन्य कार्य से सहायता द्वारा पिछले दो अनुच्छेदों का अपराध किया हो, अधिक से अधिक सात वर्ष तक का कारावास का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 80—यदि कोई व्यक्ति जो पिछले दो अनुच्छेदों का अपराध कर चुका हो, किन्तु विप्लव के सपादन के पहले ही आत्मप्रत्याख्यान कर दे तो उसका दण्ड क्षमा कर दिया जायगा ।

## अध्याय 3

## (बाह्य) युद्ध संबंधी अपराध

अनु० 81—प्रत्येक व्यक्ति का जिमने किसी विदेशी राज्य के साथ पड़्यत्र किया हो और उस दश से जापान राज्य के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग कराया हो प्राणदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 82—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने किसी विदेशी राज्य के जापान के विरुद्ध शक्ति के प्रयोग करने पर उक्त विदेशी राज्य की सना में सैनिक सेवा के लिए प्रवण किया हो या उसे सैनिक सहायता दिया हो, प्राण दण्ड अथवा आजीवन या कम से कम दो वर्ष का बठारश्रमवारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 83 से 86 तक निकाट दिया गया ।

अनु० 87—अनुच्छेद 81 एवं 82 के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय हाने ।

अनु० 88—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने अनुच्छेद 81 एवं 82 में उल्लिखित अपराधों के लिए उद्योग किया हो या पड़्यत्र किया हो एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का बठारश्रमवारावास का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 89 निकाट दिया गया ।

## अध्याय 4

## अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों से संबद्ध अपराध

## “कोकफो नि कन्सुरु त्सुमि”

अनु०—90 और 91 निकाट दिए गए ।

अनु० 92 प्रत्येक व्यक्ति का जिमने किसी विदेशी शक्ति (देश) का अपमानित करने की धारणा से उसके राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्र के किसी अन्य प्रतीक का हानि पहुँचाया बिनष्ट किया हटा दिया या धराशायी किया हो, दो वर्ष तक का बठारश्रमवारावास या दण्ड या 200 येन तक का अथदण्ड दिया जायगा किन्तु उक्त दण्ड का अभियोजन उक्त सरकार की माँग पर ही किया जायगा ।

अनु० 93—प्रत्येक व्यक्ति का जिमने किसी विदेशी शक्ति के विरुद्ध किसी युद्ध करने का धारणा न तैयारियाँ की हो या उनके लिए पड़्यत्र किया

हा नाल मान से उक्त पाँच वष तक का कारावास का दण्ड दिया जायगा किन्तु जाम प्रत्याख्यान करने पर दण्ड क्षमा कर दिया जायगा।

अनु० १५—प्रत्येक व्यक्ति का जिसमें दो विदेशी गतिविधियों के युद्धकांड में सम्पत्ति व अध्यादेश का उल्लंघन किया हो अधिक से अधिक तीन वष तक का कारावास या 1000 यन तक का अयदण्ड दिया जायगा।

## अध्याय 5

### कार्यालयीय कार्यो में बाधा डालने के अपराध

#### “कोमु नो शिक्का वो धार्गोसुम् लुमि”

अनु० 9०—प्रत्येक व्यक्ति का जिसमें अपना कतन्य करते हुए किसी लोक कर्मचारी व विरुद्ध हिंसा या घमको का प्रयोग किया हो तान वष तक का बटारथमकारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा।

यहां उस प्रत्येक व्यक्ति के मध्य में लागू हागा जिसमें किसी लोक कर्मचारी क विरुद्ध हिंसा या घमकी का प्रयोग उससे कोई बारबाई कराने या किसी कारवासे से विमुख करने या उस अपने पर से त्याग-पत्र दिलाने के अभिप्राय से किया हो।

अनु० 96—(1) प्रत्येक व्यक्ति का जिसमें किसी लोक कर्मचारी द्वारा अस्ति मद्राया या कुर्सी व चिह्न का नुकसान पहुंचाया हो या विनष्ट किया हो अथवा जिसमें अन्य प्रकार से उन मद्राया या चिह्न को व्यय कर दिया हो दो वष तक का बटारथमकारावास अथवा 300 यन तक का अयदण्ड दिया जायगा।

अनु० 96—(2) प्रत्येक व्यक्ति का जिसमें भर्षति छिपा लिया हो नुकसान किया हो विनष्ट कर दिया हो अथवा अन्तरित कर देने का बहाना किया हो अथवा अनिवाध निष्पादन क परिहार के लिए किसी बाधनापूर्ण रखने का बहाना किया हो दो वष तक का बटारथमकारावास अथवा 1000 यन तक का अयदण्ड दिया जायगा।

अनु० 96—(3) प्रत्येक व्यक्ति का जिसमें किसी सावजनिक नीलामा या निविदा क सत्र में किसी कष्टपूर्ण उपाय या प्रभाव से औचित्य के प्रतिकूल कोई काय किया हो दो वष तक का बटारथमकारावास या 5000 यन तक का अयदण्ड दिया जायगा।

यही उस व्यक्ति के सवध में भी लागू होगा जिसने उचित मूल्यों को बच करने या अनुचित लाभ पाने के अभिप्राय से आपस में परामर्श किया है।

## अध्याय 6

### निकल भागने (पलायन) के अपराध

#### “तोसो नो लुमि”

अनु० 97—प्रत्येक सिद्धदाय या असिद्धदाय बन्दी का, जो निकल भागे, एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 98—यदि कोई सिद्धदाय या असिद्धदाय बन्दी या व्यक्ति, जिसके विच्छेद प्रभुति का अधिपत्र निष्पादित हो, निरोध-स्थान या बन्दन को भाङ्गकर या हिंसा या घमकी देकर, या दा या अधिक व्यक्तियों के साथ कामना उपेक्षा करके निकल भागा हो उसे तीन मास में लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 99 - प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधि या आदेश द्वारा निरोधित किसी अन्य व्यक्ति का छुड़ा लिया हो, तीन मास में लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 100—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने विधि या आदेश द्वारा निरोधित किसी अन्य व्यक्ति का निकल भागने के अभिप्राय से ऐसे यंत्र या साधन उपलब्ध किया है, या उम्मेद निकल भागने का सरल बनाने के अभिप्राय वाले अन्य प्रकार के कार्य किया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या दण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को जिसने विच्छेद परिच्छेद के अभिप्राय से हिंसा का प्रयोग किया हो या घमकी दी हो, तीन मास में लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 101—प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधि या आदेश द्वारा स्थानबद्ध व्यक्ति या को देखभाल पर बहन के लिए उत्तरदायी हो, और उगने, उन्हें निकल भागने दिया हो, एक वर्ष में लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 102—इस अध्याय के अपराधों के प्रत्येक भी दण्डनीय होंगे।

## अध्याय 7

अपराधियों को मंत्रय देने एवं मादय के अधिलंघन के अपराध

“हृमिन् ज्ञोतेतु ओयोनि शोका इन्मेत्सु नो त्मुमि”

अनु० 103—प्रथम व्यक्ति का जिनन रिमा एम व्यक्ति का आश्रय दिया या या ज्ञता नगना म इन्मेत्सु किया या या जिनन अथदण्ड या गुन्वर दण्ड द्वारा दण्डनाय अपराध किया या अथवा जा निगाय वा अवस्था म निगाय भागा या दो वय तक का बटारथमकारावाय या 200 यन तक का अथदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 104 प्रथम व्यक्ति का जिनन रिमा जय व्यक्ति क विरुद्ध किमा अपराधिन अभियोग में मादय का दण्ड किया है। जागनाजा किया है। जयवा उम मिथ्या बनाया या जयवा जिनन जाया या मिथ्या मादय का प्रयाग किया या दो वय तक का बटारथमकारावाय या 200 यन तक का अथदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 105 जब इस अध्याय वा बाद अपराध अपराध या परार क किमा सबधा द्वारा अपराध या परार क रात्र क लिए किया जाय तो दण्ड क्षमा किया जा सकता है ।

## अध्याय 8

बल्लवे का अपराध

“सोतो नो त्मुमि”

अनु० 106 क व्यक्ति जा उडा मग्ना में एकर रात्र हिमा किया है। अथवा घमका दिया है। एकर क अपराध मान जायेग और एहें निम्नलिखित वर्गीकरण क अनुसार दण्ड दिया जायगा

- (1) मरगता का एक वय म एकर दस वय तक का बटारथमकारावाय या वारावाय दण्ड
- (2) जिगतन दूमरा का निर्दोष दिया या ननुव किया एब अशानि फंलाई है एहें छ माम म एकर मान वय तक का बटारथमकारावाय या वारावाय दण्ड
- (3) जिन्दान करण अनुमरण किया है। उहें 50 यन तक का अथदण्ड ।



अनु० 107—उन व्यक्तियों में से जा हिमक प्रयोग करने या घमकी देने के अभिप्राय से बड़ी सख्या में एकत्र हुए हों। एक लोक-वर्मचारियों द्वारा तीन या अधिक बार तितर बितर होने के लिए आदेश दिए जाने पर भी नहीं हटे हों, मग्गना का तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास एक अन्ना का 50 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा ।

## अध्याय 9

### आग लगाने एवं उपेक्षावश जलाने के अपराध

“होका ओयोयि शिक्का नो त्सुमि”

अनु० 108—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने मानव-निवास के रूप में प्रयुक्त अथवा जिसमें व्यक्ति है ऐसे भवन रेलगाड़ी विजली की कार जलयान, या कारावास खान का आग लगा कर जला दिया हो, प्राण-दण्ड या आजीवन-अथवा कम-से कम पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 109—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी भवन, रेलगाड़ी, जलयान या खान का जिसका प्रयोग, उम समय मानव-निवास के रूप में नहीं होता था, अथवा ज़िममें आदमी नहीं थे आग लगा कर जला दिया हो, कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित वस्तुओं में से कोई अपराधी की निजी संपत्ति रही हो तो उसे छ मास से लेकर मात वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास दण्ड दिया जायगा, किन्तु यदि कोई सार्वजनिक सवट न हुआ हो तो कोई दण्ड नहीं दिया जायगा ।

अनु० 110—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने पिछले दो अनुच्छेदों में उल्लिखित वस्तुओं के अनिश्चित किसी वस्तु में आग लगाकर जला दिया हो और उससे सार्वजनिक सवट उत्पन्न किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित वस्तु अपराधी की निजी संपत्ति हो, तो उसे एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड या 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 111—अनु० 109 परि० 2 या, पिछले अनुच्छेद के परि० 2 के अपराध-मपान के फलस्वरूप यदि अनुच्छेद 108 या 109 परि० 1 में

उल्लिखित वस्तुओं तक आग फैल गई है और उन्हें जला दिया हो तो अपराधी को तीन मास में लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यदि पिछले अनुच्छेद के परि० २ में उल्लिखित अपराध के सारादन के पक्षस्वरूप आग फैल गई हो और पिछले अनुच्छेद के परि० 1 में उल्लिखित किमो वस्तु को जला दिया हो तो अपराधी को तीन वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 112—अनु० 104 एवम् 109 परि० 1 के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 113—प्रत्येक व्यक्ति का जिनमे अनु० 105 या 109 परि० 1 में उल्लिखित अपराध को करने के अभिप्राय न नैपायियां की हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास दण्ड दिया जायगा, किन्तु परिस्थितियों के अनुसार उसका दण्ड पूर्णतः क्षमा भी किया जा सकता है।

अनु० 114—प्रत्येक व्यक्ति का, जिनमे किमो अग्निकाण्ड के अवसर पर आग बूझाने वाले यंत्र का ठोसा दिया हो नुकसान पहुँचाया हो, (विनष्ट कर दिया हो) अथवा अन्य किमो तरह से आग बूझाने में बाधा पहुँचाई हो, एक वर्ष में लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 115—प्रत्येक व्यक्ति का जिनमे अनु० 109 परि० 1 एवं अनु० 110 परि० 1 में उल्लिखित किमो वस्तु का जला दिया हो उस दूसरे व्यक्ति को वस्तु जलाने वाले व्यक्ति के रूप में व्यवहृत किया जायगा यदि उक्त वस्तु कुर्की के अन्दर हो, जिनका साम्यविक अधिकार निर्णान न हो, किराए या पट्टे पर दी गई हो, या बर्माहृत हो चाहे उक्त वस्तु अपराधी की ही क्यों न हो।

अनु० 116—प्रत्येक व्यक्ति का, जिनमे अभावधानी के कारण अनु० 108 या अनु० 109 में उल्लिखित किमो वस्तु का जला दिया हो और जो अन्य व्यक्ति को मर्ति हो, 1,000 पेन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा।

यही नियम ऐम प्रत्येक व्यक्ति के मवय में भी लागू होगा जिसने अनु० 109 में उल्लिखित किमो वस्तु का जो उसकी निजी मर्ति हो, अथवा अनु० 110 में उल्लिखित किमो वस्तु का अभावधानी के कारण जला दिया हो और उसमे कोई सार्वजनिक सकट उत्पन्न कर दिया हो।

अनु० 117—(1) प्रत्येक व्यक्ति का, जिमने वाहूद (gunpowder), भाप वायलर (steam boiler) या अन्य किसी विस्फोटक वस्तु का विस्फोट किया है जोर (उसमें) अनु० 108 में उल्लिखित किसी वस्तु या अनु० 109 में उल्लिखित किसी वस्तु का नुकसान पहुँचाया है या विनष्ट कर दिया है, जो दूसरे व्यक्ति की संपत्ति रही है, जाग लगाने वाल की तरह ही दण्ड दिया जायगा। यही नियम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में लागू होगा जिमने अनु० 109 या 110 में उल्लिखित किसी वस्तु का हानि पहुँचाया है या विनष्ट किया है जो उसकी निजी संपत्ति रही है, जोर उससे कोई मार्बजतिक मकद उत्पन्न किया है।

यदि पिछले परिच्छेद का वाड कृत्य अमावधानी के कारण है गया है तो उम अमावधानी के कारण रगी हुई जाग के कृत्य की तरह व्यवहृत किया जायगा।

अनु० 117—(2)—किसी दमा में जबकि अनु० 116 या पिछले अनु० के परि० 1 में उल्लिखित वाई कृत्य, यावमायिक दृष्टि में जावश्यक मावधानी की उपभावना या घात उपशा म है गया है तो अपराधी का तीन वर्ष तक का कारावास या 3,000 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा।

अनु० 118—प्रत्येक व्यक्ति का, जिमने गैस, विजली या भाप को किसी छेद में निकलने दिया है या बाहर प्रवाहित किया है, या बन्द कर दिया है और उममें दूसरे के जावन, नरीर या संपत्ति का मकद उत्पन्न कर दिया है, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति का, जिमने गैस, विजली या भाप को किसी छेद से निकलने दिया है, बाहर प्रवाहित किया है या बन्द कर दिया है जोर उममें दूसरे का मार डाला है या घायल किया है, उपर्युक्त दण्ड एवं घायल करने के दण्ड की तुलना में जो गुन्तर दण्ड होगा दिया जायगा।

## अध्याय 10

आप्लावन एवं जल के उपयोग से संबद्ध अपराध

“इस्सुट ओयोवि मुटगी नि कन्सुरू त्सुमि”

अनु० 119—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने कोई आप्लावन (बाड) किया है और उममें किसी भवन, रेग्गारी, रिजरी की वार या मान का जलमग्न कर

दिया है या क्षति पहुँचाई हो जिसका उपयोग जन-आवास के रूप में होता हो या जिसमें व्यक्ति रहा हो (रहें हों) प्राण दण्ड या आजीवन कारावास या कम से कम तीन वर्षों तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 120—प्रत्येक व्यक्ति का जिससे आप्लावन किया है और उससे पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित से भिन्न वस्तुओं का जन्तुमान किया हो या क्षति पहुँचाई हो और इस प्रकार कोई जन मरत उपस्थित कर दिया हो एक वर्ष से दस वर्षों तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यदि आप्लावन से क्षत वस्तु अपराध की निजी संपत्ति हो तो पिछले अनुच्छेद का दण्ड बचल उम्मीदना में लागू होगा जबकि उक्त वस्तु बुर्जी में हो वास्तविक अधिकार के विवाद में हो भाड़ पर दी गई हो पट्टे पर दी गई हो या वामावृत्त हो।

अनु० 121—प्रत्येक व्यक्ति को जिससे आप्लावन के समय उस दूर करने में उपयोगी किसी वस्तु का टिपा लिया है क्षति पहुँचाई हो या नष्ट किया है या किसी दूसरी तरह से आप्लावन के लिए प्रयुक्त क्रिया का निराकरण किया है एक वर्ष से दस वर्षों तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 122—प्रत्येक व्यक्ति को जिससे प्रमादवश कोई आप्लावन कर लिया है और उससे अनु० 119 में लिखित किसी न किसी वस्तु का क्षति पहुँचाई है या जिनमें (उसी तरह) अनु० 120 में लिखित किसी वस्तु का क्षति पहुँचाई है एक उससे कोई जन मरत उपस्थित किया हो 300 यन तक का जन्तुमान दिया जायगा।

अनु० 123—प्रत्येक व्यक्ति को जिससे किसी भराव या बाँध का ताला लिया है किसी प्रणाली (मारी) का नष्ट किया हो या पानी के उपयोग को रोकने अथवा बाँध या आप्लावन करने के आगम से कोई अथ काय किया हो या दो वर्षों तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास अथवा 200 यन तक का जन्तुमान दिया जायगा।

## अध्याय 11

## यातायात में अवरोध पहुँचाने से संबद्ध अपराध

## "ओराइ वो योगाइ-सुरु त्सुमि"

अनु० 124—प्रत्येक व्यक्ति का, जा स्थल या जल से किसी सड़क का हानि पहुँचा कर, नष्ट बन्दे या अवरोध बन्दे या किसी पुल को तोड़ कर यातायात बाधित किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 200 येन तक का अर्धदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिमने पिछले परिच्छेद के अपराध का करने में किसी अन्य व्यक्ति को घायल किया हो या मार डाला हो, उक्त दण्ड एव घायल करने के दण्ड की तुलना में गुन्तर दण्ड में दण्डित किया जायगा।

अनु० 125—प्रत्येक व्यक्ति का जिमने रेलवे या उमके मिगनल (केतु, high al) का क्षति पहुँचाई हो या नष्ट किया हो या अन्य प्रकार से ट्रेन या विजली की कार के यातायात का गनरा पैदा किया हो, कम से कम दो वर्ष तक के मोमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दण्डित किया जायगा।

यही नियम उन व्यक्तियों के सबध में भी लागू होगा जिन्होंने किसी लाइट हाउस (light house) या बाबा (buoy) का नुकसान पहुँचाया हो या नष्ट किया हो अथवा डूमरी तरह से नौपरिवहन यातायात का गनरा पैदा किया हो।

अनु० 126—प्रत्येक व्यक्ति का, जिमने किसी रेलगाड़ी या विजली की कार का, जिममें आदमी रहे हो, स्थूलन (upset) किया हो, या नष्ट किया हो, आजीवन या कम से कम तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही नियम उन व्यक्ति के सबध में भी लागू होगा जिमने किसी जलयान को, जिममें आदमी रह हो, डूबा दिया हो या विनष्ट किया हो।

प्रत्येक व्यक्ति का, जिमने पिछले दो परिच्छेदों के अपराधों के करने में किसी अन्य व्यक्ति का प्राणान्त कर दिया हो, प्राण-दण्ड या आजीवन कठोरश्रमकारावास के दण्ड में दण्डित किया जायगा।

अनु० 127—प्रत्येक व्यक्ति का, जिमने अनु० 125 का अपराध किया हो और उमके किसी रेलगाड़ी या विजली की कार का स्थूलन कर दिया हो या

## गोपनीयता-उल्लंघन के अपराध

किमी ज्ञान का डूबा दिया है या विनष्ट कर दिया है पिछले अनुच्छेद में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत् अरहेन किमा जायगा ।

अनु० 128—अनु० 124 परि० 1 अनु० 125 एवं अनु० 126 परि० 1 और 2 में निर्दिष्ट अपराधा के प्रयत्न भा दण्डनीय हांग ।

अनु० 129—प्रत्येक व्यक्ति का जिनसे समावधानी के कारण किमी रेलगाडी या विजरा का कार या ज्ञान-यानायात का मन्तरा पदुषाया है या किमा रेलगाडी या विजरा का कार का म्यून्त किया है या उन्हे विनष्ट किया है या किमा ज्ञान का डूबा दिया है या विनष्ट किया है अत्रिक से अधिक 500 येन तक का अयदण्ड दिया जायगा ।

यदि पिछले परि० का काठ अन्तर्गत् यानायात के उपयुक्त व्यापार में लगा है तो उम तेन के तक का कारावास दण्ड या 1000 येन तक का अयदण्ड दिया जायगा ।

## अध्याय 12

### अतिचार (Treachery) के अपराध

#### “जुम्हो यो ओफ्मु लुमि”

अनु० 130 प्रत्येक व्यक्ति का जिनसे बिना किमा कारण के किमी काम-गूह या जागभिन स्थान भवन या दल्लयान का अतिचार किया है या माग करन पर एम स्थान का छात्र न किया है अत्रिक से अधिक तेन केप का कठार-भमकारावास दण्ड या 50 येन तक का अयदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 131 निराश किया गया ।

अनु० 132—अनु० 130 के अपराधा के प्रयत्न भा दण्डनीय हांग ।

## अध्याय 13

### गोपनीयता उल्लंघन के अपराध

#### “हिमित्सु यो ओफ्मु लुमि”

अनु० 133—प्रत्येक व्यक्ति का जिनसे बिना किमी उचित कारण के किमी मूहखबद पत्र का खाल दिया है अत्रिक से अधिक एक केप का कठार-भमकारावास दण्ड अथवा 200 येन तक का अयदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 134—प्रत्येक व्यक्ति का जो कोई वाय-चिह्नितक औपचारिक जीपधिनिर्माता यात्री बकीर (विधिज्ञ), परामर्शदाता या लेख्यप्रमाणक (notary) हो या रह चुका हो तथा जिमने बिना किसी कारण के किसी अन्य व्यक्ति का कोई गान्धीय रक्ष्य गाल दिया हो जो कि उसकी जानकारी में अपने व्यवसाय के अनुमरण सबधी किसी तथ्य में आया हो, अधिक से अधिक छ मास तक का बठोरधर्मकारागारान या 100 येन तक का अथ दण्ड दिया जाएगा।

यही नियम प्रत्येक उस व्यक्ति के संबंध में भी लागू होगा जो किसी ऐस व्यवसाय में लगा हो या रह चुका हो जो धर्म या वाराधना में संबद्ध हो और जिमने किसी ऐस व्यक्ति का रक्ष्य गाल दिया हो जो व्यक्ति उसकी जानकारी में अपने व्यवसाय के अनुमरण सबंधी किसी तथ्य में आया हो।

अनु० 135—इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराध की कर्मवाही परिवाद (complaint) पर ही की जाएगी।

## अध्याय 11

### अफीम-तम्बाकू से संबद्ध अपराध

#### “अहेन-तयको नि कन्सुरु त्सुमि”

अनु० 136—प्रत्येक व्यक्ति को, जिमने अफीम-तम्बाकू का आयात किया हो निर्माण या विनय किया हो या विनय के अभिप्राय में अपने पास रखा हो, छ मास से गान वर्ष तक का बठोरधर्मकारागारान का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 137 प्रत्येक व्यक्ति को, जिमने अफीम-तम्बाकू पीने के उपयोग में आने वाले किसी उपकरण का आयात, निर्माण या विनय किया हो, या विनय के अभिप्राय में अपने पास रखा हो, तीन मास से चार वर्ष तक का बठोरधर्मकारागारान का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 138—कोई भी सीमा शुल्क कर्मचारी जिमने अफीम-तम्बाकू अथवा अफीम-तम्बाकू पीने में उपयोगी किसी उपकरण का आयात किया हो या आयात की अनुज्ञा दी हो, उसे एक वर्ष से चार वर्ष तक का बठोरधर्मकारागारान का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 139—अफीम-तम्बाकू पीने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का बठोरधर्मकारागारान का दण्ड दिया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें अपन लाभ व निमित्त अपाम पान व लिए कोई स्थान प्रदान किया है। छ मास से ऊपर मान वय तक का कठोरश्रम कारागारों का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 140—प्रत्येक व्यक्ति को जिनमें अपाम तम्बाकू पान का कोई उपकरण गया है। अतिरिक्त अधिक एक वय तक का कठोरश्रमकारागारों का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 141 इस अध्याय व अपराधों व प्रयत्न भी स्पष्टनाय होगा।

## अध्याय 15

### पेय जल से सबद्ध अपराध

“इन्रियोसुइ नि कन्-सुठ लुमि”

अनु० 142—प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें जनता व पान व गुद्ध जल का दूषित किया है या उस जल का अनुपयोग कर दिया है। अतिरिक्त अधिक छ मास का कठोरश्रमकारागारों या 50 वय तक का श्रम दण्ड दिया जायगा।

अनु० 143—प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें जनता का पान व लिए जलघर या जल किया। अतिरिक्त अधिक (Supplial) गुद्ध जल का दूषित किया है। या उस अनुपयोग बना दिया है। छ मास से ऊपर मान वय तक का कठोर श्रमकारागारों का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 144—प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें पीने के नायक पानों में विष या अन्य नायक जन-स्वास्थ्य का हानि पहुँचाने वाला पदार्थ मिला दिया है। अधिक से अधिक मान वय तक का कठोरश्रमकारागारों का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 145—प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें पिछले तीन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट में से किसी अपराध का किया है। और जिनमें किसी अन्य व्यक्ति का घायल किया है। या मार किया है। उस जिनमें पायल करने व दण्ड का तुरन्त में जो सुरतगण दण्ड होगा दिया जायगा।

अनु० 146 प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें जलघर या अन्य स्थान से जनता का पीने व लिए पदार्थों का जल व गुद्ध जल में विष या अन्य कोई हानिकारक पदार्थ मिला दिया है। जिनमें जन-स्वास्थ्य का हानि पहुँचे कम से कम दो वय का मानित कठोरश्रमकारागारों का दण्ड दिया जायगा। यदि उसमें जिनमें किसी का प्राण लक्षित है। तो उस प्राण-दण्ड अथवा आजीवन या कम से कम पाँच वय का कठोरश्रमकारागारों का दण्ड दिया जायगा।



अनु० 147—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने जनता के पैसे जल की साफ बल-नली (Water main) का नुस्खाना पहुँचाया है, विनष्ट किया है या अवरोध किया है, एक वर्ष में लेकर दस वर्ष तक का बठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

## अध्याय 16

### जाली मिक्के बनाने के अपराध

“त्सुक—गिजो नो त्सुमि”

अनु० 148—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने किसी चालू मिक्के, वागजी मुद्रा या बैंकनाट के बदले जाली मिक्के जादि बनाने के आशय में जाली बनाए हों, आजीवन या कम से कम तीन वर्ष का बठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसने जाड़ी मिक्के चलाए है या मिक्का वागजी मुद्रा या बैंकनाट में परिवर्तन कर दिया है या इसे चलाने के अभिप्राय में विनष्ट किया है या आयात किया है।

अनु० 149—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशी निवारे, वागजी मुद्रा या बैंकनाट को, जो इस देश में परिचालित हो, चलाने के अभिप्राय में उमरे बदले जाली तैयार किया हो या उममें परिवर्तन किया हो, कम से कम दो वर्ष का सीमित बठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही (दण्ड) प्रत्येक उक्त व्यक्ति के सबन्ध में भी लागू होगा जिसने जाली या परिवर्तित मिक्के, वागजी मुद्रा या बैंक नोट जादि को बनाया है या जिसने इसमें परिचालन के अभिप्राय से इसे वितरित किया हो या इसका आयात किया हो।

अनु० 150—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने परिचालन के अभिप्राय में जाली या परिवर्तित मिक्का, वागजी मुद्रा, या बैंक नोट किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का बठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 151—पिछले तीन अनुच्छेदों में विहित अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 152—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जानबूझ कर जाड़ी मिक्का, वागजी मुद्रा या बैंक नोट लेकर परिचालन के अभिप्राय में चलाया है या वितरित किया है, पुरु अर्थ-दण्ड या लघु अर्थ-दण्ड, जो 1 सेन में लेकर उक्त मिक्के या वागजी मुद्रा या बैंक नोट के तीन गुने तक का होगा, दिया जायगा।

किसी लाह-कार्यालय या लाह-कर्मचारी द्वारा निर्मित होने चाहिए, अथवा किसी लाह-कार्यालय या लाह-कर्मचारी द्वारा निर्मित किसी लेख्य या मान-चित्र में हेर-फेर किया हो, अधिक में अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रम-कागवाम या 300 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 156 प्रत्येक लाह-कर्मचारी का, जिसने चाटू करने के अभिप्राय में तथा अपनी दफ्तरी कारवायों के सबन्ध में बाईं जाली लेख्य या मानचित्र बनाए हैं अथवा किसी लेख्य या मानचित्र में हेरफेर किया हो, उसी रूप में व्यक्त किया जायगा कि पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट है, अन्तर् केंद्र पर मुहर या हस्ताक्षर के रहने या न रहने के अनुसार किया जायगा।

अनु० 157 प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसने किसी लाह-कर्मचारी के समान बाईं गलत विवरण दिया हो और उसने द्वारा किसी अधिकार या कर्तव्य के सबन्ध प्रमाणित विलग्न (authenticated deed) के मौखिक पत्र में कर्तव्य गलत इन्दगाज कर दिया हो अधिक में अधिक पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कागवाम या 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसने किसी लाह-कर्मचारी के समान अन्तर् विवरण दिया हो और उसने किसी अनुमति या अनुज्ञापत्र अथवा पासपोर्ट (passport) में गलत इन्दगाज कर दिया हो, अधिक में अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकागवाम अथवा 300 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

पिछले दो परिच्छेदों में निर्दिष्ट अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 158—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने पिछले चार अनुच्छेदों में निर्दिष्ट किसी लेख्य या मान-चित्र को चलाया हो, वही दण्ड दिया जायगा जो उस व्यक्ति को दिया जाता, जिसने उस लेख्य या मानचित्र की जाहगारजी की हो या उसमें हेरफेर किया हो या कोई मिथ्या लेख्य या मानचित्र बनाया हो या बाईं गलत इन्दगाज कराया हो।

पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट अपराध के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 159—प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसने चलायने के अभिप्राय में, किसी अधिकार, कर्तव्य या तथ्य के प्रमाणन में सबद्ध किसी लेख्य या मानचित्र की जाहगारजी, किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर या मुहर के प्रयोग में किया हो अथवा जिसने अधिकार, कर्तव्य या तथ्य के प्रमाणन में सबद्ध किसी लेख्य या मानचित्र की जाहगारजी, अन्य व्यक्ति के जाही हस्ताक्षर या जाही मुहर के प्रयोग में किया

२। तान मास में चार पांच बरष तक का ब्याजभ्रमकारावात का दण्ड दिया जायगा।

यदि नियम प्रयत्न एस व्यक्ति पर भी लागू नगना जिनका किमा रक्य या चित्र (मानचित्र) में रेफर किया हा जा अधिकर बतव्य या किसी तथ्य व मयापन से संबद्ध न तथा जिन पर किमा अथ व्यक्ति का रणनापर हा।

पिछट्ट न परिच्छेद में आन वागे रणाभा व अनिरिक्त प्रयत्न व्यक्ति का जिनका अधिकर बतव्य या किसी तथ्य व प्रमाणन में सरुद्ध रण्य या चित्र (मानचित्र) में जाणमाजा या उमम हेर पर किया हा अधिक म अधिक एक बरष तक का ब्याजभ्रमकारावात अवता 100 दन तक का अधण्ड दिया जायगा।

अनु० 160 प्रयत्न एस चिकित्सक का जिनका किमी तक वायालय में प्रमनन करन व गिए किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र गव-परीक्षा प्रमाणपत्र या मय प्रमाणपत्र में गणन रणराज किया न। अधिक म अधिक तान बरष तक का ब्याजभ्रमकारावात या 500 दन तक का अधण्ड दिया जायगा।

अनु० 161 प्रयत्न व्यक्ति का जिनका पिछट्ट दा अनच्छेद में निरिष्ट रण्य या चित्र (मानचित्र) का चणपा न। ब्या रण्ड दिया जायगा वा रण्य या चित्र (मानचित्र) की जाणमाजा या उमम हेर-पर करन वा या गणन रणराज करन वा का विधि १।

पिछट्ट अनच्छेद में निरिष्ट अपगधा के प्रयत्न भी रणनाय हाग।

## अध्याय 18

### मूल्यवान ऋणपत्रों (जमानता) (Valuable Securities)

#### की जालमाना के अपराध

#### ‘युक्शाकेन गिना ना त्सुमि

अनु० 162 प्रयत्न व्यक्ति का जिसने परिवालन के अभिप्राय से किसी लाज-अपर किसी ठाक-कार्यालय के ऋणपत्र किसी कम्पनी व अगप्रमाण पत्र (Share certificate) या अथ किसी मूल्यवान ऋणपत्र की जाणमाजा या उमम हेर-पर किया हा तीन मास में चार दम बरष तक का ब्याजभ्रमकारावात का दण्ड दिया जायगा।

यही नियम उस व्यक्ति पर भी लागू होगा, जिसने चलाने के अभिप्राय में किसी मूल्यवान् जमानत (Valuable Security) या ऋण-पत्र में कोई गलत इन्दराज किया हो।

अनु० 163 प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मे विगी जाती या परिवर्तित मूल्यवान् ऋणपत्र (जमानत) या ऐसे ऋणपत्र का चलाया हो जिसमें कोई गलत इन्दराज हुआ हो, या चाटू करने के अभिप्राय में ऐसे ऋणपत्र को अन्य किसी का वितरित किया हो या उसका आयात किया हो तीन मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

पिछले परिच्छेद के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

## अध्याय 19

### मुद्राओं (मुहरों) की जालमाजी के अपराध

#### “इन्शो-गिज़ो नो त्सुमि”

अनु० 161—परिचालन के अभिप्राय में, जाली राज्य-मुद्रा, राज्य की महामुद्रा या इम्पीरियल साइन मैनुएल का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम दस वर्ष का मोमिन कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही दण्ड उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसने राज्य-मुद्रा, राज्य की महा-मुद्रा या इम्पीरियल साइन मैनुएल का अनुचित प्रयोग किया हो, अथवा जिम्मे जाती राज्य मुद्रा, राज्य की महामुद्रा या इम्पीरियल साइन मैनुएल का प्रयोग किया हो।

अनु० 165—परिचालन के अभिप्राय में, किसी लोक-कार्यालय की मुहर की जाहमाजी करने वाले या लोक-कर्मचारी के जारी इस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही दण्ड उस व्यक्ति के गवन्ध में भी लागू होगा, जिसने किसी लोक-कार्यालय की मुहर या लोक-कर्मचारी के इस्ताक्षर का अनुचित प्रयोग किया हो अथवा जिम्मे लोक-कार्यालय की जारी मुहर या लोक कर्मचारी के जाली इस्ताक्षर का प्रयोग किया हो।

## अध्याय 21

## मिथ्या अभियोग के अपराध

## “कुफ़ोकु नो त्सुमि”

अनु० 172—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने अन्य व्यक्ति पर आपराधिक या आनुशासनिक दण्ड आरापित करने के अभिप्राय से गलत सूचना दी हो, वहाँ दण्ड दिया जायगा जो अनु० 169 में विहित है।

अनु० 173 पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध करने वाला व्यक्ति, यदि उस वाद के सबंध में जिसमें उमने गलत सूचना दी हो, निर्णय के अटल होने अथवा अनुशासनीय कारवाई किए जाने के पहले ही प्रत्याख्यान कर देता उसका दण्ड हल्का या क्षमा किया जा सकता है।

## अध्याय 22

## अश्लीलता, बलात्कार तथा द्विपत्नीत्व के अपराध

## “वैसेत्सु, कनिन ओयोबि जुकोन नो त्सुमि”

अनु० 174—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने सार्वजनिक रूप से कोई अश्लील वृत्त्य किया हो अधिक से अधिक छ मास तक का बठारश्रमकारावास, या 500 येन तक का अर्थ दण्ड या दण्डित्व निरोध या लघु अर्थ दण्ड दिया जायगा।

अनु० 175—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने किसी अश्लील पुस्तक (लेख), चित्र या अन्य वस्तु का वितरण या विप्रेषण किया हो या सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन किया हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का बठारश्रमकारावास या 5,000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा। यही दण्ड उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो विप्रेषण के अभिप्राय से उक्त वस्तुओं का अपने पास रखे हो।

अनु० 176—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने बलान् या धमकी देकर कम से कम तरह वर्ष के किसी नर या नारी के साथ कोई अभद्र वृत्त्य किया हो, छ मास से लेकर सात वर्ष तक का बठारश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा। यही नियम उस व्यक्ति के साथ भी लागू होगा जिसने तरह वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की के साथ अभद्र वृत्त्य (indecent act) किया हो।

अनु० 177—प्रत्येक व्यक्ति, जिसने बलान् या धमकी देकर कम से कम तरह वर्ष का किसी जीवत के साथ सभारण किया हो, बलात्कार (rape) का

1 000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा, किन्तु यह उम्र दशा में नहीं लागू होगा जब कि दाव क्षणिक मनोरजन के लिए अभिप्रेत है।

अनु० 186—प्रत्येक व्यक्ति का जो नियमित अभ्यारो के रूप में जुआ खेल्ने या वण (दाव) लगाने में शामिल है अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठारधमकारावाम दण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति का जिसने कोई छूत-मूह माल रखा हो या जुआखिया का एकत्र किया है और उम्र गण उठाया है तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठारधमकारावाम दण्ड दिया जायगा।

अनु० 187—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने लाटरी टिकट बेचा है, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठारधमकारावाम या 3 000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति का जिसने लाटरी टिकट के विक्रय में मध्यस्थ (अभिकर्ता, एजेंट) का काम किया है, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठारधमकारावाम या 2 000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने, पिछले दो परिच्छेदा में अन्तर्भूत दशाजा के अनिश्चित कोई लाटरी टिकट दिया है या लिया है, अधिक से अधिक 3,000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा।

## अध्याय 24

### पूजा-स्थानों एवं ममाधियों से संबद्ध अपराध

#### “रेइईशो ओयोवि फुनो नि कन्-सुरु त्सुमि”

अनु० 188—प्रत्येक व्यक्ति का, जो किसी शिन्तो चैत्य, बौद्ध-मन्दिर, शिन्मान या किसी अन्य पूजा-स्थल के प्रति गार्वजनिक रूप से कोई अपमानजनक कार्य किया है, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कारावाम या कठारधमकारावाम या 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 189—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने किसी ममाधि (कब्र) में गव-उत्पन्न किया है अधिक से अधिक दो वर्ष तक या कठारधमकारावाम का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 190—प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें किमा गव अवाग्या या मून व्यक्ति क वेगा या अव-गटिका (collusion) में प्रदत्त किमी वस्तु का क्षति पहुँचाया हा नष्ट कर दिया हा पण्डित्यक्त कर दिया हा या अधिनगर में कर लिया हो अधिक म अधिक तान वय तक का बटारथमकारावाम दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 191—प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें अनु० 189 में निर्दिष्ट अपराध किया हा और किमा गव अवाग्य मत व्यक्ति क वेगा या अव-गटिका में प्रदत्त किमी अय वस्तु का क्षति पहुँचाया हा नष्ट किया हो या पण्डित्यक्त किया हो तान माम म उकर पाँच वय तक का बटारथमकारावाम दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 192—प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें किमा अस्वामाविन रूप स मून व्यक्ति की अव-गटिका करण किया हा दण्डना दिया हा अधिक म अधिक 50 घेन तक का अयदण्ड या काड उधु अयदण्ड दिया जायगा ।

## अध्याय 25

### कार्यालयीय भ्रष्टाचार के अपराध

#### “तौतुशोकु नो त्मुमि”

अनु० 193—प्रत्येक लाय-नमचारा का जिनमें अपने अधिकार का अनुचित प्रयोग किया हा जोर किमा व्यक्ति स वेगा काय करवाया हा जिस कर्म क लिए वह बाध्य न हा अथवा उस अपने समुचित अधिकार क प्रयोग करने म गया हा अथि म अथि दस वय तक का बटारथमकारावाम या कारावाम का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 194—न्यायिक आभियागिक या पुलिस क वृत्त्य में महायता पहुँचाते हुए अथवा उमका कार्यान्वित करत हुए प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग करके किमा व्यक्ति का बन्दा कर लिया हो या निन्द कर लिया हा छ माम म उकर दस वय तक का बटारथमकारावाम या कारावाम का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 195—न्यायिक आभियागिक या पुलिस के काय में महायता पहुँचाते हुए या उमे कार्यान्वित करत हुए प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें अपने कतव्य के पालन में किमी आपराधिक अभियुक्त या अन्य पणित के प्रति काई हिंसा या

क्रूरता का काय किया हो अधिक स अधिक सात बष तक का बठारश्रम कारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा ।

यही दण्ड उस व्यक्ति के सबष में भी लागू हागा जिसन विधि या अध्यादा द्वारा परिरुद्ध किसी व्यक्ति के प्रति जिसकी वह रखवात्री कर रहा हा या न्यायाध 7 जा रहा हो हिंसा या क्रूरतापूण काय किया हा ।

अनु० 196—प्रत्यक व्यक्ति का जिमन पिछ्छे दो अनुच्छदा में निर्दिष्ट काइ अपराध किया हा और उसस किसी अय व्यक्ति की न्त्या की हा या घायल किया हो घायल करन के दण्ड एव उक्त दण्ड की तुलना में प्राप्त गुस्तर दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 197—यदि किसी ठाक रमचारी या विवाचक (मध्यस्थ) ने अपने क्तव्य क सबष में उत्काच (धूम) किया हा माँगा हो या लेने की प्रतिना की हा तो उसे अधिक स अधिक तीन बष तक का बठारश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा यदि याचना के बाद स्वीकार किया हो ता उसे पाँच बष तक का बठारश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

उस दशा में जबकि किसी व्यक्ति ने लाख-रमचारी या विवाचक हाने के अभिप्राय स अपन क्तव्य के सबष में याचना की स्वीकृति पर उत्काच किया हा या उमना माग की हो ता उस जब वह लाख-रमचारी या विवाचक होता है अधिक स अधिक तीन बष तक का बठारश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 197—(2)—उस दशा में जब कि किसी लाख-रमचारी या विवाचक न अपन क्तव्य क सबष में किसी तीसरे पक्ष को, प्राथना की स्वीकृति पर घूस देने क लिए प्ररित किया हा माँग किया हा या प्रतिना का हा ता उस अधिक स अधिक तीन बष तक का बठारश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 197—(3)—उस दशा में जब कि काइ लाख रमचारी या विवाचक पिछ्छे दो अनुच्छदा में निर्दिष्ट अपराधा का करने क बाद काई अनुचित काय करता है या काइ उचित काय ठाड देता (नहा करता) है, उस कम स कम एक बष का मामित बठारश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

यही नियम उस दशा में भा लागू हागा जब कि किसी ठाक-रमचारा या विवाचक न अपन क्तव्य-गारन में जिमा अनुचित काय क लिए जान या उचित काय क छाह दन क सबष स घूम किया हा माँगा हा या उन का प्रतिना का हा अथवा जिमा तीसर पक्ष का दन क लिए प्ररित किया हा माँग का हा या प्रतिना का हो ।



उम दगा में जे कि काई व्यक्ति लाव कमचारी या विवाचक रहा हा ओर जिमने अपन कायदा में प्रायना का स्वाकृति पर निमी अनुचित काय के करन या उचित काय के न करन के मय में घूम किया हा मौगा हा या लेने की प्रतिया की हो ता उम अधिक स अधिक तीन वष तर का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 197 (4) —अभियुक्त द्वारा या परिस्थितिया के ज्ञान रगने वाक किमा नीमर पन द्वारा लिया गया घूम जल कर लिया जायगा, उम दगा में जे कि घूम का पूरा या काई भाग जल न हा गक ता उमक बराबर की अनिश्चित मुद्रा बगूठ कर ली जायगी ।

अनु० 198 प्रत्येक व्यक्ति का जिमन अनु० 197 स 197 (3) तर क अनुच्छेदा में निर्दिष्ट घूम किमा गक-कमचारी या विवाचक का दिया हा निवेदन किया हा या दना स्वाकार किया हा अधिक स अधिक तीन वष तर का कठोरश्रमकारावास या 5 000 यन तक का अयदण्ड दिया जायगा ।

यदि पिछठ परिच्छेद क अपराधा का काद अभियुक्त अपना प्रयात्पान कर दिया हा ता उसका दण्ड हल्का या क्षमा कर दिया जायगा ।

## अध्याय 26

### मानव-वध के अपराध

#### “सत्सुजिन नो त्सुमि”

अनु० 199 प्रत्येक व्यक्ति का जिमन किसी अप व्यक्ति का मार डाला हा प्राण-दण्ड या आजोवन या कम स कम तीन वष का कठोरश्रम कारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 200 —प्रत्येक व्यक्ति का जिमन अपन किसी पूर्वपुरुष या अपन विवाहित जाडे क पूर्वपुरुष को मार डाला हा प्राण-दण्ड या आजोवन कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 201 —प्रत्येक व्यक्ति का जिमन पिछठे दो अनुच्छेदा में निर्दिष्ट अपराधा में से किसी गक को करने के अभिप्राय से संपारी की हो अधिक स अधिक दस वष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा किन्तु परिस्थितियो के अनुसार उसका दण्ड क्षमा भी किया जा सकता है ।

अनु० 202—प्रत्येक व्यक्ति का जिनसे किसी अन्य व्यक्ति का श्रावण हुआ करने के लिए प्रेरित किया हो या अन्य व्यक्ति की प्राप्ति पर या उमरी मरति से उस मात्र डाटा हो या उममें मरणात्ता पहुँचाई हो छ मास से लेकर मात्र वर्ष तक का वटारश्रमकारागत या वारदात का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 203 अनु० 199 अनु० 200 तथा पिछले अनुच्छेद के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे ।

## अध्याय 27

### घायल करने का अपराध

#### “शोगाह नो त्सुमि”

अनु० 204 प्रत्येक व्यक्ति का जिनसे अन्य किसी व्यक्ति को घायल कर दिया हो अधिक से अधिक दण्ड वर्ष तक का वटारश्रमकारागत या 500 येन तक का अयदण्ड या राई लघु अथदण्ड दिया जायेगा ।

अनु० 205— प्रत्येक व्यक्ति का, जिनसे अन्य किसी व्यक्ति को घायल कर दिया हो और उममें उमरी हुआ कर दो हो, कम से कम दो वर्ष का मौमित वटारश्रमकारागत दण्ड दिया जायगा ।

उस दण्ड में जबकि यह अपराध अपराधों के संदीय पूर्वज के प्रति या विवाहित जाड़े के प्रति हुआ हो तो अपराधी को आजौवन या कम से कम मौन वर्ष का वटारश्रमकारागत दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 206— प्रत्येक व्यक्ति का जिनसे पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट अपराधों के करने समय अपराधी का उत्साहित किया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का वटारश्रमकारागत या 50 येन तक का अयदण्ड या लघु अथदण्ड दिया जायगा भवे हो उमने किसी को घायल न किया हो ।

अनु० 207 यदि दो या अधिक व्यक्तियों ने किसी अन्य व्यक्ति पर मत्त्र-प्रयोग किया हो और ऐसा करने उन्होंने उस व्यक्ति को घायल कर दिया हो तो उन्हें पैमे ही व्यवहृत किया जायगा, जैसा कि मरणात्ता के मरण में किया जाता है चाहे उन्होंने मामुलिक रूप में कार्य न किया हो, यदि चाँटों की मारेध-मन्धीरता का निर्णय अगमय हो अथवा यह जानना अगमय हो कि कस्तु राई किस व्यक्ति द्वारा पहुँचाई गई ।

श्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। यदि उम (गर्भपात) से वह मर जाय या घायल हो जाय तो उमका दण्ड तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास होगा।

अनु० 214—जिसी भी बँध दार्द ओपघवाग्क या दृगिष्ट का, जिस्से जिसी स्त्री का गर्भपात उसकी प्राथना पर या उसकी सम्मति से कराया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। यदि इस (गर्भपात) से वह मर जाय या घायल हो जाय तो दण्ड छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास होगा।

अनु० 215—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने किसी स्त्री का गर्भपात, बिना उसकी प्राथना पर या बिना सम्मति से कराया हो, छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

पिछले परिच्छेद में लिखित अपराध का प्रयत्न भी दण्डनीय होगा।

अनु० 216—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध किया हो और उसमें उमने किसी स्त्री की हत्या कर दी हो या चोट पहुँचाई हो तो उक्त दण्ड एक चाट पहुँचाने के दण्ड की तुलना करने पर जो मुक्तर दण्ड होगा, वही दिया जायगा।

## अध्याय 30

### अभित्याग के अपराध

#### “इकि नो त्सुमि”

अनु० 217—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने महायत्ना की अपेक्षा के समय, अन्य व्यक्ति का अभित्याग, वृद्धता, यालापन, मुग्धता या रोग के कारण कर दिया हो, अधिकतम अधिकतम एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 218—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी वृद्ध, बालक, मुग्ध या अन्य व्यक्ति का, जिसकी उमने रक्षा करने की चाहिए, अभित्याग कर दिया हो या उक्त व्यक्ति का जीवित रहने के लिये अपेक्षित गरक्षण प्रदान करने में अयमर्ष रखा हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

## अभिप्रास के अपराध

यदि यह अपराध अपराधी के किसी बर्गीय पूर्वज या उसके विवाहित जोड़े में से किसी के प्रति किया गया हो तो अपराधी का छ मास में लेकर मान वर्ष तक का कठोरश्रमकारावाय का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 219—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट में से किसी अपराध का करने किसी व्यक्ति का मार डाला है या चाट पहुँचाया है, उक्त दण्ड एवं चाट पहुँचाने के दण्ड की मुक्तता में जा गुन्तर दण्ड होगा, दिया जाएगा।

## अध्याय 31

### (अवैध) बन्दीकरण एवं परिगोध के अपराध

“तद्द्रो आघोषि कम्किन् नो त्सुमि”

अनु० 220—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने किसी अन्य व्यक्ति का अवैध रूप में बन्दी कर लिया हो या परिगोध कर लिया हो, तीन मास में लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावाय का दण्ड दिया जाएगा। यदि यह अपराध जबरन के किसी बर्गीय पूर्वज या उसके विवाहित जोड़े में से किसी के प्रति किया गया हो तो अपराधी का छ मास में लेकर मान वर्ष तक का कठोरश्रमकारावाय का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 221—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध का करने में किसी व्यक्ति का मार डाला है या चाट पहुँचाया है, तो उक्त अपराध एवं चाट पहुँचाने के अपराध की मुक्तता में जा गुन्तर दण्ड होगा, बही दिया जाएगा।

## अध्याय 32

### अभिप्रास के अपराध

“कयोहकु नो त्सुमि”

अनु० 222—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने अन्य व्यक्ति को, उसके जीवन, शरीर, स्वतन्त्रता, स्याति या संपत्ति को हानि पहुँचाने की धमकी दी हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावाय या 500 येन तक का जर्घदण्ड दिया जाएगा।

हानि पहुँचाया हो, तीन वर्षों तक का बढोत्थमकारावास या सामान्य कारावास अथवा 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा ।

किमी भी मृत-व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुँचाने वाला व्यक्ति का तब दण्डित नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त हानि असत्य रूप से न की गई हो।

अनु० 230-(2) —जब पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 के कार्य को, जनहित एवं जनता के लाभ सर्वजन के एकमात्र उद्देश्य से संबद्ध तथ्यों के अभियोजन में किया गया समझा जाएगा तो उक्त अपराध दण्डनीय नहीं होगा, यदि तथ्या की छान-बीन में उक्त कार्य की सत्यता निश्चि हो जाए ।

पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट उपबन्ध के विनियाम में, किसी अपराध-कार्य से संबद्ध तथ्यों का, जो कार्य कि उक्त व्यक्ति द्वारा संपादित हो जा उक्त विषय में अभियोजित न किया गया हो, मार्चजनिक हित में संबद्ध तथ्यों के रूप में समझा जाएगा ।

जब पिछले अनुच्छेद के परि० 1 का कार्य, किसी लोक-संस्कार या किसी निर्वाचकीय लोक-कार्यालय के उम्मीदवार के विषय में संबद्ध तथ्यों के अभियोजन में किया गया हो तो उक्त कार्य दण्डनीय नहीं होगा, यदि छानबीन होने पर उक्त कार्य की सत्यता निश्चि हो चुकी हो ।

अनु० 231— प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी व्यक्ति का दिना तथ्यों के अभियोजन के ही मार्चजनिक रूप से अपमानित किया हो, दण्डित निरोध या लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 232—इस अध्याय के सभी अपराधों पर कार्यवाही परिवार पर ही की जाएगी ।

यदि परिवार का कर्त्ता सम्राट् (Emperor) सम्राज्ञी (Empress) विधवा महा सम्राज्ञी (Grand Empress Dowager) या विधवा सम्राज्ञी (Empress Dowager) या सम्राज्ञीय उत्तराधिकारी (Imperial Heir) हो तो परिवार प्रधानमंत्री को उसी तरफ में करना होगा; और यदि परिवार-कर्त्ता कोई विदेशी अधिराज (Sovereign) या राष्ट्रपति (President) हो तो उसका प्रतिनिधि इसे उसकी तरफ में करेगा ।

अनु० 238—प्रत्येक चार, जिसने कोई संपत्ति चुराकर, उस चुराई हुई संपत्ति की पुन प्राप्ति को रोकने, बन्दीकरण से बचने या अपराध के चिन्हों को लुप्त करने के लिए बल-प्रयोग किया है या घमकी दी है, लूट का अपराधी होगा ।

अनु० 239—प्रत्येक व्यक्ति जिसने अन्य व्यक्ति की संपत्ति का उन बेहोमी (मूर्छा) में कब्जा चुग लिया है, लूट का अपराधी होगा ।

अनु० 240—यदि किसी लुटेरे ने किसी व्यक्ति का घायल किया हो तो उसे आजीवन या कम से कम सात वर्ष का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा, यदि उसने किसी की हत्या कर डाली है तो उसे प्राण-दण्ड या आजीवन कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 241—यदि किसी लुटेरे ने किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया हो तो उसे आजीवन या कम से कम सात वर्ष का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 242—इस अध्याय के अपराधों से सबद्ध व्यवस्थाओं (उपबन्धों) के विनियोग में वह संपत्ति जो किसी लोक-श्रापणालय के आदेशानुसार किसी व्यक्ति के अधिकार में हो या उसकी देखभाल में हो, उसी व्यक्ति की मानी जाएगी चाहे उस पर भल ही दूगरे का स्वामित्व हो ।

अनु० 243—अनुच्छेद 235, 236 तथा 238 से 241 तक के अनुच्छेदों के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे ।

अनु० 244—अनुच्छेद 235 के अपराध का या उसके प्रयत्न का दण्ड, जो कि अपराधी द्वारा अपने वशीय स्त्रियों-सबन्धों, विवाहित जांटे, या उसी घर में साथ रहने वाले किसी सबन्धी के विरुद्ध किया गया है, क्षमा कर दिया जाएगा; किन्तु यदि अपराध अन्य सबन्धियों के विरुद्ध किया गया हो तो उसकी कार्यवाही परिवाद पर ही की जाएगी ।

विच्छेद परिच्छेद की व्यवस्था, उन समुक्त अपराधियों के समय में लागू नहीं होगी, जो सबन्धी न हों ।

अनु० 245—इस अध्याय के अपराधों से सबद्ध की प्रयुक्ति में विजली को संपत्ति माना जायगा ।

अध्याय 37

घोखेराजी (Fraud) और भयादोहन  
(Blackmail; दम से ऐठने) के अपराध

‘सगि ओयोत्रि क्योऋत्सु नो त्सुमि’

अनु० 246—दूसरे व्यक्ति का धामा इनेवाए और उस धामे म उसरो मरति ए उनवाल प्रत्येक व्यक्ति का दम का नर का कठारधम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

एगो दरबन्धा उस व्यक्ति क मरद में ना लागू हागा जिसने पिछले परिच्छेद क एग म काइ अवैध आधिक लाभ लिया हा या एने क लिए प्रेरित किया हा ।

अनु० 247—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने दूसरे व्यक्ति क एगो व्यवसाय का प्रचार करन में अज्ञ या किमा भागर क अमीयत मारदन या अपने स्वामी की ज्ञानि कएके के अभिप्राय म अज्ञ कतन्त्रान्तरन का काइ काम किया हा और उसम अपने स्वामी का अधिक ज्ञानि का हा पांच वर तक का कठारधम-कारावास या 1000 येन तक का अयदण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 248—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने किमा अन्वयस्त्र का अपरिपक्व बुद्धि या किमा व्यक्ति क निवल मस्तिष्क का अनुचित लाभ उठान हुए उसका मरति ए लिया हा या अवैध आधिक लाभ लिया हा या किमा तीमरे पण म ममा कएवाया हा । दम वर तक का कठारधम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 249—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने किमा व्यक्ति का आनक्ति करक उस अपनी मरति देने का पाण्ड किया हा । दम वर तक का कठारधम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

एगो नियम उस व्यक्ति क सबध में भा लागू हागा जिसने पिछले परिच्छेद क एग म किमी म स्वय अवैध आधिक लाभ लिया हा या किमा तीमरे पण का एने क लिए उरसाया हा ।

अनु० 250—इस अध्याय क अपराधा क प्रचल भी दण्डनीय हाग ।

अनु० 251—अनुच्छेद 242 244 तथा 245 की व्यवस्थाएँ पयर्चित परिचयन क साथ इस अध्याय के अपराधा के सबध में भी लागू होगी ।

## अध्याय 38

## छलपूर्ण विनियोजन के अपराध

“ओर्यो नो त्सुमि”

अनु० 252—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने पास में रखी हुई दूसरे व्यक्ति की किसी वस्तु का, अपने प्रयोग में विनियुक्त कर (लगा) लिया हो, पांच वर्ष तक का बठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

यही व्यवस्था उस व्यक्ति के सवध में भी लागू होगी जिसने अपनी उम्र वस्तु का विनियुक्त कर लिया हो, जिसको अधिकार में रखने के लिए उसे किसी लाव-कार्यालय द्वारा आदेश मिला हो।

अनु० 253 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अपने प्रयोग के लिए अपने व्यवसाय (व्यापार) के सिलसिले में, अधिकार में रखी हुई किसी दूसरे की वस्तु का विनियुक्त कर लिया हो, उस वर्ष तक का बठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 254—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अपने प्रयोग के लिए, किसी छोई हुई वस्तु, हवा या पानी द्वारा स्वयं एन्रित कोई वस्तु या संपत्ति जिसका कोई स्वामी न हो, विनियुक्त कर लिया हो, एक वर्ष तक का बठोरश्रमकारावास या 100 येन तक का अपवा कोई लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 255—अनु० 244 की व्यवस्थाएँ, यद्योचित परिवर्तन के साथ, इस अध्याय के अपराधों के सवध में भी लागू होगी।

## अध्याय 39

## चोरी के मालों से संबद्ध अपराध

“जोयुत्सु नि कन्-सुरु त्सुमि”

अनु० 256—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने (जानबूझकर) चोरी का माल ग्रहण किया हो, तीन वर्ष तक का बठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने चोरी के मालों का (जानबूझकर) परिवहन किया हो, उन्हें अपने पास रखने के लिए जमा किया हो, गरीदा हो या इनके निर्वर्तन (disposal) में दलाल का काम किया हो दस वर्ष तक का बठोर-श्रमकारावास तथा 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा।



अनु० 257—पिछड़े अनुच्छेद के अपराध का दण्ड क्षमा कर दिया जाएगा, यदि वह अपराध दसवीं मकान-मरम्बिया, विवाहित जाड़े या गाय रहनेवाले मरम्बिया तथा दम्पति के बीच होगा।

पिछड़े परिच्छेद की ध्वम्ब्या उम मर-अपराधी के मर में लागू नहीं होगी, जा मरन्धी न हो।

### अध्याय 40

## विनाश (Destruction) एवं छिपाने (Concealment) के अपराध

“किंकि ओयोनि इन्तोकु नो तुमि”

अनु० 258 प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें किसी गान-नारावाग के उपाय में आने वाग किसी प्रत्येक (document) का विनष्ट कर दिया हा, तीन मरम म गान वप तर का कटारधम-नारावाग का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 259 प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें अन्य व्यक्ति के अधिकारा या दायित्वा न मरद प्रत्येक (document) का नष्ट कर दिया हा, पांच वर तक का कटारधम-नारावाग का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 260 प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें अन्य व्यक्ति क भवन या जग्योन का हानि पहुँचाई हा या नष्ट कर दिया हा पांच वप तर का कटारधम-नारावाग का दण्ड दिया जायगा। यदि ऐमा करने में उनमें किसी व्यक्ति की हत्या कर दी हा या घायल कर दिया हा तो उम उम अपराध एव घायल करने क अपराध की तुलना में जा गुन्तर दण्ड हागा वही दिया जाएगा।

अनु० 261 प्रत्येक व्यक्ति का जिनमें पिछड़े तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित वस्तुओं में भिन्न कोई वस्तु नुनसान कर दी हा विनष्ट कर दिया हा या अन्य किसी तरह से उम व्यथ (useless) कर दिया हा, तीन वर तक का कटारधम-नारावाग या 500 पैन तर का अथदण्ड या कोई लघु अर्थ-दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 262—पिछड़ तीन अनुच्छेदों क दण्ड उस व्यक्ति के मरम में भी लागू हायें जिनमें अपनी वस्तु का भी, जा कुर्वी में हो जिसक वास्तविक

अधिकारी का निश्चय न हो, या भाड़े (पट्टे) पर दी गई हो, नुकसान किया हो, विनष्ट किया हो या दूसरे ढंग से अनुपयोगी बना दिया हो ।

अनु० 263—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति के पत्र को छिपा लिया हो छ मास तक का कठोरश्रमकारावास या सामान्य कारावास या 50 येन तक का अर्थदण्ड या कोई लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 264 अनुच्छेद 259, 261 तथा पिछले अनुच्छेद के अपराधों का अभियोजन केवल परिवार पर ही किया जाएगा ।

अनु० 4—यदि किसी उच्चतर न्यायालय में लम्बित विविध न्यायालया के वास्तविक अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले विविध सबद्ध अभियागा के साथ कोई ऐसा अभियोग हो जिसका उच्चतर न्यायालय अन्या के साथ सामूहिक रूप से निणय देना आवश्यक समझ तो वह उस एक व्यवस्था (ruling) द्वारा किसी अधिकार-क्षेत्र संपन्न निम्न न्यायालय में अन्तर्गत कर सकता है ।

अनु० 5—जब किसी उच्चतर न्यायालय एक निम्न न्यायालय में अनेक सबद्ध अभियाग (cases) विविध रूप से लम्बित हो उच्चतर न्यायालय वास्तविक अधिकार क्षेत्र का बिना विचार किए हुए ही एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, निम्न न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले अभियाग पर भी सामूहिक रूप से निणय दे सकता है ।

जब किसी उच्च न्यायालय के विशेष अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले अभियाग किसी उच्च न्यायालय में लम्बित हो और उल्लिखित अभियाग स सबद्ध अभियोग किसी अवर न्यायालय में लम्बित हो तो उच्च न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा अवर न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले अभियाग पर भी सामूहिक रूप से निणय दे सकता है ।

अनु० 6—जब विविध न्यायालया के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्दर आने वाले अनेक अभियोग (cases) परस्पर सबद्ध हो तो वह न्यायालय जिसके अधिकार-क्षेत्र में एक भी अभियाग आता हो अन्य अभियाग पर भी, सामूहिक रूप से अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयुक्त कर सकता है । तथापि, वह न्यायालय उन अभियाग पर अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयुक्त नहीं कर सकता, जो अथ विधिया की व्यवस्थाया (Provisions) के अनुसार किसी विशेष न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं ।

अनु० 7—यदि किसी एक न्यायालय में लम्बित, विविध न्यायालया के प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले अनेक परस्पर सबद्ध अभियाग के साथ कोई ऐसा अभियाग हो जिसका वह न्यायालय अन्या के साथ, सामूहिक रूप से निणय देना आवश्यक समझता हो तो वह एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उस अथ न्यायालय में अन्तर्गत कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह अभियाग आता हो ।

अनु० 8—जब वास्तविक अधिकार-क्षेत्र के विषय में अनुष्ण विविध न्यायालया में अनेक परस्पर सबद्ध अभियाग अनेकानेक लम्बित हो तो वह

न्यायालय किसी लाज-समाहर्ता (Public Prosecutor) या अभियुक्त के समावेदन (motion) पर, किसी व्यवस्था (ruling) द्वारा, यह निर्णय दे सकता है कि वे किसी न्यायालय में एगत्र कर दिए जाएँ।

यदि पिछले परिच्छेद की स्थिति में विविध न्यायालयों की व्यवस्थाएँ (rulings) एगत्र न हो तो उक्त सभी न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र में रहने वाला अन्य आसन्न उच्चतर न्यायालय, किसी लाज-समाहर्ता या अभियुक्त की प्रार्थना पर, एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर यह निर्णय दे सकता है कि उक्त सभी अभियोग किसी एक न्यायालय में एगत्र कर दिए जाएँ।

अनु० 9—दो या अधिक अभियोग निम्नलिखित दशाओं में परस्पर सख्त हाव है,

- (1) जहाँ कि एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक अपराध किए गए हों;
- (2) जब कि अनेक व्यक्ति सामूहिक रूप में कोई एक अपराध किए हों या अलग-अलग अपराध किए हों।
- (3) जहाँ दुर्भाग्य में काय बचने-वाले अनेक में से हर व्यक्ति पृथक्-पृथक् अपराध करता है।

अपराधी का आशय देने, माध्यम व क्लिष्ट करने, साक्ष्य लेकर मिथ्या-माध्यम देने मिथ्या विरोध-माध्यम या मिथ्या-व्याख्या के अपराध तथा असद रूप से प्राप्त वस्तुओं से सख्त अपराधी तथा, पश्चान्तर में, प्रधान अपराधी द्वारा किए गए अपराध का सामूहिक रूप से किया गया माना जाएगा।

अनु० 10 जब एक ही अभियोग वास्तविक अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से भिन्न विविध न्यायालयों में लम्बित हो तो इसका निर्णय किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

उच्चतर न्यायालय किसी लाज-समाहर्ता या अभियुक्त के समावेदन (motion) पर एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उक्त अभियोग को किसी अधिकार-क्षेत्र-संपन्न न्यायालय को निर्णय के लिए उद्युक्त कर सकता है।

अनु० 11—जब एक ही अभियोग समान वास्तविक अधिकार-क्षेत्र वाले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हो तो उक्त अभियोग का निर्णय उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहाँ लाज-कार्यवाही सर्वप्रथम की गई हो।

ऐसे सभी न्यायालयों को अपने अधिकार-क्षेत्र से प्रभावित करने वाला अन्य आसन्न उच्चतर न्यायालय, किसी लाज-समाहर्ता या अभियुक्त के समावेदन

(motion) पर एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अन्य न्यायालय को उस अभियोग के निणय के लिए उद्युक्त कर सकता है, जहाँ लाक-कार्यवाही वाद में की गई हो।

अनु० 12—तथ्या के प्रवटीकरण की आवश्यकता के अनुसार कोई न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आनेवाले जिजे के बाहर भी अपने कार्य कर सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (provisions) राजादिष्ट न्यायाधीशों के सवत्र में, यथाचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 13—न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में न जाने के कारण कार्यवाहियाँ प्रभाव शून्य नहीं होंगी।

अनु० 14—अविलम्बिता (urgency) की दशा में, कोई भी न्यायालय अधिकार-क्षेत्र मपत्र न होते हुए भी, तथ्या के प्रवटीकरण के लिए आवश्यक उपाय प्रयाग में ला सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (provisions) राजादिष्ट न्यायाधीशों के सवत्र में यथाचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 15 निम्नलिखित दशाओं में कोई लाक-समाहर्ता, अधिकार-क्षेत्र-मपत्र न्यायालय के निश्चय में गवद्ध मभी प्रथम न्यायालयों को अपने अधिकार-क्षेत्र से प्रभावित करने वाले किसी आमत्र उच्चतर न्यायालय को समावेदन प्रस्तुत कर सकता है

- (1) जय कि क्षमताशाल न्यायालय की क्षमता का निर्धारण जिला-विषयक सीमाओं के स्पष्ट निदिष्ट न होने के कारण न हो सके;
- (2) जय कि उस अभियोग का अपने अधिकार-क्षेत्र में रखने वाला अन्य कोई न्यायालय न हो, जिसके विषय में किसी न्यायालय की अधिकार-क्षेत्र न रहित घोषित करने वाला कोई निर्णय अन्तत बन्बनकारी न हो गया हो।

अनु० 16—जय कि विधानत अधिकार क्षेत्र मपत्र कोई न्यायालय न हो, अथवा ऐसे न्यायालय का निश्चय अगभव हो गया हो, ता महासमाहर्ता (Prosecutor General) अधिकार-क्षेत्र मपत्र न्यायालय के नामनिर्देशन करने के लिए, उच्चतम न्यायालय का प्रायेना (समावेदन) प्रस्तुत करेगा।

- (1) यदि वह स्वयं अपवृत्त पक्ष हो,
- (2) यदि वह अभियुक्त या अपवृत्त-पक्ष का सवधी हो या रह चुका हो,
- (3) यदि वह अभियुक्त या अपवृत्त पक्ष का वैध प्रतिनिधि, सरसकत का पर्यवेक्षक या पालक (क्युरेटर) हो,
- (4) यदि उसने उस अभियोग में साक्षी या विशेषज्ञ साक्षी के रूप में काम किया हो,
- (5) यदि उस अभियोग में उसने अभियुक्त के प्रतिनिधि, परामर्शदाता या सहायक के रूप में काम किया हो,
- (6) यदि उसने उस अभियोग में लोक-समाहर्ता या न्यायिक-पुत्रि (आरक्षी) अधिकारी का कार्य किया हो,
- (7) यदि उसने, अनु० 266 प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) में, क्षिप्र आदेश (Summary order) में, निचले न्यायालय के निर्णय में, अनु० 398 से 400, 412 या 413 के अनुसार अन्तर्लि या प्रति-प्रेषित अभियोग के प्राथमिक निर्णय में, या उन छानबीन में, जो ऐसे अभियोगों के आधारभूत हो, भाग लिया हो। परन्तु यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी यदि उसने एक अधिवाचित (requisitioned) न्यायाधीश के रूप में भाग लिया हो।

अनु० 21—उस दशा में, जब कि किसी न्यायाधीश को उसके कृत्यों से अपवर्जित करना हो, या यह भय हो कि वह पक्षपातपूर्ण निर्णय देगा तो उसके विषय में कोई लोक-समाहर्ता या अभियुक्त आपत्ति कर सकता है।

प्रतिवाद परामर्शदाता (Defense Counsel), अभियुक्त के लाभार्थ आपत्ति के लिए प्रावेदन (motion) कर सकता है, किन्तु अभियुक्त के स्पष्टतया व्यक्त अभिप्राय के विरुद्ध नहीं।

अनु० 22—अभियोग में किसी अभियाचना (demand) या विवरण (statement) के सपन्न हो जाने पर किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि उसने पक्षपातपूर्ण निर्णय देने का भय है। परन्तु, यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी यदि वह पक्ष आपत्ति के किसी आधार की जानकारी से अनभिज्ञ रहा हो, या ऐसा आधार (जब अभियाचना या विवरण के) वाद में हुआ हो।

अनु० 23—जब किसी न्यायाधीश के विरुद्ध, या किसी सहयोगी (collegiate) न्यायालय का सदस्य हो, आपत्ति की गई हो तो वह न्यायालय, जिसका कि वह न्यायाधीश है, उस पर एक व्यवस्था (ruling) लागू करेगा। यदि ऐसी दशा में उक्त न्यायालय जिला-न्यायालय हो, तो व्यवस्था (ruling) किसी सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी।

जब किसी जिला-न्यायालय के या परिवार-न्यायालय (Family Court) के एकमात्र किसी न्यायाधीश के विरुद्ध आपत्ति की गई हो तो व्यवस्था (ruling) उस न्यायालय के सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी जिससे सबूत वह न्यायाधीश है, और जब कि किसी शिप्र-न्यायालय (Summary Court) के न्यायाधीश के विरुद्ध की गई हो तो किसी क्षमताशील जिला-न्यायालय के सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी। तथापि उक्त रूप में आपत्ति किया गया न्यायाधीश, यदि आपत्ति के प्रावेदन (motion) को सारिज पाना है ना व्यवस्था (ruling) की गई ही सम्झी जायगी।

इस प्रकार आपत्ति किया गया न्यायाधीश, पिछले दो परिच्छेदों में निर्दिष्ट व्यवस्था (ruling) में कोई भाग नहीं लेगा।

जब किसी आपत्ति किए गए न्यायाधीश के प्रत्याहरण (withdrawal) के फलस्वरूप कोई न्यायालय ऐसी व्यवस्था (ruling) चालू करने में असमर्थ हो तो व्यवस्था (ruling) अन्य आमतौर उच्चतर न्यायालय द्वारा दी जायगी।

अनु० 24—किसी आपत्ति का प्रावेदन या कि स्पष्टतः कार्यवाही में केवल विलम्ब लाने के अभिप्राय से किया गया हो, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा सारिज कर दिया जायगा। ऐसी दशा में पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 3 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जब कि अनु० 22 के उपबन्ध या न्यायालय के नियमों द्वारा निर्धारित कार्यवाही के उत्कथन के मदघ में आपत्ति के लिए किया गया प्रावेदन सारिज करना हो।

पिछले परिच्छेद की दशा में, कोई राजादिष्ट (Commissioned) न्यायाधीश किसी जिला-न्यायालय का एकमात्र न्यायाधीश, किसी परिवार-न्यायालय या शिप्र-न्यायालय (Summary Court) का कोई न्यायाधीश, जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई हो, आपत्ति के प्रावेदन को सारिज करते हुए कोई निर्णय दे सकता है।

अनु० 25 - किसी व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध, जिसके द्वारा किसी आपत्ति का प्रावेदन खारिज किया गया हो एक आमन फौकोषु अपील की जा सकती है।

अनु० 26 अनु० 20, प्रभाग 7 के उपबन्धों का छोड़कर, इस अध्याय के उपबन्ध न्यायालय-लिपिका के सवध में, यथाचिन्त परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

व्यवस्था (ruling) उसी न्यायालय द्वारा दी जायगी जिससे सबद्ध वह लिपिक हागा। तथापि अनु० 24 परिच्छेद 1 में उल्लिखित स्थिति में आपत्ति के प्रावेदन का खारिज करने के लिए नियम उस राजादिष्ट न्यायाधीश द्वारा दिया जाएगा जिससे वह न्यायालय-लिपिक सबद्ध है।

### अध्याय 3

#### वाद-करण सामर्थ्य

अनु० 27 जब अभियुक्त या सदिग्ध व्यक्ति कोई न्यायिक व्यक्ति हो तो प्रक्रिया अधिनियमों के सवध में उसका अभिवेदन किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा।

उस दशा में भी जब कि किसी न्यायिक व्यक्ति का अभिवेदन दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया हो, प्रक्रिया अधिनियमों के सवध में उसका अभिवेदन प्रत्येक द्वारा पृथक् रूप से होगा।

अनु० 28—यदि, जहाँ ऐसे अपराध का अभियोग हो जिसमें दण्ड-महिता के अनु० 39 से 41 तक के उपबन्ध न लागू हों, अभियुक्त या सदिग्ध मानसिक शक्ति से रहित हो तो प्रक्रिया अधिनियमों के सवध में उसका अभिवेदन किसी वध प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा (जब कि दो व्यक्ति हों जिनमें न प्रत्येक पृथक् प्रभाव जमाना हो। यही व्यवस्था इसके जागे भी लागू होंगी)।

अनु० 29—पिछले दो अनुच्छेदों के उपबन्धों के अनुसार जब अभियुक्त के अभिवेदन के लिए कोई व्यक्ति न हो तो किसी लोक-समाहर्ता या पदेन लोक-समाहर्ता के निवेदन पर न्यायालय द्वारा एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया जायगा।

यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जब कि पिछले दो अनुच्छेदों के उपबन्धों के अनुसार सदिग्ध के अभिवेदन के लिये कोई व्यक्ति न हो और



लोक-समाहर्ता न्यायिक-आस्था ( Police ) अधिकारी या उममें दिलचस्पा रागन बाउ व्यक्ति द्वारा उक्त निवेदन किया गया थे ।

विवाद प्रतिनिधि अपने कार्या का तर तक बरगा जत्र तक कि सन्धि या अभियुक्त क प्रतिनिधि क रूप में कार्यवाय क काय का बरन क लिए अय कोई व्यक्ति न जा जाय ।

## अध्याय 1

### परामर्शदाता द्वारा प्रतिवाद तथा संबंधियों द्वारा सहायता

अनु० 30 अभियुक्त या सन्धि रिमी ममय प्रतिवाद परामर्शदाता ( Defense Counsel ) का चुन सकता है ।

अभियुक्त या सन्धि का वैध प्रतिनिधि पाउर ( Tutor ) विवाहित जांग बगाय मरया भाउ या बरन स्वतंत्र रूप से उमर लिए प्रतिवाद परामर्शदाता चुन सकते ह ।

अनु० 31 परामर्शदाता का चुनार अधिवक्ताया ( Advocates ) में स हागा ।

सिप्र-न्यायालय ( Summary Court ) परिवार-न्यायालय या जिला न्यायालय म प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनार अधिवक्ताया स भिन्न व्यक्तिया में स न्यायालय की अनुमति स किया जा सकता है । तथापि यह नियम नित्य-न्यायालय में बरन उन न्याया म गनु हागा जिनम अधिवक्ताया में स चुना गया एउ अय प्रतिवाद-परामर्शदाता हा ।

अनु० 32 गन-बायवानी ( Illic Action ) क लिए जान क पूव मरान्ति प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनार प्रथम न्यायालय म भी प्रभावा रहेगा ।

लाक सायवाही के लिए जान क परवान किया गया प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनार विचारण ( trial ) क प्रयेउ दृष्टान्त क श्य किया जायगा ।

अनु० 33—उम दगा में जत्र कि अभियुक्त क लिए अतक प्रतिवाद परामर्शदाता हा ता न्यायालय क तिअसातुसाउ एउ मुख्यप्रतिवाद परामर्शदाता की नियुक्ति का जाएगा ।

अनु० 34—मुख्य परामर्शदाता के कार्यों (Functions) एवं सामर्थ्य (powers) को जैसा कि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित है, न्यायालय के नियमों द्वारा विहित किया जाएगा ।

अनु० 35—जैसा कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित है, न्यायालय अभियुक्त या सदिग्ध व्यक्ति के प्रतिवाद-परामर्शदाताओं की संख्या नियत कर सकता है । तथापि, जहाँ तक अभियुक्त के प्रतिवाद-परामर्शदाता का संबंध है, यह नियम केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगा ।

अनु० 36—जब अभियुक्त, निवृत्तता या अन्य कारणवश अपने प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनने में असमर्थ हो, तो उसकी प्रार्थना पर, न्यायालय उसके लिए प्रतिवाद-परामर्शदाता की व्यवस्था करेगा । तथापि, यह व्यवस्था उन दशा में लागू नहीं होगी जब कि अभियुक्त स भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिए प्रतिवाद-परामर्शदाता चुन लिया गया हो ।

अनु० 47—यदि अभियुक्त, प्रतिवाद-परामर्शदाता द्वारा न अभिवेदित किया गया हो तो निम्नांकित दशाओं में, न्यायालय पदेन (ex-officio) उसके लिए परामर्शदाता की व्यवस्था करेगा

- (1) जब अभियुक्त अल्प-वयस्क हो,
- (2) जब अभियुक्त सत्तर (70) वर्ष से कम आयु का न हो,
- (3) जब अभियुक्त बहरा या गूंगा हो,
- (4) जब अभियुक्त अपरिपक्व या दुर्बल-मनस्क हो,
- (5) जब अन्य कारणवश ऐसा आवश्यक समझा जाए ।

अनु० 38—किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा, इन विधि के उपबन्धों के अनुसार नियत किए जाने वाले प्रतिवाद-परामर्शदाता की नियुक्ति अधिवक्ताओं में से होगी ।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था के अनुसार नियुक्त किया गया प्रतिवाद-परामर्शदाता यात्रा-ध्वज, दैनिक भत्ता, आवास-भत्ता तथा मुल्क (fees) की माँग करने का अधिकारी होगा ।

अनु० 39—किमी भी प्रकार के शारीरिक निरोध में रखा गया अभियुक्त या सदिग्ध (व्यक्ति), किमी कार्यालयीय रणवाला की उपस्थिति के बिना, अपने प्रतिवाद-परामर्शदाता या किमी अन्य व्यक्ति से भी, जो उसका प्रतिवाद-

परामर्शदाता हा, उस व्यक्ति की प्रायःता पर जिसे प्रतिवाद-परामर्शदाता को चुनने का अधिकार हो माझान् कर सकता है तथा कोई प्रलेख या अन्य वस्तु ल या दे सकता है (उस दशा में जब कि किन्हीं अधिकता से भिन्न कोई व्यक्ति प्रतिवाद-परामर्शदाता चुना जाने वाला हो तो यह नियम तभी लगेगा जब अनु० 31 के परिच्छेद 2 में निर्दिष्ट अनुमति ले ली गई है) ।

निम्न परिच्छेद में उल्लिखित साक्षान्कार या वस्तु क आदान-प्रदान के मन्त्र में विधि या ज्ञानादेश (जिनमें न्यायालय के नियम भी सम्मिलित हैं । यही नियम इनके आगे भी लागू हागा) द्वारा ऐसे उपाय विहित किए जा सकते हैं, जो अभियुक्त या सदस्य को माग निकलने साध्य के विनाश या परिवर्तन करने या उन वस्तुओं के, आदान-प्रदान करने का प्रतिवाद करें, जो (वस्तुएं) अभियुक्त या सदस्य की सम्पत् अविग्नता का राय करनी हा ।

लाक-समाहर्ता, लाक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव तथा न्यायिक पुलिस कर्मचारी (जिनमें न्यायिक पुलिस अधिकारी एवं सिपाही दाता हो सम्मिलित हैं । यही नियम इनके आगे भी लागू हागा) जब छात्रों के लिए ऐसा आवश्यक हा, परिच्छेद 1 में उल्लिखित साक्षान्कार तथा वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए, लाक-कार्यवाही के पहले ही कोई विधि, स्थाप एवं समय निर्धारित कर दें, परन्तु ऐसा निर्धारण, सदस्य (व्यक्ति) का प्रतिवाद के लिए अपने अधिकारों के प्रयोग करत समय, अनुचित रूप से अवरोध में न रहे ।

अनु० 40—लाक-कार्यवाही की मस्थिति के बाद, प्रतिवाद-परामर्शदाता किन्हीं न्यायालय में अभियोग से मन्त्र प्रलेख एवं साध्य के लेखा का निरीक्षण या उनको प्रतिलिपि कर सकता है । तथापि साध्य के लेखा को प्रतिलिपि करने के लिए उसे पीछेकी न्यायाधीश से अनुमति अवश्य लेनी हागी ।

अनु० 41—केवल उस दशा में जब कि यह इस विधि में विशेषरूप से विहित हा, प्रतिवाद-परामर्शदाता कार्यवाही को क्रियाया का अपने नाम में ले सकता है ।

अनु० 42—अभियुक्त का वंश प्रतिनिधि, पालक (Curator), विवाहित आंजा, वसीय मन्त्रों, भाई या बहन किसी भी समय सहायक (होसेनिद) हो सकते हैं ।

उस व्यक्ति का, जो अभियुक्त के सहायक के रूप में काम करना चाहता हो, विचारण के प्रत्येक दृष्टान्त के लिये न्यायालय में सूचना देनी चाहिए ।

वाइ भी सहायक अभियुक्त की कार्यवाही की उन सभी त्रियाजा का वहाँ तक कर सकता है जहाँ तक कि वे अभियुक्त व व्यक्त अभिप्राय ने विरुद्ध न हा। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि इस विधि में यह अन्य प्रकार से विहित हो।

## अध्याय 5

### निर्णय

अनु० 43—इस विधि में अन्य प्रकार से विहित दशा का छोड़कर, वाई भी न्याय-निर्णय (हंकेत्सु) मौखिक कार्यवाही के आधार पर दिया जायगा।

वाइ व्यवस्था (केत्सेइ ruling) या आदेश (मेइरेइ, order) आवश्यक-रूप से मौखिक कार्यवाही पर जाधृत नहा होगा।

विभी व्यवस्था (ruling) या आदेश के निर्माण में न्यायालय, आवश्यकतानुसार तथा की छानरीन (Examination) कर सकता है।

पिछर परिच्छेद में लिखित छानरीन किसी सबद सहयोगी न्यायालय (Collegiate Court) के सदस्य का मौप दी जायगी अथवा जिन-न्यायालय परिवार न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय का वाई न्यायाधीश इसके लिए अभिधाचिन किया जा सकता है।

अनु० 44—विभी भी निर्णय के साथ उनका कारण सलग्न रहगा।

उस दशा में जब कि वाई ऐसी व्यवस्था (ruling) या आदेश हा, जिसके विरुद्ध किसी अपील की अनुमति न हा ता उसके कारण का जलग किया जा सकता ह। तथापि, यह उस व्यवस्था (ruling) के मतघ में लागू नहीं होगा जिनके विरुद्ध, अनु० 428, परि० 2 के अनुसार, वाई आपत्ति की जा सके।

अनु० 45—न्याय निर्णय में भिन्न वाई विनिश्चय (decision) विभी सहायक न्यायाधीश द्वारा ही दिया जा सकता है।

अनु० 46—अभियुक्त या अभिधाग में सबद वाई भी व्यक्ति, अपने पत्र पर, निर्णय के प्रयेग के जशा या तथाचार (protocol) की, जिनमें निर्णय लिखित हा, प्रतिलिखि या उसके विभी अत की प्राप्ति के लिये मांग कर सकता है।

## अध्याय 6

### प्रलेख (Documents) तथा वितरण (Service)

अनु० 47— किमी अभियोग स मबड वाड भी प्रत्य लाव विचारण (Public trial) के प्रारम्भ क पहल प्रकाशित नहा किया जायगा । तथापि, यह उम दशा में लागू नहीं हागा जब तक-हित या अय किमी कारणवश इसे (प्रकाशित करना) आवश्यक नमना जाय ।

अनु० 48—लाक विचारण का वाड नयाचार (Proto 1) लाक विचारण की नियिया पर हान वाडी कायवाहिया क अनुगार तैयार किया जायगा ।

लाक विचारण क नयाचार में उमकी नियिया पर घटित विचारण स मबड प्रमुख विषय रहेंग जैसा कि न्यायालय क नियमा द्वारा विहित हा ।

अर विचारण का नयाचार एर अच्छ कम स विचारण का प्रत्यक तिथि के टाक वाड या कम स कम निणय का घोपणा क समय या पहल ही पूरा हो जाना चाहिये । तथापि यह तक विचारण के उस नयाचार के सत्रय म लागू नहीं हागा जिममें कि निणय घोपित हा गया हा ।

अनु० 49 यदि अभियुक्त क पाग काई प्रतिवाद-परामसदाता न हा ता वह जैसा कि न्यायालय के नियमा द्वारा विहित हो लाक विचारण के नयाचार का निराभण कर सकता है तथा यदि अभियुक्त अघा हो और स्वय न पड सके ता वह नयाचार का अपन लिए जाय स पडवान के लिए मांग कर सकता है ।

अनु० 50—उस दशा म तत्र कि तक विचारण का नयाचार दूसरे विचारण की नियि क पहल अच्छ प्रम स पूरा न हुआ हो ता वाड जयालय लिपित तक-समाहता अभियुक्त या प्रतिवाद परामसदाता की प्रायना पर अनिम विचारण की नियि पर साक्षिया द्वारा दिए गए प्रमाण की हपरेला दूसरे विचारण की नियि पर या उसक पहल हो सूचित कर दे । एसी दशा में यदि प्रायना करन वांग लाक-समहर्ता अभियुक्त या प्रतिवाद-परामसदाता साक्षिया द्वारा दिए गए प्रमाण की रूपरंगा की यथायता पर आपति करें तो वह आपति भी नयाचार में समाविष्ट की जायगी ।

उस दशा में जब कि अभियुक्त या उसक परामसदाता की अनुपस्थिति में तैयार किया गया किसी लोत विचारण का नयाचार, दूसरे विचारण की

तिथि के पहले अच्छे ढंग में सज्जित न हो तो न्यायालय-लिपिक दूमरे विचारण की तिथि पर या पहले ही, उपस्थित होने वाले अभियुक्त या उसके परामर्शदाता को अंतिम विचारण की तिथि पर घटित प्रमुख घटनाओं का सूचित करेगा।

अनु० 51 लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या परामर्शदाता विमो लोक-विचारण के नयाचार की यथार्थता पर आपत्ति कर सकता है। यदि उक्त आपत्ति की गई हो तो उसका विवरण नयाचार में समाविष्ट किया जायगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आपत्ति प्रत्येक व्यवहार (Instance) के लोक-विचारण की अंतिम तिथि के बाद चौदह दिन के अंदर ही की जा सकेगी तथापि, जहाँ तक लोक-विचारण के नयाचार का भव्य है जिममें कि निर्णय धारित हो, ऐसी आपत्ति नयाचार की समाप्ति के बाद चौदह दिन के अंदर ही की जा सकती है।

अनु० 52 - लोक-विचारण की तिथि की कार्यवाहियाँ जा लोक-विचारण के नयाचार में लिखित रहती हैं, उन्हीं नयाचार द्वारा ही प्रमाणित की जा सकती हैं।

अनु० 53—कोई व्यक्ति किसी विचारण के अभिलेखों (records) का निरीक्षण आपराधिक अभियोग की समाप्ति पर ही कर सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा, जब कि निरीक्षण से विचारण के अभिलेखों के परिरक्षण, अथवा न्यायालय या लोक-समाहर्ता के कार्यालय के कार्य-व्यापार में बाधा पहुँचती हो।

उस विचारण के किसी अभिलेख का, जिसका मुनता सामान्य जनता के लिए निषिद्ध हो, अथवा किसी अभिलेख का, जिसका निरीक्षण सामान्य जनता के लिये अनुचित होने के कारण प्रतिषिद्ध हो, पिछले परिच्छेद के उपबन्धों के प्रतिकूल, निरीक्षण तब तक नहीं किया जायगा, जब तक कि वे (निरीक्षण करने वाले) उस अभियोग के सबद्ध पक्ष (Parties) न हों, या उनके पास निरीक्षण के लिये समुचित कारण न हो तथा विचारण के अभिलेखों के अभिरक्षक (Custodian) से अनुमति न ले चुके हों।

जापान के संविधान के अनु० 82 परि० 2 के उपबन्धों द्वारा विहित अभियोगों में अभिलेखों का निरीक्षण निषिद्ध नहीं होगा।

विचारण के अभिलेखों के परिरक्षण तथा उनके निरीक्षण के परिष्वयों से सबद्ध विषय अन्य विधि द्वारा विहित किये जायेंगे।

अनु० 54—न्यायालय के नियमों द्वारा अन्य प्रकार से विहित दशा को छोड़कर, दीवानी प्रक्रिया से सबद्ध विधि या अध्यादेश के विधान (प्रकाशन द्वारा विवरण (Service) से सबद्ध उपबन्धों का छोड़कर) प्रलेखों के विवरण (तामोलो) के सबन्ध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

## अध्याय 7

### अवधिप्राँ

(Periods)

अनु० 55—अवधिप्राँ के परिकलन (Calculation) में, जितका परिकलन घण्टों में हो वह तुरन्त शुरू होंगी, जब कि जिनका दिनों, मासों अथवा वर्षों में करता हो पहला दिन उसमें सम्मिलित नहीं किया जायगा। तथापि, भोगाधिकार (Pre-scription) की अवधि का पहला दिन, उसके घण्टों की सख्या का विचार किये बिना, एक दिन के रूप में गिन लिया जायगा।

मासों एवं वर्षों का परिकलन कैलेंडर के अनुसार होगा।

एदि किसी अवधि का अन्तिम दिन रविवार, पहली, दूसरी, तीसरी जनवरी, 29 वें, 30 वें या 31 वें दिसम्बर, या उस दिन, जिसे सामान्य छुट्टी उद्दिष्ट किया गया हो, पडना हो तो उसे परिकलन में सम्मिलित नहीं किया जायगा। तथापि, यह भोगाधिकार की अवधि के सबध में लागू नहीं होगा।

अनु० 56—न्यायालय के नियमानुसार, कोई भी वैधानिक अवधि, कार्यवाही की क्रियाओं को करने वाले व्यक्ति के अतिवास, निवास या कार्यालय, तथा न्यायालय या लार्क-समाहर्ता के कार्यालय के बीच की दूरी के तथा परिवहन एवं सवार की सुविधाओं के अनुसार, बढ़ाई जा सकती है।

पिछले परिच्छेद के उपबन्ध उस अवधि के सबध में लागू नहीं होंगे जिसके अन्दर ही किसी घोषित निर्णय के विरुद्ध अपील की जाए।

## अध्याय 8

### अभियुक्त के आह्वान, प्रस्तुति और निरोध

अनु० 57—कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को, समुचित अग्रिम समय देने हुए, जैसा कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हो, आहूत (summon) कर सकता है।

अनु० 58—न्यायालय किसी अभियुक्त को निम्नांकित दशाओं में प्रस्तुत (produce) करा सकता है

- (1) यदि उसका कोई नियत निवास न हो ,
- (2) यदि समुचित कारण के बिना वह आह्वाना का अनुपालन न करे या उससे ऐसी आशंका हो कि वह पागल नहीं बरेगा ।

अनु० 59 प्रस्तुत किया गया अभियुक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के समय से चौबीस घण्टे के अंदर छाड़ दिया जायगा । तथापि यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि उक्त समय के अंदर ही वार्ड निरोध का अधिपत्र (Warrant) कायान्वित किया जा चुका हो ।

अनु० 60 न्यायालय अभियुक्त का निराध में रख सकता है यदि उस पर यह पुष्ट करने के समुचित आधार प्राप्त हो जायें कि उसने अपराध किया है और अभियोग यदि निम्नलिखित में से किसी प्रभाग (item) के अन्तगत आता हो

- (1) जब कि अभियुक्त का कोई नियत निवास न हो ,
- (2) जब कि अभियुक्त से इस विषय की आशंका के पर्याप्त प्रमाण हो कि वह साक्ष्य विनष्ट कर देगा ,
- (3) जब कि अभियुक्त ने पलायन किया हो या उसके पलायन करने की आशंका के पर्याप्त प्रमाण मिलें ।

निराध की अवधि लाव-कार्यवाही के संस्थित किए जाने के दिन से, दो मारा से अधिक नहीं होगी । उस दशा में, जब कि निराध का जारी रखने की विशेष आवश्यकता हो तो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि का निराध की अवधि, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उसने नवीकरण के स्पष्ट कारणों के विवरण के साथ, नवीकृत की जाएगी । तथापि अनु० 89 प्रभाग 1 तथा 3 से 5 के अन्तगत आने वाली दशाओं का छोड़कर, निराध की अवधि का नवीकरण केवल एक बार होगा ।

उस अभियोग के मजह में जिसमें 500 येन से अधिक अर्थ हैं, निराध या लघु-अर्धदण्ड न हो, इस अनुच्छेद का पहला परिच्छेद केवल उसी दशा में लागू होगा जब कि अभियुक्त का कोई नियत निवास न हो ।



अनु० 61—न्यायालय द्वारा अभियुक्त का उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना देने तथा उसके विषय में अभियुक्त के विवरण मुनने के पहले उसे निराश में नहीं रखा जा सकता। तथापि यह उन अभियोगों के मसल्ले में लागू नहीं होगा जिनमें कि अभियुक्त ने पलायन किया है।

अनु० 62 अभियुक्त का आह्वान (Summons) उसकी प्रस्तुति या निराश, आह्वान का प्रादेश (writ) अथवा प्रस्तुति या निराश का अधिपत्र जारी करके निष्पादित किया जाएगा।

अनु० 63 आह्वानों के प्रादेश में, अभियुक्त का नाम और उसका निवास अपराध का नाम, दिनांक, उपस्थित होने की समय तथा स्थान, भाषा ही ऐसा विवरण जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि वह यदि बिना समुचित कारण के उपस्थित नहीं होगा तो उसके विरुद्ध प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया जाएगा तथा इसके साथ अन्य विषय भी जा कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित है और उक्त प्रादेश जारी करने वाले पीठासीन अथवा राजादिष्ट न्यायाधीश का नाम तथा उसकी मुद्रा (मुहर) रहगी।

अनु० 64 प्रस्तुति अथवा निराश के अधिपत्र में अभियुक्त का नाम एवं निवास अपराध का नाम, लॉड-कार्यवाही के प्रमुख तथ्य स्थान, जहाँ उसे राना है। या कारणों जहाँ उसे निरुद्ध करना है, प्रभावी अवधि तथा यह विवरण कि उक्त अवधि के बीत जाने के पश्चात् अधिपत्र जारी नहीं किया जाएगा और जारी करने वाले न्यायालय का लौटा दिया जाएगा, जारी होने के तिथि, साथ ही और भी विषय जो न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हों तथा अधिपत्र जारी करने वाले पीठासीन अथवा राजादिष्ट न्यायाधीश के नाम एवं मुद्रा (मुहर) रहेंगे।

उस दशा में जब कि अभियुक्त का नाम अनिश्चित हो तो उसकी मुद्रा-वृत्ति, शरीर गठन एवं अन्य विशेष चिह्नों के विवरण द्वारा उसकी पहचान की जायगी।

उस दशा में जब कि अभियुक्त का निवास अनिश्चित हो तो उसे कहलवाया नहीं जायगा।

अनु० 65—आह्वानों के प्रादेश सामील (विस्तृत) किये जायेंगे। यदि अभियुक्त कोई प्रलेख इस विवरण के साथ दाखिल करता है कि वह सुनवाई के लिये निपत की गई तिथि पर उपसजान होगा, या यदि न्यायालय,

मुनवाई की तिथि पर उपसजात अभियुक्त को, मुनवाई की दूसरी तिथि पर उपसजात होने के लिये आदेश देता है तो उसका प्रभाव आह्वानों के प्रादेश की तामीली के समान ही होगा। उस दशा में जब कि उसकी उपसजाति (appearance) का आदेश जवानी हुआ हो तो यह तथ्य नयाचार में उद्दिष्ट किया जायगा।

न्यायालय के समीप किसी कारागार में निरद्ध कोई अभियुक्त कारागार के कर्मचारियों को सूचना देकर आहूत किया जा सकता है। ऐसी दशा में, आह्वानों के प्रादेश की तामीली मान ली जाएगी यदि अभियुक्त को कारागार के कर्मचारियों से सूचना मिल चुकी हो।

अनु० 66—कोई न्यायालय अभियुक्त को उपसजात करने के लिये, तत्काल जहाँ वह रहता हो वहाँ के जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अधियाचना (माँग) कर सकता है।

इस प्रकार अधियाचित न्यायाधीश स्वयं किसी अन्य जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश की माँग कर सकता है, जा कि उक्त अधियाचना स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत हो।

यदि अधियाचित न्यायाधीश को स्वयं अधियाचना के अदर आने वाले अभियाग का अधिकार न हो ता वह उक्त अधियाचना को अन्य किसी जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के न्यायाधीश के यहाँ अन्तरित कर सकता है जो उक्त अधियाचना का स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत है।

वह न्यायाधीश जिसने उक्त अधियाचना प्राप्त की हो या जिसके यहाँ अधियाचना अन्तरित की गई हो, प्रस्तुति का अधिपत्र जारी कर सकता है।

अनु० 64 का उपबन्ध पिछले परिच्छेद में लिखित प्रस्तुति के अधिपत्र के सबध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगा। ऐसी दशा में, अधिपत्र के अन्तर्गत यह विवरण रहेगा कि वह अधियाचना के अन्तर्गत जारी किया गया है।

अनु० 67—पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट दशा में अधियाचना के अदर प्रस्तुति का अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश को अभियुक्त क लाए जाने के समय से चौबीस घण्टे के अदर यह निश्चय कर लेना होगा कि अभियुक्त की पहचान में कोई गलती ता नहीं हुई है।

यदि अभियुक्त की पहचान में कोई गलती न हो ता उसे तत्काल नामाद्दिष्ट न्यायालय का सोप दिया जाएगा। ऐसी दशा में, न्यायाधीश, जिसने

अधिपत्र के अन्तर्गत प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया हो, समय की अवधि निर्धारित करेगा जिसके अन्तर्गत कि अभियुक्त को नामोद्दिष्ट न्यायालय के समक्ष लाया जायगा।

पिछले परिच्छेद की दशा में, अनु० 59 में उल्लिखित अवधि का परिवर्तन उस समय से किया जायगा जब कि अभियुक्त नामोद्दिष्ट न्यायालय के समक्ष लाया गया हो।

अनु० 68—न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर, अभियुक्त को किसी नामोद्दिष्ट स्थान पर उपसजात होने या साथ चलने के लिये आदेश दे सकता है। यदि अभियुक्त बिना समुचित कारण के उक्त आदेश के अनुपालन में असमर्थ रहे तो उसे उक्त स्थान पर उपसजात कराया जा सकता है। ऐसी दशा में अनु० 59 में निर्धारित अवधि का परिवर्तन उस समय से किया जायगा जब कि अभियुक्त उक्त स्थान पर उपसजात किया गया हो।

अनु० 69—अबिलम्बिता की दशा में, कोई भी पीठासीन न्यायाधीश, अनु० 57 से 62, अनु० 65, 66 तथा पिछले अनुच्छेद में विहित उपाय स्वयं कर सकता है या अपने सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य से ऐसा करा सकता है।

अनु० 70—प्रस्तुति या निरोध को अधिपत्र को, लोक-समाहर्ता के निर्देशन में, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा निष्पादित किया जायगा। तथापि, अबिलम्बिता की दशा में उसके निष्पादन का निर्देश किसी पीठासीन न्यायाधीश, राजादिष्ट न्यायाधीश अथवा जिला-न्यायालय या शिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा दिया जा सकता है।

कारागार में रहने हुए अभियुक्त के विच्छेद जारी किया गया निरोध का अधिपत्र, लोक-समाहर्ता के निर्देशन में कारागार के कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किया जायगा।

अनु० 71—लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या कोई न्यायिक पुलिस कर्मचारी, आवश्यकता पड़ने पर, अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर भी प्रस्तुति के अधिपत्र को निष्पादित कर सकता है, अथवा लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी द्वारा वही निष्पादित करा सकता है।

अनु० 72—जब अभियुक्त का वर्तमान स्थान अज्ञात हो तो कोई पीठासीन न्यायाधीश (उच्च लोक-समाहता के कार्यालय के) किसी अधीक्षक समाहर्ता को, छानबीन करने तथा प्रस्तुति का अधिपत्र निष्पादित करने के लिये समादिष्ट कर सकता है।

उच्च लोक-समाहर्ता के कार्यालय का अधीक्षक समाहर्ता जिसे उक्त समादेश मिला हो, अपने अधिकांश क्षेत्र के अंदर किसी लोक-समाहर्ता को छानबीन और प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन की कार्यवाही का पालन करने के लिये प्रेरित करेगा।

अनु० 73—प्रस्तुति के अधिपत्र का निष्पादित करने में वह (अधिपत्र) उस अभियुक्त का दिसा दिया जायगा जिसे यथाशीघ्र सीधे न्यायालय के समक्ष या अन्य किसी नामादिष्ट स्थान पर लाया जाएगा। अनु० 66 परि० 4 में उल्लिखित प्रस्तुति के अधिपत्र की दशा में अभियुक्त, अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश के समक्ष लाया जाएगा।

निराध के अधिपत्र के निष्पादित करने में वह (अधिपत्र) उस अभियुक्त को, जिसे कि यथाशीघ्र सीधे नामादिष्ट कारागार में पहुँचा दिया जाएगा, दिखला दिया जाएगा।

अविलम्बिता की स्थिति में, प्रस्तुति या निराध का कोई अधिपत्र न रहने पर भी, पिछले दस परिच्छेदों पर विना विचार किए, लोक-कार्यवाही के प्रमुख तथ्या का और यह कि अधिपत्र जारी किया गया है, सूचित करने के पश्चात् अधिपत्र निष्पादित किया जा सकता है। तथापि, यह अधिपत्र यथासंभव शीघ्र ही उसे दिसा दिया जायगा।

अनु० 74—उस दशा में जब कि अभियुक्त, जिसके विरुद्ध प्रस्तुति या निराध का कोई अधिपत्र निष्पादित किया जा चुका हो, रक्षी (guard) की देखभाल में भेजा जाने वाला हो तो उसे, आवश्यकतानुसार, निपटस्थ कारागार में, अतन्त्रिरूप से निरुद्ध किया जा सकता है।

अनु० 75—उस दशा में जब कि अभियुक्त, जिसके विरुद्ध प्रस्तुति का अधिपत्र निष्पादित किया जा चुका है, लाया गया हो, यदि आवश्यक है तो उसे कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है।

अनु० 76—उस दशा में जब कि अभियुक्त प्रस्तुत किया गया हो, उसे तुरन्त लोक-कार्यवाही का सार सूचित किया जायगा और अपने प्रतिवाद

परामर्शदाता को भी चुनने के लिए उसे सूचित किया जाएगा तथा उस दशा में उसका लिए न्यायालय द्वारा परामर्शदाता के अधिन्यास (assignment) के विषय में भी उसे सूचित किया जाएगा जब कि वह, अपनी निर्धनता या अन्य कारणों से स्वयं परामर्शदाता प्राप्त करने में असमर्थ हो। तथापि, यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शदाता हो तो उसे लोन-कार्यवाही के सार को ही सूचित करना पर्याप्त होगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित उपायों को करने के लिए किसी भी सहयोगी न्यायालय के सदस्य या न्यायालय के लिपिक को प्रेरित किया जा सकता है।

उस दशा में जब कि अनु० 66 परि० 4 के अनुसार प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया गया है तो पहले परिच्छेद में उल्लिखित उपाय, अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त किए जायेंगे। तथापि, न्यायालय का लिपिक भी ऐसा करने के लिये प्रेरित किया जा सकता है।

अनु० 77—केवल उस दशा को छोड़कर जब कि विरोध प्रस्तुति या बन्दीकरण के बाद ही अभियुक्त को निरुद्ध करने के लिए उसे यह तथ्य बना दिया जाएगा कि वह अपना प्रतिवाद परामर्शदाता चुन ले और यदि वह अपनी निर्धनता या अन्य कारणों से स्वयं परामर्शदाता पाने में असमर्थ हो तो न्यायालय द्वारा उसके लिए परामर्शदाता के अधिन्यास (assignment) का अधिवार भी सूचित किया जाएगा। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शदाता हो।

अनु० 61 के उपबन्ध की दशा में, अभियुक्त को निरुद्ध होने के ठीक बाद पिछले परिच्छेद में विहित तथ्यों के साथ लोन-कार्यवाही का सार भी सूचित किया जाएगा। तथापि, यदि अभियुक्त के पास पहले से ही प्रतिवाद-परामर्शदाता हो तो केवल लोन-कार्यवाही के सार से ही उसे सूचित कर देना पर्याप्त होगा।

पिछले अनुच्छेद के परि० 2 के उपबन्ध, पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित उपायों के साथ में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

अनु० 78—प्रस्तुत किया गया या निरुद्ध अभियुक्त अपने प्रतिवाद-परामर्शदाता के चुनाव के लिए किसी अधिवक्ता या विधिज्ञ-सभ (Bar Association) को नामोद्घिष्ट करते हुए न्यायालय, चारामार के प्रमुख

या उसके स्थानापन्न का प्रार्थनापत्र दे सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शदाता हो।

न्यायालय या कारागार का प्रमुख अथवा उसका स्थानापन्न, जो उक्त प्रार्थनापत्र प्राप्त करे, तुरन्त इस तथ्य की सूचना अभियुक्त के अधिवक्ता अथवा विधिज्ञ-सघ को देगा। उस दशा में जब कि अभियुक्त ने प्रार्थनापत्र में दा या अधिवक्ता अधिवक्ताओं या विधिज्ञ सघों को नामोद्दिष्ट किया हो तो उनमें से किसी एक का सूचना देना पर्याप्त होगा।

अनु० 79 यदि अभियुक्त का निरद्व किया गया हो तो इस तथ्य की सूचना उसके परामर्शदाता का तत्काल दी जाएगी। यदि उसके पास कोई परामर्शदाता न हो तो उसके वैध प्रतिनिधि पालक (Curator), विवाहित जोड़े वसीयत सबधी भाई या बहन में से किसी एक व्यक्ति को यह सूचना दी जाएगी जिसे उसने नामोद्दिष्ट किया हो।

अनु० 80—निरोध में रखा गया अभियुक्त, जहाँ तक विधि एव अघ्यादेश अनुज्ञा हैं, अनु० 39 परि० 1 में अनिर्दिष्ट व्यक्तियों से साक्षात् कर सकता है, उन्हें प्रलेख या अन्य कोई वस्तु दे या उनसे ले सकता है। यही नियम प्रस्तुति के अधिपत्र पर कारागार में निरद्व किए गए अभियुक्त के सबध में भी लागू होगा।

अनु० 81—यदि इस आशका का पर्याप्त दृढ आधार मिले कि निरोध के अन्तर्गत रहता हुआ अभियुक्त भाग सकता है या साक्ष्य नष्ट कर सकता है तो लोक-समाहर्ता या पदेन लोक-समाहर्ता के निवेदन पर, न्यायालय उसे अनु० 39 परि० 1 में उल्लिखित से भिन्न व्यक्तियों से साक्षात् करने से निषिद्ध कर सकता है, उक्त व्यक्तियों से जो प्रलेख या वस्तु वह ले या उन्हें दे उसकी जाँच कर सकता है अथवा उनका देना या लेना निषिद्ध कर सकता है अथवा उनका अभिग्रहण कर सकता है। तथापि, उसे जाद्य पदार्थ लेने से निषिद्ध नहीं किया जाएगा और न तो उसका अभिग्रहण ही किया जा सकेगा।

अनु० 82—निरोध के अन्तर्गत आया हुआ अभियुक्त अपने निरोध का हेतु बतलाने (सूचित करने) के लिये न्यायालय से निवेदन कर सकता है।

निरोध में आए हुए अभियुक्त का प्रतिवाद-परामर्शदाता, वैध प्रतिनिधि, पालक, विवाहित जोड़ा, वसीयत सबधी, भाई या बहन अथवा अन्य कोई अभिरक्षि रखने वाला व्यक्ति पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट निवेदन कर सकता है।

पिछले दो परिच्छेदों में निर्दिष्ट निवेदन कार्यकर नहीं होगा यदि अभियुक्त को जमानती निमुक्ति अथवा निरोध के निष्पादन का निलम्बन किया जा चुका हो या जब निराध विस्तण्डित कर दिया गया हो अथवा जब निराध का अधिपत्र प्रभावशून्य हो चुका हो।

अनु० 83 सूचना (Indication) की कार्यवाही खुल न्यायालय में की जाएगी।

न्यायालय न्यायाधीशों एवं न्यायालय के लिपिका के सामने खोला जाएगा।

यदि अभियुक्त तथा उसके प्रतिवाद परामशदाता उपसजान न हो तो न्यायालय नहीं खोला जाएगा। तथापि यह अभियुक्त की उपसजाति (appearance) से सबूत उम दशा में लागू नहीं होगा जब कि अभियुक्त बीमारा जैम अनिवायं कारणवश उपसजान ज्ञान में अममय हो और जहाँ अभियुक्त का आर स कोई आपत्ति न हो और न ही अभियुक्त के परामशदाता की उपसजाति में सबूत दशा में ही (लागू होगा) जहाँ कि अभियुक्त की ओर स काइ आपत्ति न हो।

अनु० 84 न्यायालय में पीडामीन न्यायाधीश निराध व कारणों की अधिसूचना देगा।

अभियुक्त उमका प्रतिवाद-परामशदाता और अन्य व्यक्ति जिन्होंने निवेदन किया है अपनी समिति दे सकते हैं। यही नियम लाक-समाहर्ता के सबूत में भी लागू होगा।

अनु० 85—सूचना (Indication) की कार्यवाही किसी सहायो (Collector) न्यायालय के सदस्या द्वारा निष्पादित की जाएगी।

अनु० 86—उस दशा में जब कि एक ही निराध क सबूत में अनु० 82 में उल्लिखित दो या अधिक निवेदन हो तो सूचना की कार्यवाही पहले निवेदन की तरह ही की जाएगी। एक व्यवस्था (ruling) द्वारा सूचना की कार्यवाही पूरी हो जाने पर अन्य निवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।

अनु० 87—निराध के आधार (grounds) अथवा उसकी आवश्यकता न रह जाने पर, लोक-समाहर्ता निराध में रये गए अभियुक्त उसके प्रतिवाद-परामशदाता बंध प्रतिनिधि पालक, विवाहित जोडा वशीय सबधी भाई या बहन या पदन किसी के निवेदन पर न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, निराध को विस्तण्डित कर देगा।

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन के सर्वथ में लागू होंगे ।

अनु० 88—निरोध में रखा गया अभियुक्त, उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता, वैध प्रतिनिधि, पालक, विवाहित जोड़ा, वसीय सचची, भाई या बहन उसकी जमानती निर्मुक्ति (release on bail) के लिए निवेदन कर सकता है ।

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन के सर्वथ में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे ।

अनु० 89—जब जमानती निर्मुक्ति का निवेदन किया गया है तो वह निम्नांकित दशाओं को छोड़कर स्वीकृत किया जायगा

- (1) जब कि अभियुक्त पर प्राण-दण्ड या असीमित काल के लिए बंदीखाने-कारावास या कारावास का दण्ड पाने का अपराध आरोपित हो,
- (2) जब कि अभियुक्त पहले प्राणदण्ड या असीमित काल के लिए अथवा दस वर्षों से अधिक अवधि के बंदीखाने-कारावास या कारावास दण्ड के अपराध से अभिसरत हो,
- (3) जब कि अभियुक्त ने स्वभावतः (habitually) तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि वाले बंदीखाने-कारावास, या कारावास के दण्ड का अपराध किया हो,
- (4) जब इस आराद्धा का दृष्ट एव तर्कसंगत आधार हो कि अभियुक्त राक्षस चिन्तित कर सकता है,
- (5) जब कि अभियुक्त का नाम और निवास अज्ञात हो ।

अनु० 90—कोई न्यायालय, यदि उचित समझे, जमानती निर्मुक्ति (release on bail) की अनुमति पदेन (ex-officio) दे सकता है ।

अनु० 91—जब निरोध के अधिपत्र पर, असमृद्धि दीर्घ अवधि के लिए निरोध निष्पादित हो चुका हो तो न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अनु० 88 में उल्लिखित ध्येय के निवेदन पर या पदेन, निरोध को विग्रहित कर सकता है अथवा जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत कर सकता है ।

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन के सर्वथ में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे ।



अनु० 92—न्यायालय जमानती निर्मुक्ति की अनुज्ञा करने अथवा उसके लिए किए गए निवेदन को अस्वीकृत करने के पहले ही किसी लोच-समाहर्ता को समति मुजेगा ।

अनु० 93—जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत हो जाने पर न्यायालय द्वारा जमानत का द्रव्य निश्चित किया जाएगा ।

जमानत के द्रव्य की राशि, अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित (insure) करने के लिए अपराध के स्वरूप एवं परिस्थितियों, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का भार, उसके चरित्र तथा जमानत देने की उसकी आर्थिक समर्थता का विचार करते हुए जितनी पर्याप्त एवं समुचित होगी, निश्चित की जाएगी ।

जब जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत हो गई हो, अभियुक्त के निवास पर निर्बन्धन (restriction) लगाया जा सकता है, अथवा अन्य कोई शर्तें जिन्हें उचित समझा जाय लगाई जा सकती हैं ।

अनु० 94 जमानती निर्मुक्ति प्रदान करने वाली व्यवस्था (ruling) जमानत की राशि के जमा हो जाने के पहले निष्पादित नहीं की जाएगी ।

न्यायालय जमानत की मांग करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को जमानत की राशि जमा करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है ।

न्यायालय, अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे कि वह उचित समझे, जमानत की राशि के बदले में स्थानापन्न करने के लिए पराक्राम्य जमानत (negotiable securities) या लिखित प्रतिधुति (written undertaking) प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकता है ।

अनु० 95—न्यायालय, यदि उचित समझे तो एक व्यवस्था (ruling) द्वारा निरोध के अंदर रखे गए अभियुक्त को उसके सवन्धी, किसी सरक्षक सस्था या इसी तरह की अन्य सस्था के प्रभार से सौंपकर अथवा उसके निवास पर निरन्धन लगाकर निरोध के निष्पादन का निलम्बित कर सकता है ।

अनु० 96—यदि अभियुक्त भग गया हो या उसके भग जाने अथवा साक्ष्य विनष्ट करने के सदेह का तकसगत आधार हो, समन करने पर बिना सम्बन्धित सरक्षण के उपसजात होने में असमर्थ रहा हो या उसके विकास पर लगाए गए निर्बन्धन अथवा न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों का अतिलघन

किया हो तो न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, उसकी जमानती निर्मुक्ति अथवा निराध-निष्पादन के निलम्बन को विवण्डित कर सकता है।

जमानती निर्मुक्ति के विवण्डित हो जाने की दशा में, न्यायालय एक व्यवस्था (ruling) द्वारा जमानती धन-राशि के पूरे या किसी अंश को जप्त कर सकता है।

जब कि जमानत पर निर्मुक्त कोई व्यक्ति, जिसे दण्ड दिया जा चुका हो और निर्णय के अंतिम रूप से दण्डकारी हो जाने पर निष्पादन के लिए न्यायालय के समक्ष बुलाए जाने पर बिना समुचित कारण के उपमजान होने में अममयं रहा हो, या भग गया हो तो न्यायालय, किसी लोक-समाहर्ता के प्रावेदन (motion) पर एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, जमानती धन-राशि के पूरे या किसी अंश का जप्त कर सकता है।

अनु० 97—उस दशा में जब कि निराध को नवीकृत या विवण्डित करना हो अथवा जमानती निर्मुक्ति या निराध के निष्पादन का निलम्बन कार्यान्वित या विवण्डित करना हो, उस अभियोग के सत्र में जिसकी अपील की अवधि बीती न हो और जिसकी अपील तत्रतक सस्यित न की गई हो तो उसने लिए आवश्यक व्यवस्था (ruling) मूल (original) न्यायालय द्वारा जारी की जाएगी।

उस अभियोग के सत्र में जिसकी अपील लम्बित हो और बाधवाहियों के अभिलेख अपील न्यायालय में न पहुँचे हो, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) जारी करने वाले न्यायालय का निर्धारण न्यायालय के नियमों द्वारा किया जाएगा।

पिछले दो परिच्छेदों के उपबन्ध, यथाचित परिवर्तन के साथ, उस दशा में भी लागू होंगे जहाँ कि निरोध के हेतु की मूचना देनी हो।

अनु० 98—जब कि जमानती निर्मुक्ति या निराध-निष्पादन का निलम्बन किसी व्यवस्था (ruling) द्वारा विवण्डित करना हो, या निरन्तर की अवधि समाप्त होती हो तो अभियुक्त को, किसी लोक-समाहर्ता के निर्देशन में, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के किसी मजिस्ट्रेट, न्यायिक पुलिस कर्मचारी या बागाएर अधिकारी द्वारा, जा कि अभियुक्त को निराध के अधिपत्र की अथवा उस अधिपत्र व्यवस्था की एक प्रति दियेलाएगा जिसे जमानती निर्मुक्ति या निराध-निष्पादन का निरन्तर विवण्डित कर दिया गया हो अथवा जिससे निरन्तर की अवधि निर्धारित की गई हो, परिरोध में रक्त लिया जाएगा।

## अध्याय 9

### अभिग्रहण और तलाशी

(Seizure and Search)

अनु० 99—बायाउय आवश्यकतानुमार इम अथवा अन्य विधिया द्वारा जयथा विहित ग्याआ का छाडरर निमा भी वस्तु का अभिग्रहण कर सकता है जिम वह समन कि वह वस्तु साम्य म उपयुक्त हा सकता ह अथवा जा राज्यमा करण क योग्य ह

बायाउय अभिग्रहण म गी जान वाली वस्तुना का नामाहिष्ट कर सकता ह और उसक स्वामा अधिकता या अभिरणक का उन वस्तु प्रस्तुत करन क लिए आग द सकता ह ।

अनु० 100—बायाउय अभियुक्त द्वारा या उसक पाम भन गए तार म मरद्व कागजा या डाक-नामग्रा का जा किसी सरकारी बायाउय या रिखा अन्य सचार-बाय करन वाग व्यक्ति क अभिरणण या अधिकार म हा अभिग्रहण कर सकता ह अथवा उह प्रस्तुत करा सकता ह ।

पिछे परिच्छे म उल्लिखित म भिन्न डाक-नामग्रा या तार म मरद्व कागजा का जा किसी सरकारी बायाउय या सचार-बाय करन वाग अन्य रिखा व्यक्ति क अभिरणण या अधिकार म हा अभिग्रहण किया जा सकता ह या उन् प्रस्तुत कराया जा सकता ह केवड उसा दगा म जद कि प्रस्तुत अभिदान म उनना सवच जनान बाला परिस्थितिया हा ।

जर पिछे दो परिच्छेना क उपरजा क अलगन काइ कारवाइ बायाउयिन की गई हा ता इम तय्य की सूचना भजन वाडे (sender) या पाम वाडे (addressee) का दी जाएगी । तथापि यह तब गम नही हागा जब कि उक्त अधिसूचना म हराबट आ जान की आगका हा ।

अनु० 101—व वस्तुएँ जा अभियुक्त या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा गिरा दा गई हा अथवा जा उनके स्वामा अधिकता या अभिरणक द्वारा स्वच्छया प्रस्तुत की गई हा प्रतिधारित (retained) की जा सकता ह

अनु० 102—बायाउय आवश्यकतानुमार अभियुक्त क गरीर सपनि निवास या जय किसी स्थान की तलाशी क सकता ह ।

अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के शरीर, संपत्ति, निवास या अन्य किसी स्थान की तलाशी तभी की जा सकती है जब कि परिस्थितियों से यह विद्वान हो जाय कि वहाँ पर अभिग्रहण के योग्य वस्तुएँ हैं ।

**अनु० 103**—यदि कोई व्यक्ति, जो किसी कार्यालय से सबद्ध कोई लोक-वर्मचारी हो या रह चुका हो, अपने अभिरक्षण या अधिकार में रखी हुई वस्तुओं के सबध में, यह घोषणा करे कि उक्त वस्तुएँ किसी कार्यालयीय रहस्य से सबद्ध हैं तो ऐसी वस्तुओं का अभिग्रहण किसी समर्थ पार्ष्वेती कार्यालय की समति में ही किया जा सकता है । तथापि, उन दशाओं को छोड़कर, जिनमें कि अनुपालन राज्य के प्रधान हितों के प्रतिबूल हो, वह कार्यालय उक्त समति देना अस्वीकृत नहीं कर सकता ।

**अनु० 104**—यदि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित घोषणा निम्नलिखित व्यक्तिप्रा द्वारा की गई हो तो अभिग्रहण, प्रभाग 1 में उल्लिखित व्यक्ति के सबध में सदन की समति के बिना, तथा प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यक्ति के सबध में मन्त्रि-परिषद् की समति के बिना, नहीं किया जा सकता :

- (1) वह व्यक्ति जो प्रतिनिधि सदन या सभासद्-सदन का सदस्य हो या रह चुका हो,
- (2) वह व्यक्ति जो प्रधान मन्त्री या राज्य-मन्त्री हो या रह चुका हो ।

पिछले परिच्छेद की दशा में प्रतिनिधि-सदन, सभासद्-सदन या मन्त्रि-परिषद्, केवल उस दशा को छोड़कर, जब कि अनुपालन राज्य के प्रधान हितों के प्रतिबूल हो, समति देना अस्वीकृत नहीं कर सकते ।

**अनु० 105**—कोई व्यक्ति जो डाक्टर, दन्तचिकित्सक, दाई, उपचारिका अधिकता, एक्स्व अभिकर्ता (patent agent) लेख्य-प्रमाणक या वार्मिन्ग कार्यकर्ता हो या रह चुका हो, किसी प्रादेश (mandate) के फलस्वरूप जो उसे अपनी व्यवसायिक दिशा में मिला है और जिसका सबध अन्य व्यक्तियों के रहस्यों से हो, अपने अधिकार या अभिरक्षण में रखी हुई वस्तुओं के अभिग्रहण को अस्वीकृत कर सकता है । किन्तु यह उक्त दशा में लागू नहीं होगा यदि मुख्य (मुख्यविक्रल) ने उक्त अभिग्रहण की समति दे दी हो, या अभिग्रहण की अस्वीकृति को केवल अधिकार के दुर्गुण्य के अनिश्चित और कुछ न समझा जाए जिसका उद्देश्य अभियुक्त का हित मात्र हो, जब कि वह मुख्य (मुख्यविक्रल) न हो, अथवा कोई विशेष परिस्थितियाँ हो जिनका निश्चय न्यायालय के नियमों द्वारा किया जाएगा ।

अनु० 106 अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र उसी दफा में जारी किया जाएगा जब कि अभिग्रहण या तलाशी मुझे न्यायालय से अग्रपत्र करनी हो।

अनु० 107—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र में अभियक्त और अपराध का नाम वस्तुएँ जिनका अभिग्रहण करना हो अथवा स्थान स्थान व्यक्ति या वस्तु जिनकी तलाशी करनी हो प्रभाव अवधि तथा यह विवरण कि उक्त अवधि के वान जान पर अधिपत्र का निष्पादन किसी तरह नहीं किया जाएगा और उस जारी करने वाले न्यायालय को योग्य किया जाएगा साथही अथ तथ्य भा जा न्यायालय नियमा द्वारा विहित है और पीएमसीन न्यायालय का नाम एवं उमका मूद्रा रहनी।

अनु० 6+ के परिच्छेद 2 के उपपत्र यथाचिन् परिचयन के साथ पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अभिग्रहण एवं तलाशी के मन्त्र के म मूद्रा।

अनु० 108—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र का निष्पादन लान समाहता के निदेशन में गव-मन्त्रालय-न्यायालय के किसी सचिव अथवा न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। तथापि उन दफाओं में जहाँकि न्यायालय अभियुक्त के हिता की रक्षा आवश्यक समझता पीएमसीन न्यायालय उक्त अधिपत्र को न्यायालय त्रिपिक या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा निष्पादित किए जान का निदेश दे सकता है।

अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में न्यायालय उमक निष्पादन करने वाले व्यक्ति का मम अनुदेश (instructions) लिखित रूप में दे सकता है जिन्हें वह उचित समझ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुदेश, किसी सहयोगी (Collegiate) न्यायालय के सदस्य द्वारा दिया जा सकता है।

अनुच्छेद 71 के उपपत्र अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन के मन्त्र में यथाचिन् परिचयन के साथ मूद्रा।

अनु० 109—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में गव समाहता-कार्यालय का सचिव अथवा न्यायालय त्रिपिक आवश्यकतानुसार, न्यायिक पुलिस कर्मचारी से सहायता की मांग कर सकता है।

अनु० 110—अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र उस व्यक्ति का दिखाया जाएगा जिसे विरुद्ध वह कारवाई की गई हो।

अनु० 111—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में ताले हटाए जा सकते हैं, मुह्रें खाली जा सकती हैं या अन्य कोई आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। यही नियम गुले न्यायालय में कार्यान्वित, अभिग्रहण या तलाशी के सवन्ध में लागू होगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई अभिगृहीत वस्तुओं के सवन्ध में भी की जा सकती है।

अनु० 112—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन पर्यन्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश करने अथवा बिना अनुज्ञा के वह स्थान छाड़ने के लिए निषिद्ध किया जा सकता है।

वह व्यक्ति जो पिछले परिच्छेद के निषेध का अनुपालन न करे उसे निष्पादन की समाप्ति तक वापस जाने (पीछे हट जाने) अथवा कटपर में रपे जाने का वाध्य किया जा सकता है।

अनु० 113—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादित किए जाने के समय लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद परामर्शदाता उपस्थित रह सकते हैं। तथापि, यह उस अभियुक्त के सवन्ध में लागू नहीं होगा जो शारीरिक अवरोध में रखा गया हो।

अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र को निष्पादित करने वाला व्यक्ति उन व्यक्तियों का, जो कि पिछले परिच्छेद के उपबन्धानुसार उपस्थित रह सकते हो, निष्पादन की तिथि, समय एवं स्थान के बारे में अग्रिम सूचना देगा। तथापि यह उस दशा में लागू नहीं होगा जबकि निष्पादन पर उपस्थित रहने का अधिकारी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपने उपस्थित न रहने की इच्छा अग्रिम रूप में स्पष्टतः व्यक्त करे और न तो उस दशा में ही, जहाँ कि अविलम्बिता अपेक्षित हो।

अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में, न्यायालय आवश्यकतानुसार अभियुक्त को उपस्थित रहने को प्रेरित कर सकता है।

अनु० 114—उस दशा में, जबकि अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र का निष्पादन किसी लोक-कार्यालय में करना हो ता उक्त कार्यालय के अध्यक्ष अथवा उसके स्थानापन्न व्यक्ति को इस तथ्य की अधिसूचना दी जाएगी और इस कार्रवाई के कार्यान्वित करते समय उसे उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पिछले परिच्छेद के उपबन्धों द्वारा नियमित दगाब्रा का टाडकर जब कोई अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र किसी व्यक्ति के निवास परिभ्रम भवन या व्यक्ति या द्वारा रचित जलयान में निष्पादित करना है तो अधिभाक्ता (occupant) या फालक (keeper) अथवा उनका स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति या का उपस्थित हान के लिए प्रेरित किया जाएगा। यदि उस व्यक्ति ने मिला या कोई पत्थर या स्थानांतरण लाक-बन्ना के किसी कर्मचारी का उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अनु० 115—यदि किसी स्त्री के घरार का तलाशी का निष्पादन करता है तो एक अन्य व्यक्ति स्त्री का उपस्थित रहना आवश्यक होगा किन्तु अविश्वसनीय की दगाब्रा में यह लागू नहीं होगा।

अनु० 116—सूचीय के पूर्व एवं सूच्य के बाद किसी व्यक्ति के निवास परिभ्रम भवन या व्यक्ति या द्वारा रचित जलयान में तलाशी या अभिग्रहण के अधिपत्र के निष्पादन के अभिप्राय से तब तक प्रवेश नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिपत्र में यह विवरण न हो कि तलाशी निष्पादन रात्रि में भी होगा।

उस दगा में जबकि तलाशी या अभिग्रहण के किसी अधिपत्र का निष्पादन सूच्य के पूर्व प्रारम्भ किया गया है तो वह कारवाही सूच्य के बाद तक भी जारी रखा जा सकता है।

अनु० 117—पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में विहित निष्पादन का अनुपालन अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन के समय में निष्पादित स्थानों में आवश्यक नहीं है —

- (1) व स्थान जहाँ स्वभावतः खूबा खला जाता हो लाकरा निकाली जाता है अथवा जहाँ नतिक आचारा के प्रतिकूल काम हान है।
- (2) पाल्पायला (Inns) भाजतालय या अन्य स्थान जहाँ लागू रात्रि का भी पहुँच सकते हैं किन्तु कबल उन्हा घण्टा में जबकि व उन सामान्य के लिए खुल रहते हैं।

अनु० 118—उस दगा में जबकि अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र का निष्पादन निष्पादित है आवश्यकतानुसार उससे संबद्ध स्थान वस्तु किया जा सकता है अथवा इसके लिए कोई भी (sub) तब तक के लिए निष्पादित किया जा सकता है जब तक कि निष्पादन पूर्ण न हो जाए।

अनु० 119—जब कोई तलाशी की गई हो और साक्ष्य के किसी अथवा अभिग्रहण योग्य वस्तुओं का पता न लगा हो तो उस व्यक्ति की माँग पर, जिसकी तलाशी हुई हो, इस तथ्य का प्रमाण-पत्र उसे दिया जाएगा।

अनु० 120—अभिग्रहण के सदर्थ में, ली गई संपत्ति की एक वस्तु-सूची (inventory) बनाई जाएगी और संपत्ति के स्वामी अधिकर्ता या अभिरक्षक का अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस व्यक्ति को, जो उसका अभिवेदन करता हो दे दी जाएगी।

अनु० 121 अभिगृहीत वस्तुओं के सवन्ध में, जिनका परिवहन सुविधा-पूर्वक न किया जा सके या जिन्हें सुविधापूर्वक अभिरक्षा (custody) में न रखा जा सके, या तो एक रक्षो (guard) रखा जा सकता है या उसका स्वामी या अन्य कोई व्यक्ति उसका अभिरक्षक बनने के लिए नियत किया जा सकता है यदि वह इससे सहमत हो।

अभिगृहीत वस्तुओं को यदि उनसे खतरा पैदा होने की आशंका हो, विनष्ट किया अथवा दूर फेंका जा सकता है।

वह व्यक्ति, जिसने अभिग्रहण का अधिपत्र निष्पादित किया हो, पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित कारवाइयाँ को भी कार्यान्वित कर सकता है, जबतक कि किसी न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश न दिए जायें।

अनु० 122—यदि इस बात की आशंका हो कि अभिगृहीत वस्तुएँ, जो राज्यसात्करण के योग्य हो, खो जाएँगी, विनष्ट या क्षत हो जाएँगी अथवा उन्हें सुविधापूर्वक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता तो वे न्यायालय द्वारा बेची जा सकती हैं और आगम (Proceeds) अभिरक्षा में रखा जा सकता है।

अनु० 123—अभिगृहीत वस्तुएँ, जिनका प्रतिधारण अनावश्यक हो, वाद की समाप्ति की बिना प्रतीक्षा किए, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, प्रत्यावर्तित की जा सकती हैं।

अभिग्रहण के अन्तर्गत रखी वस्तुओं का, उन्हें प्रस्तुत करने वाले स्वामी, अधिकर्ता, अभिरक्षक या पार्टी का माँग करने पर, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अस्थायीरूप से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

लाभ-समाहर्ता और अभियुक्त, या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की समिति, पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित व्यवस्थाओं (rulings) के कार्यान्वित किए जाने के पहले ही गुनी जाएगी।



अनु० 124—असाक्ष रूप से प्राप्त (ill-gotten) अभिगृहीत माल, जिनका प्रतिधारण आवश्यक हो लोन-समाहर्ता अभियुक्त अथवा उसी प्रतिवाद-परामर्शदाता की समिति सुनने के बाद एक व्यवस्था (suling) द्वारा वाद की समाप्ति की बिना प्रतीक्षा किए हुए अपवृत्त पक्ष को प्रत्या-वर्तित कर दिए जाएंगे, किन्तु केवल उसी दशा में जब कि उन्हें अपवृत्त पक्ष को प्रत्यावर्तित करने के स्पष्ट कारण हो।

विच्छेद ५ परिच्छेद के उपबन्ध किसी बद्धहित (interested) व्यक्ति को, दीवानी प्रक्रिया द्वारा अपने अधिकार प्रदर्शन से नहीं रोकेंगे।

अनु० 125 सहायोगी न्यायालय के किसी सदस्य को अभिग्रहण या तलाशी कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है अथवा जहाँ अभिग्रहण या तलाशी कार्यान्वित करनी हो उस स्थान पर, जिला-न्यायालय, परिवार न्यायालय या शिशु-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को वैसा करने के लिए अधिवाचित किया जा सकता है।

अधिवाचित न्यायाधीश जिला-न्यायालय परिवार-न्यायालय या शिशु-न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को, जिसे उक्त अभिग्रहण के अन्तर्गत कार्य करने का अधिकार हो, अधिवाचित कर सकता है।

यदि अधिवाचित न्यायाधीश ने वात समय, अभिग्रहण के अन्तर्गत विषय पर कोई प्राधिकार न हो तो यह उस अधिवाचिता को दूसरे जिला-न्यायालय, परिवार न्यायालय, अथवा शिशु-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, जो उक्त अधिवाचना स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत हो, अन्तर्हित कर सकता है।

जहाँ ता किसी राजादिष्ट न्यायाधीश या अधिवाचित न्यायाधीश द्वारा कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी का सम्बन्ध है, किसी न्यायालय द्वारा कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी से सम्बद्ध उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे। तथापि, अनुच्छेद 100 परिच्छेद 3 में उल्लिखित सूचना किसी न्यायालय द्वारा दी जाएगी।

अनु० 126—यदि विरोध या प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन के लिए आवश्यक हो तो लोन-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस चर्मचारी, अभियुक्त की तलाशी के लिए, किसी व्यक्ति के नियंत्रण, अथवा परिवार, भवन या व्यक्तिगत द्वारा रक्षित जलपान में प्रवेश कर सकता है। उपर्युक्त दशा में तलाशी का अधिपत्र आवश्यक नहीं है।

अनु० 127—पिछले परिच्छेद के उपबन्धों के अनुसरण में, किसी न्यायिक पुलिस कर्मचारी या लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव द्वारा कार्यान्वित तलाशी के सबन्ध में, अनुच्छेद 111, 112, 114 तथा 118 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे। तथापि, अविलम्बिता की दशा में, अनुच्छेद 114 परिच्छेद 2 के उपबन्धों का अनुपालन आवश्यक नहीं होगा।

## अध्याय 10

### निरीक्षण द्वारा साक्ष्य

(Evidence by Inspection)

अनु० 128—तथ्या का पता लगाने के लिए यदि आवश्यक हो तो न्यायालय साक्ष्य का एक निरीक्षण (Inspection of Evidence) कार्यान्वित कर सकता है।

अनु० 129—निरीक्षण के सदर्भ में, शरीर की परीक्षा, शव का विच्छेदन, कब्र का उत्खनन (opening of grave), वस्तुओं का विनाश अथवा अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

अनु० 130—सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, किसी व्यक्ति के निवास अथवा पगिसर, भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयानों में, निरीक्षण के लिए, उनके अधिभोक्ता (occupants) या पालक या उनके स्थान पर काम करने वाले व्यक्तियों की समति से ही प्रवेश किया जा सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि यह आशका हो कि निरीक्षण की वस्तु सूर्योदय के बाद न मिल सकेगी।

सूर्यास्त के पहले प्रारम्भ किया गया निरीक्षण, सूर्यास्त के बाद भी जारी रखा जा सकता है।

अनुच्छेद 117 में उल्लिखित स्थानों के सबन्ध में, पहले परिच्छेद में उल्लिखित निबन्धन का पालन आवश्यक नहीं।

अनु० 131—शरीर की परीक्षा में लिंग, स्वास्थ्य की दशा, एवं अन्य परिस्थितियों का विचार, अवश्य किया जाएगा और उस व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) की स्वाति वा क्षति न पहुँचे इसके लिए हर उपाय से, विशेषतः निरीक्षण के ढग के चयन में, अवश्य विचार किया जाएगा।

किसी स्त्री की शरीर-परीक्षा में, किसी डाक्टर या अन्य चिकित्सक को उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अनु० 132—न्यायालय, अभियुक्त से भिन्न व्यक्तियों को शरीर-परीक्षा के लिए या तो न्यायालय में या अन्य नामोद्दिष्ट स्थान पर बुला सकता है।

अनु० 133—उस दशा में जबकि पिछले अनुच्छेद के अनुसार आहूत (summoned) व्यक्ति बिना उचित कारण के उपमजान (पेश) न हो तो न्यायालय एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उस पर पाँच हजार पैन तक का अदाण्डिक अथदण्ड (non-penal fine) लगा सकता है और साथ ही उसकी अनुपसजाति (non-appearance) से होने वाले व्यय का प्रतिवर दमे के लिए आदेश दे सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन (immediate) कोकोठु अपील की जा सकती है।

अनु० 134 उस दशा में जबकि अनुच्छेद 132 के अनुसार समन किया हुआ व्यक्ति, बिना उचित कारण के उपसजात न हो तो उसे पाँच हजार पैन तक का अथदण्ड अथवा निरोध से दण्डित किया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद के अपराध करनेवाले व्यक्ति पर परिस्थितियों के अनुसार, अथदण्ड और निरोध दोनों ही दण्ड लगाए जा सकते हैं।

अनु० 135—प्रत्येक व्यक्ति को, जो अनुच्छेद 132 के अनुसार समना (आह्वान) का पालन न करे, फिर से समन किया जा सकता है अथवा प्रस्तुति के अधिपत्र पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

अनु० 136—अनुच्छेद 62, 63 और 65, पचासित परिवर्तन के साथ, अनुच्छेद 132 और पिछले अनुच्छेद के उपबन्धा के अन्तर्गत समनों के सबन्ध में लागू होंगे, जबकि अनुच्छेद 62, 64 66, 67 70 71 और अनुच्छेद 73 का परिच्छेद 1, पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित प्रस्तुति (production) के सबन्ध में लागू होंगे।

अनु० 137—उस दशा में जबकि अभियुक्त अथवा अभियुक्त से भिन्न कोई व्यक्ति बिना समुचित कारण के, शरीर की परीक्षा अस्वीकृत कर दे तो उसे एक व्यवस्था (ruling) द्वारा पाँच हजार पैन तक का अदाण्डिक अथदण्ड (non-penal fine) लगाया जाएगा, और साथ ही उसे उक्त

अस्वीकरण से होनेवाले व्यय का प्रतिफल देने के लिए आदेश दिया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) कोकोफु अपील की जा सकती है।

अनु० 138—प्रत्येक व्यक्ति का, जो बिना समुचित कारण के, शरीर की परीक्षा को अस्वीकृत करे, अधिक से अधिक पांच हजार येन तक का अर्थदण्ड या निरोध का दण्ड दिया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अपराध किया हो, परिस्थितियाँ के अनुसार, अर्थदण्ड एवं निरोध दोनों ही दण्ड दिया जा सकता है।

अनु० 139—उस दशा में जबकि न्यायालय, शरीर-परीक्षा अस्वीकृत करनेवाले व्यक्ति पर अदाण्डिक अर्थदण्ड या अन्य दण्ड लगाना प्रभावशून्य समझे तो वह उसकी अस्वीकृति (refusal) का बिना विचार किए हुए उसकी शरीर की परीक्षा करा सकता है।

अनु० 140—अनुच्छेद 137 के अन्तर्गत अदाण्डिक अर्थदण्ड लगाने अथवा पिछले अनुच्छेद के अन्तर्गत शरीर-परीक्षा के निष्पादन के पूर्व ही, न्यायालय किसी लोच-समाहर्ता की समिति सुनेगा और उस व्यक्ति की आपत्तियों (objections) को निश्चित रूप से जानने के लिए उचित प्रयत्न भी करेगा, जिसकी परीक्षा करनी हो।

अनु० 141—निरीक्षण में, आवश्यकतानुसार, किसी न्यायिक पुलिस नमंचारी का सहायता के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

अनु० 142—अनुच्छेद 112 से 114, 118 और 125 के उपबन्ध, यथाचित परिवर्तन के साथ, निरीक्षण के सवन्ध में लागू होंगे।

## अध्याय 11

### साक्षी की परीक्षा

#### (Examination of Witness)

अनु० 143—इस विधि में अन्यथा विहित दशा को छोड़कर, न्यायालय साक्षी के रूप में किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है।

अनु० 144 यदि कोई व्यक्ति, जो लॉन्-कर्मचारी हो या पहले रह चुका हो, उन तथ्यों के विषय में जानकारी रखता हो जिनके विषय में वह स्वयं, अथवा लॉन्-कार्यालय जिमसे वह संबद्ध हो या पहले रह चुका हो। यह घोषित करे कि वे तथ्य कार्यालयीय रहस्यों से संबन्ध रखते हैं, तो साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा, किसी सक्षम पर्यवेक्षी कार्यालय (competent supervisory office) की समति के बिना नहीं की जा सकती। तथापि, उक्त कार्यालय, उन दशाओं को छोड़कर जिनमें अनुपालन राज्य के प्रधान हितों के प्रतिबल हो, उक्त समति देना अस्वीकृत नहीं कर सकता।

अनु० 145— यदि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित घापणा निम्नलिखित व्यक्तिवा द्वारा की गई हो तो साक्षी के रूप में उनकी परीक्षा प्रभाग 1 में उल्लिखित व्यक्ति के संबन्ध में सदन की समति के बिना, और प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यक्ति के संबन्ध में, मन्त्रिपरिषद् की समति के बिना, नहीं की जाएगी :

(1) वह व्यक्ति, जो प्रतिनिधि-सदन या सभासद्-सदन का सदस्य हो या रह चुका हो,

(2) वह व्यक्ति, जो प्रधान-मन्त्री या राज्य-मन्त्री हो या रह चुका हो।

पिछले परिच्छेद की दशा में, प्रतिनिधि-सदन, सभासद्-सदन या मन्त्रि-परिषद् केवल उस दशा को छोड़कर जबकि अनुपालन राज्य के प्रधान हितों प्रतिबल हो, उक्त समति देना अस्वीकृत नहीं कर सकती।

अनु० 146— कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर देना अस्वीकृत कर सकता है जिसका लक्ष्य स्वयं अपने आपका अभिशस्त (incriminate) करना हो।

अनु० 147— साक्षी ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर देना अस्वीकृत कर सकता है जिमका लक्ष्य निम्नांकित व्यक्तिवा का अभिशस्त करना हो।

- (1) साक्षी का पति या पत्नी, तीसरी संबन्ध-बोटि (third degree of relationship) के अन्दर का रक्त-संबन्धी, अथवा दूसरी संबन्ध-बोटि के अन्तर्गत विवाह-संबन्ध का संबन्धी अथवा वह व्यक्ति जो साक्षी के उपर्युक्त संबन्धियों में से कोई संबन्धी रहा हो,
- (2) साक्षी का सरक्षक, सरक्षण का पर्यवेक्षक या पालक (curator),
- (3) वह व्यक्ति जिसका सरक्षक, सरक्षण का पर्यवेक्षक, अथवा पालक (curator) साक्षी स्वयं हो।

अनु० 148 यद्यपि साक्षी पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित सबन्धों में से सहापराधिया (co-offenders) या सहप्रतिवादियों (co-defendants) में किसी एक या अधिक द्वारा सबद्ध हो तथापि वह उन तथ्या के सबन्ध में उत्तर देना अस्वीकार नहीं करेगा जो सहापराधिया या सहप्रतिवादियों से सबन्ध रखते हैं।

अनु० 149— कोई व्यक्ति जो डाक्टर दन्तचिकित्सक, दाई, उपचारिता, अधिवक्ता एकस्व अभिकर्ता (Patent Agent), लेख्य प्रमाणक या घामिक कार्यकर्ता है या रह चुका है, उन तथ्या के सबन्ध में जिनकी जानकारी उसे किसी प्रादेश (mandate) के फलस्वरूप हुई हो जा उसे अपनी व्यावसायिक दिशा में गिला हो, और जिनका सबन्ध अन्य व्यक्तियों के रहस्यों से हो मौखिक साक्ष्य देना अस्वीकृत कर सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा यदि मुख्य (मुख्य) ने समति दे दी है अथवा जबकि मौखिक साक्ष्य को अस्वीकृति का केवल अधिकार के दुरुपयोग से अतिरिक्त और कुछ न समझा जाए जिसका उद्देश्य अभिमुक्त का हित मात्र है। जबकि वह मुख्य अपराधी न है अथवा कोई विशेष परिस्थितियाँ हो जिनका निश्चय न्यायालय-नियमों द्वारा किया जाएगा।

अनु० 150— यदि कोई समन किया गया साक्षी बिना उचित कारण के उपसजात होने में असमर्थ रहे तो उसे, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा अधिक से अधिक पाँच हजार येन तक का अदाण्डिव अर्थदण्ड (non-penal fine) दिया जा सकता है और साथ ही उसे उसकी अनुपसजाति (non-appearance) से होने वाले व्ययों के प्रतिभर देने का आदेश दिया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) अपील की जा सकती है।

अनु० 151— यदि साक्षी के रूप में समन किया गया कोई व्यक्ति, बिना उचित कारण के, उपसजात होने में असमर्थ रहे तो उसे पाँच हजार येन तक का अर्थदण्ड या निरोध का दण्ड दिया जाएगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित दशा में, परिस्थितियों के अनुसार, अर्थदण्ड और निरोध दोनों की दण्ड लगाए जा सकते हैं।

अनु० 152—ऐसे साक्षी का जा समन का अनुपालन न कर, फिर से समन किया जा सकता है ।

अनु० 153—अनुच्छेद 62, 63 और 65 के उपरान्त, यथाचित परिवर्तन के साथ साक्षी के समन के सवन्ध में लागू हाने जरूरि अनुच्छेद 62, 64 66, 67 70 71 और 73 परिच्छेद 1 के उपरान्त गधी की प्रस्तुति के सवन्ध में ।

अनु० 154 साक्षी का इस विधि में अथवा विहित दशा का छात्र, शपथ दिया जाएगा ।

अनु० 155— शपथ न गमन करने वाले साक्षी की परीक्षा बिना शपथ दिया ही की जाएगी ।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कोई साक्षी (मालती से) शपथ ल किया हो तथापि यह उमरे प्रमाण का सत्य गान्य होने से नही रासना ।

अनु० 156 साक्षी का अपने अनुमाना के विवरण देन के लिए प्रेरित किया जा सकता है जिसे उमने अपने अनुभूत तथ्या से निराग है ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित विवरण प्रमाण के रूप में अपनी मान्यता नही गाने चाह वह विशेषज्ञ साक्ष्य (expert evidence) का रूप में धारण करे ।

अनु० 157 साक्षी का परीक्षा के समय एका-ममाहर्ता अभियुक्त अथवा उमरा प्रतिवाद परामसादाता उपस्थित रहे सकता है ।

पिछले परिच्छेद के अनुसार परीक्षा के समय उपस्थित रहने के अधिकारा व्यक्तिमा के साक्षी की परीक्षा के स्थान एवं निर्दि के सूचना अधिम रूप में दा जाएगी । तथापि यह उम दशा में लागू नही हाणा जे रि परीक्षा के समय उपस्थित रहने का अधिकारी व्यक्ति वही उपस्थित न रहने का अपनी इच्छा व्यापार्य के समन अधिम रूप में स्पष्टत व्यक्त करे ।

जे पत्र परिच्छेद में उल्लिखित व्यक्ति साक्षी की परीक्षा के समय उपस्थित हा ना के निर्णो पीठानीन व्यायाघाश के अधिसूचित करके साक्षी की परीक्षा कर सकते हैं ।

अनु० 158—एक-ममाहर्ता एवं अभियुक्त या उसक प्रतिवाद परामर्श-दाता की समति सुनने के बाद, तथा साक्षी, उसकी आयु, व्यवसाय स्वास्थ्य, अन्य विशेष परिस्थितिया के महत्व एवं बाद के। गुणता पर विचार करत हुए

यायाग्य यदि आवश्यक समझ तो साक्षी का परीक्षा के लिए यायालय से भिन्न किसी स्थान पर समन कर सकता है अथवा वह जहा हो वहा पराग कर सकता है ।

पिछे परिच्छेद में उल्लिखित दगा के अंतगत यायालय लाक-समाहता अभियुक्त और उसके प्रतिवाद परामगदाता को यायालय द्वारा साक्षात् पूछ जाना वाले प्रश्ना को जानने का अवसर जप्रिम रूप में दगा ।

लाकसमाहता अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद परामगदाता पिछे परिच्छेद में उल्लिखित प्रश्ना में प्रमाण अपन प्रश्ना को जान सकता है और उन्हे साक्षात् पूछने के लिए यायाग्य से निवेदन कर सकता है ।

अनु० 159—पिछे अनुच्छेद द्वारा विहित साक्षी को परीक्षा के समय यदि लाकसमाहता अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामगदाता उपस्थित न रहा हो तो यायाग्य लाकसमाहता अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद परामगदाता को साक्षी द्वारा प्रमाणित तथ्य जानने का अवसर दगा ।

उस दगा में जब कि पिछे परिच्छेद में उल्लिखित साक्षात् प्रमाण में अभियुक्त का कोई अप्रमाणित एवं गम्भीर अलाभ है तो वह अथवा उसके प्रतिवाद-परामगदाता यायाग्य से उन विषया के संबंध में जिस वह अथवा उसके प्रतिवाद-परामगदाता प्रतिवाद के लिए आवश्यक समझत है पुन परीक्षा के लिए फिर से निवेदन कर सकते हैं ।

यायाग्य पिछे परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन को खारिज कर सकता है यदि वह उक्त निवेदन को युक्तियुक्त न समझ ।

अनु० 160—यदि कोई साक्षी गपथ न अथवा बिना उचित कारण के प्रमाण दना अस्वीकृत करे तो उस एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर पांच हजार यन तक का अल्पव्यय (non penal fine) एवं साथ ही उक्त अस्वाकृति से होने वाले व्यया के प्रतिफल दान का आदेश दिया जा सकता है ।

पिछे परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन (immediate) कोकोकु अपीठ का जा सकता है ।

अनु० 161—किसी व्यक्ति को गपथ न अथवा बिना उचित कारण के प्रमाण दना अस्वीकृत करने पर पांच हजार यन तक का अल्पदण्ड या निरास का दण्ड दिया जाएगा ।



पिटच परिच्छेद में उल्लिखित दशा के अन्तर्गत परिस्थितियों के अनुसार, अर्थात् एव निरोध दाना ही दण्ड लगाए जा सकते हैं ।

**अनु० 162** न्यायालय एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर, आवश्यकतानुसार साक्षी का किसी नामाङ्कित स्थान पर साथ जाने के लिए आदेश दे सकता है । साक्षी को यदि वह बिना किसी उचित कारण के साथ जाने के आदेश का अनुपालन न करे प्रस्तुत कराया जा सकता है ।

**अनु० 163** उम दशा में जब कि किसी साक्षी की परीक्षा न्यायालय के बाहर करनी हो तो उक्त परीक्षा करने के लिए सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य का प्रेरित किया जा सकता है अथवा जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश का जहाँ वह साक्षी हो, वहाँ (परीक्षा) करने के लिए अध्याचित किया जा सकता है ।

अध्याचित न्यायाधीश अपनी दारी में किसी अन्य जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अध्याचित कर सकता है जिस उक्त अध्याचना स्वीकृत करने का प्राधिकार हो ।

यदि अध्याचित न्यायाधीश को अध्याचना के अन्तर्गत विषय पर स्वयं प्राधिकार न हो तो वह अध्याचना का अन्य जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश के यहाँ अन्तरित कर सकता है जिस उक्त अध्याचना स्वीकृत करने का प्राधिकार हो ।

साक्षी की परीक्षा के सम्बन्ध में राजादिष्ट अथवा अध्याचित न्यायाधीश पीठाधीन न्यायाधीश के न्यायालय से सबद्ध कारवाइयाँ कर सकता है । तथापि अनुच्छेद 150 एवं 160 में उल्लिखित व्यवस्थाएँ (rulings) न्यायालय द्वारा भी की जा सकेंगी ।

पिटच परिच्छेद को छोड़कर अनुच्छेद 158 परिच्छेद 2 और 3 तथा अनुच्छेद 159 द्वारा विहित सभी कार्यवाहियाँ (प्रधान) न्यायालय द्वारा कार्यान्वित की जाएँगी ।

**अनु० 164**—साक्षी यात्रा-व्यय (travelling expenses), दैनिक भत्ता एवं निवास प्रभारों (lodging charges) की माँग कर सकता है । तथापि, वह उम दशा में लागू नहीं होगा, यदि उसने बिना उचित कारण के शपथ लेने अथवा प्रमाणित करने से इन्कार किया हो ।

## अध्याय 12

## विशेषज्ञ साक्ष्य (Expert Evidence)

अनु० 165—न्यायालय विद्वाना एव अनुभव वाले व्यक्तियों को विशेष साक्ष्य (expert evidence) देने के लिए आदेश दे सकता है ।

अनु० 166—विशेषज्ञ साक्षी को शपथ दिलाया जायगा ।

अनु० 167—यदि अभियुक्त की शारीरिक या मानसिक दशाओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता हो, तो न्यायालय, आवश्यकतानुसार, अभियुक्त को किसी औपचारिक या अन्य उपयुक्त स्थान में, निश्चित अवधि तक परिच्छेद रख सकता है ।

पिछले परिच्छेद के अनुसार अभियुक्त का परिच्छेद रखने के लिए परिरोध का एक प्रादेश (writ) जारी किया जाएगा ।

इस विधि में अन्यथा विहित दशा का छाड़कर, निरोध-मगरी उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पहल परिच्छेद में उल्लिखित परिरोध के सम्बन्ध में लागू हामे । तथापि, यह जमानती निर्मुक्ति से सबद्ध उपबन्धों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे ।

अनु० 168—विशेषज्ञ साक्ष्य के लिए आवश्यकतानुसार, कार्ट विशेषज्ञ साक्षी, न्यायालय की अनुमति से, किसी व्यक्ति के निवाता, परिमन, भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयानों में प्रवेश कर सकता है, शरीर की परीक्षा (जाँच) कर सकता है, शव का विच्छेदन कर सकता है, समाधि उग्राड सकता है, अथवा वस्तुओं को तोड़ या विनष्ट कर सकता है ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति देने पर, न्यायालय अनुमति का एक अधिपत्र जारी करेगा जिसमें अभियुक्त का नाम, अपराध, स्थान जिसमें प्रवेश करना हो, शरीर, जिसकी परीक्षा करनी हो, शव जिसका विच्छेदन करना हो, समाधि जिसे उखाड़ना हो, वस्तुएँ जिन्हें विनष्ट करना हो, विशेषज्ञ साक्षी का नाम तथा न्यायालय के नियमों द्वारा विहित अन्य विषय लिखित रहेंगे ।

न्यायालय किसी व्यक्ति (शरीर) की परीक्षा के लिए कुछ उपबन्धों को विहित कर सकता है जिन्हें वह न्यायालय युक्तिरगन समझे ।

विशेषज्ञ माश्री अनुमति का अधिपत्र उम व्यक्ति का दिखलाएगा जिस पर पत्र परिच्छेद में उल्लिखित कारवाई हुई है।

पिठक तीन परिच्छेदों के उपबन्ध विशेषज्ञ माश्री द्वारा न्यायालय-वृद्ध में की जाने वाली पत्र परिच्छेद में उल्लिखित कारवायों के मन्त्र में नहीं लागू होंगे।

अनुच्छेद 131, 137, 138 और 140 के उपबन्ध यथाचित परिवर्तन के साथ, पत्र परिच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी विशेषज्ञ माश्री द्वारा की गई शरीर की परीक्षा के मन्त्र में लागू होंगे।

अनु० 169—न्यायालय, महारानी न्यायालय के किसी मन्त्र का विशेषज्ञ साक्ष्य देने के लिए आवश्यक कारवाई करने का प्रेरित कर सकता है। तथापि यह अनुच्छेद 167, परिच्छेद 1 में विहित कारवायों के मन्त्र में लागू नहीं होगा।

अनु० 170—विशेषज्ञ माश्री द्वारा की जाने वाली परीक्षा या जांच के समय लाक-गमाहती या प्रतिबाद-अगमशदाना उपस्थित रह सकते हैं। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 157 परिच्छेद 2 के उपबन्ध, यथाचित, परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

अनु० 171 प्रभुति में मन्त्र उपबन्धों का छाडकर, पिठक अध्याय के उपबन्ध, यथाचित परिवर्तन के साथ, विशेषज्ञ साक्ष्य के मन्त्र में लागू होंगे।

अनु० 172—वह व्यक्ति, जिसका शरीर-परीक्षा, अनुच्छेद 168, परिच्छेद 1 के अनुसार किसी विशेषज्ञ माश्री द्वारा की जाने वाली है, यदि परीक्षा देने में इकार करे तो विशेषज्ञ माश्री परीक्षा के लिए किसी न्यायाधीश से निवेदन कर सकता है।

पिठके परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन पर, न्यायाधीश, आवश्यक परिवर्तन के साथ अध्याय 10 की व्यवस्थाओं के अनुसार, शरीर की परीक्षा कर सकता है।

अनु० 173—विशेषज्ञ माश्री अपने यात्रा-व्यय, दैनिक भत्ते एवं निवाम खर्च के साथ ही साथ अपनी सभति एवं परिवार्य की प्रतिपूर्ति के मूल्य की मांग कर सकता है।

अनु० 174—उस दशा में जब कि किसी व्यक्ति की परीक्षा, उन भूत-कालीन तथ्यों के सबंध में की गई हो, जिन्हें वह अपने विशेष-ज्ञान के कारण जानता हो, तो इस अध्याय के उपबन्धों के बदले पिछले अध्याय के उपबन्ध ही कार्यकर होंगे।

## अध्याय 13

### अर्थ-निर्वाचन एवं अनुवाद

( Interpretation and Translation )

अनु० 175— उस दशा में जब कि किसी ऐसे व्यक्ति में विवरण लेना ही जा जापानी भाषा में प्रयोग न हो ता एक भाषान्तर करने वाल (द्विभाष) को अर्थ-निर्वाचन के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अनु० 176—उस दशा में जब कि किसी अधिकार या मूल में विवरण लेना ही ना किसी अर्थ-निर्वाचक का अर्थ लगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

अनु० 177 वण, चिह्न या संकेत जा जापानी भाषा में न हो अनुदित कराए जा सकते हैं।

अनु० 178 पिछले अध्याय के उपबन्ध, यथाचित परिवर्तन के साथ, अर्थ-निर्वाचन एवं अनुवाद के सम्बन्ध में लागू होंगे।

## अध्याय 14

### साक्ष्य का परिचक्षण

( Preservation of Evidence )

अनु० 179—अभिप्रेत, सदिग्ध अथवा उमका प्रतिवाद-प्रमाणदाता, जब ऐसे कारण हो जिनमें साक्ष्य का अधिक परिचक्षण न होने पर, साक्ष्य का उपयोग दुष्कर हो जाय, पहले लाह-विचारण के पूर्व ही, न्यायाधीश में अभि-प्रहण, तत्रासी, निरीक्षण द्वारा साक्ष्य, साक्षी की परीक्षा अथवा विशेषज्ञ साक्ष्य जैसी कार्रवाइयों के करने का निवेदन कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में विहित निवेदन का प्राप्त करने वाले न्यायाधीश को वही अधिकार होगा जैसा किसी पीठामौन न्यायाधीश के न्यायालय को उमकी कार्रवाइयों के सबंध में होता है।

अनु० 180—वार्ड लाव समाहर्ता तथा प्रतिवाद-परामर्शदाता, न्यायालय में पिछड़े अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित कारंवाइया स सबद्ध साक्ष्य के अशा एव प्रत्येका (documents) का निरीक्षण एव उसकी प्रतिलिपि कर सकते हैं। तथापि, यदि प्रतिवाद-परामर्शदाता को साक्ष्य के अशा की प्रतिलिपि करना हा तो उसे न्यायाधीश की अनुमति लनी होगी।

अभियुक्त या सदिश्य न्यायालय में न्यायाधीश की अनुमति स, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित प्रकृता एव साक्ष्य के अशा के निरीक्षण कर सकते हैं। तथापि यह उम दशा में लागू नहीं होगा जब कि अभियुक्त या सदिश्य को बोर्ड प्रतिवाद-परामर्शदाता सौंपा गया हा।

## अध्याय 15

### विचारण के परिचय

(Costs of Trial)

अनु० 181—दण्ड के उद्घोषित किए जाने पर, विचारण के परिचय का पूरा या वार्ड अश अभियुक्त से चाज (बमूठ) किया जाएगा।

वार्ड दण्ड उद्घोषित किए जाने पर भी, यह परिचय, जो ऐसे कारण से उत्पन्न हुआ हो, जिसे अभियुक्त पर आरोपित किया जा सके, अभियुक्त से बमूठ किया जाएगा।

उस दशा में जब कि केवल लोड-समाहर्ता ने ही अपील की हो और वह अमीठ ग्यारिज की गई या वापस ले ली गई हो तो अपील से सबद्ध परिचय अभियुक्त पर नहीं लगाए जाएंगे।

अनु० 182—सहापर्राधिया के विरुद्ध विचारण का परिचय, उन सहा-पर्राधिया पर इस तरह लगाया जाएगा जिस के शयुक्त और प्यक् एप से चहन करे।

अनु० 183—यदि, उम दशा में जबकि उस अभियाग में निर्दोषिता या विमुक्ति हा कोई निर्णय दिया गया हो जिस पर लाव-कारंवाई परिव्राद, अभियाजन या निवेदन से हुई हो, परिव्रादकर्ता, अभियोक्ता या निवेदक ने असद्भाव (in bad faith) या घार प्रमादवश कार्य किया हा ता विचारण का परिचय उसी पर लगाया जाएगा।

अनु० 184—कार्यवाही के पुनर्विचार की माँग या अपील के सबंध में, जो लाक-समाहर्ता में भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा वापस ले ली गई हो, अपील या कार्यवाही के पुनर्विचार में सबद्ध परिव्यय उक्त व्यक्ति पर लगाए जाएंगे।

अनु० 185—जबकि उम अभियोग में, जिसमें कि कार्यवाहियाँ निर्णय द्वारा समाप्त कर दी गई हो, विचारण का परिव्यय अभियुक्त पर लगाया जाने वाला हो तो उक्त परिव्यय के विषय में निर्णय पदेन (ex-officio) किया जाएगा। ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील केवल तभी की जा सकती है जब कि मुख्य विषयो (principal matters) के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा चुकी हो।

अनु० 186—जबकि उम अभियोग में जिसमें कि कार्यवाहियाँ निर्णय द्वारा समाप्त कर दी गई हो, अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति पर विचारण के परिव्यय लगाए जाने वाले हो तो इसके लिए एक पृथक् व्यवस्था (ruling) पदेन जारी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आमत्र कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 187—जबकि उम अभियोग में विचारण का परिव्यय चार्ज करने हो, जिसमें कि कार्यवाहियों की समाप्ति (termination) निर्णय में भिन्न तरह की गई हो तो इसके लिए उम न्यायालय द्वारा, जिसमें कि अभियोग अंत में लम्बित हो, एक व्यवस्था (ruling) पदेन जारी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आरत कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 188—यदि, किसी निर्णय में, विचारण के परिव्यय वहन किए जाने के लिए आदेश किया गया हो, (किन्तु) परिव्यय की राशि निश्चित न की गई हो तो वह उम लाक-समाहर्ता द्वारा निश्चित की जाएगी जो इसके निष्पादन का निदेश करने वाला हो।

## दूसरा खण्ड

### प्राथमिक व्यवहार (First Instance)

#### अध्याय 1

#### परिप्रश्न (जाँच) एवं अनुसंधान (Inquiry and Investigation)

अनु० 189—राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस (National Rural Police) के मदस्य अथवा स्वायत्तशासी सत्तावा (Autonomous Entities) के किनो पुलिस की, विधि द्वारा अथवा राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग (National Public Safety Commission), अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग (Prefectural Public Safety Commission), नगर (City), पौर (Town) ग्राम्य (Village) लोक सुरक्षा आयोग के अथवा सबद्ध स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग (Special Ward Public Safety Commission) के विनियमों (regulations) द्वारा प्राविष्टन हाकर न्यायिक पुलिस कर्मचारी के रूप में अपना कर्तव्य करना होगा।

न्यायिक पुलिस कर्मचारी जब यह समझे कि कोई अपराध किया गया है तो उन्हें अपराधी और उगसे भद्र साक्ष्य वा अनुसंधान करना होगा।

अनु० 190 - उन व्यक्तियों को, जिन्हें वन विभाग (forestry), रेलवे या अन्य विशेष विषयों में न्यायिक पुलिस कर्मचारी के कृत्य करने हो, उनके कृत्यों के क्षेत्र का विधान अन्य विधि द्वारा किया जाएगा।

अनु० 191—लोक-समाहर्ता, यदि आवश्यक समझे, किसी अपराध का अनुसंधान स्वयं कर सकता है।

किसी लोक-समाहर्ता के अनुदेशानुसार, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, किसी अपराध का अनुसंधान करेगा।

अनु० 192—आपराधिक अनुसंधान (Criminal Investigation) के विषय में, लोक-समाहर्ताओं एवं अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग (Prefectural Public Safety Commission), नगर (City), पौर

(Town) या ग्राम्य (Village) लोक-सुरक्षा आयोग (Public Safety Commission) स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग (Special Ward Public Safety Commission) तथा न्यायिक पुलिस कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय रहेगा।

अनु० 193 वार्ड लोक-समाहर्ता अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों का उनके अनुसंधान के विषय में आवश्यक सुझाव दे सकता है। उक्त सामान्य सुझाव आपराधिक अनुसंधान की मुख्य आवश्यकताओं के मानकों (Standards) के निर्धारण तक ही सीमित रहेंगे और जा (मानव) लोक-न्यायवाही के स्थापन एवं पुष्टीकरण के लिए आवश्यक होंगे।

लोक-समाहर्ता अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों को ऐसे सामान्य अनुदेश भी जारी कर सकता है जो उनका अनुसंधान में सहायता देने के लिए आवश्यक है।

लोक-समाहर्ता, जबकि वह स्वयं किसी अपराध का अनुसंधान करता हो, आवश्यकतानुसार, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों का अनुदेश दे सकता है और उन्हें अनुसंधान में सहायता करने का प्रेरित कर सकता है।

पिछले तीन परिच्छेदों की दशाओं में, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों को लोक-समाहर्ता के सुझावों एवं अनुदेशों का अनुसरण करना होगा।

अनु० 194—महा-समाहर्ता (Procurator General), उच्च लोक-समाहर्ता-न्यायालय का अधीक्षक-समाहर्ता (Superintending Procurator) या जिला-लोक-समाहर्ता-न्यायालय का प्रधान (Chief), उन दशाओं में जबकि न्यायिक पुलिस कर्मचारी, बिना उचित कारण के, लोक-समाहर्ता के सुझावों एवं अनुदेशों का अनुसरण न कर सकें, यदि आवश्यक समर्थता उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई अथवा उनके हटाए जाने के संबंध में आरोप (Charges) फाइल कर सकता है, यदि वे ऐसे न्यायिक पुलिस कर्मचारी हों जो राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस (National Rural Police) के सदस्य या स्वायत्तशासी सत्ताओं (Autonomous Entities) के पुलिस हों तो, या तो राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग, अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग, नगर, पौर या ग्रामीण लोक-सुरक्षा आयोग अथवा स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग में या उन व्यक्ति के यहाँ, जिसे अनुशासनिक कार्रवाई



का अधिकार हो, आरोप फाइल कर सकता है, अथवा उनसे हटाए जाने के लिए, यदि वे राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस कर्मचारियों या स्वायत्तशासी सत्ताओं के कर्मचारियों से भिन्न न्यायिक पुलिस कर्मचारी हैं, कार्रवाई कर सकता है।

राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग, अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग, नगर, पौर या ग्रामीण लोक-सुरक्षा या स्पेशल घाई लोक-सुरक्षा आयोग या वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस कर्मचारियों तथा स्वायत्तशासी सत्ताओं के पुलिस कर्मचारियों से भिन्न न्यायिक पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई देने या उन्हें हटाने का अधिकार हो, जब वे यह समझें कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आरोप साधारण हैं ता आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध, जैसा विधि द्वारा विहित हो, अनुशासनिक कार्रवाई करें या उन्हें हटा दें।

अनु० 195—लोक-समाहर्ता और लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, आवश्यकता पड़ने पर, अनुसंधान के लिए अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर भी अपने कर्तव्य कर सकता है।

अनु० 196—लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, न्यायिक पुलिस कर्मचारी, प्रतिवादन-परामर्शदाता और अन्य व्यक्तियों को जिनके कर्तव्य आपराधिक अनुसंधान से संबद्ध हैं, संदिग्ध (suspect) या अन्य व्यक्तियों की ख्याति का क्षति न पहुँचाने और आपराधिक अनुसंधान के प्रशासन में हस्तक्षेप न करने के प्रति सावधान रहना आवश्यक है।

अनु० 197—अनुसंधान के संधर्ष में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक जांच की जा सकती है। तथापि, अतिवायं कार्रवाइयाँ, उन दशाओं को छोड़कर जिनमें उनके लिए इस विधि में विशेष उपबन्ध हो, प्रवर्तित नहीं की जाएंगी।

सार्वजनिक कार्यालयों या सार्वजनिक या वैयक्तिक सत्ताओं से अनुसंधान से संबद्ध आवश्यक विषयों का विवरण देने के लिए माँग की जा सकती है।

अनु० 198—लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव एवं न्यायिक पुलिस कर्मचारी किसी संदिग्ध को, यदि आपराधिक अनुसंधान के अनुसरण में आवश्यक हो, अपने कार्यालय में उपसजात होने के लिए आदेश दे सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं। तथापि, संदिग्ध, उस दशा को छोड़कर जबकि वह बन्दीकरण या निरोध में हो, उपसजात होने से इकरार कर सकता है, अथवा उपसजात होने के बाद किसी समय वापस जा सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित गृच्छा (questioning) की दशा में, सदिग्ध को अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर सकता है।

सदिग्ध (suspect) का वक्तव्य एक नयाचार (Protocol) में लिया जाएगा।

सदिग्ध अपने सत्यापन (verification) के लिए पिछले परिच्छेद में उल्लिखित नयाचार का निरीक्षण करेगा अथवा वह उसके सामने पढा जाएगा और यदि वह उसमें कुछ बदलाने, घटाने या बदलने का प्रस्ताव करे तो उसके टिप्पण नयाचार में दर्ज किए जायेंगे।

यदि सदिग्ध, यह सकारता है कि नयाचार की अन्तर्वस्तुएँ ठीक हैं तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने एवं सील करने के लिए कहा जा सकेगा। तथापि, उस दशा में लागू नहीं होगा जबकि सदिग्ध ऐसा करने से इन्कार करे।

अनु० 199—अपराध सदिग्ध द्वारा ही किया गया है इस शका का कार्ड युक्तियुक्त पर्याप्त कारण रहने पर कोई लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी किसी न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जारी किए गए वन्दोकरण के अधिपत्र पर उसे वन्दो कर सकता है। तथापि, पाँच हजार येन तन के अर्थदण्ड, निरोध या छोटे अर्थदण्ड द्वारा दण्डनीय अपराध के मन्त्रण में उक्त वन्दोकरण केवल उसी दशा में हो सकेगा जबकि सदिग्ध का कोई निश्चित निवास न हो या यह पिछले परिच्छेद के उपयन्त्रों के अनुसार बुलाए जाने के बावजूद बिना समुचित कारण के उपसजान होने में असफल रहे।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित वन्दोकरण का अधिपत्र, किसी लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जारी किया जाएगा।

पहले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र को माँग करते हुए, लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस कर्मचारी उस सदिग्ध के विरुद्ध उसी अपराध के लिए पहले किए गए सभी निवेदनों या अधिपत्रों के निर्गमों (issuance) को, जो कोई हो, न्यायालय को सूचित करेगा।

अनु० 200 वन्दोकरण के अधिपत्र में सदिग्ध का नाम एवं निवास, अपराध का नाम, सदिग्ध-अपराध के प्रमुख तथ्य, लोक-कार्यालय या अन्य स्थान जहाँ उसे लाना हो, प्रभावी (effective) अवधि और यह विवरण

कि इस अवधि के बीत जाने पर बन्दीकरण नहीं किया जा सकता और यह कि अधिपत्र जारी करनेवाले न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा जारी होने की तिथि और अन्य विषय जो न्यायालय नियमा द्वारा विहित हैं तथा अधिपत्र जारी करनेवाले न्यायाधीश का नाम एवं उसकी मुहर रहेगी।

अनुच्छेद 64 के परिच्छेद 2 और 3 के उपबन्ध यथोचित परिवर्तन के साथ, बन्दीकरण के अधिपत्र के साथ में लागू होंगे।

अनु० 201 जब किसी बन्दीकरण के अधिपत्र पर सदिग्ध का बन्दी किया जाय तो अधिपत्र उसे दियाया जाएगा।

अनुच्छेद 73, परिच्छेद 3 के उपबन्ध यथाचिन्त परिवर्तन के साथ उस दशा में भी लागू होंगे जहाँ सदिग्ध बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किया जायगा।

अनु० 202 जब लोक-समाहर्ता-न्यायालय का सचिव या न्यायिक पुलिस सिपाही न बन्दीकरण के अधिपत्र पर किसी सदिग्ध का बन्दी किया है तो पहला (=लोक-समाहर्ता-न्यायालय का सचिव) उस (सदिग्ध को) लोक-समाहर्ता एवं दूसरा (=न्यायिक पुलिस सिपाही) उसे न्यायिक पुलिस अधिकारी के समक्ष अविश्वस्य प्रस्तुत करेगा।

अनु० 203—जब किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी ने बन्दीकरण के अधिपत्र पर किसी सदिग्ध का बन्दी किया हो या बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किए गए सदिग्ध को प्राप्त किया हो तो वह उसे अपराध के प्रमाण तथ्या का, तथा वह प्रतिवाद-परामर्शदाता चुनने का अधिकारी है इस तथ्य को अविश्वस्य सूचित करेगा और तब, उस स्पष्टीकरण देने का अवसर देते हुए वह उन सदिग्ध का जब कि उसे निरुद्ध करने की आवश्यकता न समझे अविश्वस्य निर्मुक्त करेगा अथवा साक्ष्य एवं प्रलेखों के साथ सदिग्ध का, उसके अवरोध में लाए जाने के अड्डतालीस (48) घण्टे के अन्दर यदि उसे निरुद्ध करना आवश्यक समझे, किसी लोक-समाहर्ता के यहाँ अन्तर्लिखित करने को कार्रवाई कर सकता है।

पिछले परिच्छेद की दशा में, सदिग्ध से यह पूछा जाएगा कि उसके पास प्रतिवाद परामर्शदाता है या नहीं, यदि उसके पास हो तो उसे प्रतिवाद परामर्शदाता चुनने के अधिकार की सूचना देना आवश्यक नहीं है।

यदि सदिग्ध, पहले परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि के अन्दर अन्तर्गत नहीं कर दिया जाता तो उसे अविलम्ब निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

अनु० 204—जब किसी लाख-समाहर्ता ने बन्दीकरण के अधिपत्र पर किसी सदिग्ध का बन्दी किया है या बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किए गए सदिग्ध का प्राप्त किया हो (वैसे सदिग्ध का छाड़कर जा पिछले अनुच्छेद के अनुसार मीपा गया है) तो वह उस अपराध के प्रमुख तथ्या और वह परामर्शदाता चुनने का अधिकारी है—इस तथ्य को अविलम्ब सूचित करना और तब उस स्पष्टीकरण देने का अवसर देने हुए वह उस सदिग्ध का, जब कि उस निरद्ध करने की आवश्यकता न समझे अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा, अथवा उसके अवरोध में लाए जाने के अडनालीस (48) घण्टे के अन्दर, यदि उसे निरद्ध करना आवश्यक समझे उस निरद्ध करने के लिए किसी न्यायाधीश से निवेदन करेगा। तथापि, उस दशा में जब कि कालावधि के अन्दर कोई लाख-वारंवाई संस्थित की जा चुकी है तो निराध के लिए निवेदन आवश्यक नहीं।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि के अन्दर निराध के लिए निवेदन अथवा लाख-वारंवाई की संस्थिति न की गई हो तो सदिग्ध अविलम्ब छोड़ दिया जाएगा।

पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, इस अनुच्छेद के परिच्छेद 1 की दशाओं के सबध में लागू होंगे।

अनु० 205—जब किसी लोक-समाहर्ता ने अनुच्छेद 203 के उपबन्धों के अनुसार सौंप गए किसी सदिग्ध का प्राप्त किया हो तो वह सदिग्ध का स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा और उसे निरद्ध करने की आवश्यकता न समझने पर, अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा अथवा सदिग्ध का निरद्ध करने की आवश्यकता समझने पर, वह उस (सदिग्ध) के प्राप्त करने के चौबीस (24) घण्टे के अन्दर उसका निरद्ध करने के लिए किसी न्यायाधीश से निवेदन करेगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि, सदिग्ध को, अवरोध में लाए जाने के बाद, बहतर (72) घण्टे से अधिक नहीं होगी।

उस दशा में जब कि पिछले दो परिच्छेदों द्वारा विहित कालावधि के अन्दर कोई लाख-वारंवाई संस्थित की जा चुकी हो तो लोक-समाहर्ता द्वारा निराध के लिए निवेदन करना आवश्यक नहीं।

यदि निरोध के लिये निवेदन या लाक-कार्रवाई की सस्थिति, पहल और दूसरे परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि व अन्दर न की जा सके तो सदिग्ध अविलम्ब निर्मुक्त कर दिया जायगा।

अनु० 206—उस दशा में जब कि अनिवार्य परिस्थितिया ने लाक-समहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी का पिछले तीन अनुच्छेदों में विहित कालावधि के अनुपादन करने से, राक दिया हा ता लाक-समाहर्ता उनके आवारा के सम्भावित प्रमाण देकर, सदिग्ध का निरुद्ध करने के लिये न्यायाधीश से निवेदन कर सकता है।

निवेदित न्यायाधीश, जैसा कि पिछले परिच्छेद में विहित है, निराध का अधिपत्र तत्र तर जारी नहीं करेगा जबतक कि उसे यह ज्ञान न हा जाय कि अनिवार्य परिस्थितिया के कारण उक्त विलम्ब हुआ है।

अनु० 207—पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित निराध के लिये निवेदन प्राप्त करने वाले न्यायाधीश का वही अधिकार होगा जा कि किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश का उसकी कार्यवाही के सबध में होता है। तथापि यह जमानती निमुक्त के सबध में लागू नहीं होगा।

पिछल परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन पाने पर न्यायाधीश तुरन्त निराध का अधिपत्र जारी करेगा। तथापि जब उस ज्ञात हो जाय कि निरोध का कोई आधार नहीं है अथवा पिछल अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के उपबन्धों के अनुसार निरोध का अधिपत्र जारी नहीं किया जा सकता तो वह निराध का अधिपत्र बिना जारी किये ही सदिग्ध का निर्मुक्त करन के लिये अविलम्ब आदेश देगा।

अनु० 208—उस अभियोग बाद के सवन्त्र में जिसमें कि सदिग्ध का पिछले अनुच्छेद के उपबन्धा के अनुसार निरुद्ध किया गया हो, जब निरोध के निवेदन किये जाने के दस दिन के अन्दर कोई लाक-कार्रवाई सस्थित न की गई हो तो लोह-समाहर्ता सदिग्ध का अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा।

कोई न्यायाधीश, अनिवार्य परिस्थितिया के रहने पर लाक-समाहर्ता के निवेदन पर, पिछल परिच्छेद में विहित अवधि को बढ़ा सकता है। ऐसे अवधि के बढ़ाव या बढ़ावों का योग, किसी भी रूप में, दस दिन स लम्बा (अधिक) नहीं होगा।

अनु० 209—अनुच्छेद 74, 75 और 78 के उपबन्ध, यथाचित परिवर्तन के साथ बन्दीकरण के अधिपत्र के अन्तगत किये गए बन्दीकरण के मन्त्र में लागू होंगे।

अनु० 210—जब प्राण-दण्ड, असीमित काल के लिये या कम से कम तीन वर्ष या उससे अधिक की चरम अवधि के बढोरथम कारावास, या कारावास द्वारा दण्डनीय अपराध के सपादन की आमङ्का के पर्याप्त आधार हैं और यदि, उक्त साथ ही किसी न्यायाधीश में अतीव अविलम्बिता के कारण बन्दीकरण का अधिपत्र पढे न लिया जा सके, तो लाक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-न्यायिक या सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, उसके हनुआ के विवरण (Statement of reasons) पर सदिग्ध का पकड सकते हैं। ऐसी दशाओं में, न्यायाधीश से बन्दीकरण का अधिपत्र प्राप्त करने के उपाय अविलम्ब किये जायेंगे। यदि बन्दीकरण का अधिपत्र जारी न किया गया हो तो सदिग्ध अविलम्ब निमुक्त कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 200 के उपबन्ध, यथाचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित बन्दीकरण के अधिपत्र के साथ में लागू होंगे।

अनु० 211—उस दशा में जब कि कोई सदिग्ध, पिछले अनुच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार बन्दी किया गया हो, अनुच्छेद 199 की व्यवस्थाओं के अनुसार बन्दी किये गए सदिग्ध से सबद्ध व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 212—यह व्यक्ति जो कोई अपराध कर रहा हो या जिसने तुरन्त किया हो कुख्यात अपराधी (flagrant) कहा जाएगा।

यदि निम्नान्वित में से किसी प्रभाग के अन्तर्गत आनेवाला कोई व्यक्ति, उन परिस्थितियों के अन्तर्गत हो जा स्पष्टत यह सूचित करें कि अपराध तुरन्त ही का किया गया है तो उसे कुख्यात अपराधी (flagrant) समझा जाएगा -

- (1) वह व्यक्ति, जिसका पीछा बहुत शोर-मुल के साथ किया गया हो,
- (2) वह व्यक्ति, जो असद् रूप से प्राप्त (ill-gotten) माल, हथियार या अन्य वस्तुओं को, जितना प्रयाग प्रत्यक्षत अपराध में हुआ हो, ले जा रहा हो,

(3) वह व्यक्ति जिसके शरीर या वस्त्रों पर अपराध के द्योतक पड़ते हुए चिह्न हों,

(4) वह व्यक्ति, जो ललकारने पर भागने का प्रयत्न करे।

अनु० 213—बाई भी व्यक्ति कुख्यात अपराधी (flagrant) को बिना अधिपत्र के ही बन्दी कर सकता है।

अनु० 214—जब लोक-समाहर्ता लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी से भिन्न किसी व्यक्ति ने कुख्यात अपराधी (flagrant) को बन्दी किया हो तो वह अपराधी को अविलम्ब किसी जिला या स्थानीय लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस कर्मचारी का सौंप देगा।

अनु० 215 जब किसी न्यायिक पुलिस सिपाही ने किसी कुख्यात अपराधी को मुपुदगी पाई हो तो वह उसे तत्काल न्यायिक पुलिस अधिकारी को सौंप देगा।

अपराधा को मुपुदगी पानेवाला न्यायिक पुलिस सिपाही, बन्दी करनेवाले व्यक्ति का नाम और निवास तथा बन्दी करने का कारण निश्चित करेगा। आवश्यकानुसार, वह बन्दी करनेवाले व्यक्ति को तत्संबद्ध सरकारी कार्यालय या लोक-कायालय तक अपने साथ ले जा सकता है।

अनु० 216—अनुच्छेद 199 के अनुसार बन्दी किए गए सदिग्ध से संबद्ध उपबन्ध बन्दी किए गए कुख्यात अपराधी (flagrant) के संबंध में यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

अनु० 217—पाँच सौ पैसे तक के अयदण्ड, निरोध या छोटे अयंदण्ड द्वारा दण्डनीय कुख्यात अपराध (flagrant offence) के संबंध में अनुच्छेद 213 से 216 तक के उपबन्ध केवल उसी दशा में लागू होंगे जबकि अपराधी का नाम या निवास अज्ञात हो या अपराधी के निकल भागने की आशंका हो।

अनु० 218—लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी किसी न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए अधिपत्र पर, अपराध के अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार, अभिग्रहण, तलाशी एवं साक्ष्य का निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसी दशा में, शरीर की जाँच के लिए कार्यान्वित अधिपत्र पर ही शरीर की जाँच की जाएगी।

उस दशा में जबकि कोई सदस्य शारीरिक अवरोध में हो, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र के बिना भी उसका अंगुली-छाप (finger-prints) या पद-चिह्न लिया जा सकता है, उमकी ऊँचाई या भार मापा जा सकता है, या उसके चित्र लिए जा सकते हैं, किन्तु वह (स्त्री या पुरुष) विवक्ष्य (नग्न) नहीं किया जा सकता।

पहले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र, लाक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी की माँग पर ही जारी किए जा सकेंगे।

लाक-समाहर्ता, लाक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी, शरीर की जाँच के लिए अधिपत्र का निवेदन करत समय, शरीर लिए एवं शारीरिक अवस्थाओं और अन्य विषयों की जाँच की आवश्यकता का कारण अवश्य दिखलाएगा, जो न्यायालय-नियमों द्वारा विहित है।

कोई न्यायाधीश शरीर की जाँच के लिए कुछ प्रतिबन्ध लगा सकता है जिसे वह युक्ति-युक्त समझे।

अनु० 219—पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र में, सदस्य या अभियुक्त का नाम एवं अपराध का नाम, अभिगृहीत की जानेवाली वस्तुएँ, स्थान, शरीर या वस्तुएँ जिनकी तलाशी लेनी है, स्थान और वस्तुएँ जिनका निरीक्षण करना हो, व्यक्ति जिसकी जाँच करनी हो, शरीर की जाँच में मद्दत प्रतिबन्ध, प्रभावी (effective) अवधि, यह विवरण कि अभिगृहण, तलाशी या साक्ष्य का निरीक्षण उक्त अवधि के दान जाने पर किसी भी तरह नहीं किया जाएगा और अधिपत्र न्यायालय का वापस कर दिया जाएगा, तथा जारी किए जाने की तिथि के साथ ही साथ न्यायालय-नियमों द्वारा विहित अन्य विषय, जो अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश का नाम एवं उसके मुद्राव रहेंगे।

अनुच्छेद 64 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथांचित परिवर्तन के माध्यम, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र के सम्बन्ध में लागू होंगी।

अनु० 220—उन दशाओं में जहाँ कि लाक-समाहर्ता, लाक-समाहर्ता कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी अनुच्छेद 199 के अनुसार किसी सदस्य को बन्दी (गिरफ्तार) करता है या जहाँ वह किसी कुख्यात अपराधी (flagrant offender) को बन्दी करता है, वहाँ वह आवश्यकतानुसार,



निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है। यही नियम, आवश्यकतानुसार, अनुच्छेद 210 के अनुसार बद्री किए गए मसिख के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

- (1) किसी व्यक्ति के निवास या परिसर, भवन या व्यक्तिगत द्वारा नक्षित जठ्याना में प्रवेश करना तथा मसिख को ढूँढना,
- (2) बद्रीकरण व स्यान का अभिग्रहण, निरोक्षण या उसका तलाशी करना।

पिठर परिच्छेद के उत्तर भाग (latter part) में उल्लिखित दशा में, यदि रन्दीकरण का अधिपत्र न पाया जा सके तो अभिगृहीत वस्तुओं का अधिपत्र गेटा दिया जायगा।

पहरे परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई के लिए अधिपत्र की आवश्यकता नहीं।

परिच्छेद 1 के प्रभाग 2 एवं पिठर परिच्छेद की व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ उन दशा में लागू होंगी जहाँ कि लाक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी प्रस्तुति या निराध का अधिपत्र निष्पादित करे। परिच्छेद 1 के प्रभाग 1 की व्यवस्थाएँ भी यथाचित परिवर्तन के साथ उन दशा में लागू होंगी जहाँ कि मसिख के विरुद्ध जारी किया गया प्रस्तुति या निराध का अधिपत्र निष्पादित किया जाय।

अनु० 221—लाक-समाहर्ता लाक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी उन वस्तुओं का, जो मसिख या अन्य व्यक्तिगत द्वारा छोड़ दी गई हैं या उनका जा उनसे स्वामी, अधिकता या अभिरक्षक द्वारा स्वतः प्रप्तुन की गई है, रख सकता है।

अनु० 222 अनुच्छेद 99, 100, 102 से 105, 110 से 112, 114, 115 और 118 से 124 तक की व्यवस्थाएँ यथाचित परिवर्तन के साथ, अनुच्छेद 218, 220 और 221 के अनुसार किसी लाक-समाहर्ता, लाक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी के सम्बन्ध में लागू होंगी। अनुच्छेद 110, 112, 114, 118, 129, 131 और 137 से 140 तक की व्यवस्थाएँ यथाचित परिवर्तन के साथ, अनुच्छेद 218 या 220 की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी लाक-समाहर्ता, लाक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्या-

न्यून साक्ष्य के निरीक्षण के सम्बन्ध में लागू होगी। तथापि, वार्ट न्यायिक सिपाही (Judicial constable), अनुच्छेद 122 से 124 तक के अनुच्छेदों में विहित कार्रवाई कार्यान्वित नहीं कर सकता।

अनुच्छेद 220 की व्यवस्थाओं के अनुसार सदिग्ध की तलाशी की दशा में, अनुच्छेद 114 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाओं का अनुपालन अविचलितता की स्थिति में, आवश्यक नहीं।

अनुच्छेद 116 और 117 की व्यवस्थाएँ पर्याप्त परिवर्तन के साथ, लोक-समाहर्ता लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा अनुच्छेद 218 की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी के सम्बन्ध में लागू होगी।

कोई लोक-समाहर्ता लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी मूर्खदय व पहले और मूर्खदय के बाद, अनुच्छेद 218 की व्यवस्थाओं के अनुसार निरीक्षण द्वारा साक्ष्य लेने व अभिप्राय में किसी व्यक्ति के निवास, परिसर भवन या व्यक्तिगत द्वारा रक्षित जलयान में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि अधिनियम में यह विवरण न हो कि इस रीति में भी कार्यान्वित किया जा सकता है। तथापि, यह अनुच्छेद 117 में उल्लिखित स्थलों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।

उस दशा में जब कि निरीक्षण द्वारा साक्ष्य लेना मूर्खदय के पट्ट शुरू हो गया हो तो कार्रवाई मूर्खदय के बाद भी जारी रखी जा सकती है।

उस दशा में जब कि कोई लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, अनुच्छेद 218 की व्यवस्थाओं के अनुसार अभिग्रहण, तलाशी या साक्ष्य का निरीक्षण करे, आवश्यकतानुसार सदिग्ध का उपस्थित कराया जा सकता है।

उस दशा में जब कि कोई व्यक्ति गरीब की जांच कराना अस्वीकार करे, उस पर अदाशित अर्थदण्ड (non-penal fine) लगाया जायगा अथवा उसे, पहले परिच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार उसके अस्वीकरण से जाने वाले परिणामों के प्रतिफल के लिए आदेश दिया जायगा, ऐसी कार्रवाइयों के लिए निवेदन न्यायालय में किया जायगा।

अनु० 223—लोकसमाहर्ता, लोकसमाहर्ता-कार्यालय के सचिव, एवं न्यायिक पुलिस कर्मचारी सदिग्ध के अनिश्चित अन्य किसी व्यक्ति को अपने कार्यालयों

में उपसजात होने के लिए जादें दे सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं या उसे, यदि जापगधिक अनुसंधान में आवश्यक है, एक विशेषज्ञ (expert) के रूप में अपनी सम्मति देने या अर्थनिर्वाचक (Interpreter) या भाषान्तरकार (translator) के रूप में कार्य करने का निवेदन कर सकते हैं।

अनुच्छेद 198 परिच्छेद 1 एव इसी के नामरे से पाँचवें परिच्छेद तक के उपबन्ध, यथाचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद द्वारा विहित दशा में लागू होंगे।

अनु० 224—उन दशाओं में जहाँ कि पिछले अनुच्छेद परिच्छेद 1 के अनुसार किसी विशेषज्ञ साध्य के लिये निवेदन किया गया हो और अनुच्छेद 167 परिच्छेद 1 द्वारा विहित उपाय आवश्यक हो ता लाकममार्हता, लाक-समार्हता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी, उल्लिखित उपायों के लिये न्यायाधीश से निवेदन करेगा।

यदि वह पिछले परिच्छेदों में उल्लिखित निवेदन की तरंगममन समझे ता न्यायाधीश उन्हीं उपायों का कार्यान्वित करेगा जा अनुच्छेद 167 की दशा में है।

अनु० 225—वह व्यक्ति, जिससे अनुच्छेद 223 परिच्छेद 1 के अनुसार विशेषज्ञ सम्मति देने के लिये निवेदन किया गया है, न्यायाधीश की अनुमति से, अनुच्छेद 168 परिच्छेद 1 द्वारा विहित उपायों का कार्यान्वित कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति, लाक-समार्हता, लाक-समार्हता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी द्वारा मांगी जायेगी।

जब न्यायाधीश पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति की मांग की तर्कसमन समझे ता वह इसे, एक अनुमति का अधिपत्र जागी करके, प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 168 के परिच्छेद 2 में 4 एव 6 की व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति के अधिपत्र के सबन्ध में लागू होंगी।

अनु० 226—जब कोई व्यक्ति, जो अपराध के अनुसंधान के लिये आवश्यक जानकारी प्रत्यक्ष रखता हो किन्तु उपसजात होने या अनुच्छेद 223 के परिच्छेद 1 के अनुसार परीक्षा में उक्त जानकारी को स्वतः प्रकट करना

अस्वीकार करे ता लाक-समाहर्ता किसी न्यायाधीश से बाद के लोब विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि के पहले ही एर साक्षी के रूप में उससे पूछ-ताछ करने का निवेदन कर सकता है ।

अनु० 227—जब यह विश्वास करने के कारण हो कि उस व्यक्ति पर, जिसने लाक-समाहर्ता, लाक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा अनुच्छेद 223 परिच्छेद 1 के अनुसार परीक्षा (examination) के अवसर पर स्थच्छया सूचना दी, लाक-विचारण के अवसर पर प्रमाण (testimony) में उक्त वक्तव्य (statement) वापस लेने या बदलने के लिये दबाव डाला जा सकता है और जब उक्त प्रमाण अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिये आवश्यक भासित हा ता लाक-समाहर्ता बाद के ज्ञान-विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि के पहले ही किसी न्यायाधीश को एक साक्षी के रूप में उस व्यक्ति से पूछताछ करने का निवेदन कर सकता है ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन करते समय लाक-समाहर्ता को उक्त पूछताछ (interrogation) की आवश्यकता के कारणों का प्रवृत्त प्रमाण और अभियुक्त के अपराध का सिद्ध करने के लिये उसकी वितान्त आवश्यकता का प्रमाण देना होगा ।

अनु० 228 पिछले दो अनुच्छेदों द्वारा विहित निवेदन जिस न्यायाधीश से यहाँ किया जायगा उसे वही प्राधिकार होगा जा किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश को साक्षियों की परीक्षा (examination) के सन्ध में हाता है ।

न्यायाधीश यदि समझे कि यह आपराधिक अनुसंधान के अनुमरण में बाधक नहीं होगा ता वह अभियुक्त, सदिग्ध या उमके प्रतिवाद-नरामसंदाता का, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित परीक्षा के अवसर पर, उपस्थित होने का प्रेरित कर सकता है ।

अनु० 229—अप्राकृतिक मृत्यु (unnatural death) से मरे हुए या जिसके विषय में अप्राकृतिक मृत्यु से मरने का संदेह हो उम व्यक्ति की मरीक (शव) मिलने पर जिग या स्थानीय लाक-समाहर्ता-कार्यालय का लाक-समाहर्ता, जिगके अधिशार-क्षेत्र में वह स्थान हो जहाँ शव पाया गया हो, अन्वीक्षण (inquest, जव भी जाँच) करेगा ।

लोन-महाहर्ता, लोन-महाहर्ता-न्यायालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी से पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई करा जाता है ।

अनु० 230— किसी अपराध के परिणामस्वरूप अपहृत (धन injured) व्यक्ति परिवार कर सकता है ।

अनु० 231—अपहृत पक्ष (injured party) का वैध प्रतिनिधि अपना स्वतंत्र परिवार कर सकता है ।

अपहृत-पक्ष की मृत्यु पर उसका पति या पत्नी, उसने कभीय सम्पत्तियों में से कोई अथवा भाई या बहन परिवार कर सकते हैं किन्तु अपहृत पक्ष के स्पष्ट आशय (intention) के विरुद्ध नहीं ।

अनु० 232—जहाँ अपहृत-पक्ष का वैध प्रतिनिधि मदिग्य, मदिग्य का पति या उसकी पत्नी, (spouse), मद्य की तीसरी कोटि के अंदर का रक्त-सखी या मदिग्य का तीसरी कोटि के अंदर आने वाला बन्धुता का मक्की हो तो अपहृत-पक्ष का मक्की स्वतंत्र परिवार कर सकता है ।

अनु० 233—किसी मृत-व्यक्ति की मानहानि के अपराध के सबय में उसका सम्बन्धी या वंशज परिवार कर सकते हैं ।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ यहाँ भी नियंत्रण करेंगी जहाँ मानहानि के अपराध के सम्बन्ध में अपहृत-पक्ष जिना परिवार किये ही मर गया हो । तथापि, अपहृत-पक्ष के अभिव्यक्त आशय के विरुद्ध कोई परिवार नहीं किया जायगा ।

अनु० 234 —यदि परिवार पर अभियोजनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में परिवार करने वाला कोई व्यक्ति न हो तो किसी वद्वहित (interested) व्यक्ति के प्रायंत्याग पर, लोन-महाहर्ता किसी व्यक्ति को नामोदिष्ट कर सकता है या परिवार कर सके ।

अनु० 235—परिवार पर अभियोजनीय किसी अपराध के सबय में, अपराधों की जानकारी होने की तिथि से छ मास बीत जाने के बाद कोई परिवार नहीं किया जायगा । तथापि यह दण्ड संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 232 परिच्छेद 2 के अनुसार किसी विदेशी शक्ति (foreign power) के प्रतिनिधि द्वारा किये जाने वाले परिवार या दण्ड-संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 230 या 231 में उल्लिखित जापान का भेजे गए किसी विदेशी मिशन (Foreign mission) के विरुद्ध अपराध के सम्बन्ध में उक्त मिशन द्वारा किये जाने वाले परिवार के सबेद में लागू नहीं होगा ।

दण्ड-महिला (Penal Code) के अनुच्छेद 229 का व्यवस्था (Proviso) में अवधित वाद का परिवाद तब तक मान्य (valid) नहीं होगा जब तक कि विवाह का प्रभावहान या रद्द घोषित करने का नियम अटल (irrevocable) हान का निधि मछ माम के अन्दर न किया जाय।

अनु० 236—जहाँ परिवाद करने के दो या अधिक अधिकारी व्यक्ति हो वहाँ उनमें से एक द्वारा परिवाद की अवधि के अनुपात का जनमधना दूसरे के प्रति प्रवर्तित नहीं होगी।

अनु० 237—लाक-आयवाह के सम्बन्ध में किये जाने के पक्ष किमा भी समय परिवाद वापस लिया जा सकता है।

अपने परिवाद वापस करने वाले व्यक्ति का अन्य परिवाद करने से वाधित किया जायगा।

निष्ठ या परिच्छेदों का प्रवस्थापन यथाचित परिवर्तन के माघ मांग (demand) पर लिये जाने वाले अभियाग में का गद माग के समय में लागू होगा।

अनु० 238—परिवाद (Complaint) पर अभियाजनाय अलग में एक या उसमें अधिक सह-अपरगधिया (Co-offenders) के विरुद्ध किया गया परिवाद या उसका प्रत्याहरण (withdrawal) दूसरे सह-अपरगधिया के सम्बन्ध में भी वायकर होगा।

निष्ठ परिच्छेदों की व्यवस्था, यथाचित परिवर्तन के माघ मांग (demand) या अभियाजन (accusation) पर लिये जाने वाले अभियाग के मध्य में किये गये अभियाजन या माग या उसका प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में लागू होगी।

अनु० 239—काठ व्यक्ति जिसे यह विश्वास है कि कोई अपराध किया गया है अभियाजन कर सकता है।

जब काठ सरकार या राज-वमचारों अपने कार्यों के सम्पादन में यह विश्वास कर कि कोई अपराध किया गया है तो उस अभियाजन अवश्य करना होगा।

अनु० 240—परिवाद प्रतिपत्रा (proxy) द्वारा किया जा सकता है। यहाँ नियम परिवाद के प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

अनु० 241—परिवाद का अभियाजन लिखित या मौखिक रूप में किसी राज-समाहता या न्यायिक पुस्तक अधिकारी के यहाँ किया जायगा।

किसी मौखिक परिवाद या अभियोजन के छे लेने पर लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी एक नयाधार (Protocol) तैयार करेगा।

अनु० 242—किसी परिवाद या अभियोजन के ल गने पर न्यायिक पुलिस अधिकारी प्रलेख (documents) एव उनसे सबूत साधय का अग लोक-समाहर्ता का तुरन्त अग्रेपिन (forward) करेगा।

अनु० 243—पिछठ दो अनुच्छेदा की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ, परिवाद या अभियोजन के प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में भी लागू हागी।

अनु० 244 दण्ड-संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 232 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाआ के अनुसार किसी विदेशी शक्ति (foreign power) के प्रतिनिधि द्वारा किया जाने वाला परिवाद या उसका प्रत्याहरण (withdrawal) इस विधि (law) के अनुच्छेद 241 तथा पिछठे अनुच्छेद की व्यवस्थाआ के विचार किये बिना परराष्ट्र शक्तों के यहाँ किया जा सकता है। यही नियम दण्ड-संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 230 या 231 में उल्लिखित जापान का भेजे गए किसी विदेशी मिशन (mission) के विरुद्ध अपराध के लिये उन मिशन द्वारा किये जाने वाले परिवाद या उनके प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में लागू-होगा।

अनु० 245—अनुच्छेद 241 एव 242 का व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, आत्म प्रत्याख्यान (self-denunciation) के सम्बन्ध में लागू हागी।

अनु० 246—इस विधि में अन्यथा विहित दशा का छोडकर, जब किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी ने किसी अपराध का अनुसधान किया हो ता वह उस अभियोग को, प्रलेख एव साधय के अशा के साथ लोक-समाहर्ता के यहाँ भेज देगा। तथापि, यह उस अभियोग के सम्बन्ध में लागू नहीं हागा जा लोक-समाहर्ता द्वारा विशेष रूप से नामोहित किया गया हो।

## अध्याय 2

### लोक-कार्यवाही

#### (Public Action)

अनु० 247—लोक-कार्यवाही लोकसमाहर्ता द्वारा सस्वियन की जायगी।

अनु० 248—यदि अपराधी के चरित्र, आयु एव स्थिति, अपराध की

गुन्ना परिस्थिति जिनमें अपरात्र किया गया है, और अपराध-सम्पादन के बाद की दशाओं पर विचार करने के बाद, अभियोजन (Prosecution) अनावश्यक समझा जाय ता उस-कार्यवाही समाप्त की जा सकती है ।

अनु० 249—उस-समाप्ति द्वारा नामादृष्ट, अभियुक्त से भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध उस-कार्यवाही कार्यरत नहीं होगी ।

अनु० 250—भागाधिकार (Prescription) निम्नलिखित अवधियों के बीच जाने पर पूरा होगा

- (1) प्राण-दण्ड पाने योग्य अपरात्र के लिये, पन्द्रह वर्ष,
- (2) अनिश्चित अवधि वाट कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपरात्रों के लिये, दस वर्ष
- (3) कम न कम दस वर्ष की चरम अवधि (maximum term) के कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपरात्रों के लिये सात वर्ष
- (4) अधिक से अधिक दस वर्ष की चरम अवधि के कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपरात्रों के लिये, पाँच वर्ष ,
- (5) पाँच वर्ष से कम की चरम अवधि के कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास के दण्ड या अर्धदण्ड पाने योग्य अपरात्रों के लिये, तीन वर्ष ,
- (6) निरोध या छोटे अर्धदण्ड पाने योग्य अपरात्रों के लिए, एक वर्ष ।

अनु० 251—जहाँ तक दो या अधिक प्रधान दण्डों (principal penalties) में से एक अथवा दो या अधिक प्रधान दण्डों के एक साथ आरोपण (Concurrent imposition) द्वारा दण्डनीय अपरात्रों का सत्रध है, पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (उनमें से) गुरुतम दण्ड (heaviest penalty) के सम्बन्ध में लागू होंगी ।

अनु० 252—जहाँ दण्ड संहिता (Penal Code) के अनुसार दण्ड बढ़ाना या कम करना है ता अनुच्छेद 250 की व्यवस्थाएँ, इस तरह न बढ़ाए गए या कम न किए गए दण्ड के सम्बन्ध में ही लागू होंगी ।

अनु० 253—भागाधिकार (prescription) उस समय से आरम्भ हो जायगा जबकि आपराधिक कृत्य समाप्त हुआ ।



हो या अधिन व्यक्तिवा द्वारा सामूहिक रूप में (cojointly) किए गए अपराध के सम्बन्ध में भोगाधिकार की अवधि सभी सह-अपराधियों (co-offenders) के लिए उसी समय से आरम्भ हो जायगी जबकि अन्तिम कृत्य (final act) समाप्त हुआ।

अनु० 254—अभियोग के विरुद्ध लोक-कार्यवाही के सन्धित हो जाने पर भोगाधिकार रद्द जाएगा और उस समय आरम्भ हो जावेगा जब क्षेत्राधिकारिक अक्षमता (jurisdictional incompetency) अधिमूर्चित करने वाला या लोक-कार्यवाही को खारिज (रद्द) करने वाला कोई निणय अन्तिम रूप में बन्धनकारी (finally binding) हो गया हो। तथापि, यह उन अभियोगों में नहीं लागू होगा जिनमें लोक-कार्यवाही की संस्थिति (institution of public action), अनुच्छेद 271 के परिच्छेद 2 के अनुसार अपनी मान्यता (validity) ला चकी हो।

सह-अपराधियों (co offenders) में से एक के विरुद्ध सन्धित लोक-कार्यवाही द्वारा किया गया भोगाधिकार का विराम (cessation) अन्य सह-अपराधियों के विरुद्ध भी प्रभावी होगा तथा रद्द हुआ भोगाधिकार अभियोग के निर्णय के अन्तत बन्धनकारी (finally binding) हो जाने पर फिर दुरु हो जायगा।

अनु० 255 उस अवधि में भोगाधिकार चालू नहीं रहेगा जिसमें कि अपराधी जापान व बाहर रहे या वह अपने को इस तरह छिपा ल कि उस अन्वयारोपण (indictment) की एक प्रति तामील करना असम्भव हो जाय।

जापान से अपराधी को अनुपस्थिति या उसका छिप जाना, जिससे कि उसे अन्वयारोपण (indictment) की प्रति तामील करना असम्भव हो गया हो, सिद्ध करने के लिए आवश्यक विषय न्यायालय के नियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

अनु० 256—लोक-कार्यवाही की संस्थिति न्यायालय को एक लिखित अन्वयारोपण (written indictment) फाइल करने व द्वारा की जायगी।

लिखित अन्वयारोपण में निम्नलिखित विषय रहेंगे —

- (1) अभियुक्त (accused) का नाम तथा अन्य विषय, जो अभियुक्त को निर्दिष्ट करने में आवश्यक हों,
- (2) आरोपित अपराध के घटक तथ्य,
- (3) आरोप,

आरापित अपराध के घटक तथ्यो वा स्पष्ट विवरण निर्दिष्ट गणना (counts) के रूप में दिया जाएगा जिसमें अपराध के समय, घटना-म्यल तथा उमके टग वा जानकारी के अनुसार, अवश्य वर्णन किया जाएगा ।

आरापा वा वर्णन उन विधिया एव अध्यादशो के लागू होने वाले अनुच्छेदो की गणना द्वारा किया जाएगा जिनका अभियुक्त ने उल्लघन किया हा । तथापि उक्त अनुच्छेदो की गणना मवधी गलतियाँ (errors), लाक-कार्यवाही की सम्थिति की मान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी, यदि उनके द्वारा अभियुक्त के प्रतिपाद में कोई सारवान् प्रतिरूल प्रभाव उत्पन्न करने की आसना न हो ।

अनेक गणका (counts) और लागू हाने वाले अनुच्छेद वैकल्पिक (alternative) वा यौगिक (conjunctive) रूप में उल्लिखित किए जा सक्त है ।

काई भी साक्ष्य-विषयक लख वा अन्य वस्तु वा न्यायाधीश वा पूर्वनिर्णय (Prejudication) करने में साधक हो सक, लिखित अम्यारापण में न ता अनुबद्ध को जायगो और न निर्दिष्ट की जायगो ।

अनु० 257—लाक-कार्यवाही प्राथमिक न्यायालय (first instance) से निणय दिण जाने से पहले वापस लो जा सक्ती है ।

अनु० 258—यदि लाक-समाहर्ता यह समझे कि प्रस्तुत अभियोग उसके निजी लाक-समाहर्ता-कार्यालय से सबद्ध न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता तो वह उक्त अभियोग को प्रलेप्यो एव साक्ष्य के असा के सहित, क्षमता-शील न्यायालय से सबद्ध किसी लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लाक-समाहर्ता के पास भेज देगा ।

अनु० 259—जब किसी लोक-समाहर्ता ने लोक-कार्यवाही न मस्थित करने के लिए कोई कार्रवाई किया हो तो वह सदिय्य के निवेदन करने पर उगे उक्त तथ्य की सूचना अविलम्ब देगा ।

अनु० 260—यदि किसी अभियोग के सपथ में जिसमें परिवार (complaint), अभियोजन (accusation) वा मांग (demand) की गई हो, लाक-कार्यवाही मस्थित की गई हो अथवा इसके मस्थित न किए जाने की कार्रवाई की गई हो तो उक्त तथ्य की सूचना लाक-समाहर्ता द्वारा परिवारो (complainant) अभियाक्ता (accuser) वा मांग करने वाले व्यक्ति को तत्काल दी जाएगी । यही नियम उस दसा में भी लागू हागा जहाँ लोक-

कारवाई वापस ले ली गई है अथवा अभियोग दूम्परे लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता के यहाँ भेज दिया गया हो ।

अनु० 261—यदि किसी अभियोग के सम्बन्ध में जिसमें परिवार अभियोजन या माँग की गई हो लोक-कायवाही सम्बन्धित न करने का कारवाई की गई है तो परिवारों अभियोजन या माँग करने वाले व्यक्ति के निवृत्त पर लोक-समाहर्ता उन्हें उक्त कारवाई के कारण की सूचना तत्पत्र देगा ।

अनु० 262 यदि किसी अभियोग में जिसके सम्बन्ध में दण्डसंहिता (Penal Code) के अन्तर्गत 193 से 196 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित अपराधों में से कोई अभियोजन या परिवार किया गया हो और परिवारों या अभियोजन लोक-समाहर्ता द्वारा लोक-कायवाही सम्बन्धित न करने का कारवाई से अमन्य हो तो वह अभियोग को किसी न्यायालय में विचारणाय (for trial) सौंपने के लिए उसे जिला-न्यायालय में प्राथना पत्र दे सकता है जिसके द्वारा अथवा अन्तर्गत उक्त लोक-समाहर्ता-कार्यालय जाता है। जिसमें से वह लोक-समाहर्ता हो ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित प्राथना-पत्र लोक-कायवाही सम्बन्धित न करने के लिए वाग्वैध करने वाले लोक-समाहर्ता के यहाँ उल्लिखित प्राथना-पत्र के हर में अनुच्छेद 260 में उल्लिखित सूचना के प्राप्त करने के सात दिनों के अन्दर दिया जाएगा ।

अनु० 263 पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्राथनापत्र अनुच्छेद 262 की व्यवस्था (ruling) कार्यान्वित की जाने के पहले वापस लिया जा सकता है ।

पिछले परिच्छेद में विहित वापसी (with drawal) करने वाला व्यक्ति उसी अभियोग के सम्बन्ध में पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्राथनापत्र को फिर से नहीं दे सकता ।

अनु० 264—अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्राथनापत्र का यदि साधारण समझ तो लोक-समाहर्ता लोक-कायवाही सम्बन्धित करेगा ।

अनु० 265—अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्राथनापत्र पर किसी सहयोगी न्यायालय द्वारा विचारण एवं निष्पत्ति किया जायगा ।

न्यायालय यदि आवश्यक समझ तो सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य को तथ्य के अनुसंधान के लिए प्रेषित कर सकता है या जिला-न्यायालय या

क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश का ऐसा करने के लिए अधिवाचित कर सकता है। ऐसी दशा में राजादिष्ट (commissioned) न्यायाधीश या अधिवाचित (requisitioned) न्यायाधीश का वही प्राधिकार होगा जो किसी न्यायालय के न्यायाधीश या पीठासीन (presiding) न्यायाधीश का होता है।

अनु० 266—अनुच्छेद 262 परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रार्थनापत्र पाने, पर, न्यायालय निम्नांकित वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्था (ruling) जारी करेगा

(1) विधि अथवा अध्यादेश द्वारा निश्चित किये गए प्रपत्र (form) या रूप से प्रतिकूल रूप में दिया गया, या प्रार्थनापत्र देने के अधिकार के सम्प्राप्त हो जाने के बाद दिया गया, या आधारहीन प्रार्थनापत्र स्वीकृत कर दिया जायगा,

(2) यदि प्रार्थनापत्र सुदृढ़ (well-founded) हो तो अभियोग क्षमता-शील जिला-न्यायालय में विचारण के लिये सुपुर्द कर दिया जायगा।

अनु० 267—जब पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) जारी की जा चुकी हो तो अभियोग पर लोक-कार्यवाही नस्यत समझी जायगी।

अनु० 268—जब कोई अभियोग अनुच्छेद 266 प्रभाग 2 की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी न्यायालय में सुपुर्द किया गया हो तो वह (न्यायालय) अधिवक्ताओं (advocates) में से किसी एक का नामोद्दिष्ट करेगा जो लोक-कार्यवाही का संचारण (sustain) करेगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित नामोद्दिष्ट अधिवक्ता, उस अभियोग के निर्णय के अन्तिम रूप में वाध्यकारी (finally binding) होने तक लोक-कार्यवाही के संचारण के लिये, लोक-समाहर्ता के कार्य करेगा। तथापि, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अधिवक्ता किसी लोक-समाहर्ता को, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिवों या न्यायिक पुलिस कर्मचारियों को आपराधिक अनुसंधान के लिये निर्देशित करने की आज्ञा देगा।

पिछले परिच्छेद के अनुसार लोक-समाहर्ता के कार्य करने वाले अधिवक्ता की विधियाँ एवं अध्यादेशों के अनुसार लोक-सेवा (public service) में लगे हुए कर्मचारियों के रूप में समझा जायगा।

न्यायालय, पहले परिच्छेद के अनुसार नामोद्दिष्ट अधिवक्ता के नामोद्देश (designation) को किसी समय निरस्त कर सकता है यदि वह (न्यायालय) समझे कि वह अपने कार्य करने में योग्य नहीं है अथवा कोई दूसरी विशेष परिस्थितियाँ हों।

पहले परिच्छेद के अनुसार नामोद्दिष्ट अधिवक्ता को मत्रि-परिषद् के आदेशों द्वारा निश्चिन भत्ते दिये जायेंगे।

अनु० 269—जब कोई न्यायालय, अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रायोजनापत्र का पारिज कर या प्रायोजनापत्र वापस ले लिया जाय तो न्यायालय, एक व्यवस्था (rule) के आधार पर प्रायोजनापत्र देने वाले व्यक्ति को प्रायोजनापत्र सबी कार्यवाही से हाने वाले परिषदा के पूरे अथवा किसी अंश के प्रतिभर (compensation) देने का आदेश दे सकता है। उक्त व्यवस्था (rule) के विरुद्ध एक आमत (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 270—लोक-कार्यवाही के सस्थित किये जाने के बाद, लोक-समाहर्ता उस अभियोग से सबद्ध साक्ष्य के असा एक प्रलेखा का निरीक्षण एक उनकी प्रतिलिपि कर सकता है।

### अध्याय 3

#### लोक-विचारण (Public Trial)

अनुभाग 1 लोक-विचारण की तैयारी तथा उसकी प्रक्रिया।  
(Preparation for Public Trial and Process of Public Trial)

अनु० 271—लोक-कार्यवाही सस्थित की जाने पर, न्यायालय अभियुक्त को अम्यारोपण (indictment) की एक प्रति अविलम्ब तामील करेगा।

यदि लोक-कार्यवाही सस्थित की जाने के दो मास के अन्दर अम्यारोपण की प्रतिलिपि अभियुक्त को तामील न की जा सके तो लोक-कार्यवाही की सस्थिति की मान्यता निष्क्रियता (retroactively) समाप्त हो जायगी।

अनु० 272—लोक-कार्यवाही के सस्थित हो जाने पर न्यायालय अभियुक्त को अधिसूचिन करेगा कि वह (अपने स्वयं से) अपना प्रतिवाद-परामर्शदाता चुन सकता है, अथवा यदि वह निर्धनता या अन्य कारणों से प्रतिवाद-परामर्श-

दाता न चुन सके ता वह अपने लिये परामर्शदाता नियुक्त करने के लिये न्यायालय में निवेदन कर सकता है। तथापि, यह तब लागू नहीं होगा यदि अभियुक्त के पाम पहले से ही प्रतिवाद-परामर्शदाता हो।

अनु० 273—पीठासीन न्यायाधीश लोक-विचारण (public trial) की तिथि निश्चित करेगा।

लोक-विचारण की तिथि पर अभियुक्त को समन किया जायगा।

असमसाहता प्रतिवाद-परामर्शदाता एवं सहायक (assistant) का लोक-विचारण की तिथि की सूचना दी जायगी।

अनु० 274—यदि अभियुक्त का न्यायालय के उपान्त (precincts) में मिलने पर न्यायालय द्वारा लोक-विचारण की निश्चित तिथि की सूचना दी जाय ता उसे समन का प्रादेश (writ of summons) तामील किया गया समझा जायगा।

अनु० 275—लोक-विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि तथा अभियुक्त का समन का प्रादेश की तामीली में न्यायालय-नियमों द्वारा विहित समुचित अवकाश (reasonable interval) रहेगा।

अनु० 276—न्यायालय पदेन अथवा लोक-समाहता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर, लोक-विचारण के लिये नियत तिथि का बदल सकता है।

जैसा कि न्यायालय-नियमों द्वारा विहित हो, न्यायालय लोक-विचारण की नियत तिथि के बदलने के पहले ही लोकसमाहता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की राय सुनेगा। तथापि, अविलम्बिता (urgency) की स्थिति में यह लागू नहीं होगा।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था (proviso) द्वारा विहित दशाओं में न्यायाध्य लोकसमाहता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता को नई तिथि (new date) पर लोक-विचारण के आरम्भ (commencement) के समय आपत्ति करने का अवसर देगा।

अनु० 277—यदि किसी न्यायालय ने अपने प्राधिकार (authority) के दुरुपयोग के फलस्वरूप लोक-विचारण की तिथि बदल दिया हा तो उस अभियोग से सबद्ध व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय के नियमों (rules) अथवा

अनुज्ञेया (instructions) के अनुसार अन्तर्गती प्रशासनिक नियंत्रण कार्य वाहिया (judicial administrative control proceedings) में उपचार का निष्पन्न कर सकते हैं।

अनु० 278 यदि लोक विचारण के लिए समन किया गया कोई व्यक्ति बीमारी या अन्य कारणों से निम्न स्थिति पर उपसजान न हो सके तो वह 'यायालय नियमा के अनुसार चिकित्सा प्रमाणपत्र (medical certificate) या अन्य साक्ष्य-सामग्री (evidential materials) का 'यायालय में प्रस्तुत करेगा।

अनु० 279—लोक-समाहर्ता अभियुक्त या उसके प्रतिवाक्य-परामर्शदाता के निष्पन्न पर या अपने कोई 'यायालय अन्य गान-कार्यालय या सस्थाओं का चाहें वे साक्ष्य-निर्देश या अस्तिगत हो गान विचारण के लिए आवश्यक विषयों का विवरण देने के लिए आदेश दे सकता है।

अनु० 280 गान-कार्यालय के सस्थित हान के बाद और लोक विचारण की प्रक्रिया निर्देश के पक्ष की निरास मनवी कारवाइया का कार्यभार 'यायाधीन द्वारा दिया जायगा।

अनु० 204 या 205 द्वारा विहित कारवाइया की समाप्ति के पूर्व ही अनुच्छेद 199 या 210 की व्यवस्थाओं के अनुसार वदी विय गए विना साक्ष्य या करण अपराधी (flaunt offender) के विरुद्ध लोक साक्ष्य-सस्थित की जा सके हो और जिस निरोध के अधिपत्र द्वारा निराधिन किया गया हो 'यायालय अभियुक्त का उस पर आरोपित अपराधी का सूचना अधिपत्र देगा और उस पर उसका विवरण (statement) सुनगा और यदि 'यायाधीन निरोध का अधिपत्र जारी न कर तो उस तुरन्त विमक्त करेगा या आदेश अवश्य देगा।

विगत दो परिच्छेदों में उक्तिवित्त 'यायाधीन का वही अधिकार होगा जो विसा 'यायालय या पीठासीन 'यायाधीन (presiding judge) को कारवाइया के समक्ष न होना है।

अनु० 281—अनुच्छेद 158 द्वारा विहित किसी उपबंध (condition) पर विचार करने और लोक-समाहर्ता अभियुक्त या उसके प्रतिवाक्य-परामर्शदाता की राय सुनने के बाद 'यायालय यदि आवश्यक समझ तो लोक विचारण के लिए निम्न स्थिति से भिन्न किसी विधि पर साक्ष्यों की परीक्षा कर सकता है।

अनु० 282 सुनवाई (hearing) किसी न्यायालय-वृक्ष में लोक-विचारण की तिथि पर की जाएगी।

न्यायालय न्यायाधीश (या न्यायाधीशों) और न्यायालय लिपिकों की सम्मेलित (assembled) उपस्थिति तथा लोचनसमाहर्ता की उपस्थिति में सोला जाएगा।

अनु० 283 यदि अभियुक्त कोई न्यायिक व्यक्ति (judicial person) हो तो वह सर्वैव प्रतिपत्नी (proxa) द्वारा उपमजान हो सकता है।

अनु० 284—यदि अम्मारोपित अपराध (offence charged) का दण्ड पाँच हजार येन से अधिक न हो या कोई छोटा अथवा दण्ड हो तो अभियुक्त को उपमजान नहीं होना पड़ेगा। तथापि वह प्रतिपत्नी (proxa) द्वारा उपमजान हो सकता है।

अनु० 285—यदि अम्मारोपित अपराध का दण्ड निराश्रय (detention) हो तो लोक-विचारण की तिथि पर निर्णय दिए जाने समय अभियुक्त को अवश्य उपस्थित रहना पड़ेगा। लोक-विचारण की अन्य किसी भी अवस्था में, जब कि न्यायालय यह समझे कि उनकी उपस्थिति उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, उसे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकता है।

यहाँ अम्मारोपित अपराध (offence charged) का दण्ड अधिक से अधिक तीन वर्षों की चरम अवधि का कठोरश्रम-वारावास या सामान्य वारावास हो अथवा पाँच हजार येन से अधिक का अर्थदण्ड हो, यहाँ अभियुक्त का लोक-विचारण की तिथि पर अनुच्छेद 291 में वर्णित कार्यवाहियों के अवसर पर तथा निर्णय दिए जाने के समय अवश्य उपस्थित रहना होगा। लोक-विचारण की अन्य अवस्था में, पिछले परिच्छेद का अन्तिम भाग (last part) लागू होगा।

अनु० 286—पिछले तीन अनुच्छेदों द्वारा अन्यथा विहित दशाओं के अतिरिक्त, अभियुक्त के उपस्थित न रहने पर लोक-विचारण नहीं किया जाएगा।

अनु० 287 लोक-विचारण के न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को तब तक किसी तरह के शारीरिक अवरोध में नहीं रखा जाएगा जब तक कि वह कोई हिसक प्रयोग या निवृत्त भागने का प्रयत्न नहीं करता।

तथापि, शारीरिक अवरोध (physical restraint) में न ररे जाने की स्थिति में भी अभियुक्त पर आरक्षी (guards) ररे जा सकते हैं।



अनु० 288—पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञत के अतिरिक्त अभियुक्त न्यायालय से नहीं हट सकेगा ।

पीठासीन न्यायाधीश अभियुक्त का न्यायालय में ठहरने एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए (to maintain an order) उचित उपाय कर सकता है ।

अनु० 289 यदि अम्पारापित आगमन का दण्ड प्राप्त-दण्ड अनिर्धारित काठ का या पीठ का या अतिरिक्त चक्रम श्रमिक का अकार्यम-नारायण या सामान्य आगमन है तो उसे विचारण बिना प्रतिवाद-परामसदाता के नहीं किया जाएगा ।

जहाँ प्रतिवाद-परामसदाता उपसज्जत हो या उत अभियोगों में तत्र तत्र प्रतिवाद परामसदाता हुआ ही उ सथा है तबमें उसे विचारण प्रतिवाद-परामसदाता की उपस्थिति के बिना न किया जा सकेगा पीठासीन न्यायाधीश पदेन (ex officio) अभियुक्त के विषये प्रतिवाद-परामसदाता अवश्य नियुक्त करेगा ।

अनु० 290 यदि अनुच्छेद 37 के किसी प्रभाग (section) के अन्तगत दण्ड आ सके किसी में प्रतिवाद परामसदाता उपसज्जत नहीं होता तो न्यायालय, पदेन (ex officio) प्रतिवाद-परामसदाता नियुक्त कर सकता है ।

अनु० 291 लान विदारण के आरम्भ करते समय लान-समाहर्ता द्वारा अम्पारापण (indictment) जा स पड़ा जाएगा ।

अम्पारापण पढ़ जाने के बाद पीठासीन न्यायाधीश अभियुक्त को अवश्य अधिसूचित करेगा कि वह सदैव चुपचाप रह सकता है और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में इनकार कर सकता है तथा न्यायालय नियमा द्वारा विहित अन्य विषयों को भी सूचित करेगा जो अभियुक्त के अधिनारों को सुरक्षा के लिए आवश्यक है और अभियुक्त एवं उसी प्रतिवाद परामसदाता को अभियोग के सम्बन्ध में जरा विवरण देने का अवसर अवश्य देगा ।

अनु० 292—विच्छेद अनुच्छेद द्वारा विहित वायवाही की समाप्ति के बाद साक्ष्य की परीक्षा (examination of evidence) आरम्भ की जाएगी ।

अनु० 293 साक्ष्य की परीक्षा समाप्त होने पर, लान-समाहर्ता तथ्य के विषय में एक विधि के विनियोग (application of law) के सम्बन्ध में अपनी समझ देगा ।

अभियुक्त एवं उसने प्रतिवाद-परामसदाता भी अपनी समझ देंगे ।

अनु० 294—लाभ विचारण के लिए नियत तिथि पर मुनवाई (hearing), पीठासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में की जाएगी।

अनु० 295 पीठासीन न्यायाधीश (अभियुक्त या छाड़कर माँगों एवं दूसरा के विषय में) पूछे गए किसी भी प्रश्न अथवा विचारण से सबद्ध व्यक्तियाँ द्वारा दिए गए किसी विवरण (statement) का विवरणित कर सकता है यदि वे अनावश्यक रूप से दुहराए गए हों वाद-पद से असंबद्ध हों अथवा किसी भी तरह घातक न हों वही तब जहाँ तक कि यह (विवरणित) उन व्यक्तियों के मुख्य अधिकारों का हानि न पहुँचाए।

यही नियम उम दगा में भी लागू होगा जहाँ विचारण से सबद्ध व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त से प्रश्न किया जाय।

अनु० 296 लाभसमाहर्ता साक्ष्य की परीक्षा करने के बाद बतलाएया कि वह क्या प्रमाणित करने की प्रत्याशा रखता है। तथापि, वह जग्राह्य मामलों पर आधुन अथवा साक्ष्य के रूप में न देने योग्य विषयों पर आधुन वाद ऐसा विवरण नहीं देगा जो न्यायालय में पक्षपात (prejudice) करने में साधक हो अथवा कोई प्रतिस्पर्ध प्रभाव (prejudication) उत्पन्न कराने वाला हो।

अनु० 297—जहाँ तक साक्ष्य की परीक्षा की प्रक्रिया (process) का सम्बन्ध है न्यायालय लाभसमाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता का समति मुनने के बाद, उमका क्षेत्र, प्रथम एवं प्रणाली निर्धारित करेगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्यवाही का कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय अपने किसी भी मह्यार्गी सदस्य का प्रेरित कर सकता है।

न्यायालय, किसी भी समय जब वह उचित समझे, लाभ-समाहता और अभियुक्त अथवा उमके प्रतिवाद-परामर्शदाता की समति एवं मुझाव मुनने के बाद, पहले परिच्छेद के अनुसार पूर्व निर्धारित साक्ष्य की परीक्षा के क्षेत्र, प्रथम एवं प्रणाली से बदल सकता है।

अनु० 298—लाभसमाहता, अभियुक्त और उमके प्रतिवाद-परामर्शदाता साक्ष्य की परीक्षा के लिए नियेदन कर सकते हैं।

न्यायालय, यदि आवश्यक समझे, साक्ष्य की परीक्षा पदन (ex-officio) कर सकता है।

अनु० 299 किसी माफी, विरोध साक्षी, अर्थनिर्वाचन या अनुवादक की परीक्षा का निवेदन करने के पक्षे, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता अपने विरोधी पक्ष (opposite party) का जयिम रूप में उस व्यक्ति का नाम एवं पता जानने का अवसर देगा। जब कोई दैख्य (documentary) या वास्तविक साध्य (real evidence) परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाय या इसके निरीक्षण के लिए विरोधी पक्ष को जयिम रूप में अवसर अवसर दिया जाएगा। तथापि, यह उस दना में बाधु नहीं होगा यदि विरोधी पक्ष आपत्ति न करे।

साध्य की परीक्षा की व्यवस्था (ruling) पदेन (ex-officio) जारी करने के पक्षे, न्यायालय लोक-समाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की ममति अवश्य मुनेगा।

अनु० 300—लोक-समाहर्ता उन प्रश्नों की परीक्षा का निवेदन अवश्य करेगा जिनका साध्य के रूप में प्रमाण, अनुच्छेद 321 पच्छेद 1, प्रमाण 2 के जयिम भाग की व्यवस्थाओं के अनुसार हो सकता है।

अनु० 301—जहाँ अभियुक्त का वक्तव्य (statement), जिसे अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 324 के पच्छेद 2 की व्यवस्थाओं के अनुसार साध्य-रूप में प्रयुक्त किया जा सके, अप्पारोरेण अरगत की स्वीकृति (confession) हो या उसकी परीक्षा का निवेदन (request) तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अप्पार के घटक तथ्यों का प्रमाणित करने वाले अन्य साध्यों की परीक्षा न हो जाय।

अनु० 302—जहाँ अनुच्छेद 321 से 323 तर या 326 की व्यवस्थाओं के अनुसार साध्य-रूप में प्रयुक्त किए जाने योग्य प्रत्येक अनुसंधान के अभिलेखों (investigation records) के ही अलावा तो लोक-समाहर्ता उन्हें अन्य फाइलों से जहाँ तक हो सके अक्षय करने हुए उनकी परीक्षा का निवेदन करेगा।

अनु० 303—न्यायालय, लोक-विचारण की नियम पर, उन सभी प्रलेखों की परीक्षा (जाँच) करेगा जिनमें साक्षियों या अन्य व्यक्तियों की परीक्षा (examination), अभिग्रहण और तलाशी एवं साध्य के निरीक्षण के परिणाम (result) तथा लोक-विचारण की तैयारी के मदर्म में प्रलेखीय या वास्तविक साध्य के रूप में अभिग्रहण सभी वस्तुएँ होंगी।

अनु० 304—साक्षियों विशेषज्ञ-साक्षियों, अर्थनिर्वाचका या अनुवादकों की परीक्षा (examination) सर्वप्रथम किसी पीठासीन न्यायाधीश या सह-न्यायाधीश (associate judge) द्वारा की जाएगी।

लाङ्ग-समाहता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता पीठासीन न्यायाधीश या अधिमूर्च्छित करके पिछले परिच्छेद में उल्लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद साक्षिया, विशेषज्ञ-साक्षिया, अर्थनिर्वाचका या अनुवादकों की परीक्षा कर मकर है। उस दशा में जहाँ कि साक्षिया विशेषज्ञ-साक्षिया, अर्थनिर्वाचका या अनुवादकों की परीक्षा लाङ्ग-समाहता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर आरभ की गई हो, वहाँ निवेदन करने वाला व्यक्ति ही उनकी परीक्षा करने वाला पहला व्यक्ति होगा।

न्यायाध्य यदि उचित समझ ता लाङ्ग-समाहता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की समति मुनने के बाद, पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित परीक्षा का क्रम (order) बदल सकता है।

अनु० 305—लाङ्ग-समाहता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता द्वारा किए गए निवेदन पर की जाने वाली लेख्य-साक्ष्यों की परीक्षा के सबंध में पीठासीन न्यायाधीश निवेदन करने वाले व्यक्ति का उन्हें जोर से पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तथापि, पीठासीन न्यायाधीश उन लेख्य-साक्ष्यों को स्वयं जोर से पढ़ सकता है अथवा सह-न्यायाधीश या न्यायालय-लिपिक से ऐसा करा सकता है।

उम दशा में जबकि न्यायालय लेख्य-साक्ष्यों की परीक्षा पदेन (ex-officio) करे तो पीठासीन न्यायाधीश उन लेख्यों का स्वयं जोर से पढ़ेगा या सह-न्यायाधीश अथवा न्यायालय-लिपिक से ऐसा कराएगा।

अनु० 306—लाङ्ग-समाहता, अभियुक्त या उसके परामर्शदाता द्वारा किए गए निवेदन पर की जाने वाली वास्तविक साक्ष्यों (real evidences) की परीक्षा के सबंध में, पीठासीन न्यायाधीश, निवेदन करने वाले व्यक्ति को उन्हें दिखाने के लिए प्रेरित करेगा। तथापि, पीठासीन न्यायाधीश स्वयं उन्हें दिखाने सकता है अथवा किसी सह-न्यायाधीश या न्यायालय-लिपिक से ऐसा करा सकता है।

उम दशा में जबकि न्यायालय वास्तविक साक्ष्यों की परीक्षा, पदेन करे तो पीठासीन न्यायाधीश स्वयं उन्हें विचारण (trial) से मवद्ध व्यक्तियों

को दिनाङ्क अथवा किसी सह-न्यायाधीश या न्यायालय-टिपिन में ऐसा कराएगा।

अनु० 307—अन्य वास्तविक साक्ष्यों में, जिनका सार (purport) प्रमाण का काम दे, प्रमाण (documents) की परीक्षा दोनों ही अनुच्छेद 305 पब पिछड़े अनुच्छेद के अनुसार की जाएगी।

अनु० 308—न्यायालय, लोक-समाहर्ता एव अभियुक्त अथवा उनके प्रतिवाद-परामर्शदाता का साक्ष्य के प्रमाणन मूल्य (probative value) पर आपत्ति करने के लिए आवश्यक उचित अवसर अवश्य प्रदान करेगा।

अनु० 309—लोक-समाहर्ता अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता साक्ष्य की परीक्षा के सम्बन्ध में आपत्तियाँ (objections) मटी कर सकते हैं।

लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उनके प्रतिवाद-परामर्शदाता, लिखित परिच्छेद द्वारा लिखित आपत्तियाँ व अलिखित, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा वायान्वित किसी भी कारणों पर आपत्ति कर सकते हैं।

न्यायालय पिछड़े दो परिच्छेदों के अन्तर्गत की गई आपत्तियों पर एव ध्वज्या (ruling) जारी करेगा।

अनु० 310—लेख-विषय या वास्तविक साक्ष्य, परीक्षा समाप्त हो जाने पर न्यायालय के समक्ष अखिलम्य प्रस्तुत किए जाएंगे। तथापि, जहाँ तक किसी प्रमाण का संबंध है, न्यायालय की अनुमति से मूल के बदले में उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा सकती है।

अनु० 311—विचारण के प्रम में अभियुक्त सर्व्वे धुपचाप रह सकता है या किसी प्रश्न का उत्तर देने में इतना कर सकता है।

जहाँ अभियुक्त स्वेच्छया अपना वक्तव्य (statement) दे तो पीठासीन न्यायाधीश किसी समय आवश्यक विषया (matters) पर प्रश्न कर सकता है।

सह-न्यायाधीश (associate judge), लोक-समाहर्ता, प्रतिवाद-परामर्शदाता, सह-प्रतिवादी (co-defendant) या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता भी, पीठासीन न्यायाधीश को अधिमूर्च्छित कर, पिछड़े परिच्छेद में उल्लिखित दशाओं में अभियुक्त से प्रश्न कर सकते हैं।

अनु० 312 लोक-समाहर्ता के निवेदन पर न्यायालय उसे गणक (count) या अभ्यारापण में उद्घृत दण्डित उपबन्धों (penal provisions) को जोड़ने, वापस लेने या बदलने की अनुमति उस अवस्था तक देगा जहाँ तक कि उसमें अभ्यारापित अपराध (offence charged) की अन्वयता (identity) में हेर-फेर न हो।

न्यायालय जहाँ विचारण की प्रगति के अनुसार उचित समझे, किसी लोक-समाहर्ता को दण्डित उपबन्धों या गणक को जोड़ने या बदलने का आदेश दे सकता है।

जहाँ दण्डित उपबन्ध या गणक जाड़े गए वापस लिए गए या बदले गए हों वहाँ न्यायालय अभियुक्त को जाड़े गए, वापस लिए गए या बदले गए अपराधों की अविलम्ब अधिमूर्चना देगा।

जहाँ न्यायालय को यह विश्वास हो कि अभ्यारापण के दण्डित उपबन्धों या गणक में जाड़ या परिवर्तन के अभियुक्त के प्रतिवाद पर सारवान प्रतिकूल प्रभाव (substantial prejudice) पड़ेगा तो वह अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा लोक-विचारण की प्रक्रिया को उनसे पहले रोक देगा जितने में अभियुक्त अपने पर्याप्त प्रतिवाद के लिए तैयार हो सके।

अनु० 313—न्यायालय जब उचित समझे, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर या पदेन (ex-officio) एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, मौखिक कार्यवाहियों को जलम या सम्मिलित कर सकता है अथवा समाप्त की गई मौखिक कार्यवाहियों को फिर से आरम्भ कर सकता है।

जहाँ अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हो, न्यायालय एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, न्यायालय-निर्णयों के अनुसार मौखिक कार्यवाहियों को पृथक् कर सकता है।

अनु० 314—यदि अभियुक्त विवृतचित्तता की अवस्था (state of unsound mind) में हो तो लोक-विचारण की प्रक्रिया, लोक-समाहर्ता और परामर्शदाता की समति मुनने के बाद, उक्त अवस्था के मान्य (continuance) में, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, रोक दी जाएगी। तथापि, उस दशा में जब कि निर्दोषिता, विमुक्ति, दण्ड-क्षमा या लोक-कार्यवाही के

परितार (dismissal) के नियंत्र देने के स्पष्ट कारण हो तो ऐसा नियंत्र अभियुक्त की उपमजान की रित प्रतीक्षा किए ही मुक्त दिया जाएगा ।

यदि अभियुक्त बीमारी के कारण उपमजान होने में अग्रमय हो तो छोर-विचारण की प्रतीक्षा, न्यायमात्रों और प्रतिपक्ष-परामर्शिता की सम्मति मुक्त के बाद, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा न्यूनतम के लिए रोक दी जाएगी जसका उमका उपमजान होना मभव न हो जाय । तथापि, यह उम दशा में लागू नहीं होगा जहाँ अनुच्छेद 284 और 285 के अनुसार कोई प्रतिपक्षी (proxy) उपमजान कराया गया हो ।

जहाँ किसी अपराध के घटन तथ्यों की गना या अनुभव की प्रमाणित करने के लिए अन्यायमय कोई मार्गी बीमारी के कारण छोर विचारण की विधि पर उपमजान न हो सकता है ना न्यायालय छोर-विचारण की प्रक्रिया का तयता के लिए अवश्य रस दशा जसका कि उमका उपमजान होना मभव न हो जाय, केवल उम दशा का छाडकर जस कि न्यायालय उमकी परीक्षा छोर-विचारण की विधि म अन्य विधियों पर करना उचित समझे ।

विद्यते तीन परिच्छेदों के अनुसार विचारण रोहने के पक्षे न्यायालय किसी विचिन्ना विदोषक (medical expert) की सम्मति मुतेगा ।

अनु० 315—जहाँ छोर विचारण के कारण के बाद ही एक (या अनेक) न्यायाधीश बदल दिया (दिण) गया (गए) हो (हो) ना उमकी कायेंबाही नवीकृत की जाएगी । तथापि, यह उम दशा में लागू नहीं होगा जस कि केवल न्याय निर्णय (judgment) मात्र का उद्घोषित किया जाना ही मभव रस हो ।

अनु० 316—किसी त्रिभु-न्यायालय के अनेके एक न्यायाधीश द्वारा भी प्रचालित कार्यवाहियों प्रभाव-मृत्य नहीं हानी चाहे प्रमृत अभियोग ऐसा भये हो हो त्रिभु किसी महसानी-न्यायालय (collegiate court) में ही विचारण जाना मभव हो ।

## अनुभाग 2 साक्ष्य (Evidence)

अनु० 317—तथ्यों (facts) का पता मादक के आधार पर न्याया जाया ।

अनु० 318 -साक्ष्य का प्रमाणक मूल्य ( probative value ) न्याया-  
धीशा व स्वतंत्र विवेक ( discretion ) पर छोड़ दिया जाएगा ।

अनु० 319- बाध्यता, यन्त्रणा या घमकी द्वारा अथवा लम्बे पन्दीकरण  
या निराश के दाद की गई मस्वीकृति ( confession ) अथवा जिसके  
स्वच्छया न किए जाने का मदह हा ऐसी मस्वीकृति का साक्ष्य में नहीं  
माना जाएगा ।

उम दशा में अभियुक्त का अभिशस्त ( convicted ) नहीं किया जाएगा  
जहाँ उमकी तिजी मस्वीकृति ही चाहे वह खुले न्यायालय में की गई हा या  
नहीं उमक विच्छेद एक मात्र प्रमाण हा ।

पिछर दा परिच्छेदा में उल्लिखित मस्वीकृति में अभियुक्त की वाई भी  
स्वीकृति जा सकती है जा उम अम्पारापित अथवा दापी अभिस्वीकृति  
करे ।

अनु० 320 अनुच्छेद 321 स 328 तक के अनुच्छेदा द्वारा अन्यथा  
विहित दशा के अनिश्चित न ना किसी व्यक्ति द्वारा लाक-विचारण की तिथि  
पर मौगिन रूप में दिए गए वक्तव्य के बदले किसी प्रलख का साक्ष्यरूप में  
प्रयाण किया जाएगा और न अन्य व्यक्ति द्वारा लाक-विचारण की तिथि से  
भिन्न अन्य तिथिया पर दिए गए किमी वक्तव्य का मौगिक विवरण ही साक्ष्य  
रूप में प्रयुक्त होगा ।

अनु० 321—अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिया गया लिखित वक्तव्य  
( written statement ) या प्रलेख ( document ), जिसमें उमका  
वक्तव्य हा और उसी के द्वारा हस्ताक्षरित एक सील किया गया हो, केदल  
निम्नांकित प्रभागों में से किसी के अन्तर्गत होने पर ही साक्ष्य रूप में प्रयुक्त  
हा मरेगा

( 1 ) जहाँ तक उस प्रलेख का मवध है, जिसमें किमी व्यक्ति का न्याया-  
धीश के समक्ष दिया गया वक्तव्य हा, जहाँ कि वह लाक-विचारण की तैयारी  
या लाक-विचारण की तिथि पर, मृत्यु, मानसिक स्थिति की विवृति  
( unsoundness ), लापता होने ( missing ), या जापान के बाहर रहने  
के कारण उपसजात न हो या प्रमाणित न करे अथवा वह शरीर से इतना असमर्थ  
हा कि प्रमाणित न कर सके या जहाँ वह उल्लिखित तिथि पर उपसजात होकर  
अपने पहले के वक्तव्य से किसी रूप में भिन्न प्रमाण दिया हो,



(2) जहाँ तक 'म प्रमाण' का संबंध है तबमें किसी व्यक्ति का लोक समझना व समझ लिया गया वक्तव्य ही जहाँ का लोक विचारण का आधार या लोक विचारण का विधि पर मूयु मानसिक स्थिति का विह्वलन (unsoundness) लागू होता है (misleading) या जापान के बाहर रहने के कारण उपमजान न हो सके या प्रमाणित न कर सके अथवा ग़रार में इतना असमर्थ हो कि प्रमाणित न कर सके अथवा जहाँ का 'मूल्य' विधि पर उपमजान लाकर अज्ञान पट्टे के वक्तव्य के विह्वल या 'मूल्य' तत्त्वतः भिन्न प्रमाण लिया हो अथवा अविश्वसनीय दस्तावेजों के वक्तव्य के लिए लागू होता है जहाँ विधि पर परिस्थितियों का जिनके कारण 'मूल्य' का यह पता लग सके कि पट्टे के वक्तव्य 'मूल्य' विधि पर पूछताछ (interrogation) के मध्य में लिए गए प्रमाण में अतिरिक्त विधायक है।

(3) जहाँ तक 'मूल्य' का प्रमाण (items) में विहित सभित स्थिति वक्तव्य का संबंध है जहाँ कि वक्तव्य इन बातों व्यक्ति लोक विचारण का आधार या लोक विचारण का विधि पर मूयु मानसिक स्थिति का विह्वलन (unsoundness) लागू होता है (misleading) या जापान के बाहर रहने के कारण उपमजान न हो सके प्रमाणित न कर या वह ग़रार में इतना असमर्थ हो कि प्रमाणित न कर सके और उसमें विह्वल वक्तव्य अस्वभाविक अथवा धर्म के अभाव में प्रमाण हो अथवा यह उदाहरणों में लागू होता है कि विधि पर परिस्थितियों का है जिनमें वक्तव्य लिए गए और जो विधि पर प्रयोजना (special credibility) उत्पन्न करे।

काइ लिखित अभिलेख (record) जिनमें अनियुक्त सभित किसी व्यक्ति द्वारा लोक विचारण का आधार या लोक-विचारण का विधि पर लिए गए वक्तव्य का अथवा वह लिखित अभिलेख जिनमें न्यायालय या किसी 'साक्षात्कार' द्वारा किए गए निरीक्षण (inspection) के परिणाम (result) का बयान हो विह्वल परिच्छेद का बिना विचार लिए गए 'मूल्य' के प्रयुक्त किया जा सकता है।

काइ लिखित अभिलेख जिनमें लोकसमाहता 'लोकसमाहता' न्यायालय के सचिव या 'साक्षिक' पुलिस बमबारी द्वारा किए गए निरीक्षण के परिणाम का बयान हो इस अनुच्छेद के विह्वले परिच्छेद का बिना विचार लिए ही साक्षरूप में प्रयुक्त किया जा सकता है यदि इसे तयार करने वाला

व्यक्ति लोक विचारण की तिथि पर साक्षी के रूप में उपसजात हो और तीन किए जाने पर प्रलेख का सत्यापन करे।

पिछला परिच्छेद द्योचित परिश्रुतों के साथ, उम प्रलेख (document) के सम्बन्ध में लागू होगा जिसे किसी विशेषज्ञ साक्षी (expert witness) ने तैयार किया है और जिसमें उसके निष्कर्षों (conclusions) एवं प्रक्रिया (process) का वर्णन है जिसके अन्तर्गत उसने अपनी समति दी है।

अनु० 322—अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई लिखित वक्तव्य (written statement) या प्रलेख जिसमें उमका वक्तव्य है और उसके द्वारा हस्ताक्षर एवं माल किया गया हो, उमके विरुद्ध साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त हो सकता है यदि वक्तव्य में अभियुक्त द्वारा की गई उस तथ्य की स्वीकृति (admission) है जो उमके हित (interest) के विरुद्ध है अथवा यदि वक्तव्य असाधारण परिस्थितियों (unusual circumstances) में दिया गया है जिनमें विशेष प्रत्येयता (special credibility) पैदा हो गई है। तथापि, जहाँ लिखित वक्तव्य या प्रलेख में अभियुक्त द्वारा अपने हित के विरुद्ध तथ्य की स्वीकृति (admission) की गई हो और यह सद्दह है कि स्वीकृति स्वेच्छया नहीं की गई है तो वह, एवं साथ ही साथ अनुच्छेद 319 द्वारा विहित दशाओं में, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायगा, चाहे स्वीकृति (admission) किसी अपराध की सम्स्वीकृति (confession) भले न हो।

कोई लिखित अभिलेख, जिसमें अभियुक्त द्वारा पहले, लोक-विचारण की तैयारी या लोक-विचारण की तिथि पर, दिए गए वक्तव्य हो, तभी तक साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त हो सकता है जब तक कि वह स्वेच्छया दिया गया प्रतीत हो।

अनु० 323—पिछले दो अनुच्छेदों में विहित नै भिन्न प्रलेख (documents) केवल तभी साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं यदि वे निम्नांकित में से कोई हैं :

- (1) किसी के कुटुम्ब रजिस्टर (family register) की एक प्रति या विलेख (notarial deed) की प्रति अथवा उन तथ्यों की प्रमाणित करने वाले ऐसे ही अन्य लोक-लेख्य (public documents) जिन्हें प्रमाणित करने का कर्तव्य (duty) या प्राधिकार (authority) किसी लोक-कर्मचारी (जिनमें विदेशी मन्वार के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) को है,

- (2) बाई लेना-पुस्तक (account book), जल-यात्रा अभिलेख (voyage log) एवं अन्य प्रलेख या व्यापार की निवर्तित परिधि में तैयार किए गए हो,
- (3) पिछले दो प्रभागों द्वारा विहित से भिन्न प्रलेख या अपने अनुरोध लब्ध के दृढ़ कथन (assertions) के प्रति विशेष प्रशंसा में (special credibility) प्रदान करने वाली परिस्थितियों तैयार किये गए हो।

अनु० 324—जहाँ तक अभियुक्त न भिन्न व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की नैसर्गिकी की विधि या उस लोक-विचारण की विधि पर दिए गए मौखिक वक्तव्यों का सम्बन्ध है, जिनमें अभियुक्त के विचारण के पहले के वक्तव्य (pre-trial statements) हा अनुच्छेद 322 की व्यवस्थाएँ, यद्योचित परिवर्तन के साथ लागू होगी।

जहाँ तक अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा उल्लिखित विधि पर दिए गए मौखिक वक्तव्यों का संबंध है जिनमें अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिए गए, विचारण के पूर्व के वक्तव्य (pre trial statements) हों, अनुच्छेद 321, परिच्छेद 1 प्रभाग 3 की व्यवस्थाएँ यद्योचित परिवर्तन के साथ, लागू होगी।

अनु० 325—पिछले चार अनुच्छेदों के अनुसार साक्ष्य-रूप में प्राप्त वक्तव्य या प्रलेख न्यायालय द्वारा तब तक साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि उसे अनुमति के बाद यह विश्वास न हो जाय कि किसी व्यक्ति के वक्तव्य या प्रलेख में कथित वक्तव्य, जो अन्य व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की तैयारी की विधि या लोक-विचारण की विधि पर दिये गए मौखिक वक्तव्य में लिखित हो, स्वेच्छया (voluntarily) दिया गया था।

अनु० 326—अनुच्छेद 321 से 325 तक के अनुच्छेदों के अतिरिक्त भी कोई प्रलेख या वक्तव्य केवल तभी साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त हो सकता है जब कि लोक-समाहर्ता और अभियुक्त उनके लिए सम्मति (consent) दें और न्यायालय उन परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जिनमें उक्त प्रलेख या वक्तव्य लिया गया था, इसे उचित समझे।

उन अभियोगों में जहाँ अभियुक्त की अनुपस्थिति (non-attendance) में भी साक्ष्य की परीक्षा (examination of evidences) कार्यान्वित की जा सकती हो और अभियुक्त उपसजान न हो तो पिछले परिच्छेद में

उल्लिखित सम्मति उसने दे दी ऐसा मान लिया जायगा। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जहां उनसे बड़े में उसका प्रतिपक्षी या परामर्शदाता उपसजात हो।

अनु० 327—लाक-समाहृतों और अभियुक्त या उससे प्रतिवाद परामर्श-दाता के महत्त्व होने पर निम्नो प्रलेख के अन्तर्विषया के सम्बन्ध में लिखित अनुबन्ध (written stipulations) या निम्नो प्रमाण का साक्ष्य, जो यदि माझी न्यायालय में उपसजात होने वाला होता तो दिया जाता मौखिक प्रलेख (original document) को जांच के बिना ही या लाक-विचारण में साक्षी से बिना छूटनाछ लिए ही साक्षर-रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तथापि अनुबन्ध के प्रमाणन मूल्य (probative value) पर निम्नो भी समय आपत्ति (objection) की जा सकती है।

अनु० 328 किसी प्रलेख या मौखिक वक्तव्य (oral statement) का निम्न अनुच्छेद 321 से 324 तक के अनुच्छेदों द्वारा साक्षर-रूप में प्रयुक्त किया जा सके, उस वक्तव्य की प्रत्येयता (credibility) निर्धारण करने की प्रणाली (method) के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है जो लाक-विचारण की तैयारी की विधि या लाक-विचारण की विधि पर अभियुक्त, साक्षी या अन्य व्यक्ति (जिनहोंने अपने वक्तव्य (statements) न्यायालय के बाहर दिए हैं) द्वारा दिए गए हैं।

### अध्याय 3

#### लोक-विचारण का विनिश्चय (Decision in Public Trial)

अनु० 329—किसी अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित (pending) अभियोग (case) की दशा में, जो न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction) में न जाता हो, अक्षमता (incompetency) की उद्घोषणा एक निर्णय (judgment) द्वारा की जायगी। तथापि, अनुच्छेद 266, प्रभाग 2 के अन्तर्गत किसी जिला-न्यायालय में विचारण के लिए सौंपे गए अभियोग के समय में न्यायालय अक्षमता को उद्घोषणा नहीं करेगा।

अनु० 330—यदि कोई अभियोग, जिसके लिए लाक-न्यायवाही उससे विशेष क्षेत्राधिकार में आने के कारण निम्नो उच्च न्यायालय में सन्निहित की गई हो,

किसी निम्न न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आता हो ता पिछ्छ अनुच्छेद की व्यवस्था का बिना विचार किए एव व्यवस्था द्वारा उस क्षमताशील (competent) न्यायालय में अन्तरित कर दिया जायगा ।

अनु० 331—अभियुक्त के प्राथम-पत्र देन की दगा के अतिरिक्त न्यायालय प्रादेशिक क्षत्राधिकार (territorial jurisdiction) के सबध में अक्षमता को उदघाषणा नहीं करेगा ।

अभियुक्त के विरुद्ध रम्बिन अभियाग (case) के सबध में साक्ष्य का परीक्षा प्रारम्भ की जान के बाद किसी भी अक्षमता की अभ्युक्ति ( plea of incompetency ) का स्वीयता नहीं की जायगी ।

अनु० 332—कोई सिद्र-न्यायालय एव व्यवस्था द्वारा किसी अभियाग को अधिकार-क्षत्र-सपन्न जिरा-न्यायालय में अन्तरित कर दगा यदि वह अभियाग का जिरा-न्यायालय में विचारित कराना उचित मजस ।

अनु० 333 जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध रम्बिन अभियाग के सबध में अपराध का प्रमाण सिग्ना हो वहाँ अनुच्छेद 334 की दगा को छाडकर एव नियम द्वारा दण की उदघाषणा का जायगी ।

एसे दण्ड के साथ ही साथ नियम द्वारा दण्ड निष्णादन के निरम्बन (suspension) की उदघाषणा की जायगी ।

अनु० 334—जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध रम्बिन अभियाग के सबध में दण्ड क्षमा किया जानवागा हो ता नियम द्वारा इस तव्य की उदघाषणा की जायगी ।

अनु० 335—अभियुक्त का अपराधी उदघोषित करन में अपराध के घटक तव्या साक्ष्य की सूची (inventory) तथा विधिया एव अध्यादा की प्रयुक्ति (application) का निर्देश किया जायगा ।

जहाँ अपराध के सघटन (formation of offence) का वाधित करन वाले वैधानिक आधार (legal ground) के सबध में कोई अपराध लगाया गया हो अथवा उन तव्या के सबध म लगाया गया हो जिनके कारण दण्ड बढ़ाया (aggravated) या घटाया (commuted) जा सके तो उस पर भी विनिश्चय (decision) का निर्देश किया जायगा ।

अनु० 336—यदि अभियुक्त के विरुद्ध अभियाग में किसी अपराध का सघटन न हो अथवा यदि अपराध में प्रमाण का अभाव हो तो अभियुक्त को

निणय (judgement) द्वारा निर्दोष' (not guilty") उदघाषित किया जायगा ।

अनु० 337—विमुक्ति (acquittal) की उदघाषणा निणय द्वारा निम्नांकित दशाओं में की जायगी ।

- (1) जहाँ कोई अन्तत बाध्यकारी निणय (finally binding judgment) पहले ही दिया जा चुका हो
- (2) जहाँ अपराध-संपादन के बाद ही प्रदर्शित (लागू) किए गए विधि या अध्यादेश द्वारा दण्ड परिहृत (abolished) कर दिया गया हो
- (3) जहाँ कोई सामान्य राजक्षमा (general amnesty) घोषित की गई हो
- (4) जहाँ कोई भागाधिकार (prescription) पूरा किया गया हो ।

अनु० 338—निम्नांकित दशाओं में निणय द्वारा लाक-वायवाही निरस्त (dismiss) कर दी जायगी

- (1) जहाँ अभियुक्त पर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र लागू न हो
- (2) जहाँ कोई लाक-वायवाही अनुच्छेद 340 के उल्लंघन में संस्थित की गई हो
- (3) जहाँ उमा अभियोग पर, जिन पर कोई लाक-वायवाही की गई थी दूसरी लाक-वायवाही उमा न्यायालय में लाई गई हो
- (4) जहाँ लाक-वायवाही संस्थित करने की प्रक्रिया (procedure) उममें संबद्ध व्यवस्थाओं के विरोध में होने के कारण प्रभावहीन (void) हो ।

अनु० 339—निम्नलिखित दशाओं में एक व्यवस्था द्वारा लाक-वायवाही निरस्त कर दी जायगी

- (1) जहाँ अभियोग (indictment) के सभी गणक (counts) काट द सही रूप में हो कोई विशेष अपराध का घटक न रहे,
- (2) जहाँ यह (लाक-वायवाही) वापस ल ली गई हो,
- (3) जहाँ अभियुक्त मर गया हो या न्यायिक व्यक्ति (juridical person) होने के कारण (अभियुक्त रूप में) न हो,

(1) जहाँ अनुच्छेद 10 या 11 की व्यवस्थाओं द्वारा न्यायनिर्णय (adjudication) बाधित हो ।

विच्छेद परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न कोकोको अपील की जा सकती है ।

अनु० 340 जहाँ वापसी (withdrawal) के कलस्वरूप लोड-बायवाहा या निरस्त करने वाली व्यवस्था अन्ततः बाधकारी (finally binding) हो जाय तो उस अपराध के क्रिय केवल उसी दशा में नई लोड-बायवाही संस्थित की जा सकती है जब कि यह किसी नयाविष्कृत (newly discovered) साख्यान साक्ष्य (material evidence) पर आप्त है ।

अनु० 341—उस दशा में जब कि कोई अभियुक्त बयान (statement) इन में इनकार करे बिना अनुमति के न्यायालय से निवृत्त (retire) हो जाय या पीठासीन न्यायाधीन द्वारा शान्ति स्थापन के लिये न्यायालय से निवृत्त हान व लिये आदेश पावे वा उसका बयान बिना गुने ही निर्णय दिया जा सकता है ।

अनु० 342—सार विचारण-वायालय (public trial court) में निर्णय उद्घाषणा (pronouncement) अवगत कराया जायगा ।

अनु० 343—कारावाग वा किसी गुरतर दण्ड दिये जान के समय जमानत वा निराध निष्पादन वा निडम्बन (suspension) प्रभावहीन हो जायगा । एसी दशा में अनुच्छेद 98 की व्यवस्थाएँ पदाधित परिवर्तन व साध केवल तभी लागू हागा जब कि जमानत वा निराध निष्पादन व निडम्बन की वाई नई व्यवस्था न जारी की गई हो ।

अनु० 344—अनुच्छेद 89 की व्यवस्थाएँ कारावाग वा गुरतर दण्ड दिये जाने व वाद नही लागू हागी ।

अनु० 345—निर्दोषिता (not guilty) विमुक्ति दण्ड-दशा दण्ड निष्पादन के निडम्बन लोड-बायवाही व निरस्ता अशमता (incompetency) वा अधदण्ड वा छोटे अधदण्ड वा निर्णय दिये जाने के समय निरोध का अधिपत्र (warrant of detention) प्रभावहीन हो जायगा ।

अनु० 346—यदि अभिग्रहण (seized) वस्तुओं के सवध में राज्य-सात्वरण (confiscation) की उद्घापणा न की गई है तो अभिग्रहण (seizure) से उक्त वस्तुओं की छूट की उद्घापणा की गई समझी जायगी।

अनु० 347—यदि अभिग्रहण के अन्तगत रखे गए अन्यायाजित (ill-gotten) माला के सवध में, अपकृत-पक्ष (injured party) का पुन लौटा देने के स्पष्ट हेतु (clear reason) है तो उक्त माला का अपकृत-पक्ष को प्रत्यावर्तित करने (restoration) का एक उद्घापण किया जायगा।

वह अभियाग भी जिसमें अपकृत-पक्ष अन्यायाजित माल के विचार के लिये ली गई किसी वस्तु का पुन लौटाने की मांग करे, पिछले परिच्छेद द्वारा ही नियन्त्रित होगा।

जहाँ अनन्तिम रूप से प्रत्यावर्तित (provisionally restored) माला के सवध में, कोई विराधी उद्घापण न किया गया है, वहाँ प्रत्यावर्तन का उद्घापण किया गया समझा जायगा।

पिछले तीन परिच्छेदों के अतिरिक्त कोई भी बद्धहित (interested) व्यक्ति दीवानी प्रक्रिया (civil procedure) के अनुसार अपने अधिकारों का दृढ़-प्रतिपादन (assertion) कर सकता है।

अनु० 348—यदि कोई न्यायालय अभियुक्त पर अर्धदण्ड, छोटे अर्धदण्ड या अनिश्चित वसूली (additional collection) का उद्घापण करे तो न्यायालय वस्तुतः या पदत लायसमाहर्ता के निवेदन पर, उक्त उद्घापित धनराशि की अनन्तिम अदायगी (provisional payment) का आदेश दे सकता है, यदि वह नमझे कि निष्पादन के विलम्बित होने की दशा में जब तक निर्णय अन्ततः बाध्यकारी न हो जाय तब तक निर्णय को निष्पादित करना असम्भव या अत्यन्त कठिन होगा।

अनन्तिम अदायगी के विनिश्चय (decision) का उद्घापण न्यायाधीश द्वारा दण्ड के उद्घापण के साथ ही साथ किया जायगा।

अनन्तिम अदायगी के आदेश करने वाले विनिश्चय को अविलम्ब निष्पादित किया जा सकता है।

अनु० 349—उस दशा में, जब कि दण्ड-निष्पादन को निलम्बित करने वाला उद्घापण विरुद्धित किया जाने वाला (to be rescinded) हो, लायसमाहर्ता जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय से,



जिसके अधिकार-क्षेत्र में सिद्धनाप व्यक्ति ( convicted person ) रहता हो या रह चुका हो, उक्त विच्छेदन ( rescission ) की माँग करेगा ।

जब पिछले परिच्छेद में उल्लिखित माँग की जा चुकी है न्यायालय अभियुक्त या उसके प्रतिपत्री ( proxy ) की सम्मति सुनने के बाद एक व्यवस्था जारी करेगा । उक्त व्यवस्था के किण्ड अस्तन्त्र कोकोहु अपील की जा सकती है ।

अनु० 350—उम दशा में जब कि दण्ड-सहिता ( Penal Code ) के अनुच्छेद 52 के अनुसार किसी दण्ड का निर्धारण किया जाने वाला हो तो लोक-समाहर्ता उस न्यायालय से दण्ड निर्धारित करने की माँग करेगा जिसने उस अभियोग पर दण्ड निर्धारित करने का अन्तिम निर्णय दिया हो । इस दशा में, पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ यथाचित परिवर्तन के साथ लागू हानगी ।

-----

# तीसरा खण्ड-अपील

## अध्याय 1

### सामान्य उपबन्ध

#### (General Provisions)

अनु० 351—अपील (जोसो) किसी लाकसमाहर्ता या अभियुक्त द्वारा की जा सकती है ।

जब अनुच्छेद 266 के प्रभाग 2 के अनुसार किसी न्यायालय में विचारण के लिये मौफा गया कोई अभियाग दूसरे अभियाग के माध सामूहिक रूप में विचारित किया गया हा और निर्णय दिया गया हा ता अनुच्छेद 268 के परिच्छेद 2 के अनुसार लाकसमाहर्ता के कार्यों का करने वाला अधिवक्ता (advocate) एव दूसरे अभियाग में लगा हुआ लाक-समाहर्ता कसस खतम रूप में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकत है ।

अनु० 352—अभियुक्त या लाकसमाहर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध कोई व्यवस्था (ruling) जारी की गई हो, कोकोकु अपील की जा सतती है ।

अनु० 353—अभियुक्त का वंघ प्रतिनिधि (legal representative) या पालक (curator) अभियुक्त की ओर से अपील कर सकता है ।

अनु० 354—जहाँ निराध का कारण निर्देशित किया गया हा, निर्देशन (indication) का निवेदन करने वाला व्यक्ति भी, अभियुक्त की ओर से निरोध (detention) के विरुद्ध अपील कर सकता है । यही नियम अपील को निरस्त करने वाली व्यवस्था के मवध में भी लागू होगा ।

अनु० 355—मूल न्यायालय ( original instance ) का प्रतिपत्री (proxy) या परामर्शदाता अभियुक्त की ओर से अपील कर सकता है ।

अनु० 356—पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित अपील अभियुक्त के स्पष्टत व्यक्त किए गए आशय (intention) के विरुद्ध नहीं ली जावगी ।

अनु० 357—निर्णय के किसी अक्ष के विरुद्ध अपील की जा सतती है ।

वह अपील का निर्णय के किसी अंश मात्र तक ही सीमित न हो, पूरे निर्णय पर की गई समझी जायगी।

अनु० 358—अपील करने की अवधि निर्णय विज्ञापित करने के दिन से आरम्भ हो जायगी।

अनु० 359—लोक-समाहर्ता अभियुक्त या अनुच्छेद 352 में उल्लिखित व्यक्ति अपील वापस ले सकते हैं।

अनु० 360 अनुच्छेद 353 या 354 में उल्लिखित व्यक्ति अभियुक्त की सम्मति (consent) से अपील वापस ले सकते हैं।

अनु० 361—वह व्यक्ति जिसका कोई अपील वापस ले ली हो, उसी अभियोग के सम्बन्ध में दूसरी अपील नहीं कर सकता। यही उस अभियुक्त के सत्र में लागू होगा जिम्मे अपील का वापस लेने की ममति (consent) दी हो।

अनु० 362—जब अनुच्छेद 351 से 355 तक के अनुच्छेदों के अन्तर्गत (by virtue of) अपील करने का अधिकारी व्यक्ति, ऐसे कारण से जो स्वयं उस पर या उसके प्रतिनिधि पर आरोपित न किया जा सके, अपील करने की अवधि के अन्दर अपील करने से रोक दिया गया हो तो वह अपील करने के अपने अधिकार की पुनः प्राप्ति (recovery) के लिए मूल न्यायालय (original court) में प्रार्थनापत्र दे सकता है।

अनु० 363—अपील करने के अधिकार की पुनः प्राप्ति (recovery of right) की माँग लिखित रूप में उस अवधि के अन्दर की जायगी, जो अपील करने की अवधि के अन्दर होगी जिसका और आरम्भ उस दिन होगा जिस दिन अपील रोकने वाला कारण समाप्त हुआ।

अपील करने के अधिकार की पुनः प्राप्ति की माँग करने वाला व्यक्ति उक्त माँग के साथ ही साथ अपील के लिये एक प्रार्थनापत्र देगा।

अनु० 364—अपील करने के अधिकार की पुनः प्राप्ति की माँग के सत्र में की गई व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न कोकोफु अपील की जा सकती है।

अनु० 365—जब अपील करने के अधिकार की पुनः प्राप्ति की माँग की गई हो तो मूल न्यायालय निर्णय के निष्पादन को रोकने वाली कोई व्यवस्था

तब तक के लिये जारी कर सकता है जब तक कि पिछले अनुच्छेद में विहित व्यवस्था जारी न कर दी जाय। इस दशा में, अभियुक्त के विरुद्ध निरोध का अधिपत्र जारी किया जा सकता है।

अनु० 366— यदि कारागार में रहते हुए अभियुक्त द्वारा अपील के लिये लिखित प्रार्थनापत्र मुख्य काराधिकारी (Chief Prison Officer) या उसके सहायक के पास, अपील की अवधि के अंदर दे दिया जाय तो ऐसी अपील विहित अवधि में की गई समझी जायगी।

यदि अभियुक्त लिखित प्रार्थनापत्र स्वयं तैयार करने में असमर्थ हो तो मुख्य काराधिकारी या उसका सहायक उसके लिये प्रार्थनापत्र लिख देगा अथवा अपने अधीन किसी कर्मचारी से ऐसा करा देगा।

अनु० 367 पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, उन अभियागा में लागू होंगी जहाँ कारागार में रहता हुआ अभियुक्त अपील वापस ले या अपील करने के अपने अधिकार की पुनः प्राप्ति की माँग करे।

अनु० 368 उस दशा में जब कि केवल लाक-समाहर्ता द्वारा सस्थित अपील स्मारिज की या वापस ली गई हो, राज्य (State) अभियोग के तत्कालीन अभियुक्त को उस न्यायालय में जिसमें अपील की गई हो अपील के कारण किये गए व्ययों (expenses) का प्रतिफल (compensation) देगा।

अनु० 369—प्रतिफल की राशि में केवल यात्रा-व्यय (travelling expenses), दैनिक भत्ते, और आवास सचं (lodging charges), जिन्हें तत्कालीन अभियुक्त एवं तत्कालीन प्रतिवाद-परामर्शदाता (then Defense Counsel) ने लोक-विचारण की तैयारी या लॉय विचारण की तिथि पर उपसजात होने के लिये दिया हो, और पारिश्रमिक (remuneration) रहेगा जिसे अभियुक्त ने परामर्शदाता का दिया हो, तथा जहाँ तक अनुदान (grant) की जाने वाली राशि का संबंध है आपराधिक प्रक्रिया के परिव्ययों (Costs of Criminal Procedure) से संबंध विधि (Law) के परामर्शदाता एवं साक्षी से संबंध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, क्रमशः तत्कालीन अभियुक्त एवं तत्कालीन परामर्शदाता के संबंध में लागू होंगी।

अनु० 370—प्रतिर तरातीन अभिमुक्त या उगने प्रतिपत्री (proxy) की प्रार्थना पर, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जिसने उस अभिमाण पर अपना अपीलिय क्षेत्राधिकार (appellate jurisdiction) प्रयुक्त किया है, एउ व्यवस्था द्वारा स्वीकृत (allowed) किया जायगा।

पिट्टर परिच्छेद में उल्लिखित प्रार्थना (request), अपील स्वरिज करने वाले निर्णय क अधिमुक्तिन विधे जाने या अपील के वापस लिये जाने के बाद दो मास क जदर की जामगी।

उच्च न्यायालय द्वारा पहलू परिच्छेद के कल पर जारी की गई व्यवस्था पर अनुच्छेद 428 के परिच्छेद 2 के अनुमार आपति (objection) की जा सक्ती है। आसन्न कोसोकु अपील स सबड व्यवस्थाएँ भी, यथोक्तिन परिवतन के साथ, उल्लिखित आपति क समय में लागू हागी।

अनु० 371 इस संहिता (Code) में अन्यथा किहि दमा को छाडकर, न्यायालय के नियम प्रतिर सक्ती प्रार्थना प्रतिर की अदायगी एउ प्रतिर से सबड अन्य बाधेवाही का अधिदत करेयें।

## अध्याय 2

### कोसो अपील

#### (Koso Appeal)

अनु० 372—जिसी जिला-न्यायालय परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय द्वारा प्रथम न्यायालय (first instance) में दिए गए निर्णय के विरुद्ध कोसो अपील की जा सक्ती है।

अनु० 373—कोसो अपील के लिए निर्धारित अवधि चौदह दिन होगी।

अनु० 374—कोसो अपील प्रथम न्यायालय (Court of first instance) में कोसो अपील के लिए लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हुए की जायगी।

अनु० 375—जहाँ यह स्पष्ट हो कि कोसो अपील, कोसो अपील करने के अधिनार की समाप्ति के बाद की गई है, प्रथम न्यायालय उसे एउ व्यवस्था के आधार पर स्वरिज कर देगा। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न (immediate) कोसोकु अपील की जा सक्ती है।

अनु० 376—अपीलवर्ता (appellant) कोसो अपील के हेतुओं का विवरण अपीलिय न्यायालय को, न्यायालय-नियमों द्वारा विहित अवधि के अंदर, अवश्य प्रस्तुत करेगा।

जैसा कि न्यायालय-नियमों या इस संहिता (Code) में अपेक्षित है कोसो अपील के हेतुओं के विवरण के साथ परामर्शदाता या लोकसमाहर्ता का प्रमाणपत्र या प्रकल्पित प्रमाण (presumptive proof) अवश्य सलग्न किया जायगा।

अनु० 377—जहाँ निम्नांकित में से किसी आधार पर कोसो अपील की जाय परामर्शदाता या लोकसमाहर्ता के प्रमाणपत्र के साथ अपील के हेतुओं का विवरण इस आशय से सलग्न किया जायगा कि (यदि अवसर दिया जाय) ऐसे आधारों की सत्ता का पर्याप्त प्रमाण दिया जा सकता है

- (1) जब कि मूल-न्यायालय का सघटन विधि द्वारा विहित रूप में न किया गया हो,
- (2) जब कि किसी न्यायाधीश ने जिसे कुछ वैधानिक कारणों (legal reason) से निर्णय में भाग नहीं लेना चाहिए था किन्तु उराने निर्णय देने में वस्तुतः भाग लिया हो,
- (3) जब कि कुछे लाव-विचारण से मबद्ध व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया गया हो।

अनु० 378—जहाँ कोसो अपील निम्नांकित में से किसी आधार पर की जाय, अपील के हेतुओं के विवरण (statement) में, अभिकथित आधार (ground alleged) की प्रत्येक (credible) बनाने के लिए उन विषयों का समुचित उद्धरण रहेगा जो विषय उन अभिलेख में आते हों जिनमें पहले की कार्यवाही एवं मूल न्यायालय द्वारा लिख गए माध्य के अन्तर्विषयों (contents) का विवरण हो

- (1) जब कि न्यायालय अपने को अवैध रूप से (illegally) क्षमताशील (competent) या अक्षम (incompetent) समझ ले,
- (2) जब कि लोक-कार्यवाही अवैध रूप से स्वीकृत या वारिज की गई हो,

(3) जब कि अभ्यारोपण (indictment) में आए हुए किसी गणक (count) व सबष में निषय न दिया गया हो अथवा उस गणक व सबष में दिया गया हो जो अभ्यारोपण में न हो।

(4) जब कि निषय सन्तुष्ट न किया गया हो या हेतु विराध में रहे हो।

अनु० 379—जहाँ बीसो अपील पिछले दो अनुच्छेदों द्वारा विहित से भिन्न इस आधार पर की जाय कि नायवाणी में किसी विधि या अध्यादेश का उल्लंघन किया गया है और यह कि वह उल्लंघन निषय में महत्वपूर्ण (material) स्थान रखता है ता अपील के हेतुओं के विवरण में अभिव्यक्त आधार का प्रत्यय (credible) बनान के लिए उन विषयों का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिप्राय में आते हैं जिसमें की गई कायवाणी एवं मूक्त वाक्यांश द्वारा किए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयों (contents) का वर्णन हो।

अनु० 380 जहाँ बीसो अपील मूक्त वाक्यांश द्वारा विधि या अध्यादेश के निर्माण (construction) अथवा निबन्धन (interpretation) या प्रयुक्ति (application) में की गई भ्रम (mistake) व आधार पर की जाय और यह मूक्त निषय में महत्वपूर्ण रती हो तो अपील के हेतुओं के विवरण में उक्त मूक्त एवं निषय में उसकी महत्वपूर्णता का विवरण निर्देश किया जायगा।

अनु० 381—जहाँ बीसो अपील इस आधार पर की जाय कि दण्ड का निर्धारण अनुचित एवं अयोग्यपूर्ण ढंग से किया गया है ता अपील के हेतुओं के विवरण में अभिव्यक्त आधार का प्रत्यय बनान के लिए उन विषयों का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख (record) में आते हैं जिसमें की गई कायवाणी एवं मूक्त वाक्यांश द्वारा किए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयों का वर्णन हो।

अनु० 382—जहाँ बीसो अपील तथ्यों के अनुसंधान में त्रुटि (error) एवं निषय में उसकी स्पष्ट महत्वपूर्णता (obvious materiality) के आधार पर की जाय तो अपील के हेतुओं के विवरण में अभिव्यक्त आधार का प्रत्यय बनान के लिए उन विषयों का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख में आते हैं जिसमें की गई कायवाणी एवं मूक्त वाक्यांश द्वारा किए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयों का वर्णन हो।

अनु० 383—जहाँ कोसो अपील निम्नांकित में से किसी आधार पर की जाय ता अपील के हेतुओं के विवरण का आधार के प्रकल्पित प्रमाण के माय सलग्न किया जायगा

- (1) जब कि कायवाही के पुनर्विचार (reopening of procedure) का समयन करने वाला कोई तथ्य मिलता है (सिद्धि),
- (2) जब कि अबर न्यायालय में निणय दिये जाने के ठीक बाद, दण्ड का परिहार या परिवर्तन कर दिया गया है या सामान्य राजदमा (general amnesty) की घोषणा की गई है।

अनु० 384—कोसो अपील अनु० 377 स 383 तक के अनुच्छेदों द्वारा विहित अपील के आधारों में से किसी एक के दृढकरण (ascertaining) द्वारा की जा सकती है।

अनु० 385—जहाँ यह स्पष्ट है कि कोसो अपील का प्रार्थनापत्र विधि या अध्यादेश द्वारा विहित प्रपत्र (form) के अनुसार नहीं बनाया गया है अथवा अपील करने के अधिकार की समाप्ति के बाद दिया गया है ता कोसो अपील का न्यायालय उस एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर देगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध अनुच्छेद 428 परिच्छेद 2 के अनुसार आपत्ति (objection) की जा सकती है, ऐसी दशा में, आसन्न कोसो अपील को व्यवस्थाएँ भी यथोचित परिवर्तन के माय लागू होंगी।

अनु० 386—कोसो अपील का न्यायालय कोसो अपील का एक व्यवस्था द्वारा खारिज (dismiss) कर सकता है

- (1) जब कि कोसो अपील के हेतुओं का विवरण अनुच्छेद 376 परिच्छेद 1 में विहित अवधि के अन्दर न प्रस्तुत किया जाय,
- (2) जब कि कोसो अपील के हेतुओं का विवरण इन संहिता (Code) एवं न्यायालय के नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रपत्र (form) के अनुसार न है, अथवा जब इसके माय, इन संहिता (Code) अथवा न्यायालय-नियमों द्वारा विहित आवश्यक प्रकल्पित प्रमाण या प्रमाणपत्र (certificate) न है।



अनु० 393—पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित अनुसंधान (investigation) के लिए आवश्यकता समझने पर कोसो अपील का न्यायालय लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर या पदेन तथ्यों की जांच कर सकता है। तथापि, उन साक्ष्यों के संघर्ष में जिनके विषय में यह प्रदर्शित करने वाला प्रकल्पित प्रमाण (presumptive proof) प्रस्तुत किया जाय कि प्रथम न्यायालय में मौखिक कार्यवाहियाँ के पर्यवसान (conclusion) के पहले उन्हें जांच के लिए नहीं दिया जा सका तो न्यायालय उक्त साक्ष्यों की जांच केवल उसी दशा में करेगा जबकि वे दण्ड के अनुचित निर्धारण (improper determination) अथवा निर्णय के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के अनुसंधान में की गई भ्रष्टियाँ के प्रमाण के लिए आवश्यक हैं।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित जांच (examination) सहायी-न्यायालय के किसी सदस्य द्वारा कार्यान्वित कराई जा सकती है, अथवा इसे करने के लिए जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय का कोई न्यायाधीश अधियाचित किया जा सकता है। ऐसी दशा में, राजादिष्ट न्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश के वही अधिकार होंगे जो किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश के रहते हैं।

अनु० 394—बाई साक्ष्य जो प्रथम न्यायालय में साक्ष्य-रूप में स्वीकृत या प्रयुक्त किया गया हो, कोसो अपील के न्यायालय में भी साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

अनु० 395—जब कोसो अपील का कोई प्रार्थना-पत्र विधि या अध्यादेश द्वारा विहित प्रपत्र के अनुसार न दिया गया हो या कोसो अपील करने के अधिकार की सम्पत्ति के वाद दिया गया हो तो कोसो अपील का न्यायालय निर्णय द्वारा इसे स्वारिज कर देगा।

अनु० 396—जहाँ अनुच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदों में विहित कोसो अपील के आधारों (grounds) में से कोई न हो तो इसे एक निर्णय द्वारा स्वारिज कर दिया जायगा।

अनु० 397—जहाँ अनुच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदों में विहित कोसो अपील के आधारों में से कोई हो तो एक निर्णय द्वारा मूल निर्णय (original judgment) खण्डित कर दिया जायगा।

अनु० 398—जबकि मूल निणय का इस आधार पर खण्डित करना हो कि मूल न्यायालय (original court) ने अपन को अवैध रूप से अक्षम (incompetent) घोषित किया अथवा लाक-बायबाही का अवैध रूप से खारिज कर दिया तो वह अभियोग एक निणय द्वारा पुन मूल न्यायालय को वापस भेज दिया जायगा ।

अनु० 399—यदि मूल निणय का इस आधार पर खण्डित करना हो कि न्यायालय ने अवैधरूप से अपन का भ्रमताक्षर (competent) समझ लिया या वह अभियोग एक निणय के द्वारा किमा क्षमताहीन प्रथम न्यायालय में अन्तरित कर दिया जायगा । तथापि उस अभियोग पर यदि कोसो अपाल के न्यायालय का प्रथम न्यायालय का अधिकार-पत्र प्राप्त हो तो वह उस अभियोग पर प्रथम न्यायालय के रूप में प्रिचार (try) करेगा ।

अनु० 400—जब कि मूल निणय को पिटर का अनुच्छेदों में उल्लिखित आधारों में भिन्न किमा आधार पर खण्डित करना हो तो वह अभियोग या तो मूल न्यायालय का पुन वापस कर दिया जायगा या एक निणय द्वारा मूल न्यायालय का हा काटि के अथ किसी न्यायालय में अन्तरित कर दिया जायगा । तथापि यदि न्यायालय यह समझ कि वह मूल न्यायालय या अपील-न्यायालय द्वारा परागित (examined) एवं प्रस्तुत अभिलेखा (record) एवं माहिया के आधार पर अविलम्ब निणय दे सकता है तो वह उस अभियोग पर निणय दे सकता है ।

अनु० 401—उस दगा में जब कि मूल निणय (original judgment) का अभियुक्त के लाभ के लिए खण्डित किया जाय तो एस निणय का उस सहाभियुक्त (co accused) के लिए भी खण्डित किया जायगा जिसन कोसो अपाल किया हो यदि खण्डित करने का आधार (ground) उस सहाभियुक्त के सबय में भी समान हो ।

अनु० 402—उस अभियोग में जिसमें अभियुक्त द्वारा या उसके नाम के लिए कोसो अपील की गई हो तो मूल निणय द्वारा आरोपित दण्ड से गुरुतर दण्ड को घोषणा नहीं की जायगी ।

अनु० 403—उस दण्ड में जब कि कोई मूल न्यायालय लाक-बायबाही को खारिज करने वाली किसी व्यवस्था को जारी करने में अवैध रूप से असमय रहे तो लाक-बायबाही एवं व्यवस्था द्वारा खारिज की जायगी ।

जहाँ तक पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था का संबंध है अनुच्छेद 385 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 404—इस संहिता (Code) में अन्यथा विहित दशा का छोड़कर, दूसरे खण्ड (Book II) में प्रतिपादित लोक-विचारण (public trial) से संबंध व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, कोसो अपील के विचारण के संबंध में लागू होंगी।

### अध्याय 3

#### जोकोकु अपील (Jokoku Appeal)

अनु० 405—जोकोकु अपील प्रथम या द्वितीय न्यायालय (first or second instance) में किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध निम्नांकित दशाया में की जा सकती है

- (1) इस आधार पर कि सविधान का उल्लंघन हुआ है अथवा सविधान के निर्माण, अर्थनिश्चय या विनियोग (प्रयुक्ति) में त्रुटि (error) हुई है,
- (2) इस आधार पर कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व स्थापित न्यायिक दृष्टान्तों (judicial precedents) में असंगत कोई निर्णय किया गया है,
- (3) उन अभियोगों में, जिनके लिए उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायिक दृष्टान्त (judicial precedent) न हो, इस आधार पर कि पूर्ववर्ती उच्चतम न्यायालय (दइ शिन इन) द्वारा अथवा जोकोकु अपील न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा अथवा इन संहिता (Code) के प्रवर्तन (enforcement) के बाद कोसो अपील न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व स्थापित न्यायिक दृष्टान्तों (judicial precedents) में असंगत (in-compatible) निर्णय किया गया है।

अनु० 406—जोकोकु अपील के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, न्यायालय नियमों के अनुसार, किन्हीं भी वैसे अभियोगों को, उनके मूल-

निणय व अन्तत वाध्यकारी (finally binding) हान के पहर ही ले सक्ता है जिहें वह समझ कि उनमें विधि या अच्यादेश के निर्माण-सबधी महत्त्वपूर्ण समस्या अन्तर्हित है चाहे व वैसे अभियान न हा जिनकी जोकोकु अपील पिछल अनुच्छेद व बर पर की जा सक ।

अनु० 407—जोकोकु अपील व हेनुआ व विवरण में न्यायालय नियमा के अनुगार अपील के आधार (ground) का निर्देश विनाप रूप म रहगा ।

अनु० 408—जहाँ जोकोकु अपील के न्यायालय का जोकोकु अपील व हेनुआ के विवरण एव अय प्रलेया (documents) की जांच करने व बात, यह पता लग जाय कि अपील निर्वाह (musterable) नहीं है ता वह एर निणय द्वारा मौखिक वापदाहिया का बिना आयोजन किये ही अपील का खान्जि कर सकता है ।

अनु० 409—जोकोकु अपील व न्यायालय के लिए लाव विचारण की दिधि पर अभियुक्त का समत करना आवश्यक नहीं है ।

अनु० 410—यदि जोकोकु अपील व न्यायालय का यह ज्ञान हा जाय कि अनुच्छेद 405 के प्रत्येक प्रभाग द्वारा विहित खण्डित करन (quashing) व जाघारा में स काई है ता वह मूत्र निणय का एक निणय द्वारा खण्डित कर देगा । तथापि यह गानू नहीं होगा यदि आधार की सत्ता निणय को एरदम प्रभावित न करे ।

पिछल परिच्छेद उम दगा में लागू नहा होगा जहाँ यद्यपि जहाँ तब अनुच्छेद 405 के प्रभाग 2 और 3 की प्रयुक्ति (application) का सबध है मत्र निणय को खण्डित करन व कुछ आधार मित्रते हा तथापि जोकोकु अपील का न्यायालय मूत्र निणय का खण्डित करन के बदले प्रस्तुत यायिक दृष्टान्त (judicial precedent) का भग करना या बदरना अधिन उचित समझता हो ।

अनु० 411—चाहे अनुच्छेद 405 के किसी भी प्रभाग में विहित काई भी आधार न हा यदि जोकोकु अपील का न्यायालय निम्नांकित कारणों से मूत्र निणय को खण्डित न करना न्यायत असंगत समझे तो वह एक निणय द्वारा उसे खण्डित कर सकता है

(1) अय कि विधि या अच्यादेश के निर्माण (construction) अय निवचन (interpretation) या प्रयुक्ति (application) में

कोई भूल (mistake) रह गई हो जो निर्णय में महत्वपूर्ण (material) हो।

- (2) जब कि दण्ड नितान्त अन्यायपूर्ण एवं अनुचित रूप से लगाया गया हो,
- (3) जब कि न्याया के अनुमदान में कोई घोर त्रुटि (gross error) हो जा निर्णय में महत्वपूर्ण हो,
- (4) जब कि कार्यवाही के पुनर्विचार (संशोधन) का समर्थन करने वाला वाद हेतु हो,
- (5) जब कि मूल निर्णय दिए जाने के बाद, दण्ड का परिहार (abolition) या परिवर्तन कर दिया गया हो, या सामान्य राज-क्षमा (general amnesty) की घोषणा की गई हो।

अनु० 412 जब मूल-निर्णय का इस आधार पर खण्डित करना हो कि न्यायालय ने अवैध रूप में अपने का क्षमताक्षेत्र (competent) मान लिया था तो वह अभियोग एक निर्णय द्वारा, क्षमताक्षेत्र को जो अपील न्यायालय या क्षमताक्षेत्र प्रथम न्यायालय में अन्तर्गत कर दिया जायगा।

अनु० 413—जब कि मूल-निर्णय को, पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित आधारों में भिन्न आधार पर खण्डित करना हो तो वह अभियोग एक निर्णय द्वारा, या तो मूल-न्यायालय (original court) या प्रथम-न्यायालय में वापस भेज दिया जायगा या इन्हीं न्यायालयों के तुल्य कोर्टि के किसी अन्य न्यायालय में अन्तर्गत कर दिया जायगा। तथापि, यदि जोकोकु अपील का न्यायालय समझे कि वह, मूल-न्यायालय या प्रथम-न्यायालय द्वारा जांच किए गए एवं पूर्व प्रस्तुत साक्ष्यों तथा अभिलेखों के आधार पर, अविलम्ब निर्णय दे सकता है तो वह उस अभियोग पर निर्णय दे सकता है।

अनु० 414 इस संहिता में अन्यथा विहित दण्डों को छोड़कर, पिछले अध्याय को व्यवस्थाने यथोचित परिवर्तन के साथ, जोकोकु न्यायालय के विचारण के मंत्र में लागू होंगी।

अनु० 415—अपने निर्णय के अन्तर्विषयों (contents) में त्रुटि पाने पर जोकोकु अपील का न्यायालय लोक-समाहर्ता या अभियुक्त या उसके परामर्शदाता के निवेदन पर, अन्य निर्णय द्वारा उसका मसौदा कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन, निर्णय के उद्घाटन के दिन के बाद दस दिन के अन्दर किया जायगा ।

जोकोकु अपील का न्यायालय, यदि उक्त समझे इस अनुच्छेद के प्रथम परिच्छेद में उल्लिखित व्यक्तियों के निवेदन पर पिछले परिच्छेद द्वारा निर्धारित अवधि का बढा सकता है ।

अनु० 416—धौनिक वायंवाही बिना किये ही सशोधन के लिये निर्णय दिया जा सकता है ।

अनु० 417—जोकोकु अपील का न्यायालय, उस दशा में जब कि वह सशोधन (amendment) के लिये निर्णय न दे एक व्यवस्था द्वारा, निवेदन को अस्वीकृत अस्वीकृत कर देना ।

अनुच्छेद 415 के परिच्छेद 1 के चल पर सशोधन के निर्णय के विरुद्ध फिर कोई निवेदन प्रस्तुत नहीं किया जायगा ।

अनु० 418—जोकोकु अपील के न्यायालय का निर्णय, अनु० 415 में उल्लिखित अवधि को समाप्त पर अवका जहाँ इसी अनुच्छेद के परिच्छेद 1 के अनुसार कोई निवेदन किया गया हो उस दशा में सशोधन के लिये निर्णय दिये जान या निवेदन अस्वीकृत करने वाली व्यवस्था के निर्णय दिये जान पर अन्तत वाध्यकारी हो जायगा ।

## अध्याय 4

### कोकोकु अपील

#### (Kokoku Appeal)

अनु० 419—उन अभियोगों का छाडकर, जिनमें यह विशेषत विहित है कि एक आसन्न (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है, किसी न्यायालय द्वारा जारी की गई व्यवस्था के विरुद्ध, इस सहिता (Code) में अन्यथा विहित दशा को छाडकर कोकोकु अपील की जा सकती है ।

अनु० 420—किसी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र या कार्यवाहियों से सबद्ध, निर्णय से पहले की गई व्यवस्था के विरुद्ध केवल उन अभियोगों को छोड

कर, जिनमें यह विशेषतः विहित है कि आसन्न कोकोकु अपील की जा सकती है, वहाँ कोकोकु अपील नहीं की जायगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ निराध, जमानती निर्मुक्ति, अभिगृहीत वस्तुआ के अभिग्रहण या प्रत्यावर्तन (restoration) सबकी व्यवस्था या विशेषज्ञ साक्ष्य (expert evidence) के लिये आवश्यक परिचाय-सदस्यी व्यवस्था के सबष में लागू नहीं होगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाआ के रहत हुए भी, किसी निराध के विरुद्ध, इस आधार पर कि अपराध का सदह नहीं है, वहाँ कोकोकु अपील नहीं की जायगी।

अनु० 421—आसन्न (immediate) कोकोकु अपील का छाडकर, कोकोकु अपील किसी भी समय की जा सकती है तथापि यह उम दशा में लागू नहीं होगा जब कि मूल-व्यवस्था का निरसित (cancelled) नगने में कोई वास्तविक लाभ न हो।

अनु० 422—आसन्न कोकोकु अपील के लिए विहित अवधि तीन दिन की होगी।

अनु० 423—कोकोकु अपील मूल-न्यायालय (original court) का एक लिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए की जायगी।

मूल-न्यायालय, यह जान लेने पर कि कोकोकु अपील मुदृट आधार (well-founded) पर है, व्यवस्था की शुटि (error) का टीक कर देगा। उस दशा में जब कि वह कोकोकु अपील के पूरे या किसी जग का निराधार (groundless) पावे, लिखित प्रार्थनापत्र को, उसमें मलग्न लिखित समतिया (written opinions) के साथ, कोकोकु अपील के न्यायालय में, प्रार्थना-पत्र पाने के दिन के बाद तीन दिन के अन्दर, भेज देगा।

अनु० 424—आसन्न कोकोकु अपील को छाडकर, (सामान्य) कोकोकु अपील में निर्णय के निष्पादन को निलम्बित करने का प्रभाव (effect) नहीं होगा। तथापि, मूल न्यायालय, एक व्यवस्था द्वारा, निष्पादन को तब तक के लिये निलम्बित कर सकता है जब तक कि कोकोकु अपील पर याय-निर्णय न दे दिया जाय।

कोकोकु अपील का न्यायालय, एक व्यवस्था द्वारा, निर्णय को निलम्बित कर सकता है।

अनु० 425—आमन्त्र बौद्धिक अपील के लिए विहित अवधि में, एवं जब वाक्यातु अपील की जा चुकी है, निर्णय का निष्पादन निलम्बित कर दिया जायगा।

अनु० 426—बौद्धिक अपील का निम्नलिखित कर्मे वाली व्यवस्थाया (provisions) के प्रतिकूल रूप में की गई बौद्धिक अपील अथवा यदि कोई बौद्धिक अपील निराधार (groundless) है तो वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दी जायगी।

यदि बौद्धिक अपील मुद्रित आधार पर है तो मूलव्यवस्था (original ruling), एक व्यवस्था (ruling) द्वारा निर्मित कर दी जायगी, और आवश्यकतानुसार, फिर से नया निर्णय दिया जायगा।

अनु० 427—बौद्धिक अपील के न्यायालय के विरुद्ध, फिर वार्ड बौद्धिक अपील नहीं की जायगी।

अनु० 428—किसी उच्च न्यायालय की व्यवस्था के विरुद्ध वार्ड बौद्धिक अपील नहीं की जायगी।

उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई व्यवस्था पर, जिसके विरुद्ध विशेष व्यवस्थाया (special provisions) द्वारा आमन्त्र बौद्धिक अपील विहित हो अथवा जिसके विरुद्ध अनुच्छेद 419 एवं 420 के अन्तर्गत बौद्धिक अपील की जा सके, उच्च न्यायालय में आपत्ति (objection) की जा सकती है।

बौद्धिक अपील में सबद्ध व्यवस्थाएँ यथावत परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आपत्ति के संबंध में लागू होंगी। आमन्त्र बौद्धिक अपील से सबद्ध व्यवस्थाएँ (provisions), यथावत परिवर्तन के साथ उस व्यवस्था (ruling) की आपत्ति के संबंध में लागू होंगी जिसके विरुद्ध आमन्त्र (immediate) बौद्धिक अपील विशेष व्यवस्थाया (special provisions) द्वारा विहित हो।

अनु० 429—निम्नांकित निर्णयों में से किसी पर अमत्तुष्ट वार्ड व्यक्ति, निर्णय के विच्छेदन (rescission) या परिवर्तन (alteration) के लिये, यदि निर्णय त्रिप्र-न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो जिला-न्यायालय में, जिसके अधिकारक्षेत्र में वह अभिवाग हो, अथवा यदि उच्चतर न्यायालय के किसी



न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो तो उस न्यायालय में, जिसका वह न्यायाधीश हो, निवेदन (request) कर सकता है —

- (1) आपत्ति के प्रस्ताव (motion) को खारिज करने वाला निर्णय (decision),
- (2) निरोध, जमानती निर्मुक्ति, अभिग्रहण या अभिगृहीत वस्तुओं (seized articles) के प्रत्यावर्तन (restoration) में सबद्ध निर्णय,
- (3) विशेषज्ञ साक्ष्य (expert evidence) के लिये परिरोध (confinement) का आदेश करने वाला निर्णय,
- (4) अदाण्डित अर्थदण्ड (non-penal fine) लगाने वाला या किसी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, अर्थनिर्वाचक या अनुवादक के व्ययों (expenses) के प्रतिफल (compensation) का आदेश करने वाला निर्णय,
- (5) अदाण्डित अर्थदण्ड लगाने वाला या किसी व्यक्ति के व्ययों के प्रतिफल का आदेश करने वाला निर्णय, जिसके शरीर की जांच होने वाली हो,

अनुच्छेद 420 परि० 3 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में विहित निवेदन के सबध में लागू होगी।

पहले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन प्राप्त करने वाला जिला-न्यायालय या परिवार-न्यायालय किसी सहयोगी-न्यायालय (collegiate court) द्वारा एक व्यवस्था बनवाएगा।

पछले परिच्छेद के प्रभाग 4 या 5 में उल्लिखित निर्णय के विच्छेदन (rescission) या परिवर्तन (alteration) के लिये निवेदन उक्त निर्णय दिये जाने के दिन के तीन दिन के अन्दर, किया जायगा।

पिछले परिच्छेद के निवेदन के लिये विहित अवधि में एक उक्त निवेदन दिये जाने पर, निर्णय का निष्पादन निलम्बित रखा जायगा।

अनु० 430—प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अनुच्छेद 39, परिच्छेद 3 में उल्लिखित कारंवाइयो अथवा अभिग्रहण या अभिगृहीत वस्तुओं के प्रत्यावर्तन (restoration) से सबद्ध कारंवाइयो पर, जो किसी लोक-समाहर्ता या लोक-समाहर्ता-

कायात्य क मच्चिब द्वारा तारा का गद हा काड आपति (objection) हो उक्त लाकममाहता या मच्चिब क लाकममाहता-कायात्य म मबद न्याया ल्य में उन कारबाइया क विवण्डन (cancellation) या परिवतन (alteration) क लिय निवदन कर सकना है ।

प्रथम व्यक्ति जिसे पिछल परिच्छेद में उल्लिखित कारबाइया पर जा किमा न्यायिक पुस्ति-कमचारा द्वारा तारा का गद हा काड आपति हा उन कारबाइया क विवण्डन या परिवतन क लिय उक्त निग-न्यायालय या शिप्र-न्यायालय में निवदन कर सकना है जिनक अधिकार-पत्र में वह म्यान आता हा जहा पर उक्त न्यायिक पुस्ति कमचारा अपन काय करता हा ।

प्रामानिक वादकरण (administrative litigation) स मबद किनि एव अध्यादन का व्यवस्थाए पिछल दो परिच्छेदों में उल्लिखित निवदन क मबद में लागू नहीं हाता ।

अनु० 431—पिछल दो अनुच्छेदों में उल्लिखित निवदन किनि रूप में किमा समतागाल न्यायालय (competent court) में किये जायेंगे ।

अनु० 432—अनुच्छेद 421 426 और 427 की व्यवस्थाएँ (provisions) यथाचिन परिवतन क माय उम दगा में लागू हाता जहाँ अनुच्छेद 429 और 430 में उल्लिखित निवदन किये गए हा ।

अनु० 433—उम व्यवस्था या आदण (order) क विरुद्ध जिम पर हम सहिता में काड आपति किनि नगा है अनुच्छेद 405 में विहित किसा हुनु क रतन क आधार (ground) पर उच्चतम न्यायालय में कोकोतु अपील का जा सकनी है ।

पिछल परिच्छेद में उल्लिखित कोकोतु अपील क लिये विहित अवधि पाँच दिन का हागा ।

अनु० 434—अनुच्छेद 423 424 और 426 का व्यवस्थाएँ (provisions), यथाचिन परिवतन क माय हम सहिता में अथवा विहित दगा का छाडकर पिछल अनुच्छेद क परिच्छेद 1 में उल्लिखित कोकोतु अपील क मबद में लागू हागा ।

## चौथा खण्ड

### कार्यवाही का पुनर्विचार

(Reopening of Procedure)

अनु० 435—निम्नांकित दशाओं में कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन उस व्यक्ति के हित के लिए किया जा सकता है जिसके विरुद्ध "दोषिता" ("guilty") का कोई निर्णय अन्ततः वाध्यकारी हो चुका हो।

- (1) जब कि लेख्यसाध्य (documentary evidence) या साक्ष्य के जस, जिन पर मूल-निर्णय जापूत था, अन्य अन्ततः वाध्यकारी निर्णय द्वारा जाली (forged) या परिवर्तित (altered) सिद्ध हो चुके हों,
- (2) जब कि कोई मौखिक साध्य (testimony), विशेष-मामति (expert opinion), अर्थ-निर्देशन या अनुवाद, जिन पर कि मूल निर्णय जापूत था, अन्य अन्ततः वाध्यकारी निर्णय द्वारा गलती (false) सिद्ध हो चुका हो,
- (3) जब कि किसी दोषी (guilty) घोषित व्यक्ति के विरुद्ध किए गए मिथ्या अभियोग (false accusation) का अपराध अन्य अन्ततः वाध्यकारी निर्णय द्वारा प्रमाणित किया जा चुका हो, तथापि यह केवल उन्हीं दशा में लागू होगा जहाँ "दोषिता" का निर्णय उक्त मिथ्या अभियोग के ही कारण दिया गया हो,
- (4) जब कि विनिश्चय (decision), जिन पर कि मूल-निर्णय जापूत था, एक अन्ततः वाध्यकारी विनिश्चय द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो,
- (5) जब कि किसी अभियोग में, जिसमें किसी एकसब अधिकार (patent right), उपयोगिता-आदर्श अधिकार (utility model right) अभिव्यक्त अधिकार (design right), या व्यापार-टाप अधिकार (trade-mark right) के अतिरुधन (infringing) के

आधार पर 'दायित्व वा निर्णय दिया जा चुका है' उक्त अधिकारी का प्रभावहीन करता हुआ एकत्र कार्यालय (Patent Office) का वाइ विनिश्चय (decision) अन्त वाध्यकारी है चूँकि हा अथवा निम्न न्यायालय द्वारा ऐसा ही (उक्त अधिकारी का प्रभावहीन करने वाला) निर्णय दिया गया है।

(6) जब कि ऐसा स्पष्ट साक्ष्य (clear evidence) नवाविष्कृत (newly discovered) है कि किसी दायी घोषित व्यक्ति व सत्र में निर्दोषता (not guilty) या विमुक्ति (acquittal) का निर्णय दिया जाय अथवा किसी दायित्व (condemned) व्यक्ति के सत्र में दण्ड क्षमा (remission) का निर्णय दिया जाय अथवा मूत्र निर्णय द्वारा प्रतिपादित अपराध न हल्का (lighter) अपराध मान लिया जाय

(7) जब कि किसी अन्त वाध्यकारी निर्णय द्वारा यह प्रमाणित हो जाय कि मूल निर्णय में भाग लने वाले न्यायाधीश या मूल निर्णय व आधारभूत दृश्यमानों के निर्माण में भाग लने वाले न्यायाधीश या मूल निर्णय के आधारभूत साम्य प्रलेख (evidential document) या वक्तव्या (statements) को तैयार करने वाले लोक-समाहता लोक-समाहता कार्यालय व सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्यालयीय कार्यों (official functions) के सत्र में किए गए अग्रगण्य रहे हैं। तथापि यह केवल वही लागू होगा जहाँ उस देश में जब कि उक्त न्यायाधीश लोक-समाहता लोक-समाहता-कार्यालय के सचिव अथवा न्यायिक पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध मूल निर्णय दिए जाने के पूर्व ही कोई लोक-समाहता (public action) की गई हो मूल निर्णय देने वाला न्यायालय उक्त तथ्य से अनभिज्ञ रहा हो।

अनु० 436—निम्नांकित दशाओं में किसी अन्त वाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध जिमके द्वारा कौसी अपील या जोकोकु अपील खारिज की गई है उस व्यक्ति के हित के लिए जिसने प्रति निर्णय दिया गया हो कार्यवाही के पुनर्विचार के लिए निवेद किया जा सकता है

- (1) यदि पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 1 या 2 में उल्लिखित हेतु (causes) मिलने हो,
- (2) यदि पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 7 में उल्लिखित हेतु उम न्यायाधीश के मक्ष में मिलने हो जिनमें मूल-निर्णय या मूल-निर्णय में माध्य के रूप में अंगीकृत लेख्य-माध्य (documentary evidence) की तैयारी (preparation) में भाग लिया हो।

किसी अनियोग पर, जिसमें प्रथम न्यायालय में, अन्त वाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किया गया था, कार्यवाही के पुनर्विचार का निर्णय दिए जाने के बाद कोसी अपील को स्वार्जित करने वाद निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नहीं किया जाएगा।

किसी अनियोग पर जिसमें प्रथम या द्वितीय न्यायालय में किसी अन्त वाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किया गया था कार्यवाही के पुनर्विचार का निर्णय दिए जाने के बाद, जोकोहु अपील स्वार्जित करने वादे निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नहीं किया जाएगा।

अनु० 437— जय किसी अभियोग में ऐसा अन्त वाध्यकारी निर्णय पाना असंभव हो जिसमें, पिछले दो अनुच्छेदों के अनुसार, किसी अन्त-वाध्यकारी निर्णय द्वारा प्रमाणित किए गए किसी अपराध का कोई तथ्य (fact, कार्यवाही के पुनर्विचार का हेतु बनाया जाय तो उक्त तथ्य का प्रमाणित करने पर कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किया जा सकता है। तथापि, यह उम अभियोग के सम्बन्ध में नहीं लागू होगा जिसमें ऐसा अन्त वाध्यकारी निर्णय, माध्य के अभाव (lack of evidence) के कारण न पाया जा सके।

अनु० 438— कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन मूल-निर्णय देने वाले न्यायाध्य के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction) में आएगा।

अनु० 439— निम्नांकित व्यक्ति कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन कर सकते हैं

- (1) (क्षमताहीन 'वायवाह्य न सख्द) 'अव-नमान्ता
  - (2) दापी घापित किए गए व्यक्ति
  - (3) दापी' घापित किए गए व्यक्ति व वेंच प्रतिनिधि एवं पात्र ,
  - (4) 'दापी' घापित किए गए व्यक्ति के पति या पत्नी (husband)
- काय सख्दा भाई या बहन यदि वह व्यक्ति मर गया हो अथवा कित्तु चिन्ता (unsound mind) का स्थिति में हो ।

अनुच्छेद 435 प्रभाग 7 या अनुच्छेद 436 परिच्छेद 1 प्रभाग 2 में उल्लिखित हेतुओं व वर पर कायवाही व पुनर्विचार का निवेदन करके उक्त मामलों द्वारा किया जा सकता है यदि वह अपराध 'दापी' घोषित व्यक्ति द्वारा उत्पन्न गया (instigated) हो ।

अनु० 440—जब 'अव-नमान्ता' स भिन्न कोई व्यक्ति कायवाही व पुनर्विचार का निवेदन करे तो वह प्रतिवाह-परामर्शना (defense counsel) चुन सकता है ।

विच्छेद परिच्छेद की व्यवस्था (provision) व अनुसार प्रतिवाद परामर्शना का चुनाव तब तक मान्य (valid) रहेगा जब तक कायवाही व पुनर्विचार में कोई निषेध न हो जाय ।

अनु० 441—कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन दण्ड निष्पादन (execution of penalty) व पूरे किए जाने के बाद भी अथवा जहाँ दण्ड निष्पादित न किया जान वाला हो किया जा सकता है ।

अनु० 442—कायवाही व पुनर्विचार का निवेदन दण्ड व निष्पादन का नहीं रोकेगा । तथापि किसी क्षमताहीन 'वायवाह्य' से सबल लोक समाहर्ता-वार्याय का 'अव-नमान्ता' दण्ड के निष्पादन को तब तक व लिए राख सकता है जब तक कि कायवाही व पुनर्विचार के निवेदन व सबध में कोई निषेध (decision) न दिया जाय ।

अनु० 443—कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन वापस लिया जा सकता है ।

वह व्यक्ति जिसने कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन वापस लिया हो फिर उसी हेतु (same cause) पर कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन नहीं कर सकेगा ।

अनु० 444—अनुच्छेद 366 की व्यवस्थाएँ, यद्योचित परिवर्तन के साथ, कार्यवाही के पुनर्विचार के निवेदन एवं प्रत्याहरण ( withdrawal ) के सबंध में लागू होंगी ।

अनु० 445—कार्यवाही के पुनर्विचार वा निवेदन प्राप्त कर लेने पर, न्यायालय, आवश्यकतानुसार, उस निवेदन के हेतु से संबद्ध तथ्या का अनुसंधान चालू करने के लिए, सहायगी-न्यायालय के किसी सदस्य को प्रेरित कर सकता है अथवा इस करने के लिए जिला-न्यायालय, बुटुम्ब-न्यायालय, या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश का अधियाचित कर सकता है । ऐसी दशा में, राजादिष्ट न्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश का वही अधिकार होगा जो न्यायालय या पीठामीन न्यायाधीश का होता है ।

अनु० 446—जब कार्यवाही के पुनर्विचार का बार्द निवेदन विधि या अध्यादेश के प्रपत्र (form) के विरुद्ध अथवा निवेदन करने के अधिकार की समाप्ति (termination) के वाद किया गया हो तो वह एक व्यवस्था के द्वारा ग्यारिज कर दिया जायगा ।

अनु० 447—जब कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन निराधार (without grounds) हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दिया जायगा ।

विच्छेद परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के जारी किये जाने के बाद, किसी भी व्यक्ति द्वारा उसी हेतु पर फिर से, कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नहीं किया जा सकेगा ।

अनु० 448—जब कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन सुदृढ आधार (well-founded) पर हो तो कार्यवाही के पुनर्विचार को आरम्भ करने के लिये एक व्यवस्था जारी की जायगी ।

जब कार्यवाही के पुनर्विचार का आरम्भ करने के लिये कोई व्यवस्था जारी की जा चुकी हो तो दण्ड वा निष्पादन, एक व्यवस्था द्वारा रोका जा सकता है ।

अनु० 449 जब, कौंसो अपील ग्यारिज करने वाले अन्ततः वाध्यकारी निर्णय के सबंध में तथा उल्लिखित निर्णय द्वारा अन्ततः वाध्यकारी हुए प्रथम न्यायालय के किसी निर्णय के सबंध में, कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किये जाने पर प्रथम न्यायालय (court of first instance) ने कार्यवाही

क पुनर्विचार में बाइ निणय दे लिया हो ता जोसो जपाउ का यायाउय एउ व्यवस्था द्वारा कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन पारिज कर दगा ।

जर प्रथम या द्वितीय यायाउय क निणय के बिदइ जोकोकु अपीउ खारिज करन घाउ अतत बाध्यकारी निणय क सवध म तथा उक्त निणय द्वारा अतत बाध्यकारी हुए प्रथम या द्वितीय यायाउय के किसी निणय क सवध म कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन किय जान पर प्रथम या द्वितीय यायाउय न कायवाहा के पुनर्विचार में काउ निणय द लिया हो ता जोकोकु अपीउ का यायाउय एक व्यवस्था द्वारा कायवाही क पुनर्विचार का निवेदन खारिज कर दगा ।

अनु० 450 अनुच्छ० 446 447 परिच्छ० 1 अनुच्छ० 448 परिच्छ० 1 अपवा अनुच्छ० 449 परिच्छ० 1 म उल्लिखित व्यवस्था के बिदइ आसन कोकोकु अपीउ की जा सकती ह ।

अनु० 451—उस अभियोग म जिसके सवध म कायवाही का पुनर्विचार आरम करन के लिए व्यवस्था अतत बाध्यकारी हो चुकी हो यायाउय अनुच्छ० 449 की दगा को छोडकर अपनी धणी (grade) के अनुसार नय निरे से (new) विचारण करेगा ।

अनुच्छ० 314 क परिच्छ० 1 एव अनुच्छ० 339 परिच्छ० 1 प्रभाग 3 के निवाय (body) की व्यवस्थाएँ (provisions) निम्नांकित दगाआ में पिछे परिच्छ० म उल्लिखित विचारण (trial) के सवध में लागू नही हागी

- (1) जर रि कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन किसी मृत-व्यक्ति (deceased) या विवृत चित्त (unsound mind) व्यक्ति की ओर से किया गया हो जिसे ठीक होने की कोई आगा न हो
- (2) जर रि दोषी घोषित व्यक्ति कायवाही के पुनर्विचार में बाइ निणय लिया जान के पूव ही मर गया हो या विवृत चित्तता की स्थिति म आ गया हो और उसे ठीक होने की आगा न हो ।

पिछे परिच्छ० की दगा म रिता अभियुक्त की उपसजाति (appearance) के विचारण किया जा सकता ह । तथापि उसके प्रतिवाउ परामण



दाता ( defense counsel ) की अनुपस्थिति में विचारण नहीं किया जायगा ।

यदि पिछले परिच्छेद की दशा में कार्यवाही के पुनर्विचार के लिए निवेदन करने वाला व्यक्ति प्रतिवाद-परामर्शदाता नहीं चुनता तो उसके लिये पीठासीन न्यायाधीश पदेन ( ex-officio ) कोई परामर्शदाता निर्दिष्ट करेगा ।

अनु० 452—कार्यवाही के पुनर्विचार में, मूल-निर्णय में घोषित किये गए दण्ड से गुरुतर ( heavier ) दण्ड नहीं दिया जायगा ।

अनु० 453—यदि कार्यवाही के पुनर्विचार में 'निर्दोष' की घोषणा की गई हो तो ऐसे निर्णय का सरकारी राजपत्र ( Official Gazette ) एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायगा ।

— —

## पाँचवाँ खण्ड

### अमाधारण अपील

(Extraordinary Appeal)

अनु० 454—जब, किसी निर्णय के अन्तर्गत वाध्यकारी होने के बाद यह ज्ञात हो गया हो कि अभियोग का विचारण (trial) या निर्णय विधि या अध्यादेश के उल्लंघन (violation) में हुआ है तो महा-समाहर्ता (Procurator General) उच्चतम न्यायालय में अमाधारण अपील कर सकता है।

अनु० 455—अमाधारण अपील करने में, उसके हेतुओं (reasons) का विवरण वाला एक लिखित प्रार्यनामत्र उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जायगा।

अनु० 456—लाक समाहर्ता लाक विचारण (public trial) की विधि पर लिखित प्रार्यनामत्र के आधार पर बहस करेगा।

अनु० 457—अमाधारण अपील निराधार होने पर एक निर्णय द्वारा खारिज कर दी जायगी।

अनु० 458—यदि कोई अमाधारण अपील मुद्दुआ आधारों (well-founded) पर समझी जाय तो निम्नांकित वर्गों (categories) के अनुसार निर्णय दिया जायगा

(1) जब कि मूल निर्णय विधि या अध्यादेश के उल्लंघन (violation) में दिया गया हो तो उल्लंघन में आने वाले अंश को खण्डित कर दिया जायगा। तथापि यदि मूल निर्णय अभिपुक्त के लिये अहित-कारक (disadvantageous) रहा हो तो उसे खण्डित कर दिया जायगा और अभियोग पर फिर से (anew) निर्णय दिया जायगा।

(2) जब कोई कार्यवाही विधि या अध्यादेश के उल्लंघनमें हो तो उल्लंघन में आने वाली कार्यवाही खण्डित कर दी जायगी।

अनु० 459— पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 1 के प्रतिघ्न्य (provisio) के अन्तर्गत दिए गए निर्णय की छोटकर, असाधारण अपील में निर्णय का प्रभाव (effect) अभियक्त तब नहीं बढ़ेगा।

अनु० 460 न्यायालय केवल उन्हीं विषयों का अनुसंधान करेगा जो असाधारण अपील के लिखित प्रार्थनापत्र में उक्त रहेंगे।

न्यायालय मूल-न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction), लोक-कार्यवाही की स्वीकृति (acceptance of public action) एवं अभियोग की प्रक्रिया से संबद्ध तथ्यों की जांच कर सकता है। इस दसा में अनुच्छेद 393, परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यद्योचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

## छठा खण्ड

### क्षिप्र-प्रक्रिया

(Summary Procedure)

अनु० 461—क्षिप्र-न्यायालय, आने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी मामले में, लोक-समाहर्ता को माँग पर एक क्षिप्र-आदेश (summary order) द्वारा लोक-विचारण के पूर्व ही पाँच हजार सेन तक का अर्धदण्ड या छोटा अर्धदण्ड दे सकता है। इस दशा में दण्ड-निष्पादन का निरन्धन, राज्य-सम्पत्करण (confiscation) एवं अन्य महायक कारंवाइयाँ (accessory dispositions) की जा सकती हैं।

क्षिप्र-आदेश केवल उसी दशा में दिया जायगा जहाँ लोक-समाहर्ता द्वारा की गई क्षिप्र-आदेश की माँग की अधिमूचना जिस दिन मदिग्ध को दी गई हो उस दिन से सात दिन बीत चुके हो और मदिग्ध की आर में क्षिप्र-प्रक्रिया (summary procedure) पर कोई आपत्ति (objection) न हो।

अनु० 462—क्षिप्र-आदेश की माँग लिखित रूप में लोक-कार्यवाही की संस्थिति (institution) के माप ही साथ की जायगी।

अनु० 463—यदि, उस दशा में जब कि पिछड़े अनुच्छेद के अन्तर्गत माँग (demand) की गई हो, ऐसा समझा जाय कि अभियोग क्षिप्र-आदेश जारी किए जाने योग्य नहीं है अथवा ऐसा करना उचित नहीं है तो विचारण सामान्य व्यवस्थाओं (provisions) के अनुसार किया जायगा।

अनु० 464—क्षिप्र-आदेश में, अपराध का घटक तथ्य, प्रयुक्त विधि या अप्यादेश, दण्ड (penalty) एवं की जाने वाली अन्य महायक कारंवाइयाँ एवं यह वक्तव्य (statement) कि नियमित विचारण (regular trial) के लिए प्रायंता-पत्र, आदेश की अधिमूचना (notification) के दिन से सात दिन के अन्दर दिया जा सकता है, लिखे जायेंगे।

अनु० 465—वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई क्षिप्र-आदेश जारी किया गया हो, या लोक-समाहर्ता, उस (क्षिप्र आदेश) की अधिमूचना मिलने के सात दिन के अन्दर नियमित विचारण के लिए प्रायंता-पत्र दे सकता है।

नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र लिखित रूप में क्षिप्र-आदेश जारी करने वाले न्यायालय में दिया जायगा। नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर, न्यायालय इस तथ्य की अधिसूचना तुरन्त लोक-समाहर्ता या उस व्यक्ति को देगा जिसके विरुद्ध क्षिप्र-आदेश जारी किया गया हो।

अनु० 466—नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र प्रथम न्यायालय (first instance) में कोई निर्णय दिए जाने के पहले वापस लिया जा सकता है।

अनु० 467 अनुच्छेद 353, 355 से 357 एव 359 से 365 तक की व्यवस्थाएँ परोक्ष परिवर्तन के साथ, नियमित विचारण (regular trial) के प्रार्थना-पत्र एव उसने प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में लागू होंगी।

अनु० 468—यदि नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र विधिया एव अध्यादेश के प्रपत्रा (forms) के विरुद्ध दिया गया हो अथवा प्रार्थना-पत्र देने के अविचार की समाप्ति (termination) के बाद दिया गया हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दिया जायगा। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आसन (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

यदि नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र विधि-मगत (legal) समझा जाय तो विचारण सामान्य व्यवस्थाओं के अनुसार चालू किया जायगा।

पिछले परिच्छेद की दशा में क्षिप्र-आदेश बाध्यकारी (binding) नहीं होगा।

अनु० 469—नियमित विचारण के प्रार्थना-पत्र पर कोई निर्णय दिए जाने पर क्षिप्र-आदेश प्रभाव मूल्य हो जायगा।

अनु० 470—क्षिप्र-आदेश के वे ही प्रभाव (effects) होंगे जो नियमित विचारण के प्रार्थना-पत्र देने की अवधि के बीत जाने अथवा प्रार्थनापत्र वापस लेने पर अंतिम निर्णय (irrevocable judgment) के होते हैं। यही उस दशा में भी लागू होगा जहाँ नियमित विचारण के प्रार्थनापत्र को खारिज करने वाला विनिश्चय (decision) अटल (irrevocable) हो चुका हो।

## सातवाँ खण्ड

### विनिश्चय का निष्पादन

(Execution of Decision)

अनु० 471—इस संहिता में अन्यथा विहित दसा को छोड़कर, किसी विनिश्चय (decision) का निष्पादन उसके अन्तर्गत बाध्यकारी हो जाने पर किया जायगा ।

अनु० 472—विनिश्चय का निष्पादन उस विनिश्चय देने वाले न्यायालय या सबडि लॉक-समाहर्ता-कार्यालय के लॉक-समाहर्ता द्वारा निर्देशित किया जायगा । तथापि, यह अनुच्छेद 70 परिच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 109, परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रतिबन्ध (proviso) को दसा में लागू नहीं होगा और न तो ऐसे अभियोगों (cases) के सम्बन्ध में ही जिनमें इसका निर्देशन किसी न्यायालय या न्यायाधीन द्वारा किया जाता आवश्यक हो ।

उस दसा में, जब कि किसी अपील पर किए गए अपवा अपील की वापसी (withdrawal) पर किए गए विनिश्चय (decision) के परिणाम स्वरूप किसी अवर न्यायालय (inferior court) का कोई विनिश्चय निष्पादित करना हो या अपील के न्यायालय से सबडि लॉक-समाहर्ता-कार्यालय या लॉक-समाहर्ता उसके निष्पादन (execution) को निर्देशित करेगा । तथापि, यदि अभियोग के अभिलेख (records) अवर न्यायालय या उस न्यायालय से सबडि लॉक-समाहर्ता-कार्यालय में हो तो उस न्यायालय से सबडि लॉक-समाहर्ता-कार्यालय या लॉक-समाहर्ता विनिश्चय के निष्पादन को निर्देशित करेगा ।

अनु० 473—विनिश्चय के निष्पादन को लिखित रूप में निर्देशित किया जायगा और इस लेख के साथ विनिश्चय के प्रलेख (document of decision) अथवा नयाचार (protocol) की एक प्रति अथवा उसका उद्धरण (extract) जिसमें विनिश्चय अङ्कित हो सम्भल रहेगा । तथापि, निर्देश (direction) भी, यदि वह दण्ड के निष्पादन का न हो, विनिश्चय के प्रलेख के मूल या प्रतिलिपि अथवा उद्धरण या नयाचार की प्रति या उसके उद्धरण पर मुद्राक (impress) लगा कर दिया जा सकता है ।

अनु० 474- उरा दशा में जब कि अथदण्ड या छोट दण्ड अर्थ के अति-रिक्त दो या अधिक प्रधान दण्ड (principal penalties) हा ता गुरतम (दण्ड) को सबसे पहलू निष्पादित किया जायगा। तथापि लाक-समाहर्ता महा-लोक-समाहर्ता (Procurator General) की अनुमति से जब कि वह उच्चतम लोक-समाहर्ता कार्यालय का लोक-समाहर्ता हा, अथवा (उच्च लोक-समाहर्ता-कार्यालय के) अधीक्षक समाहर्ता (Superintending Procurator) की अनुमति से जबकि यह उच्चतम लोक-समाहर्ता-कार्यालय से भिन्न किसी (कार्यालय) का लाक-समाहर्ता हो गुरतर दण्ड के निष्पादन को राक (stay) एव अन्य दण्ड का निष्पादित करा सकता है।

अनु० 475 प्राण दण्ड का निष्पादन अटार्नी जनरल (Attorney-General) के आदेश के अन्तगत किया जायगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आदेश नियम व अन्तत वाध्यकारी होने के दिन से छ मास के अन्दर दिया जायगा। तथापि उन दशाओं में, जहाँ अपील करने के अधिकार की पुन प्राप्ति (recovery of right to Appeal) या वायवाही के पुनविचार का निवेदन (request) किया गया हो अथवा असाधारण अपील या राज-क्षमा (amnesty) की याचिका (petition) या प्राथना-पत्र (application) दिया जा चुका हा ता उसकी प्रक्रिया (procedure) के पर्यवसान की अवधि एव वह अवधि जब तक के लिए सह-प्रतिवादिया पर यदि काई हा, घापित नियम अन्तत वाध्यकारी न हा जाय उक्त अवधि में परिवर्तित (calculated) नहीं की जायेंगी।

अनु० 476- अटार्नी जनरल (Attorney General) द्वारा प्राण-दण्ड के निष्पादन का आदेश दिए जाने की दशा में ऐसा निष्पादन पाँच दिन के अन्दर कार्यान्वित किया जायगा।

अनु० 477- प्राण-दण्ड लाक-समाहर्ता, लाक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव, एव कारागार व सरक्षक (warden of prison) या उसका प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित किया जायगा।

कोई भा व्यक्ति लाक-समाहर्ता या कारागार के सरक्षक की अनुमति के बिना निष्पादन के स्थान (place of execution) में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

local public entities) को सौंप देगा तथा वित्ती चिकित्सालय या अन्य अनुकूल स्थान (suitable place) में रखवा देगा ।

वह व्यक्ति, जिसके दण्ड का निष्पादन रोक दिया गया हो, एक कारागार में तब तक रखा जायगा जब तक कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित वारंवारि कार्यान्वित नहीं कर दी जाती, और इस प्रकार के निराप की अवधि दण्ड की अवधि में सम्मिलित की जायगी ।

अनु० 482—पठारथम-वारावात, वारावात अथवा निरोध का निष्पादन, निम्नांकित दस्तावे में, दण्ड घायित करने वाल न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता अथवा जिला-लाव-समाहर्ता-कार्यालय के, जिसके क्षेत्राधिकार में वह स्थान आता है जहाँ अपराधित व्यक्ति स्थित हो, निदेशन के अधीन, रोक दिया जायगा । तथापि, लोक-समाहर्ता को, यदि वह उच्चतम लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सदस्य है तो महा-लोक-समाहर्ता को अथवा यदि वह उच्चतम लोक-समाहर्ता-कार्यालय से अन्य का लाव-समाहर्ता हो तो (उच्च लोक-समाहर्ता-कार्यालय के) अधीक्षक-समाहर्ता (Superintending Procurator) की अग्रिम अनुमति लेना आवश्यक होगा :

- (1) यदि अपराधित व्यक्ति के स्वास्थ्य में, दण्ड के निष्पादन के फल-स्वरूप गम्भीर हास हो गया है अथवा यह भय हो कि वह जीवित नहीं बचेगा ,
- (2) यदि अपराधित व्यक्ति कम से कम सत्तर वर्ष की आयु का हो ;
- (3) यदि अपराधित महिला एक सौ पचास या इससे अधिक दिनों की गर्भिणी हो ,
- (4) यदि अपराधित महिला के बच्चा प्रसव करने के बाद साठ दिन न बीते हो ,
- (5) यदि यह आशंका है कि दण्ड के निष्पादन से अप्रतिकार्य अलाभ (irretrievable disadvantage) होगा ,
- (6) यदि अपराधित व्यक्ति के महाजनक (grand parents, पिता-मही-पितामह) या माता-पिता कम से कम सत्तर वर्ष की आयु के या विवलाग (crippled) अथवा असाध्य बीमार (seriously ill) हो, और उनकी देख-भाल करनेवाला अन्य कोई सदस्य न हो,



(7) यदि अपराधित व्यक्ति के पुत्र (children) या पोत (grand children) संज्ञानावस्था में हों और उनकी देखभाल करने वाला कोई सबर्वा न हो ,

(8) यदि अन्य कोई गम्भीर कारण (serious cause) हो ।

अनु० 483—विचारण के परिष्कृत्य (Costs of trial) का वहन करने का आदेश करने वाले विनिश्चय का निष्पादन, अनुच्छेद 500 द्वारा विहित निवेदन (request) के लिए नियत अवधि तक अथवा उम्र दशा में जब कि उक्त निवेदन किया जा चुका हो उस पर विनिश्चय के अन्तत बाध्यकारी ही जानें तक के लिये, रोक दिया जायगा ।

अनु० 484—यदि प्राण दण्ड, बठोरधम-कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित व्यक्ति परित्राण में न हो ता लोकसमाहर्ता उसे दण्ड के निष्पादन के लिये बुलायेगा । यदि उक्त बुलावे (calling) के उत्तर में वह उपसजात न हो ता एक सुपुर्दगी का प्रादेश (writ of commitment) जारी किया जायगा ।

अनु० 485—यदि प्राण दण्ड, बठोरधम-कारावास, कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित व्यक्ति निकल भगा हो अथवा उसने निकल भगने की भासना हो ता लोक-समाहर्ता तुरन्त एक सुपुर्दगी का प्रादेश जारी करेगा अथवा किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी को ऐसा करने का आदेश देगा ।

अनु० 486—यदि प्राण दण्ड, बठोरधम-कारावास, कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित व्यक्ति का पता (whereabouts) अज्ञात हो तो लोकसमाहर्ता उच्च लाक-समाहर्ता-कार्यालय के किसी अधीक्षक समाहर्ता (Superintending Procurator) से, उसे कारागार में सीपने का निवेदन करेगा ।

इस प्रकार से निवेदित किया गया अधीक्षक समाहर्ता लोकसमाहर्ता को अपने जिले में सुपुर्दगी का प्रादेश जारी करने का निदेशन देगा ।

अनु० 487—सुपुर्दगी के प्रादेश में, अपराधित व्यक्ति का नाम, निवास-स्थान एवं आयु, दण्ड का नाम एवं अवधि तथा सुपुर्दगी के अन्य विषय लिखित रहेंगे, और इस पर लोकसमाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी का नाम तथा मुद्रा (सील) रहेगा ।

अनु० 488—मुपुदंगी के प्रादेश का वही प्रयोजन होगा जो प्रस्तुति के अधिपत्र (warrant of production) का होता है ।

अनु० 489—प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन से सबद्ध व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, मुपुदंगी के प्रादेश के निष्पादन के सबन्ध में लागू होंगी ।

अनु० 490—अर्थदण्ड लघु अर्थदण्ड, राज्यसात्करण, अतिरिक्त वसूली (additional collection) अदाण्डित अर्थदण्ड (non-penal fine), जर्जी (sequestration), विचारण के परिष्कृता, परिष्कृता के प्रतिवर अथवा अनन्तिम अदायगी (provisional payment) के आरोप करने वाले (imposing) विनिश्चय का निष्पादन, लाकममाहर्ता के आदेश द्वारा किया जायगा । ऐसे आदेश का वही प्रयोजन होगा जो वन्धन (obligation) के किसी निष्पादनीय हक (executable title) का हाना है ।

दीवानी प्रक्रिया से (civil procedure) से सबद्ध विधि एवं अध्यादेश की व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट विनिश्चय (decisions) के निष्पादन के समय में लागू होंगी । तथापि, विनिश्चय की तामीली (service of the decision) निष्पादन के पहले आवश्यक नहीं ।

अनु० 491—करों (taxes) या अन्य लागों (imposts) अथवा भरकारी एकाधिकारों (monopolies) से सबद्ध विधि या अध्यादेश की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आरोपित राज्यसात्करण (confiscation) या अर्थदण्ड या अतिरिक्त वसूली (additional collection) का निष्पादन, निर्णय के अन्तत वाध्यकारी हो जाने के बाद, अभियुक्त के मर जाने की स्थिति में, उनराधिकार को संपत्ति पर किया जा सकता है ।

अनु० 492—यदि, उम दशा में जब कि कोई न्यायिक व्यक्ति (juridical person) अर्थदण्ड, राज्यसात्करण या अतिरिक्त वसूली से उपराधित किया गया हो और वह न्यायिक व्यक्ति निर्णय के अन्तत वाध्यकारी हो जाने के बाद, समामेलन (amalgamation) द्वारा समाप्त (extinguish) हो गया हो ता समामेलन के बाद जो न्यायिक व्यक्ति कार्य करता हो या जो समामेलन द्वारा बनाया गया हो उम पर दण्ड का निष्पादन किया जायगा ।

अनु० 493—यदि, उम दशा में जब कि प्रथम या द्वितीय न्यायालयों में

अन्तिम अदायगी (provisional payment) के विनिश्चय किए गए हैं, प्रथम न्यायालय का विनिश्चय (decision) निष्पादित किया जा चुका है तो ऐसी निष्पादन द्वितीय चापराय के विनिश्चय के लिए धन की राशि के उस परिमाण तक समाना जायगी जिता द्वितीय चापराय के विनिश्चय द्वारा जमा करन का आदेश दिया गया है।

पिछले परिच्छेद की दशा में जब प्रथम चापराय में अन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन द्वारा प्राप्त धनराशि का परिमाण उक्त विनिश्चय द्वारा द्वितीय चापराय में जमा की जाने के लिए आदिष्ट धनराशि के परिमाण से बढ़ जाय तो अधिक परिमाण का वापसी (reimbursed) कर दी जायगी।

अनु० 494—यदि अन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन के बाद किसी अपराध उच्च अपराध या अतिरिक्त दण्डों का विनिश्चय अन्तः चापरायों में ही गया है तो जमा किए गए परिमाण तक उक्त निष्पादन समाना जायगा।

पिछले परिच्छेद की दशा में जब अन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन द्वारा धनराशि का परिमाण अपराध उच्च अपराध, या अतिरिक्त दण्डों के परिमाण से बढ़ जाय तो अधिक परिमाण की वापसी कर दी जायगी।

अनु० 495—अपील के लिए विहित अवधि में निरोध के दिना की सख्या अपील के प्राथनापत्र के साथ निरोध द्वारा लम्बित निषेध (detention pending judgment) के दिनों की सख्या का छाड़कर नियत दण्ड (regular penalty) के परिचयन में सम्मिलित की जायगी।

अपील के प्राथनापत्र के साथ निरोध द्वारा लम्बित निषेध के दिनों की सख्या निम्नांकित दशाओं में नियत दण्ड के परिकलन (calculation) में सम्मिलित की जायगी

- (1) उस अभियोग में जिसमें अपील के लिए प्राथनापत्र लोक-समाहर्ता द्वारा किया गया हो
- (2) उस अभियोग में जिसमें अपील के लिए प्राथनापत्र लोक-समाहर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया हो और अपीलीय क्षत्राधिकार सभ्य न्यायालय (court of appellate jurisdiction) द्वारा मूक्त निषेध खण्डित कर दिया गया हो।

पिछले दो परिच्छेदों के अनुसार परिवर्तन के लिए, निरोध द्वारा लम्बित निर्णय का एक दिन, दण्डित अवधि (penal term) के एक दिन या बीस येन की राशि के बराबर गिना जायगा ।

अपीलीय क्षेत्राधिकार-सपत्र न्यायालय द्वारा मूल-निर्णय तण्डित किए जाने के बाद कार्यान्विता निराध का, अपील के लम्बन (pendency) की अवधि में निराध के दिना की सख्या की तरह परिवर्तन में सम्मिलित किया जायगा ।

अनु० 496—राज्यमात्करण में लिए गए माला का लाक-समाहर्ता द्वारा बँच दिया जायगा ।

अनु० 497—यदि, राज्यमात्करण के निष्पादन के बाद तीन मास के अन्दर अधिकारी व्यक्ति द्वारा राज्यसात्कृत माला (confiscated goods) को लौटाने की माँग (demand) की जाय तो लाक-समाहर्ता, विनष्ट किए जाने अथवा दूर फेंके जाने वाले माला को छाडकर, उन्हें वापस दे देगा ।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित माँग (demand) राज्यमात्करण में लिए गए माला के बेचे जाने के बाद की गई हो तो लाक-समाहर्ता लाक-विभय (public sale) में प्राप्त आगम (proceeds) को वापस दे देगा ।

अनु० 498—उस दशा में जब कि कोई जाली (forged) या परिवर्तित (altered) वस्तु वापस दी गई हो तो उस वस्तु पर ही उसके जाली या परिवर्तित असा का निर्देश किया जायगा ।

उस दशा में जब कि कोई जाली या परिवर्तित वस्तु का अभिग्रहण न किया गया हो तो इसे प्रस्तुत कराया जायगा और पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट उपाय (measures) किए जायेंगे । तथापि, यदि वह वस्तु किसी लाक-कार्यालय की हा ता उसके जाली या परिवर्तित असा की सूचना उस कार्यालय को दी जायगी और उचित कार्रवाई कराई जायगी ।

अनु० 499—उस दशा में जब कि अभिग्रहीत माल (goods under seizure), जिसे वापस करना हो ऐसे अधिकारी व्यक्ति का पता अज्ञात रहने या अन्य कारण से वापस न किया जा सके ता लाक-समाहर्ता इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना (public notice) सरकारी राजपत्र (Official Gazette) में देगा ।

पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित प्रावधानों (motions) एवं उनके प्रत्याहरण (withdrawal) के सवध में लागू होगी।

अनु० 504 अनुच्छेद 500 में 502 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित प्रावधानों (motions) के सवध में जागे को गई व्यवस्था विरुद्ध, आगत के (immediate) कोषोंको अपील की जा सकती है।

अनु० 503—जिसी अथदण्ड या लघु अर्थदण्ड की पूरी अदायगी न कर मरने की दशा में जहाँ तक किसी निवृत्त-निवेदन (work-house) में निराश के निष्पादन का सवध है, दण्ड के निष्पादन में सवद व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ लागू होंगी।

अनु० 506 अनुच्छेद 490, परिच्छेद 1 में निदिष्ट विनिश्चयों में किसी भी विनिश्चय के निष्पादन के खर्च (costs of execution) उस व्यक्ति में वसूल किए जायेंगे, जिस व्यक्ति पर उक्त निष्पादन का उद्ग्रहण किया गया हो और निष्पादन के साथ ही साथ दीवानी प्रक्रिया (civil procedure) के समस्त विधि एवं अध्यादेशों की व्यवस्थाओं के अनुसार, वसूल किया जायगा।

### अनुपूरक उपबन्ध :

#### (Supplementary Provisions)

यह संहिता जनवरी 1, 1949 से लागू होगी।

— — —

## शब्दावली

अक्षम	incompetent	अनुपूरक	supplemen- tary
अक्षुण्ण	inviolate		
अग्नि काण्ड	arson	अनुपूरक उपबन्ध	supplimen- tary pro- visions
अटल निर्णय	irrevocable judgment		
अतिचार	trespass	अनुवाद	translation
अतिरिक्त	additional	अनुमन्धान	investiga- tion
अतिरिक्त दण्ड	additional penalty	अनूशा-गमन	fornication
अदाण्डिक अर्थदंड	non-penal fine	अनेकापराध	Heigozai
अधिकार	right	अन्तः- कारी	finally bind- ing
अधिकार क्षेत्र	jurisdiction	अन्तर्विबेक	conscience
अधिकारी	officer	अन्तर्विषय	content
अधिनिषेध	act	अपहृत पक्ष	injured party
अधिभ्यास	assignment	अपराध	crime
अधिपत्र	warrant	अपराधित	condemned
अधिभोक्ता	occupant	अपराधी	criminal } exclusion } abduction
अधियाचित	requisitioned	अपवर्जन	
अधिलघन	suppression	अपहरण	
अधिवक्ता	advocate	अपीलीय क्षेत्रा- धिकार	appellate ju- risdiction
अधिवास	domicile		irretrievable
अधिवेदान	session	अप्रतिकार्य	seizure
अधिसेविना	servitude	अभिग्रहण	desertion
अध्यादेश	ordinance	अभित्याग	intimidation
अध्याय	chapter	अभिप्रास	demand
अनुच्छेद	article	अभिप्राचना	accused
अनुदेश	instruction	अभियुक्त	

अभियोग	accuser	आयाग	import
अभियोग	case	आयाग	Commission
अभियोजन	prosecution	आशय	intention
अभिरक्षक	custodian	आसन्न	immediate
अभिरक्षण	custody	उत्ताना	instigate
अभिलेख	record	उच्चतम न्याया-	Supreme
अभिज्ञान करना	incriminate	लय	Court
अभ्यारोपण	indictment	उच्चन्यायालय	High Court
अभ्युक्ति	plea	उपयोग	utilization
अर्थनिवचन	interpretation	उपसृजति	appearance
		उपसहायक	accessory
अर्हता	qualification	उपान्त	precincts
अवधि	term	उल्लंघन	violation
अवर न्यायालय	Inferior court	क्रण पर	security
अवरोध	restraint	एकम्ब अभिवर्ता	patent agent
अश्लीलता	obscenity	कटपूर्ण उपाय	fraudulent
असंगत	incompatible		stratagem
असहिष्णुता	intolerance	कत्रिस्तान	cemetery
असाधारण अपील	extraordinary appeal	कर	tax
असावधानी	negligence	कठोरश्रम-कारा-	Penal servi-
अहितकारक	disadvantageous	कन्य	tude
		कर्मचारी	duty
आगम	proceeds	कर्मशाला	official
आधार	ground	कारागार	work-house
आपत्ति	objection	कारावास	prison
आपराधिक अनु-	criminal in-		imprison-
सधान	vestigation	कार्यवाही	ment
आपराधिक विधियां	criminal laws	कार्यवाही पर	proceeding
आप्लावन	inundation	पुनर्विचार	recopening
आयन्यक	budget		of proce-
			dure

कायान्वय भ्रष्टाचार	official corruption	जनमत संग्रह जनहित	referendum public welfare
कारवाह	disposition		fare
कुख्यात	flagrant	प्रदानता निमुक्ति	release on bail
कुर्छी	attachment		water main
कुलानता	peerage	प्रदान	veil
कुतु	signal	वाल्वात्रा	forgery
क्षमादान	amnesty	वाग	forged
मित्र आदान	summary order	वाग विक्रम	counterfeit coin
मित्रव्यापार	summary procedure	जुना वाग	gambling
मित्रप्रक्रिया	jurisdictional	नयन	fact
मित्राधिकारिक अभिमता	incompetency	तयन	search
	quash	सम्पन्न	resignation
मृगित्त करना	reputation	दम्पति	spouse
मृगति	counts	दम्प	penalty
मृगव	abortion	दम्प घटन दम्प	extenuating
मृगदान	gravity	परिस्थिति	circumstances
गुरता	civil war	प्रक्रिया	code of criminal procedure
गुरमुद्ध	secrecy	महिता	penal code
गोदानादना	mitigation		oppression
घटाव	wounding	दम्प महिता	penal detention
घायल करना	gross error	दम्प	pronouncement
घार युक्ति	pronouncement	दम्प निराव	maximum
घायना	maximum		injury
	injury	दावाना प्रक्रिया	theft
चरम	theft		rescue
चोर	rescue	दोषमन्त्रणा	
चोरी		द्विपत्नीत्व	bigamy
छुड़ा लना			



पगची	threat	परिवर्तन	calculation
पात्री	midwife	परिच्छेद	paragraph
तयाचार	protocol	परित्याग	renunciation
निकाल दिया गया	deleted	परिप्रश्न (जाँन)	inquiry
नियन्त्रण	control	परिरक्षण	preservation
नियम	regulation	परिरोध	confinement
निरीक्षण	inspection	परिवर्तन	commutation
निरोध	detention	परिवाद	complaint
निर्णय	judgement	परिवादी	complainant
निर्देशन	indication	परिख्यय	costs
निर्दोष	not guilty	परिहार	abolition
निर्वन्धन	restriction	परीक्षा	examination
निर्वाचक	electors	पर्यवेक्षण	supervision
निर्वाह्य	sustainable	पलायन	escape
निलम्बन	suspension	पारपत्र	passport
निवास प्रभार	lodging charges	पालक	curator
निविदा	tender	पीठासीन न्याया- धीश	presiding judge
निष्पादन	execution	पीडा	torture
नुक्सान पहुँचाना	damage	पुन प्राप्ति	recovery
न्यायपालिका	judiciary	पुनरावृत्त अपराध	repeated crimes
न्यायाधीश	judge		
न्यायालय	court	पुनर्विलोकन	review
न्यायिक दृष्टान्त	judicial precedent	पूछताछ प्रबलित प्रमाण	interrogation presumptive proof
न्यास	trust		
न्यूनतम	minimum	प्रस्थापन	promulgation
पडताल	entry	प्रणाल	sluice
पदनाम	designation	प्रतिकर	compensation
पदेन	ex-officio	प्रतिनिधि	representa- tive
परामशंदाता	counsel		

प्रतिनिधि-मदन	House of re	प्राप्त	writ
	presenta	प्रादक्षिण क्षत्राधि	territorial
	tive	कार	jurisdic
प्रतिपत्नी	proxy		tion
प्रतिबंध	proviso	प्राधिकरण	authorisation
प्रतिरक्षा	defense	बन्धन	arrest
प्रतिवाद परामर्श	defense cou	बलवा	riot
दाता	nsel	बन्धन	rape
प्रतिविधान	rescript	बाधा उत्पन्न	obstruct
प्रतिबदन	report	बाधना	obligation
प्रतिमहर्षण	revocation	बाध	embankment
प्रतिमहर्षण	revoke	मुक्तान	payment
प्रत्याभूत	guaranteed	भागाधिकार	prescription
प्रत्याखनन	restoration	मन्त्रि-मन्त्रिपर	cabinet
प्रत्याह्वय	withdrawal	महत्त्वपूर्ण	material
प्रत्यय	credible	महाभियोग	public impe
प्रभाग	item		achment
प्रभुत्व	sovereignty	मानव व मौलिक	fundamental
प्रमाण मन्त्र	probative	अधिकार	human
	value		rights
प्रयत्न	attempt	मानवदन	homicide
प्रत्यय	document	मिथ्या अभियोग	false accusa
प्रवर्तन	enforcement		tion
प्रशासन	administra	मिथ्या प्रत्यय	perjury
	tion	मुख्य अवरानी	principal
प्रस्ताव	resolution	मुद्रा	seal
प्रस्तुति	production	मूल वायालय	original court
प्रणालिका	deathpenalty	वायायात अवरान	traffic obstru
प्राथमिक वाया	court of first		ction
लय	instance	यात्रा-व्यय	travelling
प्राथमिक व्यवहार	first instance		expenses

रक्षी	guard	लोक प्राधिकरण	public authority
राजप्रतिनिधि	regent		
राजप्रतिनिधि मण्डल	regency	लोक विचारण	public trial
राजवित्तीय वर्ष	fiscal year	लोक विषय	public sale
राजस्व	revenue	लोक समाहर्ता	public procurator
राजादिपट	commissioned	वसूली	collection
राज्य-सदन-विधि	imperial house law	बादवरण सामर्थ्य	litigation capacity
राज्य सभा	Diet	वापसी	restoration
राज्यमाल्वरण	confiscation	विकलाग	crippled
राज्य सिंहासन	imperial throne	विगण्डन	rescission
राष्ट्रीय-ध्वज	National flag	विचारण	trial
लगाना	impose	वितरण	service
लघु अर्थदण्ड	minor fine	वित्त	finance
लम्बन	pendency	विधान	law
लम्बित	pending	विधायक अंग	law-making organ
लापता होना	missing	विधि, विधान	law
लिखित अनुबन्ध	written stipulations	विधिज्ञ गण	bar association
लूट	robbery	विधेय	bill
लेखा	record	विध्वस्त करना	subvert
लेखापरीक्षक मण्डल	board of audit	विनिमय	exchange
लेखा परीक्षण	audit	विनियोग	application
लेख्य प्रमाण	notary	(प्रयुक्ति)	
लोक अधिकारी	public officer	विनियोजन	appropriation
लोक नमंचारी	public official	विनिश्चय	decision
लोक कार्यालय	public office	विवाजन	non-constitution
		विदेय	deed

विवरण (वक्तव्य)	statement	समाप्ति	extinction
विवाचक	arbitrator	समामेलन	amalgama- tion
विशेषज्ञ साक्ष्य	expert evi- dence	समावेदन	motion
विशेष प्रश्रेयता	special cre- dibility	सम्राट्	emperor
विशेषाधिकार	privilege	सरकारी राजपत्र	official gazette
बंध	legal	संगणना	ring leader
व्यवसाय	business	सर्वोच्च विधि	supreme law
व्यवस्था	provision	महान्यायाधीश	associate judge
शोषण	exploitation		co defendant
पडयन्त्र	plot	सह-प्रतिवादी	colleague
संदिग्ध	suspect	सहापापी	complicity
संधिपत्र	treaty	सहापराधिता	accomplice
संगत	agreement	सहापराधी	constitution
समति	consent	साविधानिकता	ality
संविधान	constitution		witness
संशोधन	amendment	साक्षी	evidence
सश्रय देना	harbor	साक्ष्य	evidential
संस्वीकृति	confession	साक्ष्यसामग्री	material
संहिता	code		credit
सचिव	secretary	साल	provisional
सत्याकन	ratification	सामयिक निर्मुक्ति	release
सत्यापन	verification		general pro- visions
सभासद् सदन	House of councillors	सामान्य उपबन्ध	public auc- tion
समन (आह्वान)	summon	सार्वजनिक	Universal
समर्थ न्यायाधि- कारी	competent judicial officer	नीलामी	adult
मनाधि	grave	सार्वजनिक वयस्क मताधिकार	suffrage

सिद्धदाप	convicted	स्थानीय लाव	local public
सीमित	limited	सत्ता	entity
सुनवाई	hearing	स्थानीय स्वायत्त	local self
सुपुदगी का प्रादेश	writ of com-	सासन	government
	mitment	स्वीकृति	approval
सूची	inventory	हरण	kidnapping
		हल्वा करना	mitigate

— — —

## GLOSSARY

abduction	अवहरण	article	अनच्छेद
abolition	परिहार	assignment	अभिधान
abortion	गर्भनाश	associate	सम्बन्धकारी
accessory	उपसहायक	judge	
accomplice	सहायक	attachment	कृषि
accuser	अभियान्ता	attempt	प्रयत्न
accused	अभिप्रेत	audit	लघु परीक्षा
act	अधिनियम	authorisation	प्राधिकरण
additional	अतिरिक्त	Bar Association	विधिज्ञ मण्डल
additional penalty	अतिरिक्त दण्ड	bigamy	द्विपत्नीत्व
administration	प्रशासन	bill	विधेयक
advocate	अभिवक्ता	board of audit	लेखापरीक्षक मण्डल
agreement	समन	budget	आयव्ययक
amalgamation	समासन्तन	business	व्यवसाय
amendment	समाप्ति	cabinet	मन्त्रि-परिषद
amnesty	शमाप्ति दान	calculation	परिकलन
appearance	उपमजानि	case	अभियोग
appellate jurisdiction	अपीलीय क्षेत्राधिकार	cemetery	कब्रिस्तान
application	विनियोग(प्रयुक्ति)	chapter	अध्याय
appropriation	विनियोजन	civil procedure	दीवानी प्रक्रिया
approval	स्वीकृति	civil war	गृह युद्ध
arbitrator	विवाचक	code	संहिता
arrest	बन्दीकरण	co-defendant	सह प्रतिवादी
arson	अग्निवाह्य	code of criminal procedure	दण्ड प्रक्रिया संहिता

collection	वमूली	counts	गणव
collegiate	सहयागी	court of first instance	प्राथमिक न्याया-लय
commission	आयोग	credible	प्रत्येय
commissioned	राजादिष्ट	credit	मात्व
commutation	परिवर्तन	crime	अपराध
compensation	प्रतिवर	criminal	अपराधी
competent	समर्थ	criminal investigation	अपराधिक अनु-सन्धान
judicial officer	न्यायाधि-वारी	criminal laws	आपराधिक विधियाँ
complainant	परिवादी	crippled	बिबलाग
complaint	परिवाद	custodian	अभिरक्षक
complicity	सहापराधिना	custody	अभिरक्षण
condemned	अपराधित	curator	पालक
confession	सस्वीकृति	damage	नुवमान पहुँचाना
confinement	परिरोध	death penalty	प्राणदण्ड
confiscation	राज्यमात्वकरण	decision	विनिश्चय
conscience	अन्तर्विवेक	deed	विलेख
consent	समति	defense	प्रतिरक्षा
constitution	सविधान	defense counsel	प्रतिवाद परामर्श-दाता
constitutionality	साविधानिकता	deleted	निवाळ दिया गया
content	अन्तर्विषय	demand	अभियाचना
control	नियन्त्रण	desertion	अभित्याग
convicted	मिद्ध दोष	designation	पदनाम
costs	परिच्यय	detention	निरोध
court	न्यायालय	diet	राज्य सभा
counsel	परामर्शदाता	diplomatic	दोयसम्बन्धी
counterfeit	जाली सिक्का	disadvan- tageous	अहितकारक
coin			

disposition	कारबाही	finally bind ing	अन्ततः बाध्यकारी
document	प्रलेख	finance	वित्त
domicile	अधिवास	first instance	प्राथमिक व्यवहार
duty	कर्म	fiscal year	राजवित्तीय वर्ष
electors	निवाचक	flagrant	बुरखान
embankment	बाध	forged	जाला
emperor	महाराज	formation	गठनादेश
enforcement	प्रवर्तन	fraudulent trickery	अनर्थ-भ्रमण
entry	प्रवेश	fundamental human rights	बुद्धिपूर्ण उपाय
escape	पलायन	gambling	मानव के मौलिक अधिकार
evidence	साक्ष्य	general pro visions	जुआ खेलना
evidential material	साक्ष्य सामग्री	grave gravity	सामान्य उपबंध
examination	परीक्षा	gross error	समाप्ति
exchange	विनिमय	ground	महत्ता
exclusion	अवरोध	guaranteed	घर चुग्ना
execution	निष्पादन	guard harbor	आधार
ex officio	पद	hearing	प्रमाण
expert evi dence	विशेषज्ञ साक्ष्य	hangozar	रक्षा
exploitation	शोषण	high court	मध्य देना
extenuating circum stances	लघु घटाने वाली परिस्थितियाँ	homicide	मुदनाई
extinction	समाप्ति	house of council lors	अनकारात्मक
extraordinary appeal	असाधारण अपील		उच्च न्यायालय
fact	तथ्य		मानवव्यय
false accusa tion	मिथ्या अभियोग		समाप्त-सन्त



house of representatives	प्रतिनिधि सदन	inventory	सूची
immediate	असन्न	investigation	अनुसंधान
imperial house law	राज्य-सन्न विधि	involute	अनुष्ण
imperial throne	राज्य सिंहासन	irretrievable	अप्रतिवाय
import	आयात	irrevocable	अट्ट निणय
impose	लगाना	judgement	
imprisonment	शाराबाम	item	प्रभाग
incompatible	असंगत	judge	न्यायाधीश
incompetent	अक्षम	judgement	निणय
incriminate	अभिगस्त करना	judicial precedent	न्यायिक दृष्टान्त
indication	निर्देशन	judiciary	न्यायपालिका
indictment	अभ्यारापण	jurisdiction	अधिकारक्षेत्र
inferior court	अवर न्यायालय	jurisdic	क्षेत्राधिकारिक
injured party	अपहृत पक्ष	ctional in	अक्षमता
injury	चाट	competen	
inquiry	परिग्रह (जांच)	cy	
inspection	निरीक्षण	kidnapping	हरण
instigate	उत्साहना	law	विधान
instruction	अनुदेश	law	विधि विधान
intention	आशय	law making	विधायक अंग
interpretation	अर्थनिबचन	organ	
interrogation	पूछनाछ	legal	वैध
intimidation	अभिद्रास	limited	सामित
intolerance	असहिष्णुता	litigation	वादकरण सामयय
inundation	अप्लावन	capacity	
		local public	स्थानाय नगर
		entity	सत्ता
		local self	स्थानाय स्वायत्त
		govern	शासन
		ment	

lodging	निवास प्रभाग	ordinance	अव्यादेश
charges		original	मूल न्यायालय
material	महत्वपूर्ण	court	
maximum	चरम	Paragraph	परिच्छेद
midwife	घाया	passport	पारपत्र
minimum	न्यूनतम	patent agent	पेटन्ट अभिकर्ता
minor fine	लघु अथर्य	payment	भुगतान
missing	गपना इाना	peerage	कुलानता
mitigate	हल्का करना	penal code	दण्ड महिना
mitigation	घटाव	penal de	दाण्डिक निराप
motion	समावेदन	tention	
National flag	राष्ट्रीय ध्वज	penal servi	कठोरथम कारा
negligence	अमावयान	tude	दान
non consti	वियानत	penalty	दण्ड
tution		pendency	लम्बन
non penal	अदाण्डिक अयदड	pending	लम्बित
fine		perjury	मिस्या गपय
notary	गम्य प्रमाणक	plea	अभ्युक्ति
not guilty	निर्दोष	plot	पडपत्र
objection	आपत्ति	precincts	उपान्त
obligation	दाय्यता	prescription	भागविकार
obscenity	अश्लीलता	preservation	परिरक्षण
obstruct	बाधा डालना	presiding	पोडासीन
occupant	अधिभाक्ता	judge	न्यायाधीश
officer	अधिकारी	presumptive	प्रकल्पित प्रमाण
official	कर्मचारी	proof	
official cor	वार्यान्वीय	principal	मुख्य अपराधी
ruption	अपचार	prison	कारागार
official gazet	सरकारी राजपत्र	privilege	विशेषाधिकार
te		probative	प्रामाणिक मूल्य
oppression	दलन	value	

proceeding	कार्यवाही	quash	खण्डित करना
proceeds	आगम	rape	बलात्कार
production	प्रस्तुति	ratification	सत्यावन
promulgation	प्रख्यापन	record	लेखा
pronounce- ment	पोषणा	record	अभिलेख
prosecution	अभियोजन	recovery	पुनः प्राप्ति
protocol	नयाचार	referendum	जनमत संग्रह
proviso	प्रतिबन्ध	regency	राजप्रतिनिधि
provision	व्यवस्था	regent	राजप्रतिनिधि
provisional	सामयिकनिर्मुक्ति	regulation	नियम
release		release on bail	जमानती निर्मुक्ति
proxy	प्रतिपत्नी	renunciation	परित्याग
public	सार्वजनिक	reopening	कार्यवाही पर
auction	नीलामी	of proce- dure	पुनर्विचार
public au- thority	लोक प्राधिकरण	repeated	पुनरावृत्त अपराध
public im- peachment	महाभियोग	crimes	
public office	लोक कार्यालय	report	प्रतिवेदन
public	लोक अधिकारी	representa- tive	प्रतिनिधि
officer		reputation	ख्याति
public	लोक कर्मचारी	requisitioned	अधियाचित
official		rescission	विखण्डन
public pro- curator	लोक समाह्वान	rescript	प्रतिविधान
public sale	लोक विप्रय	rescue	छुड़ा लेना
public trial	लोक विचारण	resignation	त्याग पत्र
public wel- fare	जनहित	resolution	प्रस्ताव
qualification	अहंता	restoration	वापसी
		restoration	प्रत्यावर्तन

restraint	अवरोध	summary	क्षिप्रप्रक्रिया
restriction	निर्बन्धन	procedure	
revenue	राजस्व	summon	ममन (आह्वान)
review	पुनर्विचार	supervision	पयबक्षण
revocation	प्रतिमहर्षण	supplemen-	अनुपूरक
revoke	प्रतिमहृत करना	tary	
right	अधिकार	supplemen-	अनुपूरक उपपन्न
riot	बगवा	tary provi-	
ring leader	मर्याना	sions	
robbery	लूट	suppression	अधिकारधन
seal	मुद्रा	supreme	उच्चतम
search	तलाशी	court	न्यायालय
secrecy	गापनीयता	supreme law	सर्वोच्च विधि
secretary	सचिव	suspect	संदिग्ध
security	रक्षणपत्र	suspension	निलम्बन
seizure	अभिग्रहण	statement	विवरण (बकाय)
service	वितरण	sustainable	निर्वाह्य
servitude	अधिमतिता	tax	कर
session	अधिवेशन	tender	निविदा
signal	केतु	term	अवधि
sluice	प्रणाल	territorial	प्रादेशिक क्षेत्र
sovereignty	प्रभुत्व	jurisdic-	धिकार
special credi-	विशेष प्रत्येयता	tion	
bility		theft	चोरी
spouse	दपति	threat	घमकी
subvert	विध्वस्त करना	torture	पीडा
summary	क्षिप्रन्यायालय	traffic obs-	यातायात अवरोध
court		truction	
summary	क्षिप्रभाषेन	translation	अनुवाद
order		travelling	यात्राव्यय
		expenses	

treaty	मघिपत्र	violation	उल्लपन
warrant	अघिपत्र	water man	जलनली
trespass	अतिचार	withdrawal	प्रत्याहरण
trial	विचारण	witness	साक्षी
trust	न्यास	workhouse	बर्मशाला
Umversal	सार्वजनिक वयस्क	wounding	घायल करना
adult	मताधिकार	writ	प्रादेश
suffrage		writ of com-	सुपुर्देगी का प्रादेश
utilization	उपयोग	mitment	
verification	सत्यापन	written sti-	लिखित अनुबन्ध
vessel	जलयान	pulations	

---